

किसान सभा

के

संस्मरण

लेखक

स्वामी सहजानन्द सरस्वती



मूल्य

तीन रुपये बारह आने



विषय-प्रवेश

आगे के पृष्ठों में किसान-सभा के संस्मरणों का जो संकलन मिलेगा वह तैयार किया था हजारीबाग जेल की चहार दीवारी के भीतर। १९४० की लम्बी जेल-यात्रा के पहले ही मित्रों एवं साथियों ने बारबार अनुरोध किया था कि इन संस्मरणों को अवश्य लिपि-बद्ध करें। किसान-सभा से मेरा सम्बन्ध गत बीस वर्षों की भारी मुद्दत में अविच्छिन्न रहने के कारण मैं इसके बारे में आधिकारिक रूप से लिखने वाला माना गया। इस सम्बन्ध में तरह-तरह के अनुभव सबसे ज्यादा मुझी को हुए हैं, यह भी बात है। यह अनुभव मजदूर भी रहे हैं और आगे की पंक्तियों से यह स्पष्ट है। फलतः इनके कलम बन्द करने में मजा भी मुझे काफी मिला है। जेल से बाहर समय न मिलने के कारण मित्रों की इच्छा वहीं पूरी करनी पड़ी।

जर्मंदारों के अखबारों ने कभी-कभी मुझे अक्ल देने की भी कोशिश की है और लम्बे उरदेस दिये हैं कि राजनीति संन्यासी का काम नहीं है। इसमें पढ़ने से वह दुहरा पाप करता है। किसान-सभा के सिलसिले में होने वाले मेरे रोज-रोज के तूफानी दौरों पर व्यंग करके उनने उन्हें 'मनोविनोद के सैर' (Pleasure Trips) नाम दिये हैं और आश्चर्य से पूछा है कि इन सैर-सपाटों का लम्बा खर्च मुझे कौन देता है ? उन्हें पता ही नहीं कि जिन्हें इन सैर-सपाटों की गर्ज है, जो इसके लिये बेचैन हैं, वही यह खर्च देते हैं—वही जो इन समाचार पत्रों के मालिकों के महल सजाते हैं। आगे की पंक्तियाँ यह भी बतायेंगी कि ये सैर-सपाटे हैं या कड़ी कसौटी।

ये संस्मरण लिखे तो गये जेल के भीतर ही १९४१ में; मगर इनके प्रकाशन में परिस्थिति-वश काफी देर हो गई है। फिर भी इनका महत्त्व व्योँ का त्योँ बना है। सोचा गया कि जिस किसान-सभा से सम्बन्ध रखने-वाले ये संस्मरण हैं, उसका इतिहास यदि इन्हीं के साथ न रहे तो एक प्रकार से ये अधूरे रह जायँगे। पाठकों को इनके पढ़ने से पूरा संतोष भी न होगा और न वह मजा ही मिलेगा। इसीलिये भूमिका स्वरूप किसान-सभा का संक्षिप्त इतिहास और उसका कुछ विस्तृत विवेचन भी इन संस्मरणों के साथ जोड़ दिया गया है और इस प्रकार एक पूरी चीज तैयार हो गई।

“कहीं-कहीं किनारे पर जो अंक लिखे गये हैं वह इस बात के सूचक हैं कि किस दिन कितना भाग जेल के भीतर लिखा गया था।”

विहटा, पटना }
१०.२.४७

—स्वामी सहजानन्द सरस्वती



भारत में किसान-आन्दोलन

[अ]

संक्षिप्त इतिहास

बहुत लोगों का खयाल है कि हमारे देश में किसानों का आन्दोलन बिल्कुल नया और कुछ खुगफाती दिमागों की उपज मात्र है। वे मानते हैं कि यह मुट्ठा भर पढ़े-लिखे बदमाशों का पेशा और उनकी लीडरी का साधन मात्र है। उनके जानते भोलेभाले किसानों को बरगला-बहकाकर थोड़े से सफेदपोश और फटेहाल ब्राबू अपना उल्लू सीधा करने पर तुले बैठे हैं। इसीलिये यह किसान-सभाओं एवं किसान-आन्दोलन का तूफाने बदतमीजी बरपा है, यह उनकी हरकतों वेजा जारी हैं। यह भी नहीं कि केवल स्वार्थी और नादान जमींदार-मालगुजार या उनके पृष्ठ-गोषक ऐसी बातें करते हों। कांग्रेस के कुछ चोटी के नेता और देश के रहनुमा भी ऐसा ही मानते हैं। उन्हें किसान-सभा की जरूरत ही महसूस नहीं होती। वे किसान-आन्दोलन को राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के संग्राम में रोड़ा समझते हैं। फलतः इनका विरोध भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं।

परन्तु ऐसी धारणा भ्रान्त तथा निर्मूल है। भारतीय किसानों का आन्दोलन प्राचीन है, बहुत पुराना है। दरअसल इस आन्दोलन के बारे में लिपि-बद्ध वर्णन का अभाव एक बड़ी त्रुटि है। यदि सौ-सवासी साल से पहले की बात देखें तो हमारे यहाँ मुश्किल से इस आन्दोलन की बात कहीं लिखी-लिखाई मिलेगी। इसकी वजहें अनेक हैं, जिन पर विचार करने का मौका यहाँ नहीं है। जत्र यूरोपीय देशों में किसान-आन्दोलन पुराना है, तो कोई वजह नहीं है कि यहाँ भी वैसा ही न हो। किसानों की दशा सर्वत्र एक सी ही रही है आज से पचास सौ साल पहले। जमींदारों और

सूदखोरों ने उन्हें सर्वत्र बुरी तरह सताया है और सरकार भी इन उत्पीड़कों का ही साथ देती रही है। फलतः किसानों के विद्रोह सर्वत्र होते रहे हैं। उन्नीसवीं सदी के मध्य में—१८५० में—शोषितों के मसीहा फ्रेड्रिक एंगेल्स ने “जर्मनी में किसानों का जंग” (दी पीज़ेन्ट वार इन जर्मनी) पुस्तक लिखकर उसमें न सिर्फ जर्मनी में होने वाले पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं सदियों के सन्धि-काल के किसान-विद्रोहों का वर्णन किया है, वरन् आस्ट्रिया, हंगरी, इटली तथा अन्याय देशों के भी ऐसे विद्रोहों का उल्लेख किया है। उससे पूर्व जर्मन विद्वान् विल्हेल्म जिमरमान की भी एक पुस्तक “महान किसान-विद्रोह का इतिहास” (दी हिस्ट्री औफ दी ग्रेट पीज़ेन्ट वार) इसी बात का वर्णन करती है। यह १८४१ में लिखी गयी थी। फ्रांस में १२-१३ वीं सदियों में फ्रांस के दक्षिण भाग में किसानों की बगावतें प्रसिद्ध हैं। इंग्लैंड की १३८१ वाली किसानों की बगावत भी प्रसिद्ध है, जिसका नेता जौन बोल था। इसी प्रकार हंगरी में भी १६ वीं शताब्दी में किसानों ने विद्रोह किया।

इस तरह के सभी संघर्ष एवं विस्फोट सामन्तों एवं जमींदारों के जुन्म, असह्य कर-भार तथा गुलामी के विरुद्ध होते रहे, और ये चीजें भागत में भी थीं। यह देश तो दूसरे मुल्कों की अपेक्षा पिछड़ा था ही। तब यहाँ भी ये उत्पीड़न क्यों न होते और उनके विरुद्ध किसान-संघर्ष क्यों न छिड़ते ? यहाँ तो साधारणतः ब्रिटिश भारत में और विशेषतः रजवाड़ों में आज भी ये संघर्षों किसान भोग ही रहे हैं।

तो क्या भारतीय किसान यों ही आँख मँद कर सारे कष्टों को गधे-धैजों की तरह चुपचाप बर्दास्त कर लेते रहे हैं और उनके विरोध में उनमें सर नहीं उठाया है ? यह बात समझ के बाहर है। माना कि आज के जमांदार डेढ़ सौ साल से पहले न थे। मगर सरकार तो थी। सूदखोर बनिये महाजन तो थे। जागीरदार तथा सामन्त तो थे। फिर तो कर-भार, गुलामी और भोषण सूदखोरी थी ही। इन्हें कौन रोकता तथा इनके विरुद्ध किसान-समाज चुन कैसे रह सकता था ? भारतीय किसान संसार के अन्य किसानों

के अपवाद नहीं हो सकते। फिर भी यदि उनके आन्दोलनों एवं विद्रोहों का कोई विधिवत् लिखित इतिहास नहीं मिलता, तो इसके मानी हगिज नहीं कि यह चीज हुई ही नहीं—हुई और जरूर हुई—हजारों वर्ष पहले से लगातार होती रही। नहीं तो एकाएक सौ डेढ़ सौ वर्ष पहिले, जिसके लेख मिलते हैं, क्यों हुई ? और अगर इधर आकर वे संवर्ष करने लगे तो मानना ही होगा कि पहले भी जरूर करते थे।

यह भी बात है कि यदि लिखा-पढ़ी तथा सभा-सोसाइटियों के रूप में, प्रदर्शन और जुलूस के रूप में यह आन्दोलन न भी हो सकता था, तो भी अमली तौर पर तो होता ही था, हो सकता ही था और यही था असली आन्दोलन। क्योंकि “कह सुनाऊँ” की अपेक्षा “कर दिखाऊँ” हमेशा ही ठोस और कारगर माना जाता है और इधर १८३६ से १९४६ तक के दर्भान, प्रारम्भ के प्रायः सौ साल में, जन्नानी या लिखित आन्दोलन शायद ही हुए, किन्तु अमली तथा व्यावहारिक ही हुए। इसका संज्ञित विवरण आगे मिलेगा। इससे भी मानना ही होगा कि पहले भी इस तरह के अमली आन्दोलन और व्यावहारिक विरोध किसान-संसार की तरफ से सदा से होते आये हैं। किसान तो सदा ही मूक प्राणी रहा है। इसे वाणी देने का यत्न पहले कब, किसने किया ? कर्म, भाग्य, भगवान, तकदीर और परलोक के नाम पर हमेशा ही से चुपचाप कष्ट सहन करने, संतोष करने तथा पशु-जीवन बिताने के ही उपदेश इसे दिये जाते रहे हैं। यह भी कहा जाता रहा है कि राजा और शासक तो भगवान के अंशावतार हैं। अतः चुपचाप उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने में ही कल्याण है। इस ‘कल्याण’ की बूटी ने तो और भी जहर का काम किया और उन्हें गुंगा बना दिया। फलतः कभी-कभी ऊबकर उन्होंने अमली आन्दोलन ही किया और तत्काल वह सफलीभूत भी हुआ। उससे उनके कष्टों में कमी हुई।

इधर असहयोग युग के बाद जो भी किसान-आन्दोलन हुए हैं उन्हें संगठित रूप मिला है, यह बात सही है। संगठन का यह श्रीगणेश तभी से चला है। इसका श्रीगणेश तभी से होकर इसमें क्रमिक दृढ़ता आती गई है

और आज तो यह काफी मजबूत है, हालांकि संगठन में अभी कमी बहुत है। मगर असंगठित रूप में यह चीज पहले, असहयोग युग से पूर्व भी चलती रही है। संगठित से हमारा आशय सदस्यता के आधार पर बनी किसान-सभा और किसानों की पंचायत से है, जिसका कार्यालय नियमित रूप से काम करता रहता है और समय पर सभी समितियाँ होती रहती हैं। कागजी बुड़दौड़ भी चालू रहती है। यह बात पहले न थी। इसी से पूर्ववर्ती आन्दोलन असंगठित था। यों तो विद्रोहों को तत्काल सफल होने के लिये उनका किसी न किसी रूप में संगठित होना अनिवार्य था। 'पतिया' जारी करने का रिवाज अत्यन्त प्राचीन है। मालूम होता है, पहले दो चार अक्षरों या संकेतों के द्वारा ही संगठन का महामंत्र फूँका जाता था। यद्यपि यातायात के साधनों के अभाव में उसे वर्तमान कालीन सफलता एवं विस्तार प्राप्त न होते थे। फिर भी हम देखते हैं कि जिन आन्दोलनों एवं संघर्षों का उल्लेख आगे है वे बात की बात में आग की तरह फैले और काफी दूर तक फैले। मथाल-विद्रोह में तो लाखों की सेना, एकत्र होने की बात पाई जाती है और यह बात अंग्रेज अफसरों ने लिखी है। ऐसी दशा में इतना तो मानना ही होगा कि वह चीज भी काफी संगठित रूप में थी, यद्यपि आज वाली दृढ़ता, आज वाली स्थापिता उसमें न थी। होती भी कैसे ? उसके सामान होते तब न ?

जैसा कि पहले कह चुके हैं, आज से, प्रायः सौ-सवासी साल पहले वाले किसान-संघर्षों एवं आन्दोलनों का वर्णन मिलता है। अतः हम उन्हीं से शुरु करते हैं। इसमें सबसे पुराना मालावार के मोपला किसानों का विद्रोह है, जो १८३६ में शुरु हुआ था। कहने वाले कहते हैं कि ये मोपले कट्टर मुसलमान होने के नाते अपना आन्दोलन धार्मिक कारणों से ही करते रहे हैं। असहयोग-युग के उनके विद्रोह के बारे में तो स्पष्ट ही यही बात कही गयी है। मगर ऐसा कहने-मानने वाले अधिकारियों एवं जमींदार-मालदारों के लेखों तथा चयानों से ही यह बात सिद्ध हो जाती है कि दरअसल बात यह न होकर आर्थिक

एवं सामाजिक उत्पीड़न ही इस विद्रोह के असली कारण रहे हैं और धार्मिक रंग अगर उन पर चढ़ा है तो कार्य-कारणवश ही, प्रसंगवश ही। १९२० और १९२१ वाले विद्रोह को तो सबों ने, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी, धार्मिक ही माना है। मगर उसी के सम्बन्ध में मालावार के ब्राह्मणों के पत्र 'योगक्षेमम्' ने १९२२ की ६ जनवरी के अग्रलेख में लिखा था कि "केवल धनियों तथा जमींदारों को ही ये विद्रोही सताते हैं, न कि गरीब किसानों को—"

"only the rich and the landlords are suffering in the hands of the rebels, not the poor peasants."

अगर धार्मिक बात होती तो यह धनी-गरीब का भेद क्यों होता ? इसी तरह ता० ५।२।१९२१ में दक्षिण मालावार के कलक्टर ने जो १४४ धारा की नोटिस जारी की थी उसके कारणों में लिखा गया था कि "भोलें-भाले मोपलो को न सिर्फ सरकार के विरुद्ध, वरन् हिन्दू जन्मियों (जमींदारों—मालावार में जमींदार को 'जन्मी' कहते हैं) के भी विरुद्ध उभाड़ा जायगा"—

"The feeling of the ignorant Moplahs will be inflamed against not only the Government but also against the Hindu Jenmies (landlords) of the district."

इससे भी स्पष्ट है कि विद्रोह का कारण आर्थिक था। नहीं तो सिर्फ जमींदारों तथा सरकार के विरुद्ध यह बात क्यों होती ?

बात असल यह है कि मालावार के जमींदार ब्राह्मण ही हैं। उत्तरी मालावार में शायद ही दो एक मोपले भी जमींदार हैं। और ये मोपले गरीब किसान हैं। इनमें खाते-पीते लोग शायद ही हैं। इन किसानों को जमीन पर पहले कोई हक था ही नहीं और ऋगड़े की असली बुनियाद यही थी, यही है। यह पुरानी चीज है और शोषक जमींदारों के हिन्दू (ब्राह्मण) होने के नाते ही इन संघर्षों पर धार्मिक रंग चढ़ता है। नहीं, नहीं,

जान-बूझकर चढ़ाया जाता है। १८८० वाले विद्रोह में मोपलों ने दो जमींदारों पर घावा किया था। उनसे तत्कालीन गवर्नर लार्ड ब्रिक्लम को गुप्तनाम पत्र लिखकर जमींदारों के जुल्मों को बताया था और प्रार्थना की थी कि उन्हें रोका जाय, नहीं तो ज्वालामुखी फूटेगा। गवर्नर ने मालाबार के कलक्टर और जज की एक कमेटी द्वारा जब जाँच करवाई तो रिपोर्ट आई कि इन तूफानों के मूल में वही किसानों की समस्याएँ हैं। पीछे यह भी बात ब्योरेवार मालूम हुई कि जमींदार किसानों को कैसे लूटते और जमीनों से वेदखल करते रहते हैं। इसलिये तो १८८७ वाला काश्तकारी कानून बना।

१९२१ तथा उसके बाद मौलाना याकूब हसन मालाबार के कांग्रेसी एवं गांधीवादी नेता थे। मगर उनसे भी जो पत्र गांधी जी को लिखा था उसमें कहते हैं कि “अधिकांश मोपले छोटे-छोटे जमीन्दारों की जमीनों लेकर जोतते हैं और जमीन्दार प्रायः सभी हिन्दू ही हैं। मोपलों की यह पुरानी शिकायत है कि ये मनचले जमीन्दार उन्हें लूटते-सताते हैं और यह शिकायत दूर नहीं की गई है”—

“Most of the Moplahs were cultivating lands under the petty landlords who are almost all Hindus. The oppression of the Jenmies (landlords) is a matter of notoriety and a long-standing grievance of the Moplahs that has never been redressed.”

इससे तो जरा भी सन्देह नहीं रह जाता कि मोपला-विद्रोह सचमुच किसान-विद्रोह था।

१८३६ से १८५३ तक मोपलों ने २२ विद्रोह किये। वे सभी जमीन्दारों के विरुद्ध थे। कहीं-कहीं घर्म की बात प्रसंगतः आई थी जलर। मगर असलियत वही थी। १८४१ वाला विद्रोह तो श्री चैरम पहत्री नाम्बुट्टी नामक जालिम जमीन्दार के खिलाफ था, जिसने किसानों को पट्टे पर

दी गई जमीन बलात् छीनी थी। १८४३ में भी दो संघर्ष हुए—एक गाँव के मुखिया के विरुद्ध और दूसरा ब्राह्मण जमींदार के खिलाफ। १८५१ में उत्तर मालावार में भी एक जमींदार का वंश ही खत्म कर दिया गया। १८८० की बात कही चुके हैं। १८६८ में भी उसी तरह एक जमींदार मारा गया। १९१६ में मनकट्टा पहत्री पुरम् में एक ब्राह्मण जमींदार और उसके आदमियों को चेकाजी नामक मोपला किसान के दल ने खत्म कर दिया और लूट-पाट की। क्योंकि उसने चेकाजी के विरुद्ध बाकी लगान की डिग्री से सन्तोष न करके उसके पुत्र की शादी भी न होने दी।

१९२० के अक्टूबर में कालीकट में जो काश्तकारी कानून के सुधार का आन्दोलन शुरू हुआ, १९२१ वाली बगावत इसी का परिणाम थी। जमींदार मनमाने ढंग से लगान बढ़ाते और बेतहाशा वेदखलियाँ किया करते थे। इसीलिये सैकड़ों सभाये हुईं। स्थान-स्थान पर किसान-सभाये बनीं, कालीकट के राजा की जमींदारी में एक “टेनेन्ट रिलीफ असोसियेशन” कायम हुआ और मंजेरी की बड़ी कांफ्रेंस में किसानों की माँगों का जोरदार समर्थन हुआ। इसी के साथ खिलाफत आन्दोलन भी आ मिला। मगर असलियत तो दूसरी ही थी। इस तरह देखते हैं कि आज से सैकड़ों साल पूर्व विशुद्ध किसान-आन्दोलन किसान हकों के लिये चला और १९२० में आकर उसने कहीं-कहीं संगठन का जामा पहनने की भी कोशिश की।

अच्छा, अब मालावार के दक्षिणी किसान-आन्दोलन से हटकर उत्तर में बम्बई प्रेसिडेन्सी के महाराष्ट्र, खानदेश और गुजरात को देखें। वहाँ भी १८४५ और १८७५ के मध्य किसानों में रह-रहके उभाड़ होते रहे। कोली, कुर्मा, भील, ब्राह्मण और दूसरी जाति के लोग—सभी—इस विद्रोह में शरीक थे। १८४५ में भालों के नेता रघुभंगरिन के दल ने साहूकारों को लूटा-पाटा। पूना और थाना जिलों के कोलियों ने भी समय-समय पर ऐसी लूट-पाट और मार-काट की। इस सम्बन्ध में १८५२ में सर जी. विन्गेट (Sir G. Wingate) बम्बई सरकार को लिखा

या कि “बम्बई प्रेसीडेन्सी के परस्पर सुदूरवर्ती दो कोने में जो कर्जदारों ने दो साहूकारों को मार डाला है यह कोई योंही नहीं हुआ है, जो कहीं-कहीं महाजनों के जुल्मों के फलस्वरूप है। किन्तु मुझे भय है कि ये एक और किसानों और दूसरी ओर सूदखोर वृत्तियों के बीच सर्वत्र होने वाले ग्राम तनाव के दो उदाहरण मात्र हैं। और अगर ऐसा है, तो ये बताते हैं कि कि एक ओर कितना भयंकर शोषण-उत्पीड़न और दूसरी ओर कितना अधिक कष्ट-सहन मौजूद है”—

“These two cases of village-money-lenders murdered by their debtors almost at the opposite extremities of our presidency must, I apprehend, be viewed not as the results of isolated instances of oppression on the part of creditors, but as examples in an aggravated form of the general relations subsisting between the class of money-lenders and our agricultural population, And if so, what an amount of dire oppression on the one hand, and of suffering on the other, do they reveal to us”?

इसी प्रकार १८७१ और १८७५ के मध्य खेड़ा (गुजरात), अहमदनगर, पूना, रत्नागिरी, सितारा, शंलापुर और अहमदाबाद (गुजरात) जिलों में भी गूजरो, सूदखोरो, मारवाड़ियों, दूसरे वृत्तियों तथा जालिमों के विरुद्ध जेहाद चले गये, जिनका विवरण “दक्षिणी किसान दंगा-जाँच कमिशन” की रिपोर्ट में दिया गया है। १८७१ और १८५५ के बीच का समय भी वेचैनी का था। १८६५ वाले अमेरिका के गृहयुद्ध के चलते भारतीय रुई का दाम तेज हुआ। फलतः किसानों ने काफी कर्ज लिये। मगर १८७० में उस युद्ध के अन्त होते ही एकाएक सस्ती आई, जिससे १८२६ की ही तरह किसान तबाह हो गये। यह भी था कि १८६५ से

पूर्व सरकार ने समय-समय पर सर्वे कराकर लगान भी बढ़ा दिया था। जब उसे न दे सकने के कारण किसानों की जमीन-जायदाद साहुकारों के हाथों में धड़ाधड़ जाने लगी तो उनने विद्रोह शुरू किये। फलतः सरकारी जाँच कमिशन कायम हुआ और उसी की रिपोर्ट पर दक्षिणी किसानों को सुविधाएँ देने का कानून बनाया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार और महाजनों से किसान इसीलिये बिगड़ पड़े कि उनकी जमीनें छिनी जा रही थीं।

कहा जाता है कि बम्बई प्रेसिडेन्सी में जमींदारी प्रथा है नहीं, वहाँ जमींदार हैं नहीं। रैयतवारी प्रथा के फलस्वरूप वहाँ किसान ही जमीन के मालिक हैं। मगर दरअसल अब यह बात है नहीं। वहाँ भी साहुकार-जमींदार कायम हो गये हैं और असली किसान उनके गुलाम बन चुके हैं। यह साहुकार-जमींदारी शुरू हुई थी १८४५ में ही, जब किसानों की जमीनें महाजन कर्ज में छीनने लगे। किसानों के विद्रोह भी इसी छीना-फूटी को रोकने के लिये होते रहे। आज तो रैयतवारी इलाके का किसान इसी के चलते जमींदारी प्रान्तों के किसानों से भी ज्यादा दुखिया है। क्योंकि उसे कोई हक हासिल नहीं है, जब कि जमींदारी इलाके वालों ने लड़ते-लड़ते बहुत कुछ हक हासिल किया है। इसीलिये दक्षिणी विद्रोह के जाँच कमिशन की रिपोर्ट में मिस्टर आकलैण्ड कौलविन ने लिखा है कि “तथा कथित रैयतवारी प्रथा में धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है कि रैयत टेनेन्ट हो गये हैं और मारवाड़ी (साहुकार) जमींदार (मालिक)। यह तो जमींदारी प्रथा ही है। फर्क इतना ही है कि उत्तरी भारत की जमींदारी प्रथा में किसानों की रक्षा के लिये जो बातें कानून में रखी गयी हैं वे एक भी यहाँ नहीं हैं। मालिक गैर जवाबदेह हैं और किसान का कोई बचाव है नहीं। फलतः रैयतवारी न होकर यह तो मारवाड़ी (साहुकारी) प्रथा होने जा रही है” —

“Under so-called ryotwari system it is gradually coming to this, that the ryot is the tenant and

the Marwari is the proprietor. It is a zamindari settlement; but it is a zamindari settlement stripped of all the safeguards which under such a settlement in Upper India are thought indispensable to the tenant. The proprietor is irresponsible, the tenant unprotected. It promises to become not a ryotwari but a Marwarisettlement."

उत्तर भारत के बिहार-बंगाल की सम्मिलित सीमा का सथाल आन्दोलन भी, जो १८५५ की ७ जुलाई से शुरू हुआ, किसान-आन्दोलन ही था। भील नेताओं के अग संरक्षक ही तीस हजार थे। बाकियों का क्या कहना! संथालों के घी, दूध और अन्नादि को बनिये मिट्टी के मोल लेकर नमक, वस्त्र खूब मँहँगे देते थे। इस प्रकार उनकी सारी जमीन, बर्तन और औसतों के लोहे के जेवर तक ये बनिये लूट लेते थे, ठग लेते थे। मिस्टर हन्टर ने "देहाती बंगाल का इतिहास" में लूट का विशद, पर हृदय-द्रावक, वर्णन किया है। और जब पुलिस वालों ने भी इन बनियों से घूम लेकर उन्हीं का साथ देना शुरू किया, तो फिर इन पीड़ित संथालों के लिये विद्रोह ही एक मात्र अस्त्र रह गया था। उनसे उसी की शरण ली। इस तरह हम १८३६ से चञ्चक १८७५ तक आते हैं और इसी के बीच में वह संथालों का किसान-आन्दोलन भी आ जाता है। बल्कि मालाबार वाले १८२० के विद्रोह को लेकर तो हम असहयोग-युग के पूर्व तक पहुँच जाते हैं।

हमें एक चीज इसमें यह भी मिलती है कि धीरे-धीरे यह आन्दोलन एक संगठित रूप की ओर अग्रसर होता है। मोसलों के १८२० वाले संगठन का उल्लेख हो चुका है। दक्षिणी विद्रोह में भी १८३६-५३ वाले मोपला विद्रोह की अपेक्षा एक तरह का संगठन पाया जाता है जिसके फलस्वरूप वे आग की तरह बम्बई प्रेसीडेंसी के एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत तेजी से पहुँच जाते हैं, ऐसा सर विन्नेट ने तथा औरों ने भी

लिखा है। मगर १८७५ के बाद यह संगठन धीरे-धीरे सभा का रूप लेता है १९२० में मालाबार में; हालांकि वह भी टिक नहीं पाता।

उत्तर और पूर्व बंगाल में नील बोनने वाले किसानों का विद्रोह भी इसी सुदृढ में आता है। बिहार के छोटा नागपुर का टाना भगत आन्दोलन भी असहयोग युग के ठीक पहले जारी हुआ था। १९१० में चम्पारन में निनहे गोरों के विरुद्ध गांधी जी का किसान-आन्दोलन चला और सफल हुआ अपने तात्कालिक लक्ष्य में। गुजरात के खेड़ा जिले में भी उनने किसान-आन्दोलन इससे पूर्व उभी साल चलाया था। मगर वह अधिकांश विफल रहा। अवध में असहयोग से पहले १९२० में बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में चालू किसान-आन्दोलन वहाँ के ताल्लुकेदारों के विरुद्ध था, जिसमें लूट-पाट भी हुई। इस प्रकार के आन्दोलन मुल्कों में जहाँ-तहाँ और भी चले। मगर उन पर विशेष रोशनी डालने का अवसर यहाँ नहीं है।

इनका निष्कर्ष, इनकी विशेषता

असहयोग युग के पूर्ववर्ती आन्दोलनों की विशेषता यह थी कि एक तो वे अधिकांश असंगठित थे। दूसरे उनको पढ़े-लिखे लोगों का नेतृत्व प्राप्त न था। अवध वाले में भी यही बात थी। तीसरे उनने मार-काट का आश्रय लिया। तब तक जनान्दोलन का रहस्य किसे विदित था! यह भी बात थी कि ये विद्रोह और आन्दोलन पहले से तैयारी करके किये न गये थे। जब किसानों पर होने वाले जुल्म असह्य हो जाते थे और उन्हें अपने त्राण का कोई दूसरा रास्ता दीखता न था तो वे एकाएक उत्रल पड़ते थे। फिर तो मार-काट अनिवार्य थी। परिस्थिति उन्हें एतदर्थ विवश करती थी या यो कहिये कि जमींदार और शोषक अपने घोर जुल्मों के द्वारा उन्हें इस हिंसा के लिये विवश करते थे। यही उनकी कमजोरी थी। इसी से वे दबा दिये गये और विफल से रहे; हालांकि उनका सुन्दर परिणाम किसानों के लिये होकर रहा, यह सभी मानते हैं। कितने ही कानून किसान-हित-रक्षा के लिये बने-उन्हीं के चलते।

यह ठीक है कि उनमें कुछ को पढ़े-लिखों का नेतृत्व प्राप्त था। दृष्टान्त के लिये १९२० वाले मोरला-आन्दोलन को ले सकते हैं। मगर वहाँ भी छिटपुट हिंसा की शरण लेने से भयंकर हास हुआ। खिलाफत और पंजाब-कांड के बाद ही होने तथा इनके साथ मिल जाने से भी उसका निन्द्य दमन किया गया। फलतः वह बेकार-सा गया। अहिंसा की प्रचण्ड लहर का युग होने से वह उसी में डूबा, यह भी कह सकते हैं।

मगर खेड़ा, चम्पारन और युक्तप्रान्त का पं० नेहरू के द्वारा संचालित आन्दोलन शान्तिपूर्ण होने के साथ ही उदात्त नेताओं के हाथों में रहा; यद्यपि संगठित रूप उसे भी नहीं दिया जा सका। फिर भी जनान्दोलन का शान्तिपूर्ण रूप मिल जाने से ही और पाठित नेतृत्व के कारण ही उन सबों को कम-वेश प्रत्यक्ष सफलता मिली। उनके क्षेत्र और उद्देश्य जितने ही सकुचित या व्यापक थे, और उनमें जैसी शक्ति थी तदनुकूल ही उन्हें कम या अधिक सफलता मिली। खेड़ा का आन्दोलन तो जिले भर का था, ठेठ सरकार के विरुद्ध। फलतः उसे उतनी कामयाबी न मिल सकी। चम्पारन वाला था कुछ खास इलाके का, सिर्फ निलहों की नृशंसता एवं मनमानी घरजानों के विरुद्ध। फलतः वह पूर्ण सफल रहा। अवधवाला था लम्बे इलाके के विरुद्ध, जिसमें बहुत जिले आ जाते हैं। युक्तप्रान्त का भी प्रश्न उसने साधारणतः उठाया। इसी से उसकी सफलता बहुत धीमी चाल से आनी शुरू हुई और अब तक भी पूर्णरूप से पहुँच न सकी।

असहयोग के पूर्व किसान-आन्दोलन में जो दृढ़ता न आ सकी और उसे जो पूर्ण संगठित रूप मिल न सका उसके दो बड़े कारण थे, जिसका उल्लेख अब तक किया न जा सका है। एक तो किसान जनता में आत्म-विश्वास न था। सदियों से कुचले, पिसे किसान आत्म-विश्वास खो चुके थे। अतः विश्वासपूर्वक सामूहिक रूप से खम टोक कर अपने उत्पीड़कों से लड़ न सकते थे। फलतः एक बार फिसले तो हिम्मत हार गये और चुप्पी मार बैठे। फिर संगठन कैसा ? दूसरे, आन्दोलन चलाने के लिये बहु-संख्यक पठित कार्यकर्ता और नेता भी नहीं प्राप्त थे—ऐसे नेता और कार्य-

कर्ता जिन्हें आत्म-विश्वास हो और जो धुन के पक्के हों कि लक्ष्य तक पहुँच कर ही दम लें ।

ये दो मौलिक कमियाँ थीं, जिन्हें असहयोग आन्दोलन ने पूरा कर दिया । १९२१ में बड़ी से बड़ी, शक्तिशाली और शस्त्रास्त्र सुसज्जित सरकार को एक बार निहत्थे किसानों ने कँपा दिया, हिला दिया । फल-स्वरूप उन्हें अपनी अपार अन्तर्निहित शक्ति का सहसा भान होने से उनमें आत्म-विश्वास हो गया कि जब इतनी बड़ी सरकार को हिला दिया, तो जमींदार, ताल्लुकेदार और साहुकार की क्या बिसात ! उन्हें चीं बुलाना तो बायें हाथ का खेल है । असहयोग ने हजारों धनी कार्यकर्ता भी दिये जो ऊपर आ गये—मैदान में आ गये । असहयोग की सफलता के मुख्य आधार किसान ही थे, जो पहली बार सामूहिक रूप से कांग्रेस में आये थे । इसीलिये वे तथा उनके लिये कार्यकर्ता—दोनों ही—आत्म-विश्वास प्राप्त करके आगे बढ़े ।

यद्यपि ये बातें कुछ देर में हुईं । क्योंकि आत्म-विश्वास और दृढ़ निश्चय के लिये समर और मनन की आवश्यकता होती है । तथापि ये हुईं अवश्य । इसीलिये, और राजनीतिक उलफनों के चलते भी, संगठित किसान-आन्दोलन किसान-सभा के रूप में १९२६-२७ में बिहार में तथा अन्यत्र शुरू हुआ । इतनी देर कोई बड़ी चीज न थी । १९२८ वाला बारदोली का आन्दोलन भी इसी का परिणाम था । वह सफल भी रहा ।

इस प्रकार हम आधुनिक संगठित किसान-आन्दोलन के युग में प्रवेश करते हैं । असहयोग आन्दोलन ने हमें—सारे देश को—जो जनान्दोलन का अमली सबक सिखाया और अपार शक्ति हृदयंगम करायी, उसके फलस्वरूप आगे चलकर किसान-आन्दोलन को भी जनान्दोलन का रूप मिला, यह सबसे बड़ी बात थी ।

असहयोग के कारण कांग्रेसी लोग प्रान्तीय कौंसिलों से बाहर रहे । फलतः मद्रास, बम्बई आदि में अब्राहमण दल के मंत्री बने और उनसे

अपना प्रभुत्व जमाया। उसे कायम रखने के लिये उन्होंने लोगों ने आन्ध्र में आन्ध्रप्रान्तीय रैयत असोसियेशन के नाम से एक किसान-सभा उस समय, १९२३-२४ में बनाई, ऐसा कहा जाता है। मगर उसकी कोई विशेष कार्य-शीलता पाई न गई। अलवत्ता बिहार में इस लेखक ने अपने कांग्रेसी साथियों के सहयोग से १९२७ में नियमित रूप से, सदस्यता के आधार पर, किसान-सभा की स्थापना पटना जिले में करके धीरे-धीरे १९२९ में उसे बिहार प्रान्तीय किसान-सभा का रूप दिया। उस समय बिहार की कौंसिल में किसान-हित-विरोधी एक बिल सरकार की ओर से पेश था और जरूरत इस बात की थी कि किसान उसका संगठित विरोध करें। इसीलिये कांग्रेसी नेताओं ने बिहार प्रान्तीय किसान-सभा की जरूरत महसूस की और इसीलिये उसका जन्म हुआ। उसमें कांग्रेस के सभी लीडर शामिल थे, सिवाय स्वर्गीय ब्रजकिशोर ब्राह्मण के। उस सभा का काम लेखक की अध्यक्षता में खूब जोरों से चला और अन्त में सरकार को वह बिल लौटा लेना पड़ा। इस तरह जन्म लेते ही सभा को अभूतपूर्व सफलता मिली। वर्तमान प्रधान मंत्री बा० श्रीकृष्ण सिंह उस समय किसान-सभा के मंत्री थे। आगे चलकर सभा को और भी संवर्ध करने पड़े। इस प्रकार संघर्षों के बीच वह फूली, फली और सयानी हुई।

सन् १९१८-१९ में ही इलाहाबाद में श्री पुरुषोत्तमदास जी टण्डन की देख-रेख में किसान-ग्रान्दोलन शुरू हुआ था और उसने कुछ काम भी किया। उसके बाद, असहयोग के उपरांत, कांग्रेसजन इस काम में और भी लगे, यहाँ तक कि १९३२ के सत्याग्रह से पूर्व वहाँ की प्रांतीय कांग्रेस कमिटी ही एक किसान समिति के द्वारा किसानों में ग्रान्दोलन चलाती रही, तथा जरूरत होने पर उन्हें करवन्दी के लिये भी तैयार करती रही, जिसके फलस्वरूप वहाँ किसानों ने १९३२ के कांग्रेस संघर्ष में करवन्दी को तेजी से चनाया। श्री टण्डन जी ने ही उसी के बाद प्रयाग में "केन्द्रीय किसान संघ" की स्थापना की, जो भावी अखिल भारतीय किसान-सभा के सूत्ररूप में ही था। पं० नेहरू, टण्डन जी प्रभृति

कांग्रेस नेता सदा से महसूस करते थे कि किसान-संगठन कांग्रेस से जुड़ा ही रहना ठीक है। इसीलिये यू० पी० में पहले किसान समिति बनी और पीछे केन्द्रीय किसान संघ का जन्म हुआ।

फिर लखनऊ कांग्रेस के अवसर पर १९३६ में अखिल भारतीय किसान-सभा की नियमित रूप से स्थापना हुई। पहला अधिवेशन वहीं पर लेखक को ही अध्यक्षता में हुआ। यह बात अब महसूस की जाने लगी थी कि संगठित किसान-ग्रामोपलन को अखिल भारतीय रूप दिये बिना काम चलने का नहीं। इसीलिये यह बात हुई। १९३६ से लेकर १९४३ तक इसका काम चलता रहा और कई गड़बड़ी न हुई। १९३६, १९३८ और १९४३ में लेखक इसका अध्यक्ष और शेष वर्षों में प्रधान मंत्री रहा। १९३७ में प्रोफेसर रंगा, १९३९ में आचार्य नरेन्द्रदेव, १९४० में बाबा सोहन सिंह भखना, १९४२ में श्री इन्दुलाल याज्ञिक अध्यक्ष थे।

उसके बाद कम्युनिस्टों की नीति ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि वे अकेले रह गये और शेष सभी प्रगतिशील विचार वाले वामपन्थी उनसे जुड़ा हो गये। कुछ दिन यों ही गुजरे। इसी दमर्मान १९४२ के राजवन्दी जेलों से बाहर आने लगे और १९४५ के मध्य से ही आल इंडिया किसान-सभा के पुनः संगठन का काम लेखक तथा टण्डन जी के अथक उद्योग से शुरू होकर गत ६ जुलाई १९४६ को बम्बई में "हिन्दू किसान-सभा" के नाम से पुनरपि उसका संगठन हो गया है। उसके सभापति श्री पुरुषोत्तम दास जी टण्डन और संगठन मंत्री यह लेखक हैं। अन्यान्य मंत्रियों तथा भेम्बरों को मित्राकर २५ सज्जनों की कमिटी भी बनी है, जिनमें चार सदस्य अभी तक चुने नहीं गये हैं।

संक्षेप में भारतीय किसान-ग्रामोपलन का यही क्रमबद्ध विकास है, यही उसकी रूढ़-रेखा है। भारत के विभिन्न प्रान्तों में उसकी शाखाएँ हैं, जिनमें कुछ तो सक्रिय हैं और कुछ शिथिल। परन्तु सबों को पूर्ण-सक्रिय बनाने का भार संगठन-मंत्री पर दिया गया है। वह इस महान्

कार्य में पूर्णतः संलग्न भी हैं। आज भारत के कोने-कोने में किसान संगठन की पुकार है, तेज आवाज है और यह शुभ लक्षण है।

[व]

किसान-सभा किसानों की वर्ग संस्था है। वर्ग से अभिप्राय है आर्थिक-वर्ग से, न कि धार्मिक या जातीय वर्ग से। किसान वर्ग के शत्रुओं, जमींदार-मालदारों से किसानों की रक्षा करना और उनके संगठित प्रयत्न के द्वारा उनके हकों को हासिल करना इस सभा का ध्येय है। जब तक सभी प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक शोषणों का अन्त होकर वर्ग-विहीन समाज नहीं बन जाता तब तक यह लक्ष्य हासिल नहीं होगा। फलतः इस ध्येय का, इस लक्ष्य और मकसद का पर्यवसान इस वर्ग-विहीन समाज में ही होता है जिसमें मनुष्य का शोषण मनुष्य न कर सके, सबों को अपने सर्वांगीण विकास की पूरी सुविधा हो और इस प्रकार मनुष्य मात्र की सारी बरूरतों की पूर्ति निराबाध और वेलटके होती रहे।

इसीलिये सभी जाति, धर्म और सम्प्रदाय के उन लोगों की यह संस्था है जिन्हें खेती करनी पड़ती है, जो खेतिहर हैं और प्रधानतया खेती करे बिना जिनकी जीविका नहीं चल सकती है। इस प्रकार खेत-मजदूरों की भी संस्था यह किसान-सभा है। खेत-मजदूर किसानों के भीतर आ जाते हैं। वे दरअसल किसान हैं, जमीन जोतने-बोने वाले हैं, (tillers of the Soil) हैं। फिर वे किसान वर्ग से पृथक् कैसे रह सकते हैं? यह भी नहीं कि खेत-मजदूर, हरिजन, अछूत या किसी धार्मिक सम्प्रदाय विशेष के भीतर आते हैं। आज परिस्थिति ऐसी है कि हर साल पूरे नौ लाख से भी ज्यादा किसान अपनी जोत-जमीन गँवा कर, बिना खेत के या यों कहिये कि खेत-मजदूर बनते जा रहे हैं और वे सभी जातियों और धर्मों के हैं। उनमें कुछी लोग दूसरी जीविका कर पाते हैं। अधिकांश खेत-मजदूर ही बनते हैं— अधिकांश को मजदूरन खेत-मजदूर ही बनना पड़ता है।

धार्मिक और जातीय आधार पर किये गये मनुष्यों का वर्गीकरण घोका देता है और झूठा है, गलत है। कानून की नजरों में टेनेन्ट या किसान मात्र के हक समान ही हैं, फिर चाहे वह क्रिस्तान, मुसलमान, हिन्दू आदि कुछ भी क्यों न हों; ब्राह्मण, शूद्र, शैल, पठान वगैरह क्यों न हों। जमींदारों के हक की भी यही हालत है। अपने-अपने हकों की लड़ाई भी इसी दृष्टि से होती है। न तो कोई हिन्दू जमींदार हिन्दू किसान के साथ रिआयत करता है और न मुसलमान मुसलमान के साथ। चाहे किसी भी धर्म का किसान क्यों न हो, उसके विरुद्ध सभी हिन्दू-मुसलमान जमींदार एक हो जाते हैं, एक ही आवाज उठाते हैं। जमींदारों के खिलाफ सभी धर्म, जाति और सम्प्रदाय के किसानों को भी ऐग ही करना चाहिये, ऐसा ही करना होगा। इसी तरह एक और संगठित होकर अपनी आवाज बुलन्द करनी होगी और हक के लिये मिलाकर लड़ना होगा। यही वर्ग संस्था के मानी हैं और यही संगठन किसान-सभा है। जब तक किसान एक सूत्र में बँधे नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, तब तक अपने वर्ग के शत्रुओं के विरुद्ध वे जो कुछ भी चीख-पुकार करते हैं वह निरा आन्दोलन कहा जाता है। मगर ज्योंही वे एक सूत्र में बँध कर यही काम करते हैं त्योंही उसका नाम किसान-सभा हो जाता है। जितना ही जवर्दस्त उनका यह एक सूत्र में बँधना होता है उतनी ही मजबूत यह किसान-सभा होती है। इसमें उनके भी वर्ग शत्रुओं और उन शत्रुओं के मददगार साथियों के लिये कोई भी गुंजायश नहीं है। क्योंकि तब यह वर्ग संस्था रहेगी कैसे ? संस्था तो गढ़ है न ? फिर उसमें शत्रु या उनके संगी-साथी कैसे घुसने पायेंगे ? घुसने पर तो वह गढ़ ही शत्रुओं का हो जायगा और जिस कार्य के लिये वह बनाया गया था वही न हो सकेगा।

जिस प्रकार चूहे और बिल्ली के दो परस्पर विरोधी वर्ग हैं और एक वर्ग दूसरे को देखना नहीं चाहता, चूहे बिल्ली को और वह चूहों को खत्म कर देना चाहती है, ठीक यही बात जमींदारों और किसानों की भी है। वे एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं। चाहे किसान परिवार भूखों मर

जाय, दवा के बिना और कड़े के अभाव में कराहता फिरे; फिर भी उसी की कमाई पर गुलछुरे उड़ाने वाले जमींदार उसके साथ जरा सी भी रिश्तायत करने को स्वादार नहीं होते, एक कौड़ी भी लगान या अपने पावने में छोड़ना नहीं चाहते। सैलाव या अनावृष्टि से फसल खत्म हो गई और महाजनों से कर्ज लेकर किया हुआ किसान का सारा खर्च मिट्टी में मिल गया। फिर भी जमींदार अपना लगान पाई पाई वसूल करता ही है। और न्यायालय भी उसी की मदद करते हैं। किसान की फाई अन्धुनी कर दी जाती है। विपरीत इसके यदि किसान के पास रुपये-पैसे हों तो भी वह जमींदार को एक कौड़ी भी देना नहीं चाहता, अगर उसके बस की बात हो। यदि देता है तो विवश होकर ही, कानून और लाठी के डर से ही। वह दिल से चाहता है कि जमींदार नाम का जीव पृथ्वी से मिट जाय। जमींदार भी किसान से न सिर्फ लगान चाहता है, वरन् उसकी सारी जमीन किसी भी तरह छीन कर खुदकाश्त-बकाश्त बनाना और अपने कब्जे में रखना चाहता है। इससे बढ़कर परस्पर वर्ग-शत्रुता और कथा हो सकती है ? फलतः जैसे जमींदारों ने अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए जमींदार सभाये अनेक नामों से मुहत्त से बना रखी हैं और उन्हीं के द्वारा अपने हकों के लिये वे लड़ते हैं; ठीक उसी तरह किसानों के वर्ग-हित की रक्षा के लिये किसान-सभा है, की जरूरत है, किसान-सभा चाहिये। तभी उनका निस्तार होगा। जमींदार तो मालदार और काइयाँ होने से बिना अपनी सभा के भी अपनी हित-रक्षा कर सकते हैं। वह चालाकी से दूसरी सभाओं में घुसकर या उन पर अपना असर डाल कर उनके जरिये भी अपना काम बना सकते हैं। रुपया-पैसा, अन्न और प्रभाव क्या नहीं कर सकते ? मगर किसान के पास तो इनमें एक चीज भी नहीं है। इसीलिये किसान-सभा जल्दी है।

कहा जाता है कि जब अंग्रेजों से लड़ने और उन्हें पछाड़ने के लिये कांग्रेस मौजूद ही है और उसके ६० फीसदी मेम्बर किसान हैं, तो फिर उससे जुड़ी किसान-सभा क्यों बने ? यह भी नहीं कि कांग्रेस किसानों के

लिये लड़ती न हो। फैजपुर वाला उसका किसान-कार्य-क्रम (Agrarian programme) और हाल में जमींदारी मिटाने का उसका निश्चय इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि वह किसानों की अपनी संस्था है। यदि उसमें जमींदार या उनके मददगार भी हैं तो इससे क्या ? वह फिक्र तो रखती है किसानों के लिये। यदि कहा जाय कि कांग्रेस कमिटियों पर ज्यादातर कब्जा और प्रभुत्व मालदारों का ही रहता है, तो यह भी कोई बात नहीं है। यह तो किसानों की भूल है, उनकी नादानी है कि चुनावों में चूकते हैं। जब अधिकांश कांग्रेस-सदस्य वही हैं तो फिर सजग हो के चुनाव लड़ें और सभी कमिटियों पर कब्जा करें। जब देश के लिये कांग्रेस के द्वारा लड़ने-मरने वाले अधिकांश किसान ही हैं तो फिर कांग्रेस उनकी नहीं तो और किसकी है, किसकी हो सकती है ? इसीलिये मानना ही होगा कि कांग्रेस ही सबसे बढ़कर किसानों की संस्था है, किसान-सभा है—
Congress is the Kisan organisation par excellence.

ऊपर से देखने से बात तो कुछ ऐसी ही मालूम पड़ती है। यह सही है कि कांग्रेस ने जमींदारी मिटाने का निश्चय किया है। इससे पहले किसान-हित के प्रोग्राम भी उसने बनाये हैं। आगे भी वह ऐसा करेगी, इसमें भी विवाद नहीं। वह प्रगतिशील संस्था है, यह भी मानते हैं। तभी तो प्रतिदिन बदलती दुनिया में वह टिक सकती और आजादी का सफल संग्राम चला सकता है। इसीलिये किसान उस कांग्रेस से चिपकते हैं, उन्हें उससे चिपके रहना चाहिये जब तक जंगे आजादी जारी है और हम स्वतंत्र नहीं होते। कांग्रेस कमजोर हुई कि आजादी की आशा गई। गुन्नामी के विरुद्ध समस्त राष्ट्र के विद्रोह की प्रतीक और प्रतिमूर्ति ही कांग्रेस है। आजादी के लिये सारे देश की दृढ़ प्रतिज्ञा और बेचैनी का बाहरी या मूर्त रूप ही कांग्रेस है। राष्ट्रीयता ने हममें हरेक की रगों में प्रवेश किया है, हमारे खून में वह ओत-प्रोत है। वह हमारी रंग-रंग में व्याप्त है। यह राष्ट्रीयता जितनी ही व्यापक और संघर्ष के लिये व्याकुल-लालायित (militant) होगी, आजादी

हमें उतनी ही शीघ्रता से मिलेगा। इसीलिये हर किसान को इस राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत होना ही चाहिए ताकि हमारा मुल्क जल्द से जल्द पूर्ण स्वतंत्र हो। गुलाम भारत में किसान-राज्य या समाजवाद की आशा महज नादानी है।

इस प्रकार जब किसान कांग्रेस को शक्तिशाली बनायेंगे सीधी लड़ाई के द्वारा और चुनावों में मत देकर भी, तो इसके बदले में कांग्रेस को भी उनका खयाल करना ही होगा। और उनके हकों के लिये समय-समय पर लड़ना ही होगा। इन कार्यक्रमों और जमींदारों मिटाने की बात मान कर कांग्रेस यही करती भी है। कांग्रेसी नेता खूब समझते हैं कि यदि वे ऐसा न करेंगे और जमींदारी न मिटावेंगे, तो उन्हें खुद मिट जाना होगा, उनकी लीडरी जाती रहेगी और कांग्रेस भी खत्म हो जायेगी। यह ठोस सत्य है। राष्ट्रीयता सर्वथा उगादेय और सुन्दर चीज होने पर भी वह भावुकता की वस्तु है, भावना और दिमाग की चोज है, महज खयाली पदार्थ है। वह कोई ठोस भौतिक पदार्थ नहीं है, ठीक जिस प्रकार धर्म, ईश्वर और स्वर्ग-नर्क आदि हैं। ये भी महज खयाली हैं। इसीलिये समय-समय पर भौतिक पदार्थों—जर, जोरू, जमीन के सामने ये टिक नहीं सकते, इनकी अवहेलना होती है और लोग जमीन-जायदाद के लिये गंगा-तुलसी, कुरान-पुरान आदि उठाकर भूठी कसमें खाते हैं। इसी प्रकार भौतिक हितों के निरन्तर विरोध में यह राष्ट्रीयता टिक नहीं सकती, इसे मिट जाना होगा। यही वजह है कि कांग्रेसी लीडर किसानों के भौतिक हितों की बातें समयानुसार करते रहते हैं। भावनामय कोरी राष्ट्रीयता भौतिक स्वार्थों को साथ लेकर ही टिक सकती है, लक्ष्य-सिद्धि में कामयाब हो सकती है। यदि इन भौतिक स्वार्थों को वह छोड़ दे या उनसे टकरा जाय, तो उनके लिये भारी खतरा वेशक पैदा हो जायगा।

मीत बुरी है, बड़ी खतरनाक है। उसके मुकाबिले में जूने की काँटी का चुभना कोई चीज नहीं है। फिर भी मीत से बचने के लिये कोई शायद ही किन्तमन्द दीखता है। मगर काँटी के कष्ट-से बचने का यत्न सभी करते

हैं। यही ठोस सत्य है और हम इसे भुलाकर भारी धोका खायेंगे। ठीक राष्ट्रीयता को भी इसी तरह भारी धक्का लगे, अगर वह किसानों की तात्कालिक माँगों और तकलीफों का खयाल करके उनके सम्बन्ध में अपना प्रोग्राम स्थिर न करे। राष्ट्रीयता को अमली और व्यावहारिक जामा पहनना ही होगा और भौतिक दुनिया को देखकर ही चलना होगा। तभी वह पूर्ण स्वतंत्रता के युद्ध में सफल होगी। यही वजह है कि राष्ट्रीय नेता जमींदारी मिटाने की बातें करते और जमींदारों के गुस्से का सामना करते हैं। इसमें उनकी चालाकी और व्यवहार-कुशलता की म्हाँकी मिलती है।

यह भी न भूलना होगा कि फ्रांस में जमींदारी का खात्मा नेपोलियन जैसे साम्राज्यवादी के हाथ से हुई। उसे कोई नहीं कह सकता कि किसान मनोवृत्ति का था, या उसकी संस्था किसान-संभा जैसी थी। उसकी सरकार घोर अनुदार, पर दूरदेश थी। उसने देखा कि फ्रांस के प्राचीन राज-घराने के लोग दो दलों में विभक्त होकर एक जमींदार वर्ग का समर्थक हैं तो दूसरा मध्यवर्ग, बूर्जुवा या कल-कारखाने वालों का। किसानों का पुर्सा किसी को न पा उसने जमींदारी मिटाकर उन्हें अपने साथ किया और फौज में किसान युवकों को भर्ती करके महान् विजयों के द्वारा साम्राज्य-विस्तार किया। इसमें उसकी व्यवहार-कुशलता एवं दूरदेशी के सिवाय और कुछ न था। वह न तो किसान था और न किसान-मनोवृत्ति का, और इसका पता एक मुद्दत गुजरने पर किसानों को तथा दुनिया को भी लग गया जब उसी के बनावे “नेपोलियन वाले कानूनों” के द्वारा उन्हीं किसानों की जमीनें धड़ाधड़ बैंकों एवं महाजनों के पास चली गईं। संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की सरकार ने तो वहाँ जमींदारी प्रथा होने ही न दी और अधिकांश किसानों को, विशेषतः पश्चिमी भाग में, मुफ्त जमीनें दीं। यह बात लेनिन की चुनी लेखमाला के अंग्रेजी संस्करण के बारहवें भाग के १६४ पृष्ठ में स्पष्ट लिखी गई है। अन्यान्य देशों में भी अनुदार या दकियानूस दल वालों ने ही जमींदारी मिटाई है।

दरअसल देशों में उद्योग-धन्धों की अबाध प्रगति के लिये जिध

कच्चे माल की प्रचुर परिमाण में जरूरत होती है उसके उत्पादन में यह जमींदारी प्रथा बाधक होती है। यह प्रथा भूमि की उत्पादन शक्ति को बेड़ी की तरह जकड़ने वाली मानी जाती है। फलतः मध्यमवर्गीय मालदार ही इसका उन्मूलन करते हैं और भारत में भी "बम्बई-पद्धति" (Bombay Plan) के प्रचारक एवं निर्माण-कर्त्ता, ताता, बिड़ला आदि करोड़पतियों ने ही जमींदारी मिटाने की आवाज गत महायुद्ध के जमाने में ही बुलन्द की थी। पीछे चलकर कांग्रेस नेताओं ने उसे ही माना है। और ताता-बिड़ला का सगठन कोई किसान-सभा नहीं है, यह सभी जानते हैं। अतः जमींदारी मिटाने की बात इसका प्रमाण नहीं है कि कांग्रेस किसान-सभा बन गई। हाँ, यदि क्रान्तिकारी ढंग से जमींदारी मिटाने की बात वह बोलती और वैसा ही करती, जैसा सोवियत रूस में हुआ, तो एक बात थी। तब ऐसा सोचा जा सकता था; हालांकि फ्रांस में क्रान्तिकारी ढंग से ही ऐसा होने पर भी उसके कराने वाले किसान-विरोधी ही सिद्ध हुए। क्रान्तिकारी तरीके के मानी ही हैं जबरदस्ती जमीनें और जमींदारों का सारी सम्पत्तियाँ छीन लेना और उन्हें राह का भिखारी या महाप्रस्थान का यात्री बना देना।

यह भी सोचना चाहिये कि कांग्रेस तो १९३६-३७ वाले चुनावों में भी पड़ी थी। उसी समय उसने फैजपुर का एक अत्यन्त लचर कार्यक्रम भी इसी सिलसिले में स्वीकार किया था, पर वह भी कांग्रेसी-मंत्रि-मंडलों के बनने पर सर्वत्र खटाई में ही पड़ा रह गया। प्रत्युत युक्तप्रान्त में ऐसा कार्तकारी कानून बनाया उन्हीं मंत्रियों ने जिसके चलते गत महायुद्ध के जमाने में, सरकारी बयान के अनुसार ही, पूरे दस लाख एकड़ जमीनें किसानों से जमींदारों ने छीन ली और किसानों में हाहाकार मच गया। उसी का प्रायश्चित्त इस बार वहाँ कांग्रेसी मंत्रियों को करना पड़ रहा है। बिहार में भी ऐसी ही बातें होने वाली थीं। मगर यहाँ किसान-सभा की जागरूकता और उसके प्रबल आन्दोलन ने बहुत कुछ रोका। फिर भी बहुत कुछ अनर्थ हो गये। यदि कांग्रेस ही किसान-सभा होती, तो क्या ऐसा होता ? उलटे बिहार की किसान-सभा को कांग्रेसी मंत्रियों और लीढ़ों

ने इसीलिये कोसा कि वह कांग्रेस विरोधी है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि इस निर्वाचन और लक्ष्य किसान-कार्यक्रम को जगह उसी समय कांग्रेस ने जमींदारी मिटाने का प्रोग्राम क्यों न कबूल किया था? क्या पहले वह दूसरी थी और आज बदल गई?

दरअसल उस समय किसान-सभा ऐसी जोरदार न थी और उसने भी जमींदारी मिटाने का प्रश्न अभी तेज बना न पाया था, जिससे कांग्रेस पर उसका दबाव पड़ता और वह उसे मानने को मजबूर होती। तब समय का रुख ऐसा बेढंगा न था इस जमींदारी के बारे में। तब कांग्रेस का आधार-स्तम्भ किसान-समाज में जमींदारी के मिटा देने के बारे में ऐसी भीषण मनोवृत्ति न थी जैसी आज है। उनमें इसके प्रति ऐसा रोष-त्नाभन था जो आज है। फलतः उसके मिटाने का प्रश्न न उठाकर भा कांग्रेस उस समय किसानों को अपने साथ ले सकती थी। इसी से उसने न करके कांग्रेस का टिकना या किसानों का अपने साथ ले सकना असंभव है। इसीलिये पूरे दस साल बाद उसने जमींदारी मिटाने की बात अपनाई है। सो भी मुआविजा या कीमत देकर।

इससे कई बातें सिद्ध होती हैं। एक यह कि कांग्रेस ने खुद ऐसा न करके किसान-सभा, किसान-आन्दोलन और किसानों के दबाव से ही ऐसा किया है या यों कहिये कि उसने समय का रुख पहचाना है। इससे उसकी और उसके नेताओं की अवसरवादिता सिद्ध होती है, जो वेशक किसान-सभा या किसान नेता होने का लक्षण कदापि नहीं। किसानों का हित तो १९३६-३७ में ही पुकारता था कि जमींदारी मिटाओ।

इससे किसान-सभा और कांग्रेस का मौलिक एवं बुनियादी भेद भी सिद्ध हो जाता है। जहाँ किसान-सभा अर्थनीति और आर्थिक कार्यक्रम को राजनीति के द्वारा देखती हुई उसे साधन और आर्थिक बातों को, अर्थनीति को साध्य मानती है, और इसीलिये राजनीतिक हार-जीत की वैसी पर्वा न करके सदा किसानों की आर्थिक बातों को ही देखती रहती है और वैसे ही कार्यक्रम चाहती है, तहाँ कांग्रेस राजनीति को ही अर्थनीति के

द्वाग, इसी आह्वान में देखती है। फलतः उसके लिये ये आर्थिक बातें तथा प्रोग्राम साधन हैं और राजनीति साध्य या लक्ष्य। यही वजह है कि जून १९३६-३७ में मामूली आर्थिक प्रोग्राम से ही उस राजनीतिक चुनावों में जीत संभव थी तो उसने वैसा ही प्रोग्राम बनाया। लेकिन इस बार वैसा संभव न देख जमींदारी मिटाने की बात उठाई।

सागंश, हर हालत में किसानों को साथ लेकर उसे राजनीति में सफल होना है। फलतः उनका हित कांग्रेस लीडरों का लक्ष्य न होकर साधन मात्र है। किसान-हित की बातों और वैसे कामों के द्वारा वे अपना मतलब निकालना चाहते हैं। यह बात किसान नेताओं एवं किसान-सभा में नहीं हो सकती। उनका तो काम ही है किसानों के हित को ही अपना अन्तिम लक्ष्य बनाना और आगे बढ़ाना और इस प्रकार एक न एक दिन उसी रास्ते राजनीति में भी विजयी होना।

दूसरी बात यह है कि यदि कांग्रेस से जुदा स्वतंत्र रूप से कोई किसान-आन्दोलन और किसान-सभा न हो तो फिर कांग्रेस पर दबाव किसका पड़ेगा? आज जो कांग्रेस प्रगतिशील मानी जाती है वह इसीलिये न, कि वह समय की गति पहचान कर तदनुसार ही कदम बढ़ाती है? यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है, उसमें यह गुंजायश है, यही उसकी जान और शान के लिये बड़ी चीज है। मगर, अगर दबाव न हो तब? तब तो वह टकियानूस ही बन जाय, उसकी प्रगति जाती रहे और वह निर्जाव हो जाय, जैसी नरम दलियों की संस्थायें हैं। ऐसी दशा में आजादी के संग्राम में पूर्ण सफलता की आशा ही जाती रहे। इसीलिये कांग्रेस की प्रगतिशीलता एवं लक्ष्य की सफलता के लिये भी जिस किसान दबाव की संस्कृत जरूरत है, उसके लिये स्वतंत्र किसान-सभा का होना नितान्त आवश्यक है। क्योंकि तभी किसान-हित की दृष्टि से स्वतंत्र आन्दोलन करके ऐसा वायुमंडल बनाया जा सकता है जिसका दबाव कांग्रेस पर पड़े और वह प्रगतिशील कार्यक्रम बनाकर किसान समूह को अपनी ओर खींचे। इसके अभाव में वह नरम दलियों एवं लिबरलों की तरह

निर्जाब प्रोग्राम बनाकर किसानों को अपने साथ अन्ततोगत्वा ले चलने में समर्थ नहीं हो सकती, यह ध्रुव सत्य है।

यदि किसान-सभा स्वतंत्र न होकर कांग्रेस का अंग या उसका एक विभाग मात्र हो तो वह न तो स्वतंत्र आन्दोलन ही कर सकती और न वैसा प्रचंड वायुमंडल ही बना सकती, जो कांग्रेस पर दबाव डाल कर उसे आगे बढ़ाये और प्रगतिशील बनाये। क्योंकि ऐसी किसान-सभा कांग्रेस के निश्चय का ही मुँह देखेगी और तदनुसार ही चलेगी अनुरामन के खयाल से। वह स्वतंत्र रूप से कोई भी काम या आन्दोलन कर नहीं सकती।

और आखिर यह मुआविजा क्या ब्ला है? क्या इससे किसानों का लाभ है? क्या यह किसान-हित की दृष्टि से दिया जाने को है? साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि यह तो किसानों के भविष्य को पहले से ही मुस्तगर्क करना या जकड़ देना है। उनके भविष्य को पहले से ही बाधकर रख देना है। आगे चलकर उनके लिये यह बड़ा रेड़ा सिद्ध होगा। आखिर ये रुपये किसानों से ही तो वसूल होंगे। आज जो भी कर्ज इस मुआविजे को चुकाने के लिये सरकार लेगी उसका भार किसानों पर ही तो पड़ेगा, वह उन्हीं से तो सूद के साथ वसूल होगा। जो भी रुपया कर्ज लेकर या सरकारी खजाने से दिया जायगा वही अगर किसान-हित के कामों में खर्च होता तो वे कितने आगे बढ़ते? यही रुपये यदि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य-सुधार, ग्रामीण सड़कों, सिंचाई, खेती की तरक्की, मार्केटिंग के प्रबन्ध आदि में खर्च हों तो सचमुच किसान प्रगति की छलाँगें मारने लगे। यही वजह है कि किसान-सभा इस मुआविजे की सख्त मुखालिफत करती है।

कहा जाता है कि किसान-सभा ने १९३७ में बने कांग्रेसी-मंत्रि-मंडलों को काफी परेशान और बदनाम किया। मगर यही तो कहने का भद्दा तरीका है। विरोध का सदा स्वागत किया जाता है। जब तक विरोध न हो ठीक रास्ते पर कोई नहीं चलता। विरोधी ही अधिकारारूढ़ दल की कमजोरियों को बताकर उन्हें संभलने का मौका देते हैं। यदि मोटर और इंजिन में ब्रेक न हो तो पता नहीं मोटर और रेल कहाँ जा गिरें? और आखिर यह

ब्रेक है क्या चीज, यदि विरोध, रुकावट या 'अपोजीशन' नहीं है ? उन दिनों किसान-सभा ने कांग्रेसी मंत्रियों को क्या गिथना या पदच्युत करना चाहता था ? क्या इसका कोई प्रमाण है ? उसने तो सिर्फ खतरे और खामियाँ सुझाकर मंत्रियों को समय समय पर सजग किया कि सँभल कर काम करें, जमींदारों के माया-जाल और चकमे में पड़कर पथ-भ्रष्ट न हों। फलतः मंत्री लोग सँभले जरूर और इस तरह किसानों को अपने साथ रख सके। आखिर तेली के ब्रैल की तरह किसानों की आँखें मूँद कर हमेशा के लिये रखी नहीं जा सकती थीं। वे खुलती कभी न कभी जरूर और कांग्रेस के लिये बगु होता। यदि अपने आप खुलतीं या यदि कहीं कांग्रेस के शत्रु खेलते तो तब तो भारी खतरा होता। किसान-सभा ने इन दोनों से कांग्रेस को बचाया। फलतः इसके लिये उसका कृतज्ञ होने के बजाय यह उलाहना और गुस्सा ? उसने मित्र का काम किया। फिर भाँ यह नाराजी ?

यह भी बात है कि राष्ट्रीय संस्था होने के नाते कांग्रेस सभी वर्गों की संस्था है। उसमें सभी वर्ग शरीक हैं, वह सभी दलों और श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करती है। यही उसका दावा है। यही चाहिये भी। तभी सभी वर्ग के लोग उससे चिक्के, उसे अपनी संस्था मानेंगे और फलस्वरूप उसे मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी दशा में वह किसानों की संस्था या सभा कैसे हो सकती है ? वह केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है ? यह तो उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण होगा; कारण, तब जमींदार, मालदार आदि दूसरे वर्ग उसका न सिर्फ साथ न देंगे, प्रत्युत उसके घोर शत्रु हो जायेंगे। जमींदारी मिटाने का प्रश्न जो मुद्राविजा देकर उठाया गया है, उसका भी यही तात्पर्य है। जमाना बदल रहा है और अपार धन-सम्पत्ति लेकर जमींदार उसे उद्योग-धन्धों में लगायेंगे और मालामाल होंगे। जमीन से होने वाली एक बँधी-बँधाई आमदनी की जगह कल-कारखानों से होने वाली उत्तरोत्तर वृद्धिशील आमदनी होगी; इन जमींदारों को, फिर चाहिये क्या ? उस दशा में जमींदार कांग्रेस के शत्रु क्यों बनें ? यदि वे विरोध करते हैं तो या तो नादानी से या यह उनकी

चालबाजी है। ऐसा न करते तो शायद किसानों के दबाव से कांग्रेस उन्हें मुआविजा भी न देती। आखिर कांग्रेस दल में अठ्चिकांश जमींदार-मालदार और उनके संगी-साथी ही तो हैं। किसान-मनोवृत्ति के हैं कितने एम० एल० ए० ? और यही लोग जमींदारी मिटाने की बात इस रूप में समर्थन करते हैं। तो क्या वे सनक गये हैं ?

ऐसी दशा में न तो वह किसान जैसे एक वर्ग की संस्था बन सकती और किसान-सभा कांग्रेस के अधीन या उसकी मातहत में ही रह सकती है, रखी जा सकती है। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। जब कभी किसान-सभा किसान-हितों के लिये जमींदारों से मिडना चाहेगी, तभी कांग्रेस के अनुशासन की नंगी तलवार उस पर आ गिरेगी। उसे कांग्रेस का रुख देखकर ही प्रांतल चलना होगा। कांग्रेस का मुख्य काम है विभिन्न वर्गों के स्वार्थों का सामंजस्य रखना और ऐसा करते हुए ही आगे बढ़ना। वह तो एक वर्ग को दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करने देना नहीं चाहती, नहीं चाहेगी। वह होगा वर्ग-युद्ध या श्रेणी-संघर्ष और वैसा होने पर कांग्रेस को किसी एक वर्ग का साथ उसमें देना ही पड़ेगा। फलतः उसकी राष्ट्रीयता जाती रहेगी। जिस वर्ग के विपरीत दूसरे का साथ देगी वह उसे हट जायगा। यह हटना समय-समय पर होता ही रहेगा, कारण, वर्ग-संघर्ष एक ही बार न होकर बार-बार होगा। तब उसकी राष्ट्रीयता कैसे निभेगी और सभी वर्गों को सस्था होने का सफल दावा वह कर सकेगी कैसे ? इसी से उसे वर्ग-सामंजस्य का गस्ता पकड़ना ही है। वह यही करती भी है। अतएव उसकी मातहत किसान-सभा का या उसके किसान-विभाग को भी यही करना होगा। उसे भी वर्ग-सामंजस्य की माला जपना होगी। फिर भी उसे किसान-सभा का नाम देना उसका उपहास करना है, जब तक कि स्वतंत्रतापूर्वक यह किसान-हितों के लिये संघर्ष न कर सके, ऐसा करने की पूरा अज्ञाती न हो।

कहा जा सकता है कि इस वर्ग-सामंजस्य की नीति के फलस्वरूप जमींदार वर्ग की भी हित-हानि हो सकती है। क्योंकि उनके लिये भी तो

कांग्रेस कभी संघर्ष न करेगी। तब घबराहट क्यों ? बात ऊपर से ठीक दीखती है। मगर असलियत कुछ और ही है। कभी किसी ने देखा-सुना ही नहीं कि कांग्रेस जमींदार सभा को भी अपनी मातहत में रखे या अपना एक जमींदार-डिपार्टमेंट खोले। उसका यत्न तो केवल किसान-सभा को ही न होने देने तथा अपने मातहत रखने में है। मजदूर-सभा की भी स्वतंत्र सत्ता वह स्वीकार करती है और जमींदार-सभा की भी। पूँजीपतियों की सभा का तो कुछ कहना ही नहीं। बल्कि या कहिये की पूँजीपतियों एवं जमींदारों की सभाएँ कांग्रेस की पूर्वा भी नहीं करती हैं। वह अपना स्वतंत्र कार्य किये जाती हैं। इसीलिये कांग्रेस के वर्ग-सामञ्जस्य वाले सिद्धान्त से उनकी हानि नहीं होती, नहीं हो सकती। उनकी संस्थाएँ निरन्तर लड़ती जो रहती हैं। वस, सारी बला किसानों पर ही आती है, आने वाली है। क्योंकि उनकी स्वतंत्र संस्था रहने न पाये इसी के लिये कांग्रेसी नेता परीशान रहते हैं और इस तरह किसान-सभा को पनपने नहीं देते। तब किसानों के हित चौगुट न हों तो होगा क्या ? वे सभी वर्ग संस्थाओं को समान रूप से पनपने न देते तो एक बात थी। मगर सो तो होता नहीं। ऐसी दशा में कांग्रेस के अधीन किसान-सभा का दाँचा खड़ा करना निरी प्रवृत्ति है। दरअसल कांग्रेस में जमींदारों का प्रभुत्व ठहरा और वह इसी ढंग से किसानों को उठने देना नहीं चाहते। यह उनकी चाल है कि अनेक वर्गीय संस्था के अधीन किसानों की वर्ग संस्था को बनाने का ढोंग रचकर उन्हें सदा पंगु ही रखें। पहले तो किसान-सभा के नाम से ही नाक-भों सिकोड़ते थे। मगर उससे कुछ होता जाता न देख अब यह दूसरा प्रपंच खड़ा किया जा रहा है।

कहा जा सकता है कि कांग्रेस में दूसरे वर्ग—जमींदार, पूँजीपति और मजदूर—नगण्य से हैं; फलतः वे अपनी अलग सभाएँ बनाकर भी कांग्रेस का कुछ बिगाड़ नहीं सकते जब तक किसान कांग्रेस के साथ हैं। हाँ, यदि किसान भी अलग हों तो भारी खतरा होगा और उनकी स्वतंत्र संस्था—किसान-सभा—बन जाने में इसकी पूरी संभावना है। किसानों ने:

यदि कांग्रेस को छोड़ा तो उसकी जड़ ही कट जायगी ।

लेकिन यह कोई दलील नहीं है, यदि किसान-सभा का संचालन कांग्रेस-जन ही करें तो क्या इर्ज है ? तब किसानों को उसके विरुद्ध जाने का मार्ग कौन सिखायेगा ? क्या वही कांग्रेसी ही ? यह तो विचित्र बात है । और अगर यह बात हो तो आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनायेगी ? किसानों को सदा कांग्रेस की दुम में बाँध रखना असंभव है । संसार में और भारत में भी वर्ग संस्थायें हैं, यह ठोस सत्य है । फिर किसान इससे अछूते रहें, उन्हें यह वर्ग संस्था की हवा न लगे, यह गैर-मुमकिन है । परिणाम यह होगा कि अभी तो कांग्रेस-जन ही वह वर्ग संस्था बना सकते हैं, बनाते हैं । मगर पीछे कांग्रेस के विरोधी बना के ही दम लेंगे और ये कांग्रेसी लीडर उनका कुछ कर न सकेंगे । फलतः कांग्रेस-विरोधियों का प्रभुत्व किसान-सभाओं पर न हो, सिर्फ यही देख-भाल कांग्रेस की दृष्टि से अवश्य की जानी चाहिये जब तक आजादी की लड़ाई जारी है और मुल्क स्वतंत्र नहीं हो जाता । इसके आगे जाना अनुचित काम एवं अनधिकार चेष्टा है । जमींदार हजार उपायों से किसानों को तबाह करते रहें और आप से कुछ नहीं होता मगर ज्यों ही किसान अपनी संघ-शक्ति के द्वारा उनका मंगठित रूप से सामना करने की तैयारी करता और एतदर्थ किसान-सभा बनता है कि आप लांग हाय-तोबा मचाने लगते हैं । यह बात अब किसान भी समझने लगा है और कांग्रेस के लिये यह अच्छा नहीं है ।

यदि किसान-सभा कांग्रेस का पुच्छला नहीं बनती, यदि इसमें किसानों के लिये खतरा है और इसलिये स्वतंत्र किसान-सभा का बनना अनिवार्य है, तो वह अनेक राजनीतिक दलों तथा पार्टियों की भी दुम न बनेगी । यदि उस पर कांग्रेसी लीडरों की हुकूमत असह्य है, तो फिर पार्टी लीडरों की मुहर भी क्यों लगे ? उसकी स्वतंत्रता तो दोनों ही तरह से चौपट होती है और वह मजबूत हो पाती नहीं । हम उसे बलवती वर्ग संस्था बनाना चाहते हैं और ऐसा करने में यदि कांग्रेस बाधक है तो ये पार्टियाँ कम

-बाधक नहीं हैं। गत पन्द्रह साल के अनुभव से हम यह बात कहने को विवश हैं। पार्टियों की पहली कोशिश यही होती है कि किसान-सभा या मजदूर-सभा उनका पुछल्ला बनें, उनका प्रभुत्व और उनकी छाप इन सभाओं पर लगे। यदि ऐसा हो गया, तो ये सभाएँ बनें; नहीं तो जहन्नुम में जायँ। यदि कई पार्टियाँ हुईं—और हमारे देश में दुर्भाग्य से सोशलिस्टों, कम्युनिस्टों, फारवर्ड ब्लाकिस्टों, क्रान्तिकारी सोशलिस्टों, बोल्शेविकों आदि की अलग-अलग पार्टियाँ हैं—तो किसान-सभा उनके आपसी महाभारत का अखाड़ा बन जाती है। उनकी आपसी खोंच-तान से यह ठीक-ठीक पनप पाती नहीं, तगड़ी और जवर्दस्त बन पाती नहीं। हरेक पार्टी का अपना-अपना मन्तव्य होता है। वह भला होता है या बुरा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मगर वह परस्पर विरोधी तो होता ही है। यह बात चाहे ऊपर से देखने कहने के लिये न भी हो, फिर भी भीतर से होती ही है। यह ठोस सत्य है। यदि मन्तव्य का परस्पर विरोध न हो तो फिर कलह कैसी ? फिर ये पार्टियाँ आपस में मिल जाती हैं क्यों नहीं ? कम से कम लीडरी का विरोध तो रहता ही। हरेक पार्टी अपनी लीडरी चाहती है और यह और भी बुरी बात है। ऐसी दशा में बेचारी किसान-सभा इनके आपसी झगड़े का अखाड़ा क्यों बने, क्यों बनने दी जाय ? और अगर किसी कल, बल, छल से एक पार्टी ने सभा में अपना बहुमत बनाना चाहा, तो ऐसा क्यों होने दिया जाय ? इन्हें तो अपनी लीडरी का मर्ज है। किसान और उनकी सभा जायँ जहन्नुम में। किसानों और उनकी सभा का नाम यदि इनने कभी लिया है तो केवल अपनी लीडरी साधने के लिये। नाम चाहिये, काम जाय चूल्हे में। एकान्त में बैठकर ये पार्टी लीडर कोई बात तय करें, कोई मन्तव्य ठहरायें, और किसान-सभा में आकर उस पर उसे ही लादें यह बुरी बात है; अर्थात् चाँज है। सभा में ही बैठकर वह मन्तव्य ठीक क्यों नहीं करते ? शायद तब उनकी लीडरी न रहे। मगर किसान-सभा तो रहेगी और जवर्दस्त रहेगी। यदि ये पार्टी लीडर ईमानदार हो तो उन्हें यही करना चाहिये। नहीं तो सभा को बरखा देना चाहिये।

एक बात और भी है। इन सभी पार्टियों का दावा है कि ये मजदूरों की पार्टियाँ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का तो यही दावा है। लेनिन की कम्युनिस्ट पार्टी का नामकरण या जन्म बोल्शेविक पार्टी से ही हुआ रूप की अक्टूबर १९१७ की क्रांति की सफलता के बाद। और यह बोल्शेविक पार्टी बनी थी रूस की सोरान डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के ही बहुमत से। उस लेबर या मजदूर पार्टी के बहुमत ने जो निर्णय किया उसे अल्पमत ने न माना और वह अलग हो गया। इस तरह स्पष्ट है कि आज की कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों की ही पार्टी है। लेनिन के लेखों में सर्वत्र यही बात पाई जाती है। मार्क्स और एंगेल्स ने भी शुरू-शुरू में दूरे-दूरे नामों से इसे मजदूर पार्टी के रूप में ही बनाया। ऐसी दशा में किसानों की वर्ग संस्था उस मजदूर पार्टी की छत्रछाया या लीडरी में कैसे बन सकती और सबल हो सकती है ? मजदूर पार्टी की अशान्ति किसान-सभा किसानों की स्वतंत्र वर्ग संस्था वास्तविक रूप से बन गयेगी कैसे ? और अगर कम्युनिस्ट पार्टी इस ठोस सत्य को मिश्रकर यह दावा करे कि वह किसानों तथा मजदूरों की—दोनों की—पार्टी है, तो प्रश्न हांता है कि वह अनेक वर्गों की संस्था होकर किसानों की वर्ग संस्था को अपने अधीन कैसे रख सकेगी और उसके साथ न्याय कर सकेगी ? किसान-सभा की नकल वह भले ही खड़ी करे। मगर असली और बलवती किसान-सभा वह हर्गिज न बनने देगी। बहुवर्गीय संस्था होने के नाते यदि कांग्रेस के मातहत किसान-सभा नहीं बन सकती तो कम्युनिस्ट पार्टी का पुच्छला क्यों बनेगी ?

कहा जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर रहने वाले वर्ग परस्पर विरोधी हैं। दृष्टान्त के लिये जर्मंदारों का विरोध किसानों से है। फलतः उसकी मातहत में किसान-सभा नहीं बन सकती है। मगर किसानों तथा मजदूरों के स्वार्थों का तो परस्पर विरोध है नहीं, किसान और मजदूर भी परस्पर विरोधी वर्ग इनीलिये नहीं हैं। तब इन दोनों की संस्था स्वरूप इस कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन किसान-सभा क्यों न होगी ?

मगर यह दलील लंचर है। अन्ततोगत्वा इन दोनों के स्वार्थ जरूर

मिल जाते हैं ; समाजवाद या साम्यवाद की दशा में इनका परस्पर विरोध नहीं होता, यह बात सही है। मगर प्रश्न तो वर्तमान दशा और समय का है और आज इनके स्वार्थों का विरोध स्पष्ट है। यदि गल्ले, साग-भाजी और फल-फूल आदि मँहंगे बिकें तो किसान खुशी हों और खुश रहें, मगर कारखाने के मजदूर नाखुश और तवाह हों। विपरीत इसके यदि कारखाने के बने माल—कपड़े आदि—मँहंगे बिकें और कारखानेदारों को ज्यादा लाभ हो तो मजदूरों के वेतन बढ़ें, उन्हें बोनस मिले और दूसरी सुविधायें मिलें। लेकिन इसमें किसान की तवाही है। उसकी पैदा की गई सारी चीजों की कीमत कपड़े आदि में ही लग जाती है और वह तवाह रहता है। यदि मजदूर अपनी माँगें मनवाने के लिये महीनों हड़ताल करें तो मिल-मालिक उनके सामने झुकें। मगर ऐसा होने पर मिल के बने कपड़े आदि मँहंगे होते और किसानों के ज्यादा पैसे इनमें लग जाते हैं। फलतः वह ये हड़तालें नहीं चाहते। ऐसी ही सैकड़ों बातें हो सकती हैं जिनसे दोनों के तात्कालिक स्वार्थों का परस्पर विरोध स्पष्ट है और ये तात्कालिक स्वार्थ ही उनकी दृष्टि को किसी रास्ते पर लाते हैं। ये भौतिक स्वार्थ हैं, प्रत्यक्ष हैं, आँखों के सामने हैं। इनके मुकाबिले में समाजवाद और साम्यवाद वैसे ही पराक्ष और केवल भावनामय हैं, दिमागी हैं, जैसी आजादी और स्वतंत्रता। जिस प्रकार तात्कालिक स्वार्थों को भूल कर हम इन्हें स्वराज्य संग्राम में सामूहिक रूप से आकृष्ट नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही इन परस्पर विरोधी तात्कालिक स्वार्थों को अलग करके, इनको पर्वा न करके हम किसानों या मजदूरों को सामूहिक रूप से अपनी सभा में आकृष्ट नहीं कर सकते। फिर समाजवाद के लिये ये तैयार कैसे किये जायेंगे ? फलतः न्याय, ईमानदारी, दूर-देशी और व्यावहारिकता का तकाजा यही है कि इन दोनों की सभायें एक दूसरे से स्वतंत्र हों और किसी भी पाटों का उन पर नियंत्रण न हो। तभी उनमें बल आयेगा। कम से कम किसान-सभा तो तभी सफल और सजीव बन सकेगी और पीछे मजदूर-सभा के सहयोग से साम्यवाद स्थापित करेगी।

एक बात और । मार्क्सवादियों ने किसानों को मध्यम या बूर्जु वर्ग में माना है और प्रतिक्रियावादी कहा है । यह ठीक है कि परिस्थिति विशेष में यह बूर्जुवा वर्ग भी क्रान्तिकारी तथा आमूल परिवर्तनवादी (Revolutionary and Radical) होता है । यहां बात किसान पर भी लागू है । यही बात लेनिन ने अपनी चुनी लेखमाला के अंग्रेजी-संस्करण के १२ वें भाग के अन्त में लिखी है कि "In Russia we have a 'radical bourgeois'. That radical bourgeois is the Russian Peasant." मगर मजदूरों को तो सबों ने क्रान्तिकारी माना है । ऐसी दशा में ये दो वर्ग परस्पर विरोधी स्वयं सिद्ध हो जाते हैं । फिर इन दोनों की एक पार्टी कैसी ? इन दोनों का एक संगठन कैसा ? वर्तमान सामाजिक परिस्थिति में ये स्पष्ट ही दो परस्पर विरोधी दिशाओं में चलने वाले हैं । फलतः इनके स्वतंत्र संगठन बनाकर ही धीरे-धीरे इन्हें रास्ते पर लाना होगा ।

कम्युनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में जो बातें अभी-अभी कही गई हैं वही अक्षरशः सोशलिस्ट पार्टी, फारवर्ड ब्लाक आदि पार्टियों के बारे में भी लागू हैं । क्योंकि उनका भी दावा वैसा ही है जैसा कम्युनिस्ट पार्टी का । यदि इनमें कोई यह भी दावा करती है कि उनके भीतर फटे हाल बाबुओं का वर्ग भी आ जाता है, या मध्यमवर्ग भी समाविष्ट हो जाता है, तो इसमें हालत जरा और भी बदतर हो जाती है । फलतः सच्ची और स्वतंत्र किसान-सभा बनाने का उनका भी दावा वैसा ही गलत है जैसे कम्युनिस्टों का । कम्युनिस्टों और राबिस्टों में इतनी विशेषता और भी है कि वह भारत की व्यापक, दहकती और सर्वत्र श्रोत-प्रोत होकर "युद्ध देहि" करने वाली राष्ट्रीयता का अपमान करते और उसकी अवहेलना करके भी कायम रहना चाहते हैं । वे अपनी अन्तर्राष्ट्रीयता के साँचे में इस राष्ट्रीयता को ढालने की भारी भूल करते हैं । यह बात इन पार्टियों में नहीं है । वे न तो ऐसी भूल करती हैं और न राष्ट्रीयता की अवहेलना ही करती हैं । वे राष्ट्रीयता को उसका उचित स्थान देती हैं । फिर भी किसान-सभा की स्वतंत्रता बलवत्ता

और वास्तविकता की दृष्टि से सबों का स्थान समा नहीं है। समा तो पार्टियों की किसान-प्रभा के बल बसहा बैल है पुजवाने के लिये, मगर किसानों को तो हल चलाने वाला बैल चाहिये।

एक महत्त्वपूर्ण बात और भी कहनी है। आखिर क्रान्ति करते हैं किसान और मजदूर ही। एतदर्थ उनकी वर्ग संस्थायें अत्यावश्यक हैं; कारण, वही उन्हें इसके लिये संगठित और तैयार करती हैं। बिना इन संस्थाओं के किसान और मजदूर सामूहिक रूप से तैयार किये जा सकते नहीं। यह बात सभी क्रान्तिकारियों को मान्य है, तो फिर राजनीतिक दलों और पार्टियों की जरूरत क्या है? इन दोनों मभाओं की कार्यकारिणी समितियाँ आपस में सहयोग करके क्रान्ति का संचालन एवं उसका नेतृत्व बखूबी कर सकती हैं। केवल दोनों के सहयोग की व्यवस्था होना जरूरी है और यह बात बिना पार्टियों के भी वे दाना खुर ही कर सकती हैं। एक समय था जब राजनीतिक विचारों का पूर्ण विकास न होने के कारण पार्टियों की आवश्यकता मानी जाती थी ताकि वर्ग संस्थायें पथ-भ्रष्ट न हो जायँ और उन्हें गलत नेतृत्व न मिले। लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी माना जाता था कि सभी देशों की इन पार्टियों की भी एक अन्तर्राष्ट्रीय (International) पार्टी हो, जो सबों को सूत्रबद्ध रखकर उन्हें भी उचित नेतृत्व दे, ठीक रास्ते पर ले चले। यातायात और समाचार के साधनों के पूर्ण विकास के अभाव के चलते भी पथ-भ्रष्टता का खतरा था। एक दूसरे से सीधा सम्पर्क रखना असंभवप्रायः जो था। मगर आज तो इनमें एक भी बात नहीं है। राजनीति का विकास पराकाष्ठा को पहुँच चुका है, यातायात के साधन अत्यन्त तेज और सुज्जम हैं, फोन, तार और रेडियो ने समाचार के सार में क्रान्ति कर दी है और छपाई की कला ऐसी प्रगति कर गई है कि कुछ न पूछे। इसीलिये राजनीति का अन्तर्वर्धिविश्लेष भी ऐसा हो चुका है कि अब उसमें भ्रम की गुंजायश नहीं, किसी पार्टी के नेतृत्व की जरूरत नहीं। मौजूदा साधनों के सहारे किसानों तथा मजदूरों की संस्थायें अपने कर्तव्य का निर्यात निर्धारण अच्छी तरह कर सकती हैं।

इसीलिये अन्तर्राष्ट्रीय के सबसे बड़े पोषक एवं सूत्रधार मो० स्तालीन ने कई साल पूर्व एलान कर दिया कि ऐसी संस्था या पार्टी की अब जरूरत नहीं है। जिस तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय की देखा-देखी दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय बने, जब वही बेकार है, तो इनकी क्या जरूरत ? सोशलिस्ट पार्टी, फारवर्ड ब्लाक और क्रान्तिकारी सोशलिस्ट पार्टी का तो अन्तर्राष्ट्रीय से कोई सम्बन्ध है भी नहीं। ऐसी दशा में एक कदम और नीचे उतर कर इन सभी पार्टियों को भी खत्म क्यों न कर दिया जाय ? इनकी क्या जरूरत रह गई ? और जब कम्युनिस्ट पार्टी का सूत्रधार तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय न रहा, तो फिर यह पार्टी भी नाहक क्यों रहे ? अगर सिर्फ बाल की खाल खींचने, वामपक्षियों को टुकड़े-टुकड़े करने, नेतागिरी का हौसला पूरा करने और सभी वर्ग संस्थाओं में कलह और जूतापैजार ही इनका उद्देश्य हो तो बात दूमरी है। अब तो पार्टियों के भीतर भी आपस में ही लीडरी के झगड़े प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से चलने लगे हैं।

क्रान्तिकारी राजनीति और मार्क्सवाद के यथार्थ ज्ञान और तदनुसार अमल करने की ठेकेदारी इन पार्टियों को ही मिली है, ऐसा दावा दूर की कौड़ी लाना है और बीसवीं सदी के बीच में भी दुर्गम को उल्लू समझने को अनधिकार चेष्टा करना है। और अगर यही बात हो तो फिर वह ठेका किस एक पार्टी को मिला है और कैसे, कहाँ से, यह भी सवाल उठता है। क्योंकि इसी ठेकेदारी की लड़ाई तो आखिर ये आपस में भी करती ही हैं। तब फैसला कैसे हो कि फलाँ पार्टी ही के पास वह ठेका है ?

किसान-सभा और मजदूर-सभा आपस में मिलकर यदि आवश्यकता समझे कि दोनों के सहयोग के लिये एक सम्मिलित समिति चाहिये तो उसका भी चुनाव दोनों की राय से हो सकता है। जैसे इन सभाओं को समितियाँ नीचे से ऊपर तक चुनाव से बनती हैं तैसे दोनों की या ऐसी ही और सभा को भी मिलाकर अनेकों की एक समिति से चुनाव से बन सकती है। उसी को पार्टी भी कहना चाहें तो भले ही कहें, मगर वह बाहर से

इन पर लड़ने वाली, लादे जाने वाली पाटों कौन-सी बला है ? हम इसी से पनाह माँगते हैं ।

कहा जाता है कि जब कांग्रेस के ६० प्रतिशत सदस्य और लड़ने वाले-किमान ही हैं तो चुनाव के जरिये उसकी सभी कमिटियों पर वे आसानी से अधिकार जमा सकते हैं, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी भूल है । हर हालत में किसान-सभा का स्वतंत्र संगठन फिजूल है । मगर अनुभव कुछ और ही है । इतिहास भी ऐसा ही बताता है । कांग्रेस मध्यमवर्गीयों की संस्था इस मानी में है कि इस पर उन्हीं का अधिकार है, प्रभुत्व है और यह उन्हीं की राय से चलती है, इसमें उन्हीं का नेतृत्व है । संसार में आजादी के लिये लड़ने वाली संस्थाएँ ऐसी ही होती हैं, अभी तक यही पाया गया है । यहाँ तक कि सबसे ताजा जोरूख का दृष्टान्त है वहाँ भी जारशाही के विरुद्ध जनतंत्र, शासन के लिये लड़ने वाली सोवियत नाम की संस्था मालदारों और मध्यमवर्गीयों के ही अधिकार में थी; हालाँकि उसके सदस्य केवल किसान, मजदूर और सिपाही थे और तीनों ही पूरे शोषित थे । यही वजह है कि १९१७ की मार्च वाली क्रान्ति के फलस्वरूप जारशाही का अन्त हो के रूस में जनतंत्र के नाम पर धनियों का ही शासन कायम हुआ, जिसके विरुद्ध लड़ते रहके लेनिन को अक्टूबर वाली क्रान्ति करनी पड़ी और उसके फलस्वरूप किमान-मजदूरों का शासन वहाँ स्थापित हुआ । लेनिन जैसे महापुरुष और क्रान्तिकारी के रहते भी जब सावियत पर किसान-मजदूरों का अधिकार और नेतृत्व न हो सका, हालाँकि उनके सदस्य धनी लोग न थे, तो हम जैसे कि क्या विनाश कि कांग्रेस पर अधिकार जमा सकें, जब कि उसमें धनी और उनके पोषक काफी सदस्य हैं ? सोवियत का विधान चवनिया मेग्मरी वाला या इस तरह का न था, जिसमें जाल-फरेब हो और फर्जी मेग्मर बनाकर कमिटियों पर अधिकार किया जा सके । उसके सदस्य तो बालिग किसान, मजदूर और सिपाही मात्र थे । फलतः बनावटी मेग्मर बनने-बनाने की गुंजायश वहाँ न थी, मगर कांग्रेस में खूब है और यह रोज की देखी बात

है। लेकिन जब लेनिन विफल रहा तो यहाँ कौन सफलता की आशा करे ? इन चुनावों में हजार प्रलोभनों, जाल-फरेबों और दबावों से काम लेकर धनी लोग ही आम तौर से विजयी हो सकते हैं, होते हैं। यही कट्ट और ठोस सत्य है और यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पर किसानों के नेतृत्व और अधिकार की बात, ऐसी हालत में, निरापागलपन है और धोका है। फलतः किसान-सभा का स्वतंत्र संगठन होना ही चाहिये।

जब कराची तथा फैजपुर में कांग्रेस ने स्वतंत्र किसान संगठन के सिद्धान्त को मान लिया है तो उसका विरोध क्यों ? यदि किसान-सभा को कांग्रेस कमिटियों की मातहत या उनके अंग की ही तरह बनाने की बात न होती तो फिर कांग्रेस के द्वारा उनके स्वीकृत होने की बात क्यों कही जाती ? विभिन्न मातहत कमिटियों के स्वीकृत होने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। लेकिन फैजपुर के किसान प्रोग्राम की आखिरी, १३ वीं, चीज यही है कि कांग्रेस किसान-सभाओं को स्वीकार करे—“Peasant unions should be recognised.”

कहा जाता है कि अभी किसान-सभा की क्या जरूरत है ? अभी तो अँग्रेजी सरकार हटी नहीं और स्वराज्य आया नहीं, बीच में ही यह वेसुरा राग कैसा ? विदेशी सरकार के हटने पर ही प्रश्न उठेगा कि किसका राज्य हो ? किसानों का हो ? मजदूरों का हो ? या कि औरों का ? उससे पहले ही यह तूफाने ब्रह्मतीजी कैसा ? यह तो मुसलिम लीग की जैसी ही बात हो गई कि पहले ही बँटवारा कर दो, अँग्रेजी शासन के रहते ही हमारा हिस्सा दे दो। इस आपसी झगड़े में तो वह स्वराज्य मिलने का नहीं। फिर अभी वह हमारा हो, हमारा हो, ऐसा हो, वैसा हो, की तैयारी कैसी ? यह वर्ग-संघर्ष और श्रेणी-युद्ध तो उसमें बाधक होगा न ? तब तदर्थ किसान-सभा का यह हो-हल्ला एवं महान् प्रयास क्यों ?

लेकिन यदि इन प्रश्नों की तरह में घुस के देखा जाय तो किसान-सभा की असलियत, अहमियत और आवश्यकता माफ हो जाती है। दरअसल स्वराज्य के दो पहलू हैं—विदेशी शासन का अन्त और अपने शासन,

अपने राज्य, 'स्व-राज्य' की स्थापना । इनमें पहला निषेधात्मक और दूसरा विधानात्मक या निर्माण स्वरूप है । 'स्वराज्य' कहने से उसके निर्माणात्मक पहलू पर ही सर्वप्रथम दृष्टि जाती है और वही प्रधान है, मुख्य है, असल है । निर्माण के बिना कुछ हो नहीं सकता । लेकिन निर्माण के पूर्व ध्वंस आवश्यक है, कूड़े-करकट और रास्ते के रोड़ों को हटाना जरूरी है । नींव खोदने पर ही मजबूत महल खड़ा होता है । नींव के स्थान पर पड़ी हुई मिट्टी बाधक होती है उस महल के निर्माण में । इसीलिये खोदकर उसे हटाना पड़ता है । विदेशी शासन भी अपने शासन के निर्माण में बाधक है । इसीलिये उसका हटाना जरूरी हो जाता है और स्वराज्य के भीतर वह अर्थात् आ जाता है । इसीलिये वह गौण है, अप्रधान है ।

मगर हमारे कांग्रेसी नेता उसी पर ज्यादा जोर देते हैं, हालांकि चाहिये जोर देना निर्माणात्मक पहलू पर । यही उनकी भारी भूल है । आखिर विदेशी शासन के हटने पर कोई शासन बनेगा, या कि अराजकता ही उसका स्थान लेगी ? "अपनी-अपनी डफली, अपनी-अपनी गीत" होगी क्या ? यह तो कोई नहीं चाहता । प्रत्युत विदेशी शासन हटाने-मिटाने के सिलसिले में ही कोई न कोई शासन बनाना ही पड़ेगा, कोई सरकार खड़ी होगी ही । तभी आसानी से सफलतापूर्वक विदेशी हुकूमत को हम मिटा सकते हैं । वही सरकार समानान्तर सरकार कही जाती है राजनीति की भाषा में । पीछे चलकर उसी सरकार को मजबूत बनाते हैं, यह बुनियादी बात है ।

अब प्रश्न होता है कि वह सरकार किसकी होगी ? कैसी होगी, कौन सी होगी ? यह बड़े प्रश्न हैं और महत्व रखते हैं । यह कहने से तो काम चलता नहीं कि वह सरकार हिन्दुस्तानियों की होगी ? हिन्दुस्तानी तो चालीस करोड़ हैं न ? तब इनमें किनकी होगी ? ये चालीस करोड़ भी जमींदार, किसान, पूँजीपति, मजदूर आदि परस्पर विरोधी वर्गों में बँटे हैं, तो फिर इनमें किन वर्गों की होगी ? जमींदारों की ? पूँजीपतियों की ? तब किसान या मजदूर उस स्वराज्य की सरकार की स्थापना के लिये,

उस स्वराज्य के लिये क्यों लड़ें ? उस सरकार और विदेशी सरकार में नाम मात्र का ही फर्क होगा । असलियत प्रायः एक सी ही होगी । किसान-मजदूरों की कमाई की लूट तो उसमें भी जारी ही रहेगी । अन्तर सिर्फ यही होगा कि इस समय जो लूट का माल लंकाशायर, मैन्चेस्टर या इंग्लैंड जाता है, वही तत्र ब्रम्हई, अहमदाबाद, कानपुर, छत्तारी, दरभंगा जायगा । कमाने वाले किसान-मजदूरों को क्या मिलेगा ? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं और सारी दुनिया में किये जा चुके हैं । किसान-मजदूरों को सारी शक्ति के साथ प्राण-पण से स्वराज्य के युद्ध में आकृष्ट करने के लिये इनका उनके लिये संतोषजनक उत्तर मिलना आज जरूरी है । किसान-सभा इन्हीं प्रश्नों का मूर्त्त उत्तर है ।

मुसलिम लीग की बात दूसरी है । उसे लड़ना नहीं है या तो उसे यथाशक्ति बाधा डालना है, या अन्त में बिना कुछ किये ही बाधा हिस्सा लेना है, इसीलिये वह अभी से ब्रैटवारा चाहती है । मगर किसानों को लड़ना है और जम के लड़ना है । उसी लड़ाई को प्राण-पण से चलाने के लिये वह अभी से तय कर लेना चाहते हैं कि लड़ाई का नतीजा उनके लिये क्या होगा । इस प्रकार दोनों में बड़ा फर्क है, यह स्पष्ट है । दोनों के दो रास्ते हैं । एक को लड़ना है और दूसरे को बाधा देना ।

यदि उत्तर दें कि कांग्रेस का राज्य होगा तो खयाल होगा कि कांग्रेस में मालदारों का प्रभुत्व होने के कारण उसका राज्य तो नामान्तर से उन्हीं मालदारों का होगा । यदि कहा जाय कि किसानों और मजदूरों का राज्य होगा तो प्रश्न होगा कि क्या कहीं भी यह बात अब तक हो पाई है ? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इङ्ग्लैंड, रूस, इटली आदि सभी देशों में आजादी की लड़ाई के लीडर यही कहते थे कि किसान-मजदूरों के हाथ में शासन होगा । अमेरिका में अंग्रेजी शासन को हटाने के समय ऐसा ही कहा जाता था जैसा यहाँ कहते हैं । मगर वहाँ मालदारों का ही राज्य हुआ और किसान-मजदूर दुःखिया के दुःखिया ही रह गये, सर्वत्र यही हुआ । यहाँ तक कि रूस में भी यही हुआ और पीछे किसान-मजदूरों को पुनरपि लड़

कर ही शासन-सत्ता उनके हाथ से छीननी पड़ी। शेष देशों में वे विफल ही रहे। क्यों ? कारण हमें: ढूँढ़ना होगा और रूस के दृष्टान्त में वह मिलेगा। अन्य देशों में आजादी के युद्ध के समय किसानों ने राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके अपनी अलग तैयारी न की, अपना स्वतंत्र संगठन न किया। फलतः अन्त में धोखे में रहे, मुँह ताकते रह गये। विपरीत इसके रूस में लेनिन ने मजदूरों का स्वतंत्र संगठन किया और किसानों का भी। अमेरिका आदि से उसने यही सीखा था। वहाँ इस संगठन का अभाव होने से ही धोका हुआ था, अतः रूस में उसने इसी अभाव को मिटाया। यहाँ तक कि किसानों के संगठन में तब तक उसे सफलता न मिल सकने के कारण उमने वामपन्थी सोशल रेवोल्यूशनरी दल को जो किसान-सभावादी था, अपने साथ मिलाया और अक्टूबर की क्रांति के बाद अपनी सरकार बनाकर दस दल को भी उस सरकार में स्थान दिया। उसकी सफलता की यही कुंजी थी।

सोशल रेवोल्यूशनरी दल को साथ लेने से यह भी सिद्ध हो जाता है कि बोल्शेविक और कम्युनिस्ट पार्टी किसानों की पार्टी नहीं थी, नहीं हो सकती है। जब लेनिन सफल किसान-सभा न बना सका तो आज के कम्युनिस्ट किस खेल की मूनी हैं ? हाँ, अधिकार मिलने पर भले ही बना सकते हैं, मगर उससे पहले नहीं, यह ध्रुव सत्य है।

भारत में भी हमें वही करना है, हम वही करते हैं। किसानों का स्वतंत्र संगठन वही तैयारी है जो लेनिन ने की थी। यदि वह सोवियत के नेताओं की प्रतिज्ञाओं, प्रस्तावों और घोषणाओं पर विश्वास करके मान बैठता कि जारशाही के अन्त के बाद किसान-मजदूर-राज्य या किसान-मजदूर प्रजा-राज्य अवश्यमेव स्थापित हो जायगा, जैसा कि हमारे यहाँ भी कुछ तथाकथित किसान नेता कहते फिरते हैं, तो वह धोका खाता और पछता के मरता। राजनीति में किसी भी संस्था की श्रौर विशेषतः आजादी के लिये लड़ने वाली राष्ट्रीय संस्था की महज प्रतिज्ञा, उसके प्रस्ताव या उसकी घोषणा एवं उसके कुछ प्रगतिशील नेताओं के उदात्त विचारों तथा

उद्गारों पर विश्वास करके बैठे रह जाना सबसे बड़ी नादानो है। ऐन मौके पर या तो ये सारी प्रतिज्ञायें, घोषणायें और प्रस्ताव-उद्गार उनके करने वाले ही स्वयं भूल जाते हैं या उनके न भूलने पर भी उन्हें विवश और असमर्थ बना दिया जाता है कि वे तदनुसार कुछ भी कर न सकें। परिस्थिति और मालदारों के षड्यंत्र उन्हें वेकार और पंगु बना देते हैं। अमेरिका प्रभृति देशों के स्वातंत्र्य-संग्राम ने हमें यही पाठ पढ़ाया है। हमें आजादी लेने के बाद पुनरपि अपने ही मालदार भाइयों और उनके संगी-साथियों से जमकर प्राण-पण से युद्ध करना ही होगा, खून का दरिया तैर कर पार करना ही होगा। तभी किसानों का राज्य होगा, उनके हाथ में शासन-सत्ता आवेगी; न कि महात्मा गांधी या पंडित नेहरू के कहने या कांग्रेस के प्रस्ताव मात्र से ठीक समय पर उस कथन या प्रस्ताव पर अमल कराने के लिये हमारी अपनी शक्ति चाहिये, तैयारी चाहिये, और यह स्वतंत्र किसान-सभा वही तैयारी है, उसी शक्ति का अभी से संघर्ष है। क्योंकि मौके पर एकाएक शक्ति नहीं आ सकती। जो पहलवान अखाड़े में लड़ने का अभ्यास पहले से नहीं करता, वह एकाएक दूसरे पहलवान को पछाड़ नहीं सकता। स्वतंत्र किसान-सभा किसानों के मल्ल युद्ध, अभ्यास और तैयारी का अखाड़ा है।

कांग्रेस की मजबूती भी इसी प्रकार होगी। किसान-सभा के द्वारा किसानों के हकों के लिये सामूहिक रूप से लड़कर हम किसानों का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर सकेंगे और इस प्रकार उन्हें किसान-सभा में सामूहिक रूप से आकृष्ट करेंगे। जो वर्ग-संघर्ष कांग्रेस कर नहीं सकती, जिसके करने में उसे दिक्रत है, जैसा कि कहा जा चुका है, उसे ही हम कांग्रेसजन किसान-सभा के जरिये करके किसानों के दिल-दिमागों को जीत लेंगे। क्योंकि भौतिक स्वार्थ की सिद्धि उन्हें हमारे साथ खिंच आने को विवश करेगी। यही मानव स्वभाव है। फिर विदेशी सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संघर्ष के समय देश के राजनीतिक मामले में हम आसानी से इसी किसान-सभा के जरिये किसानों को सामूहिक रूप से कांग्रेस के साथी, भक्त और अनुयायी बना डालेंगे। फलतः संगठित एवं शक्तिशाली किसान-सभा

शक्तिशाली कांग्रेस का मूलाधार है, उसके लिये अनिवार्य रूप से आवश्यक है ।

जो लोग किसान-सभा के विरुद्ध कमर बाँधे खड़े रहकर भी कांग्रेस-कांग्रेस चिल्लाते हैं, उन्हें एक बुनियादी बात याद रखनी होगी । इस ओर हमने पहले इशारा किया भी है । यहाँ जग उसका विस्तार करना जरूरी है । किसान-सभाओं को हम असहयोग युग के बाद ही पाते हैं । किसान-आन्दोलन का संगठित रूप उसके बाद ही मिलता है । क्यों ? यह प्रश्न विचारणीय है । उसके पहले न तो मुल्क में और न किसानों में ही यह आत्म-विश्वास था कि अपने शत्रुओं के विरुद्ध कोई संघर्ष सफलतापूर्वक चला सकते हैं, और न संगठित जनान्दोलन का महत्व ही उन्हें विदित था । १८५७ के विफल विद्रोह के बाद लोगों में जो भयंकर पस्ती और निगशा आई थी वह दिनों-दिन गहरी होती जाती थी । देश की सबसे बड़ी संख्या थी कांग्रेस, परन्तु वह भी केवल 'भित्तां देहि' का मंत्र जपती थी । उसकी माँगों के पीछे कोई शक्ति न थी । विदेशी शासन जेठ के मध्याह्न सूर्य की तरह तपता था । लाल पगड़ और गोरे चमड़े को देख लोगों के देवता कूच कर जाते थे । चारों ओर अंधकार ही था । रौलट कानून और पंजाब के मार्शल्ला के बाद शासकों की अकड़ और भी तेज हो चुकी थी । तुर्कों के अंग-भंग को मुसलमान संसार रोकने में असमर्थ था । हमारी न्यायतम माँगों पर भी हमारे आका वृणा एवं अपमान की हँसी हँस देते थे और तब तक हमने यही सीखा था कि अखबारों और सभाओं के द्वारा पढ़े-लिखे शहरी लोग ही कुछ भी कर सकते हैं । मगर उनसे भी कुछ होता जाता दीखता न था । जलियानवाला बाग के बाद हन्टर कमिटी की लीपा-पोती ने जले पर नमक छिड़क दिया था । साहा देश किंकर्तव्य-विमूढ़ था ।

ठीक उसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागपुर में १९२० के दिसम्बर में गाँवों की ओर मुँह मोड़ा और शान्ति-पूर्ण सीधी लड़ाई का रास्ता पकड़ा । नेताओं ने कहा कि हम निहत्थे

भारतीय चाहें तो एक साल के भीतर अंग्रेजी सल्तनत को भगाकर अपनी सरकार कायम कर लें। यह अजीब दावा था, अफीमची की पिनक जैसी बात थी। मगर बार-बार कहने पर देश ने इसे सुना और सचमुच ही सरकार का आसन डिगा दिया। बृटिश सरकार जैसे काँप उठी। सम्राट के प्रतिनिधि लार्ड रीडिंग ने १९२१ के दिसम्बर में कलकत्ते में कहा कि “मेरी अक्ल हैरान है कि यह क्या हो गया”— “I am puzzled and perplexed” जो देश पस्त था, सदियों से अंग्रचित्त पड़ा था वह एकाएक अँगड़ाई ले के अपने पाँवों पर खड़ा हो गया। उसे अपनी अन्तर्निहित अगार शक्ति का एक बार प्रत्यक्ष भान हो उठा। यह कांग्रेस की बड़ी जीत थी कि निहत्थी जनता ने जेलों, जुर्मानों और फाँसी का भय छोड़ दिया। मुल्क की सुप्त आत्मा जग उठी। जो पहलवान साधारण मटों से भी भयभीत हो उठता था वही सबसे बड़े मल्ल को पछाड़ कर अपने अगार बल का अनुभव करने लगा।

इसका अनिवार्य परिणाम ऐसा हुआ जिसका किमी को सपने में भी खयाल था नहीं। जब भारतीय किसानों ने बृटिश मिंह को एक बार धर दबोचा, तो उनने स्वभावतः सोचा कि ये राजे-महाराजे, जमींदार और साहुकार उसी के बनाये तथा उसी की छत्रछाया में पलने-पनपने वाले हैं; ये उसके सामने बिलज्ज और चुहिया से भी गये गुजरे हैं। फिर भी इनकी हिम्मत कि हमें लूटते रहें ? “अबलौं नसानी तो अब ना नसैहौं” के अनुसार उनने सोचा कि अब तक हम सांये थे और अपनी प्रसुप्त शक्ति को समझते थे नहीं, जिससे इनने हमें लूटा सताया। मगर अब ऐसा हर्गिज होने न देंगे। जब इनके आकार को हम निहत्थों ने पछाड़ा तो इनको क्या हस्ती ? वस, उस प्रसहयाग आन्दोलन के महान् विजय की यही प्रतिक्रिया किमान जनता में हुई जो क्रमशः दृढ़ होती गई। उसी का फल और व्यावहारिक रूप यह किसान-सभा है। और अगरे हमारे लीडर आज इससे घबराते हैं तो वह बेकार है। यह बात उन्हें पहले ही सोचनी थी जब किसानों को अंग्रेजी सल्तनत के साथ जूझने को

उभाड़ा था। व्यभिचारिणी स्त्री पेट में गर्भ होने पर पछताती है सही। लेकिन यह उसकी मूर्खता है। उसे तो व्यभिचार के ही समय यह परिणाम सोचना था।

वात दरअसल यह होता है कि स्थिर स्वार्थ वाले सम्पत्तिजीवी तब तक जनान्दोलन से नहीं घबराते जब तक उनके स्वार्थों पर आघात की आशंका न हो, प्रत्युत स्वार्थ-सिद्धि के लिये जनान्दोलन और क्रान्तिकारी संघर्षों तक को प्रोत्साहित करके अपना काम निकालते हैं। फ्रांस, रूस आदि क्रान्तियाँ इसका ज्वलन्त प्रमाण हैं। बिना जनता की सीधा लड़ाई के मालदारों को पूरे हक नहीं मिलते, ताकि उद्योग-धन्धों का वेतहाशा प्रसार कर माल बटोरें। इसी से उसको प्रोत्साहन देते हैं। उस समय तो उन्हें लाभ ही नजर आता है। यही वात १९२१ वाले और बाद के कांग्रेसी संघर्षों में भी हुई। नेताओं ने खुश होके जनता को ललकारा-उभाड़ा। उन्हें कोई खतरा तो तब दीखा नहीं, मगर अब जब जनता अपनी शक्ति का अनुभव करके उनसे भी दो-दो हाथ करने को आमादा हो गई तो लगे बगलें काँकने और ब्रह्मनेत्राजियाँ करने। अब उन्हें अपने लिये खतरा नजर आ रहा है। इसीलिये किसान-सभा को कोसते हैं। उन्हें अपने ही बनाये जनान्दोलन से भय होने लगा है। मगर अब तो उनकी भी लाचारी है। अब तो तीर छूट चुका। फिर पछताने से क्या ? चीख-पुकार मचाने से क्या ? प्रत्युत वे जितना ही इसका विरोध करेंगे किसान-सभा उतनी ही तेज होगी, यह अटल वात है। हमें दर्द के साथ यह भी कहना पड़ता है कि लोगों को कांग्रेस से चिपकाये रखने के लिये वस्तुस्थिति और व्यावहारिकता का आश्रय न लेकर अनुशासन की तलवार का सहारा लिया जाना ही अच्छा समझ जाने लगा है। यदि कांग्रेस की भीतरी खूनियाँ, उसके अन्तर्निहित गुण तथा उसकी ऐतिहासिक आवश्यकता हमें उसकी ओर आकृष्ट नहीं कर सकती है, एतन्मूलक उसमें होने वाली यदि हमारी भक्ति पूरे पचीस साल की उसकी लगातार की कसमकश के बाद भी नाकामी है तो अनुशासन की नंगी

तलवार उसकी पूर्ति कभी कर नहीं सकती। तब तो कहना ही होगा कि कांग्रेस के नेता अपना हृदय-मन्थन करें और पता लगायें कि उनकी तपस्या एवं कांग्रेस के कार्य-क्रम में कौन सी बड़ी खामी है, जिससे यह खतरा बना है कि लोग उससे भड़क जायँ, विचल जायँ। असली शक्ति किसी संस्था की भीतरी खूबी और ऐतिहासिक आवश्यकता ही है। उसी के करते वह शक्तिशाली होती है और यह बात कांग्रेस में मौजूद है। फिर बात-बात में अन्देशा क्यों ? कांग्रेस कोई छुई-मुई नहीं है। वह तो इस्पात की बनी है। किसान-सभा की भी ऐतिहासिक आवश्यकता है, जैसा कह चुके हैं।

कहा जा सकता है कि कांग्रेस के सफल असहयोग आन्दोलन तथा संघर्ष का परिणाम ही यदि किसान-सभा है तो १९२२-२३ के बाद ही उसकी स्थापना न होकर १९२७-२८ या २९ क्यों हुई ? इतनी देर क्यों ? बात यह है कि विचारों के परिपक्व एवं स्थायी बनने में विलम्ब होने के नियमानुसार ही यहाँ भी देर हुई। प्रतिक्रिया तो हुई, मगर उसे कार्यरूप में परिणत करने के पूर्व उसमें स्थिरता और परस्पर विचार-विमर्श आवश्यक था, उसे परिपक्व होना जरूरी था। यह भी बात है कि इन बातों के लिये समय आवश्यक है। ये एकाएक नहीं होते। इसके अलावा किसान-सभाओं के चलाने के लिये जो किसानों के हजारों युवक और पढ़े-लिखे लोग जरूरी थे वे भी असहयोग के करते-चाहे सही, ऊपर आ गये जरूर। मगर उनका भी पारस्परिक विचार-विनिमय जरूरी था इस काम को चालू करने के लिये। राजनीतिक परिस्थिति का डावाँडोल होना, परिवर्तन-अपरिवर्तनवाद वाली उस समय की कलह और सत्याग्रह जाँच समिति की कार्यवाही आदि बातों के चलते भी काफी गड़बड़ रही और इस काम में देर हुई। फलतः यदि दो-चार साल इसी उधेड़-झुन में लग गये तो यह कोई बड़ी बात न थी। इससे प्रत्युत इस काम में दृढ़ता आई। कम से कम बिहार में कांग्रेस के सभी नेता प्रारम्भ में इसमें खिच आये और उनसे पर्याप्त प्रेरणा भी मिली, यह

भी इसका सूत्र है कि किसान-सभाओं का अविच्छिन्न सम्बन्ध कार्य-कारण के रूप में कांग्रेस के साथ है, यह कांग्रेस-संघर्ष का स्वाभाविक परिणाम है। अतएव अब उसका विरोध करना केवल चट्टान से सर टकराना है। अब इसमें बहुत देर हो चुकी है। और जब गत वर्ष श्री पुरुषोत्तमदास जो टण्डन की अध्यक्षता में हिन्द-किसान-सभा ने यह स्पष्ट घोषित कर दिया कि स्वातंत्र्य संग्राम से सम्बन्ध रखने वाली राजनीतिक बातों में साधारणतः किसान-सभा का प्रत्येक सदस्य कांग्रेस से ही प्रेरणा और नेतृत्व प्राप्त करेगा, तो फिर हाय-तोबा मचाने की वजह क्या रही ?

एक ही बात जो निहायत जरूरी है, रह जाती है। बड़े-बड़े नेता तक कह डालते हैं कि जभी कांग्रेस-मंत्रि-मंडल बनते हैं तभी बकाशत के संघर्ष छेड़ कर ये किसान-सभावादी सिर्फ उन्हें परीशान करते हैं। ये संघर्ष इन मंत्रि-मंडलों के अभाव में नहीं होते। इससे इस सभा को बदनीयती सिद्ध होती है। इसीलिये इसे रहने देना कांग्रेस के रास्ते के रोड़े को कायम रखना है।

मगर यह बात गलत है। बिहार में ही ये बकाशत संघर्ष ज्यादातर होते हैं और हुए हैं और वहाँ इनका श्रीगणेश मुँगेर जिले के बड़दिया टाल में १९३६ में ही हुआ था जब इन मंत्रियों का पता भी न था, जब असेम्बली के चुनाव हुए भा न हुए थे। चुनाव के बाद कांग्रेसी मंत्री न होकर जब दूसरे ही लोग मंत्री के रूप में कुछ महीने गद्दी पर थे, उस समय यह संघर्ष काफी तेज था। किसान-स्त्री-पुरुषों और सेवकों पर घुड़सवारों ने घोड़े दंड़ाये थे उसी समय। यह एक ठांस ऐतिहासिक बात है, जिससे इन्कार किया जा नहीं सकता। इसी प्रकार १९४१ में और १९४२ के शुरू में डुमराव में जो बियाई का संघर्ष किसान-सभा के नेतृत्व में चला और जंगल सत्याग्रह चलता रहा, वह भी कांग्रेसी मंत्रियों के अभाव में ही था। फिर सरासर भूठी बात क्यों कही जाती है ?

यह ठीक है कि कांग्रेसी मंत्रियों के समय में ये संघर्ष अधिक होते हैं और यह उचित भी है। जब इन मंत्रियों को चुनकर किसान ही

शाही पर बिठाते हैं तो इन्हें अपना समझ किसानों का हौसला बढ़ना स्वाभाविक है और इसी के फलस्वरूप ये संघर्ष होते हैं। किसान समझते हैं कि हमारे बनावे मंत्री इन मामलों में हमारी सहायता करेंगे। नौकरशाही सरकार से उन्हें यह आशा तो होती नहीं, इसी से उस समय ये संघर्ष कठिन हो जाते हैं और कम होते हैं। और जब जनप्रिय सरकार बनी तो जनता को स्वभावतः आजादी ज्यादा होती ही है। वह अपने हाथ-पाँव जरा फैला पाती है, फैलाने की कोशिश करती है। उसकी छाती की चट्टान जरा हटी सी मालूम पड़ती है, उसकी हथकड़ी-वेड़ियाँ जरा ढीली और ढूटी सी लगती हैं। फिर हाथ-पाँव फैलाये क्यों न ? और ये संघर्ष उसी फैलाने के मूर्त्त-रूप हैं, फिर इन्हें देख गुस्सा क्यों ? इनके लिये उलाहना और इलजाम क्यों ? ये कांग्रेसी मंत्रियों को परीशान करने के सुबूत न होकर उलटे कांग्रेस में और उसके मंत्रियों में जनता के अपार विश्वास के ही सुबूत हैं।

अन्त में हमें कहना है कि कांग्रेस की असली ताकत न तो उसके अनुशासन की तलवार है, न उसकी कमिटियाँ और न उसके चवनियाँ मेम्बर, प्रतिनिधि आदि। उसकी असली शक्ति अपार जमूहन-स की उसमें अटूट भक्ति है—उस भारतीय जन-समूह की भक्ति, जो चवनियाँ मेम्बर तक नहीं है, मगर जो उसे चुनाव में जिताता और संघर्ष में विजयवाता है। अच्छा हो कि कांग्रेस के कर्णधार यह न हो, वह न हो, किसान-समाज न बने, मजदूर यूनियन न बने और अगर बने तो कांग्रेस की मातहती में, आदि फिजूल बातें छोड़ उस अपार जनता के कष्टों को समझें और उन्हें दूर करने में कोर-कसर न रखें। फिर देखेंगे कि कांग्रेस अजेय है और ऐसा न होने पर वह दुर्ग ढह जायगा, यह कटु सत्य है।

विहटा, पटना
वसन्त पंचमी २७-१-४७

—स्वामी सहजानन्द सरस्वती



स्वामी जी का स्वागत, दोहाद-माल.द किसान
कान्फ्रेंस, लिमड़ी

जब पहले-पहले किसान सभा और किसान-संगठन का खयाल हमारे और हमारे कुछ साथियों के दिमाग में आया तो वह धुँधला सा ही था। उसकी रूप-रेखा भी कुछ साफ नजर न आ रही थी। यह हमारा आकस्मिक प्रयास था, ऐसे अथाह समुद्र में जहाज चलाने का जिसमें न तो दिशाओं का ज्ञान था और न किनारे का पता। पास में दिग्दर्शक यंत्र (कुतुबनुमा) भी न था कि ठीक-ठीक जहाज को चलाते। इतने दिनों बाद याद भी नहीं आता कि किस प्रेरणा ने हमें उस ओर अग्रसर किया। चेशक, कुछ उद्देश्य लेकर तो हमने श्रीगणेश किया ही था। मगर वह था निरा गोल-मोल। फिर भी उस ओर हमारी प्रेरणा एकाएक कैसे हुई यह एक पहेली ही है और रहेगी। ऐसा मालूम होता है कि अकस्मात् हम उस ओर बह गये ! मगर जरा इस बात की सफाई कर लें तो अच्छा हो।

किसान सभा के स्थापन का पहला विचार सन् १९२७ ई० के अन्तिम दिनों में हुआ था। उस समय मैं कांग्रेस की स्थानीय नीति से, या यों कहिये कि बिहार के कुछ बड़े नेताओं के कारनामों से झूझाया-सा था, जो उन्होंने सन् १९२६ ई० के कौंसिल चुनाव के सिलसिले में दिखलाये थे। इसीलिए तो स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन न कर लाला लाजपतराय और पं० मदनमोहन मालवीय की इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी का ही समर्थक रहा। जो उम्मीदवार बिहार में थे उन्हें लाला जी तथा मालवीय जी के आशीर्वाद प्राप्त थे। साथ ही गांधीवादी भी मैं खांटी था। इसलिये कांग्रेस से एक प्रकार की विरक्ति के साथ ही गांधीवाद में अनुरक्ति भी पूरी थी। यह भी नहीं कि मैं गांधीवादी ढंग की किसान-सभा बनाने का खयाल न रखता था। उस समय तो वह सबाल कतई था ही नहीं। जब किसान सभा की ही बात उससे पहले न थी तो

फिर गांधीवादी सभा की कौन कहे ? फिर भी किसान-सभा का सूत्र-पात हुआ ।

ठीक कुछ ऐसी ही बात सन् १९३२-३३ में भी हुई । उस समय भी मैं, सन् १९३० ई० की लड़ाई के बाद, कांग्रेस से विरागी था; राजनीति से अलग था, किसान-सभा से सम्बन्ध रखता न था । इस बार के विराग का कारण भी कुछ अजीब था । मैंने सन् १९२२ ई० और १९३० में भी जैलों में जाने पर देखा था कि जो लोग गांधी जी के नाम पर ही जेल में गये हैं, वही उनकी सभी बातें एक-एक करके ठुकराते हैं और किसी की भी सुनते नहीं । इससे मुझे बेहद तकलीफ हुई, मैंने सोचा कि जहाँ कोई व्यवस्था और नियम-पालन नहीं, अनुशासन नहीं, 'डिसिप्लिन' नहीं, वह संस्था बहुत ही खतरनाक है । इसीलिये विरागी बन गया और १९३२ की लड़ाई से अलग ही रहा । मगर ठीक उसी समय, हजार अनिच्छा के होते हुए भी, जबरदस्ती किसान-सभा में खिंच ही तो गया । जहाँ सन् १९२७ ई० किसान-सभा के जन्म का समय था, तहाँ सन् १९३३ ई० उसके पुनर्जन्म का । क्योंकि दर्या के दो-तीन वर्षों में वह मरी पड़ी थी ।

इस प्रकार जब देखता हूँ तो राजनीति के विराग के ही समय में किसान-सभा में खिंच गया नजर आता हूँ । यह भी एक अजीब-सी बात है कि राजनीति का वैराग्य किसान-सभा से विरागी न बना सका । दोनों बार के वैराग्य के भीतर प्रायः एक ही बात थी भी, और वह यह कि जो लोग कांग्रेस और गांधी जी को छोड़ा दे सकते हैं, भुलावे में डाल सकते हैं, वह जनता के साथ क्या न करेंगे ? फलतः उनसे मेरा साथ, मेरा सहयोग नहीं हो सकता है । फिर भी किसान-सभा में वही आये और रहे । लेकिन इसकी कोशिश मैंने उस समय की ही नहीं कि वे लोग उसमें आने न पायें । मुझे आज यह पहेली सी मालूम हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों न किया । इसीसे तो कहता हूँ कि किस प्रेरणा ने मुझे उसमें वसीटा यह स्पष्ट दीखता नहीं । यह कहा जा सकता है कि यह वैराग्य शायद अज्ञात

सूचना थी भविष्य के लिये और इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि ऐसे लोगों से किसानों का हित नहीं हो सकता—फलतः उनसे एक न एक दिन किनाराकशी करनी ही होगी। यह बात कुछ जँचती-सी है।

उस समय एक और बात भी थी, जो ऊपर से ऐसी ही वेढंगी लगती है। आखिर किसान-सभा भी तो राजनीतिक वस्तु ही है आज तो यह स्पष्ट हो गया है। यह तो सभी मानते हैं, फिर राजनीति का निचोड़ है रोटी, और उसी सवाल को किसान-सभा के द्वारा हल करना है। फिर राजनीति से होने वाला वैराग्य, जिसके भीतर कम से कम १९३२-३३ में किसान-सभा के प्रति अरुचि भी शामिल है। मुझे उस सभा में पुनरपि कूदने से क्यों न रोक सका जो कि कांग्रेस से रोके रहा, यह समझ में नहीं आता। किसान-सभा की राजनीति निरीली ही होगी, वह अर्थ नीति (रोटी) मूलक ही होगी, शायद वह इस बात की सूचना रही हो। राजनीति हमारा साधन भले ही, मगर साध्य तो रोटी ही है, यही दृष्टि संभवतः भीतर ही भीतर, अप्रकट रूप से काम करती थी, जो पीछे साफ हुई। लेकिन इतने से उस समय की परिस्थिति की बाहरी पेचीदगी खत्म तो हो जाती नहीं। वह तो साफ ही नजर आती है। मेरी आन्तरिक भावना किसानों के रंग में रँगी थी, इतना तो फिर भी स्पष्ट होई जाता है।

लेकिन गांधीवाद के वर्ग सामञ्जस्य (Class-collaboration) का किसान-सभा से क्या ताल्लुक, यह प्रश्न तो बना ही है। मैं तो उन दिनों पूरा-पूरा गांधीवादी था। राजनीति को धर्म के रूप में ही देखता था। यद्यपि इधर कई साल के अनुभवों ने बार-बार बताया है कि राजनीति पर धर्म का रंग चढ़ाना असंभव है, बेकार है, खतरनाक है इसीलिये विराग भी हुआ। फिर भी धुन वही थी और धर्म में तो वर्ग सामञ्जस्य ही है। वहाँ वर्ग संघर्ष (Class-struggle) की गुंजाइश कहाँ? फलतः किसान-सभा भी उसी दृष्टिकोण को लेकर बनी। लेकिन उसमें भी एक विचित्रता थी जो भविष्य की सूचना देती थी। गोया उस ओर कोई इशारा था।

असल में सन् १९२७ ई० के आखिरी दिनों में पहले पहल किसान-सभा का आयोजन और श्रीगणेश होने पर और तत्सम्बन्धी कितनी ही मीटिंगें करने पर भी जब सन् १९२८ ई० के ४ मार्च को नियमित रूप से किसान-सभा बनाई गई तो उसकी नियमावली में एक यह भी धारा जुड़ी कि “जिन लोगों ने अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कामों से अपने को किसान-हित का शत्रु सिद्ध कर दिया है वे इस सभा के सदस्य नहीं हो सकते।” एक और तो मेल-मिलान और सामञ्जस्य का खयाल और दूसरी ओर किसान-सभा की ऐसी गढ़बन्दी कि किसानों में भी वही उसके मेम्बर हों जो असली तौर पर किसान-हित के शत्रु साबित न हों। यह एक अजीब बात थी। आखिर ऐसे लोग किसान-सभा में आके क्या करते ? जब जमींदारों से कोई युद्ध करना न था तब इतनी चौकसी का मतलब क्या ? जमींदारों के खुफिया और ‘फिफथकौलम’ उसमें रहके भी क्या बिगाड़ डालते ? खूबी तो यह कि शुरू वाली सभा में जो यह बात तय पाई वह ठेठ बिहार प्रान्तीय किसान-सभा तथा आल-इंडिया किसान-सभा की नियमावली में भी जा घुसी। मेरे दिमाग में वह बात जमी तो थी ही। फलतः सर्वत्र मैं उसकी जरूरत सुझाता गया। इस प्रकार हम अनजान में ही हजार न चाहने पर भी, या तो वर्ग संवर्ष की तैयारी शुरू से ही करते थे या उस ओर कम से कम अन्तर्दृष्टि से देख तो रहे थे ही, ऐसा जान पड़ता है।

जो पहली सभा बनी वह प्रान्त भर की नहीं ही थी। पटना जिले भर की भी न थी। उसका सूत्रगत विद्युत्-आश्रम में ही हुआ था और यह विद्युत् पटना जिले के पश्चिमी हिस्से के प्रायः किनारे पर ही है। वहाँ से तीन मील पच्छिम के बाद ही शाहाबाद जिला शुरू हो जाता है। उस समय प्रान्तीय कौंसिल के लिये दो मेम्बर चुने तो जाये—एक पूर्वा भाग से और दूसरा पश्चिमी से। इसी चुनाव के खयाल से पटना जिला दो हिस्सों में बँटा था और यह सभा पश्चिमी भाग की ही थी। इसीलिये उसे पश्चिम पटना किसान-सभा नाम दिया गया था। कोई क्रांतिकारी भावना

तो काम कर रही थी ही नहीं। वैधानिक ढंग से जाँच डालकर किसानों का कुछ भला करवाने और उनकी तकलीफें मिटवाने का खयाल ही इसके पीछे था। अन्यथा वर्ग सामञ्जस्य नहीं रह जाता। सोचा गया था कि जो ही वोट माँगने आयेगा उसे ही विवश किया जायगा कि किसानों के लिये कुछ करने का स्पष्ट वचन दे।

पश्चिम पटना में भरतपुरा, धरहरा आदि की पुरानी जमींदारियाँ हैं। उस समय उनका किसानों पर होने वाला जुल्म बिहार प्रान्त में अपना सानी शायद ही रखता हो। किसान पशु से भी बदतर बना दिये गये थे और छोटी-बड़ी कही जाने वाली जातियों के किसान एक ही लाठी से हाँके जाते थे। इस दृष्टि से वहाँ पूरा साम्यवाद था। यद्यपि उनके जुल्मों की पूरी जानकारी हमें उस समय न थी; वह तो पीछे चलकर हुई। उस समय विशेष जानने की मनोवृत्ति थी भी नहीं। फिर भी वे इतने ज्यादा, ज्वलंत और साफ थे कि छन-छन के कुछ न कुछ हमारे पास भी पहुँच ही जाते थे। हमें यह भी मालूम हुआ था कि सन् १९२१ ई० के असहयोग युग में पटने के नामधारी नेता उन जमींदारियों में सफल मीटिंग एक भी न कर सके थे। जमींदारों के इशारे से उन पर गोबर आदि गन्दी चीजें तक फेंकी गईं। सभा में लाठी के बल से किसान आने से रोक दिये गये। वे इतने पस्त थे कि जमींदार का नाम सुनते ही सपक जाते थे। हमने सोचा, एक न एक दिन यह जुल्म दोनों में भिन्नत करायेगा और इस प्रकार के गृह-कलह से आजादी की लड़ाई कमजोर हो जायगी। फलतः आन्दोलन के दवाव से जुल्म कम करवाने और इस तरह गृह-कलह रोकने की बात हमें सूझी। धरहरा के ही एक जमींदार हाल में ही कौंसिल में चुने गये थे। उनका काफी दबदबा था। हमने सोचा कि संगठित रूप से काम करने पर वोट के खयाल से वे दबेंगे और काम हो जायगा। बात कुछ थी भी ऐसी ही। वे जमींदार साहब इस सभा से वेहद चौंके और इसके खिलाफ उनने प्रचार-कौशिश भी की। शोषक तो खटमल की तरह काफी काइयों होते हैं। इसी से वे सजग थे। हमें भी

यह बात बुरी लगी कि वे इतने सख्त दुश्मन क्यों बनें । मगर बात तो ठीक ही थी । हम उस समय असल में जमींदारी को ऐसा समझते न थे जैसा पीछे समझने लगे । फिर भी यह भ्रष्टाहट बनी ही रही और वे सन् १९३० ई० में हजारीबाग जेल में इसी की सफाई देने हमारे पास आये थे । बहुत डरे से मालूम होते थे । मगर उनका डर अन्ततोगत्वा सच्चा निकला, गो देर से । क्योंकि किसान-सभा ने ही उन्हें सन् १९३६-३७ के चुनाव में बुरी तरह पहले असेम्बली में पछाड़ा और पीछे डिस्ट्रिक्टबोर्ड में भी । मालदार लोग दूरदेश होते हैं । फलतः इस खतरे को वे पहले से ही ताड़ रहे थे कि हो न हो एक दिन भिड़न्त होगी ।

सभा जो जिले भर की भी नहीं बनी उसका कारण था हमारा फूँक-फूँक के पाव देना ही । जितनी शक्ति हो उतनी ही जवाबदेही लो, ताकि उसे बखूबी संभाल सकें, इसी वसूल ने हमें हमेशा जल्दबाजी से रोका है । इसी खयाल से हम आल-इंडिया किसान-सभा बनाने में बहुत आगा-पीछा करते रहे । इसी वजह से ही हमने प्रान्तीय किसान-सभा में पड़ने से भी—उसकी जवाबदेही लेने से भी—बहुत ज्यादा हिचक दिखाई थी । यही कारण था कि जिले भर की जवाबदेही लेने को हम उस समय तैयार न थे । मगर पता किसे था कि दो वर्ष बीतते-बीतते बिहार प्रान्तीय किसान-सभा बन के ही रहेगी और न सिर्फ उसके स्थापनार्थ हमें आगे बढ़ना होगा, बल्कि उसकी पूरी जवाबदेही भी लेनी होगी ? आखिरकार सन् १९२९ ई० के नवम्बर महीने में यही हुआ और सोनपुर मेले में प्रान्तीय किसान-सभा बनी ।

सन् १९२६ ई० के दिसम्बर का महीना था। लाहौर कांग्रेस के पूर्व और हमारी बिहार प्रान्तीय किसान-सभा बन जाने के बाद ही सरदार बल्लभभाई का दौरा बिहार में हुआ। दौरा प्रान्त के सभी मुख्य-मुख्य स्थानों में हुआ। राय हुई कि नवजात किसान-सभा इससे लाभ क्यों न उठाये। श्री बल्लभभाई हाल में ही किसान आन्दोलन और लड़ाई के नाम पर ही सरदार बने थे। झरदौली के किसानों की लड़ाई के संचालक की हैसियत से ही उन्हें सरदार की पदवी मिली थी। हमने सोचा कि हमारा किसान आन्दोलन उनसे प्रोत्साहन प्राप्त करे। हुआ भी ऐसा ही। जहाँ-जहाँ उनके दौरे का प्रोग्राम था तहाँ-तहाँ ठीक उनके पहले हम किसान-सभा कर लेते और पीछे उसी सभा में वह बोलते जाते थे। कहीं-कहीं उनसे हमारा और हमारी किसान-सभा का नाम भी लिया था और उसे सहायता देने को कहा था। मगर हम तो सभा की तैयारी और लोगों की उपस्थिति से लाभ उठा के किसान का पैगाम लोगों को सुना देना ही बहुत बड़ा फायदा मानते थे।

मुजफ्फरपुर जिले के सीतामढ़ी कसबे में भी एक बड़ी सभा हुई। हमने अपना काम कर लिया था। वह बोलने उठे तो दूसरी-दूसरी बातों के साथ जमींदारी प्रथा पर उनसे बहुत कुछ कहा और उसकी कोई जरूरत नहीं है, यह साफ-साफ सुना दिया। उनका कहना था कि सुना है, ये जमींदार बहुत जुल्म करते हैं। ये लोग गरीब किसानों को खूब ही सताते हैं, ये भलेमानस अपने को जबरदस्त माने बैठे हैं। लोग भी इन्हें ऐसा ही मानते हैं। इसीलिये डरते भी इनसे हैं। मगर ये तो निहायत ही कमजोर हैं। यदि एक-द्वार कसके इनका माथा दबा दिया जाय तो भेजा (हिमाग की गूदी) बाहर निकल आये। फिर इनसे क्या डरना ?

इनकी जरूरत भी क्या है ? ये तो कुछ करते नहीं ! हाँ, रास्ते में अड़ंगे जरूर लगाते हैं, पता नहीं, आज वही बदल गये, दुनिया ही बदल गई या जमींदार ही दूसरे हो गये । क्योंकि अब वह ये बातें बोलते नहीं, बल्कि जमींदारों के समर्थक बन गये हैं, ऐसा कहा जाता है । समय-समय पर परिवर्त्तन होते ही रहते हैं और नेता इस परिवर्त्तन के अपवाद नहीं हैं । शायद वे अब संजीदा और दूरदेश बन गये हैं, जब कि पहले सिर्फ आन्दोलनकारी agitator थे । मगर, गुस्ताखी माफ हो । हमें तो संजीदा के बदले 'एजीटेटर' ही चाहिये । अपनी-अपनी समझ और जरूरत ही तो ठहरी ।

हाँ, तो उसी सभा से हम लोग रात में लौरी के जरिये मुजफ्फरपुर खाना हुआ । हमें आधी रात की गाड़ी पकड़ के छपरा जाना था । बा० रामदयालु सिंह, प० यमुना कार्पो और मैं, ये तीनों ही उस लौरी में बैठे थे । मैं था प्रान्तीय किसान-सभा का सभापति और कार्पो जी उसके संयुक्त मंत्री (डिविजनल सेक्रेटरी) थे । बाबू रामदयालु सिंह ने प्रान्तीय किसान-सभा की स्थापना में बहुत बड़ा भाग लिया था । वे उसकी प्रगति में लगे थे । इस तरह हम तीनों ही सभा के कर्त्ता-धर्त्ता थे—सब कुछ थे । हमी तीनों ने उसे बनाया था और अगर हम तीनों खत्म होते तो सभा का खात्मा ही हो जाता यह पक्की बात थी ।

लौरी खाना हो गई । रात के दस बजे होंगे । बाबू रामदयालु सिंह ड्राइवर की बगल में आगे वाली सीट पर थे और हम लोग भीतर थे । लौरी चलते-चलते एक तिहाई रास्ता पार करके र्नीसैदपुर में लगी । ड्राइवर उसे छोड़ कहीं गया और थोड़ी देर बाद वापिस आया । हम चल पड़े । कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर को ऊँघ सी आने लगी । नतीजा यह हुआ कि लौरी डगमग करती जाती थी । कभी इधर फिसल पड़ती तो कभी उधर । ड्राइवर उसे ठीक सँभाल न सकता था । वह सड़क भी ऐसी खतरनाक है कि कितनी ही घटनायें (accidents) हो चुकी

हैं, कितनी ही मोटरें उलट चुकी हैं और कई मर चुके हैं। था भी रात का वक्त। खतरे की संभावना पद-पर थी।

बानू रामदयालु सिंह बात ताड़ गये। उनसे झाइवर को ऊँचता देख पहले दो-चार बार उसे सँभाला था सही। मगर वह नींद में थोड़े ही था। उस पर नींद की सवारी न होकर नशा की सवारी थी। रनीसैदपुर में उसने शराब पी ली थी। अब तो वे घबराये। मारे डर के वे पसीने पसीने थे। हालाँकि दिसम्बर की कड़ाके की सर्दी थी। सो भी उस इलाके में तो और भी तेज होती है। वे बार-बार झाइवर को सजग करते थे। मगर वह नशा ही क्या कि सर पर न चढ़ जाय और वेकार न बना दे ? आखिर उनसे रहा न गया और उनसे लौरी जबरदस्ती रुकवाई। तब कहीं हमें पता चला कि कुछ वेढंगा मामला है। अब तक हम भी वे खबर थे।

हम सभी उतर पड़े और उनसे कहा कि रास्ते में शराब पीके हम सबों को यह मारना चाहता है। देखिये न, मैं पसीने-पसीने हो रहा हूँ हालाँकि इस कड़ाके के जाड़े में लौरी पर हवा भी लगती है। फलतः काँपना चाहिये। हम सबों की जान पद-पद पर खतरे में देखके मैं धर्रा रहा था। मगर जब देखा कि अब कोई उपाय नहीं है तो रोंका है। यदि कोई घटना हो जाती और लौरी उलट जाती या नीचे जा गिरती तो सारी की सारी बिहार प्रान्तीय किसान-सभा ही खत्म हो जाती। हम सभी इसी पर बैठे जा हैं। कल हमारे शत्रुओं के घर घी के चिराग जलते। इसलिये मैं तो इसका नाम-धाम नोट करके जिला मजिस्ट्रेट को इस बात की रिपोर्ट करूँगा। ताकि आइन्दा इस प्रकार की शैतानियत ये झाइवर न करें और नाहक लोगों की जानें जोखिम में न डालें।

उनसे उसका नाम वाम लिखा सही और वह डर भी गया। इससे हम सभी सकुशल मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुँच गये। हमने ट्रेन भी पकड़ ली। न जानें मजिस्ट्रेट के यहाँ रिपोर्ट हुई या नहीं। मगर "समूची किसान-सभा ही खत्म हो जाती" यह बात मुझे भूलती नहीं। इसकी स्मृति कितनी मधुर है।

कुछ लोगों की धारणा है कि उनने कभी भूल की ही नहीं और न उनके विचारों में विकास हुआ। उनके विचार तो पके पकाये शुरू से ही थे। इसीलिये जिनके विचारों का क्रम विकास हुआ है उनकी वे लोग मौके-मौके पर, अपनी जरूरत के मुताबिक, हँसी भी उड़ाया करते हैं। इधर उन्हीं दोस्तों ने यह भी तरीका अख्तियार किया है कि जिस प्रगति-शील कार्य पर उनकी मुहर न हो वह नाकारा और रही है। वह यह भी कहने की हिम्मत करते हैं कि बिहार प्रान्तीय किसान-सभा को बनाया कांग्रेस ने ही। या यों कहिये कि उसके स्थापक कट्टर (Orthodox) कांग्रेसी ही हैं। उनका मतलब उन कांग्रेसियों से है जो गान्धीवादी कहे जाते हैं। यह आवाज अभी-अभी निकलने लगी है। इसके पीछे क्या रहस्य है कौन जाने ?

मगर असल बात तो यही है कि मैं, पण्डित यमुना काशी और बाबू रामदयालु सिंह, यही तीन उसकी जड़ में थे—इन्हीं तीन ने उसका विचार किया, कैसे वह शुरू की जाय यह सोचा, सोनपुर के मेले में ही सुन्दर मौका है ऐसा तय किया, लोगों के पास दौड़-धूप की, नोटिसें छपवाईं और ब्रॅटवाईं और मेले में इसका पूरा आयोजन किया। कोई बता नहीं सकता कि इसमें चौथा आदमी भी था। यह तो कठोर सत्य है, अडिग बात है। और इन तीनों में रामदयालु बाबू ही एक गान्धीवादी कहे जा सकते हैं। ऐसी हालत में वे बुनियाद बातों की गुंजाइश ही कहाँ है ?

यह ठीक है कि नाम मात्र के लिये प्रमुख कांग्रेसी सभा के साथ थे, या यों कहिये कि उसके मेम्बर थे। मगर यह मेम्बरी तो कोई बाकायदा थी नहीं। किसान-सभा के लक्ष्य पर दस्तखत करके और सदस्य शुरू क देके कितने लोग मेम्बर रहे क्या यह बात कोई बतायेगा ? ऐसे मेम्बर बनने के

लिये उनमें एक भी तैयार न था । बल्कि बनने के बहुत पहले ही उनमें प्रमुख लोगों ने विरोध शुरू कर दिया । यहाँ तक कि इसमें शामिल होने के विरुद्ध सूचना बाँटी गई प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की ओर से । इतना ही नहीं । सोनपुर के बाद ही जब उन लोगों की सम्मति चाही गई तो बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने, जो उस समय कांग्रेस के दिमाग माने जाते थे, इसका सख्त विरोध किया और साफ कह दिया कि यह खतरनाक चीज बनने जा रही है । अतः मैं इसके साथ नहीं हूँ । यह ठीक है कि और लोगों ने उस समय इनकार नहीं किया । सच तो यह है कि ऐसा करने का मौका ही उन्हें नहीं मिला । वे समझी न सके कि किसान-सभा ऐसी चीज बन जायगी । क्योंकि पीछे यह बात समझते ही कुड़बुड़ाहट और विरोधी प्रोपैगैन्डा शुरू हो गया । यह भी ठीक है कि औरों का नाम देख एकाध ने उलाहना भी दिया कि हमारा नाम क्यों नहीं दिया गया । इसीलिये उनका नाम पीछे जोड़ा गया भी । मगर इससे वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं आता । नाम दे देने से कोई भी सभा का स्थापक नहीं कहा जा सकता । सौ बात की एक बात तो यह है कि यदि सभा की स्थापना का श्रेय कोई चौथा भी लेना चाहता है तो उसका नाम क्यों बताया नहीं जाता ? क्योंकि तब तो स्पष्ट पूछा जा सकता है कि उसने इस सम्बन्ध में कब क्या किया ? यह तो उसे बताना ही होगा । इसलिये केवल गोल-गोल बातों से काम नहीं चलेगा । नाम और काम बताना होगा ।

मगर हमें तो इसमें भी झगड़ा नहीं है कि किसने यह काम किया । इतना तो असलियत के लिहाज से ही हमने कहा है । फिर भी यदि किसी को बैसा दावा हो-तो हम उसकी खुशी में गड़बड़ी क्यों डालें ? हमें क्या ? सभा चाहे किसी ने बनाई । मगर वह जिस सूरत में या जिस प्रकार विचार से पहले बनी अब वह बात नहीं रही । धीरे-धीरे अनुभव के आधार पर वह आगे बढ़ी है और अब उसमें सोलहों आने रूपांतर आगया है । यह ठीक है कि वह कितानी ज्ञान के आधार पर न तो बनी ही थी और न वर्तमान रूप में आई ही है । इसीलिये इसका आधार बहुत ही ठोस है ।

संघर्ष के मध्य में वह जन्मी और संघर्ष ही में पलते-पलते सयानी हुई है। इसीलिये वह काफी मजबूत है भी। शोषित जनता की वर्ग संस्थाओं को इसी प्रकार बनना और बढ़ना चाहिये, यही क्रांतिकारी मार्ग है। लेनिन ने कहा भी है कि हमें जनता से और अपने अनुभवों से सीखकर ही जनता का पथ-प्रदर्शन करना चाहिये। जनता अपने ही अनुभव से सीखकर जब नेताओं की बातों पर विश्वास करती है और उन्हें मानने लगती है तभी वह हमारा साथ देती है, ऐसा स्तालिन ने चीन के सम्बन्ध के विवरण में कहा है :—

“The masses themselves should become convinced from their own experience of the correctness of the instructions, policy and slogans of the vanguard.”

इसीलिये ब्रजाय शर्म के खुशी की बात है कि अनुभव के बल पर ही हम आगे बढ़े हैं और इसमें किसानों को भी साथ ले सके हैं।

मगर हमारे क्रांतिकारी नामधारी दोस्तों की एक बात तो हमारे लिये पहेली ही रहेगी। जब हम उसे याद करते हैं तो एक अजीब घपले में पड़ जाते हैं। हमारे दोस्तों का दावा है कि किसान-सभा को वही क्रांतिकारी मार्ग पर ला सके हैं; उन्होंने ही उसे क्रांतिकारी प्रोग्राम दिया है आदि आदि। जब हम पहली और ठेठ आज की उनकी ही कार्यवाहियों का खयाल करते हैं तो उनका यह दावा समझ में नहीं आता। उनमें एक भाई का दावा है—और बाकी उनकी हाँ में हाँ मिलते हैं—कि उनने ही जमींदारी मिटाने का प्रस्ताव पहले पहल किसान सभा में पेश किया था। शायद उन्हें यह बात याद नहीं है कि उनकी पार्टी के जन्म के बहुत पहले युक्त प्रान्त में श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन ने एक केन्द्रीय किसान सघ बनाया था और दूसरी-दूसरी अनेक बातों के साथ ही जमींदारी मिटाने की बात उस संघ ने मान ली थी। जब सन् १९३४ ई० की गर्मियों में वे द्वितीय प्रान्तीय किसान सम्मेलन का सभापतित्व कैन्से गया में आये थे

तो वहाँ भी उनसे वह प्रस्ताव पास कराना चाहा था। मगर हम सबने—जिनमें सोशललिस्ट नेता भी शामिल थे—उसका विरोध किया था। फलतः वह गिर गया। उनके प्रस्ताव की खूबी यह थी कि मुआविजा (मूल्य) देकर ही जमींदारी मिटाने की बात उसमें थी।

टण्डन जी भी इस बात के साक्षी हैं कि मैंने दूसरे दिन सम्मेलन में जो भाषण दिया था उसमें स्पष्ट कह दिया था कि जहाँ तक बिहार प्रान्तीय किसान सभा का ताल्लुक है, उसने जमींदारी मिटाने का प्रस्ताव अभी तक नहीं माना है; क्योंकि इसमें अभी उसे हानि नजर आती है। मगर जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं उसके मिटाने का पूर्ण पक्षपाती हूँ। लेकिन मूल्य देकर नहीं किन्तु योंही छीन कर। यही हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत है इसके सम्बन्ध में। टण्डन जी को इस बात से आश्चर्य भी हुआ था कि छीनने के पक्ष में तो हैं। मगर मुआविजा देकर खत्म करने के पक्ष में नहीं।

एक बात और। सन् १९३४ ई० के आखिर में सिलौत (मनिषारी-मुजफ्फरपुर) में जो किसान कान्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा जाता है, जमींदारी मिटाने का प्रस्ताव एक किसान लीडर ने, जो अपने को इस बात के लिये मसीहा घोषित करते हैं, पेश किया था। मैं भी वहाँ मौजूद था। प्रस्ताव का वह अंश यों था कि किसान और सरकार के बीच में कोई शोषक वर्ग न रहे इस सिद्धान्त को प्रान्तीय किसान-सभा स्वीकार करे। यहाँ विचारना है कि टण्डन जी वाले प्रस्ताव से इसमें विलक्षणता क्या है? मुआविजा की बात पर यह चुन है। इसलिये ज्यादा से ज्यादा यही कहा जाता है कि गोल-मोल बात ही इसमें कही गई है, जब कि टण्डन जी ने स्पष्ट कह दिया था। मगर असल बात तो यह है कि जमींदारी का नाम इसमें है नहीं। यह भी खूबी ही है। शोषक कहने से जमींदार भी आ जाते हैं, मगर स्पष्ट नहीं। यहाँ भी गोल बात ही है। फलतः गान्धी जी के—ट्रस्टी वाले सिद्धान्त की भी इसमें गुंजाइश है। क्योंकि ट्रस्टी होने पर तो जमींदार शोषक रहेगा नहीं। फिर जमींदारी मिटाने का क्या सवाल? यही

कारण है कि खासमहाल में, जहाँ सरकार ही जमींदार है, जमींदारी मिटाने की बात इस प्रस्ताव के पास होने पर भी नहीं उठती। अतएव जो लोग जमींदारी को सर्वत्र ही खासमहाल बना देना चाहते हैं उनके लिये यह प्रस्ताव स्वागतम् है। फिर भी इसी पर दोस्तों की इतनी उछल-कूद है।

उस सभा में जमींदारों के दोस्त काफी थे। वहीं पर एक चलते-पुर्जे जमींदार हैं जो एक मठ के महन्त हैं। उनके इष्ट-मित्रों की संख्या काफी थी और जी हुजूरों की भी। उनसे उसका खूब ही विरोध किया। मगर सफलता की आशा न देख यह प्रश्न किया और कखाया कि स्वामी जी भी यहीं हैं। अतः उनसे भी इस प्रस्ताव के बारे में राय पूछी जाय कि वे इसके पक्ष में हैं या नहीं और यह प्रस्ताव प्रान्तीय किसान-सभा के सिद्धान्त के विपरीत है या नहीं। उन लोगों का खयाल था कि मैं तो इसका विरोध करूँगा ही और प्रान्तीय सभा के मन्तव्य का विरोधी भी इसे जरूर ही बताऊँगा। मगर मैं नहीं चाहता था कि बीच में पड़ूँ। मैं चाहता था कि मेरे या किसी दूसरे के प्रभाव के बिना ही लोग खुद स्वतंत्र रूप से राय कायम करें। मुझे तो किसानों की और जनता की भी मनोवृत्ति का ठीक-ठीक पता लगाना था, जो मेरे कुछ भी कहने से नहीं लग सकता था। कारण, लोग पक्ष या विपक्ष में प्रभावित हो जाते।

परन्तु विरोधियों ने इस पर जोर दिया हालाँकि प्रस्ताव वाले शायद डरते थे कि मेरा झोलना ठीक नहीं। जब मैंने देखा कि बड़ा जोर दिया जा रहा है और न झोलने पर यदि कहीं प्रस्ताव गिर गया तो बुरा होगा, तो अन्त में मैंने कह दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप में इस प्रस्ताव का विरोधी तो नहीं ही हूँ। साथ ही, प्रान्तीय किसान सभा के सिद्धान्त के प्रतिकूल भी यह है नहीं। क्योंकि यह तो सभा से सिफारिश ही करता है कि यह बात मान ले। वस, फिर क्या था, विजली सी दौड़ गई और बहुत बड़े बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ। मैंने यह भी साफ ही कह दिया कि यह प्रस्ताव तो लोकमत तैयार करता है और उसे जाहिर भी करता है, जहाँ तक जमींदारी या शोषण मिटाने का सवाल है। ऐसी हालत में हमारी सभा इसका स्वागत ही करेगी।

क्योंकि हम लोकमत को जानना तो चाहते ही हैं। साथ ही, उसे तैयार करना भी पसन्द करते हैं। हमें खुद लोगों पर किसी सिद्धान्त को लादने के बजाय लोकमत के अनुसार ही सिद्धान्त तय करना पसन्द है। यही कारण है, कि अब तक हमारी प्रान्तीय किसान सभा इस बारे में मौन है। वह अभी तक अनुकूल लोकमत जो नहीं पा रही है।

इस प्रसंग से एक और भी बात याद आती है। हमारे कुछ दोस्त जमींदारी मिटाने के अग्रदूत अपने को मानते हैं—कम से कम यह दावा आज वे और उनके साथी करते हैं। मगर इस सम्बन्ध में कुछ बातें स्मरणीय हैं। जब सन् १९२६ ई० के नवम्बर में सोनपुर के मेले में बिहार प्रान्तीय किसान सभा की स्थापना हो रही थी, और उन लोगों के मत से आज के गांधीवादी ही उसे कर रहे थे तो उनने खुली सभा में उसका विरोध किया था। उनकी दलील थी कि किसान सभा की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस से ही वह सभी काम हो जाँयगे जिनके लिये यह सभा बनाई जाने को है। उनने यह भी कहा कि किसान सभा बनने पर किसान उसी ओर बहक जाँयगे और इस प्रकार कांग्रेस कमजोर हो जायगी। मैं ही उस समय सभापति था और मैंने ही उनका उचित उत्तर भी दिया था। इसीलिये ये बातें मुझे याद हैं! इन दलीलों को पढ़ के कोई भी कह बैठेगा कि कोई गांधीवादी आज (सन् १९४१ ई० में) किसान सभा का विरोध कर रहा था। वह यह समझी नहीं सकता कि भावी क्रांतिकारी (क्योंकि पता नहीं कि वे उस समय क्रांतिकारी थे या नहीं) यह दलीलें पेश कर रहा है जो आगे चलकर जमींदारी मिटाने का अग्रदूत बनने का दावा करेगा।

शायद कहा जाय कि उस समय उन्हें इतना ज्ञान न था और क्रांतिकारी पार्टी भी पीछे बनी! खैर ऐसा कहने वाले यह तो मानी लेते हैं कि ये मसीहा लोग भी एक दिन कष्टर दक्कियानूस थे। क्योंकि उनकी नज़रों में आज जो एकाएक दक्कियानूस दीखने लगे हैं वही जब किसान सभा के विरोध के बजाय उसके समर्थक थे तब मसीहा लोग विरोधी थे। यह निराली बात है।

लेकिन लखनऊ का 'संघर्ष' नामक साप्ताहिक हिन्दी-पत्र तो क्रांति-कारी ही है। उसने जब सन् १९३८ में अपने अग्र लेख में यहाँ तक लिख मारा कि हमें किसान सभा का भी उपयोग करना चाहिये, तो मुझे विवश होके सम्पादक महोदय को पटना में ही उलाहना देना पड़ा और इसके लिये सरल रंजिश जाहिर करनी पड़ी। यह अजीब बात है कि क्रांति के अग्रदूत बनने के दावेदार कांग्रेस के मुकाबिले में किसान सभा जैसी वर्ग संस्थाओं को गौण मानें। उनसे हजार सफाई दी। मगर मैं मान न सका।

(६-८-४१)

आगे चलिये। कुछ महीने पूर्व एक सर्व्यूलर देखने को मिला था। उसमें और और बातों के साथ लिखा गया है कि "आज तक किसान सभाओं का संगठन स्वतंत्र होते हुए भी राजनीतिक क्षेत्र में वह कांग्रेस की मददगार मात्र और उसके नीचे रही है। यहाँ 'मददगार मात्र' में 'मात्र' शब्द बड़े काम का है। जो लोग किसान सभाओं को सन् १९४१ ई० के शुरु होने तक राजनीतिक बातों में कांग्रेस की सिर्फ मददगार और उसके नीचे मानते रहे हैं वही जब दावा करते हैं कि किसान सभा में जमींदारी मिटाने का प्रस्ताव पहले पहल लाने वाले वही हैं तो हम हैरत में पड़ जाते हैं। जमींदारी मिटाने की बात तो जबरदस्त राजनीति है। कांग्रेस ने आज तक खुल के इस बात का नाम नहीं लिया है। प्रत्युत उसका नीति-निर्धारण जिस पुरुष के हाथ में है वह तथा कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं कर्णधार—सब के सब—जमींदारी का समर्थन ही करते हैं। गान्धी जी ने तो यहाँ तक किया कि सन् १९३४ ई० में युक्त प्रान्त के जमींदारों के प्रतिनेधि मंडल (deputation) को खुले शब्दों में कह दिया था कि "Better relations between the landlords and tenants could be brought about by a change of heart on both sides. He was never in favour of abolition of the Taluqdari or zamindari system."

("Maharatta", 12. 8. 1934)

“किसानों और जमींदारों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे हो जायेंगे दोनों के हृदय परिवर्तन से ही। मैं नहीं चाहता कि जमींदारी या तेल्लुकेंदारी मिटा दी जाय।” ऐसी दशा में एक ओर तो किसान-सभा को कांग्रेस के नीचे और उसकी मददगार मात्र मानना और दूसरी ओर सभा के जरिये ही जमींदारी मिटाने का दावा करना ये दोनों बातें पहेली सी हैं। इनका रहस्य समझना साधारण बुद्धि का काम नहीं है ! कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि शुरु में ही किसान-सभा की स्थापना के विरोध से लेकर आज तक जो नीति हमारे ये क्रांतिकारी दोस्त अपने लिये निश्चित करते आ रहे हैं। उसमें मेल है—कोई विरोध नहीं है। और अगर जमींदारी मिटाने जैसी बात की चर्चा देख के विरोध मालूम भी पड़ता हो, तो वह सिर्फ ऊपरी या दिखावटी है। क्योंकि राजनीति तो पेचीदा चीज है और हमारे दोस्त लोग इस पेचीदगी में पूरे प्रवीण हैं ! यह तो एक कला है और बिना कलावाजी के सबको खुश करना या सर्वत्र बाह्यवाही लूटना गैर-मुमकिन है।

लेकिन जब मैं खुद आज तक की बातों का खयाल करता हूँ तो मेरे दिमाग में यह बात आती ही नहीं कि कैसे किसान-सभा कांग्रेस के नीचे और उसकी मददगार मात्र रही है। हमने तो कभी ऐसा सोचा तक नहीं। हमारे इन दोस्तों ने भी आज तक किसी भी मौके पर यह बात नहीं कही है। मुझे तो हाल के उनके इस सक्थूलर से ही पहले पता चला कि वे ऐसा मानते रहे हैं। यह जान कर तो मैं हैरत में पड़ गया। आखिर कभी भी तो वे इस बात का जिक्र हमारी मीटिंगों में करते। इतनी महत्वपूर्ण बात यों ही क्यों गुपचुप रखी गई यह कौन कहे ? कांग्रेस मिनिस्ट्री के जमाने में हमने बकाशत संघर्ष सैकड़ों चलाये और दो हजार से कम किसानों या किसान सेवकों को इस तरह जेल जाना नहीं पड़ा। मिनिस्ट्री इसके चलते बेहद परीशान भी हुई। इसीलिये तो सन् १९३६ ई० के जून में बम्बई में ऐसी लड़ाइयाँ रोकी गईं और न मानने वालों को कांग्रेस से निकालने की धमकी दी गई। फिर भी हमने न माना। जिसके फल-

स्वरूप हम कितनों को ही कांग्रेस से अलग होना पड़ा। इतने पर भी किसान-सभा को कांग्रेस के नीचे और उसकी मददगार मात्र बना देने की समझ और हिम्मत की तारीफ है।

चाहें पहले किसी को ऐसा खयाल करने की गुंजाइश रही भी हो; क्योंकि शुरू में जान-बूझकर किसान सभा इसी प्रकार चलाई गई थी कि किसी को शक न हो कि यह सोलहों आने स्वतंत्र चीज है, संस्था है; इससे इसके प्रति बाल्यावस्था में ही भयंकर विरोध जो हो जाता इसीलिये एक प्रस्ताव के द्वारा यह कहा गया था कि राजनीतिक मामलों में सभा कांग्रेस का विरोध न करेगी। मगर फिर भी यह कभी न कहा गया कि उसकी मातहत है या उसकी मदद करेगी। मगर जब हमने सन् १९३५ ई० के बीतते न बीतते हाजीपुर वाले सम्मेलन में जमींदारी मिटाने का निश्चय कर लिया तब भी इसे ऐसा समझना कि यह कांग्रेस की मातहत है, निराली सी बात है। जमींदारी मिटा देने की बात एक ऐसी चीज है जो बता देती है साफ-शाफ कि किसान-सभा और कांग्रेस दो जुड़ी संस्थाएँ हैं जिनके लक्ष्य और रास्ते भी जुड़े हैं, भले ही मौके व मौके मतलब-गश दोनों का मेल हो जाय। हम तो जमींदारी वगैरह के बारे में साफ जानते हैं कि ता० १२-२-२२ ई० को चारदौली में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने असहयोग आन्दोलन को स्थगित करते हुए इस सम्बन्ध में जो कहा था वही आज तक कांग्रेस की निश्चित नीति है। उस कमिटी के प्रस्ताव की छठीं और सातवीं धाराओं में यह बात साफ लिखी है। वह यों हैं :—

“The working committee advises Congress workers and organisations to inform the ryots (peasants) that withholding of rent-payment to the zamindars (land-lords) is contrary to the Congress resolution and injurious to the best interest of the country.

The Working Committee, assures the zamindars that the Congress movement is in no way intended to attack their legal rights, and that, even when the ryots have grievances, the committee desires that redress be sought by mutual consultation and arbitration."

इसका अर्थ यह है, "वर्किंग कमिटी (कार्य-कारिणी कमिटी) कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं और संस्थाओं को यह सलाह देती है कि वे किसानों (रेयतों) से कह दें कि जमींदारों को लगान न देना कांग्रेस के प्रस्ताव के विरुद्ध तथा देश-हित का वातक है।

"कमिटी जमींदारों को विश्वास दिलाती है कि कांग्रेस आन्दोलन का मंशा यह हर्गिज नहीं है कि उनके कानूनी अधिकारों पर वार किया जाय। कमिटी की यह भी इच्छा है कि यदि कहीं किसानों की शिकायतें जमींदारों के खिलाफ हों तो वे भी दोनों की राय, सज़ाह और पंचायत की सहायता से ही दूर की जाँय।"

हम समझ नहीं सकते कि जमींदारी और जमींदारों के अन्यान्य कानूनी हकों की इससे ज्यादा और कौन सी ताईद कांग्रेस कर सकती है। (७-८-४१)

सन् १९३२ ई० के आखिरी और सन् १९३३ ई० के आरंभ के दिन थे। कांग्रेस का सत्याग्रह आन्दोलन धुआँपार चल रहा था। सरकार ने इस बार जम के पूरी तैयारी के साथ छापा मारा था। इसलिये दमन का दावानल धायँ-धायँ जल रहा था। सरकार ने कांग्रेस को कुचल डालने का कोई दकीका उठा रखा न था। लार्ड विलिंगटन भारत के वायसराय के पद पर आसीन थे। उनसे पक्का हिसाब लगा के काम शुरू किया था। ऊपर से, बाहरी तौर पर, तो मालूम होता था सरकार ज्येष्ठ के मध्याह्न के सूर्य की तरह तप रही है। इसीलिये प्रत्यक्ष देखने में आन्दोलन लापता सा हो रहा था। मीटिंगों का कोई नाम भी नहीं लेता था। यहाँ तक कि गुंजर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव जब सन् १९३३ में होने लगा और सभी नेताओं के जेल में बन्द रहने के कारण उस जिले में मेरे दौरे की जरूरत पड़ी तो लोगों को भय था कि मीटिंगें होई न सकेंगी। बड़हिया में पहली और लखीसराय में दूसरी मीटिंग की तैयारी थी। उस समय बड़हिया में अतिरिक्त पुलिस डेरा डाले पड़ी थी। जब मैं मीटिंग करने गया तो अपसरों के कान खड़े हो गये। वे सदल-बल मीटिंग में जा जमे। मेरे भाषण के अक्षर-अक्षर नोट किये जा रहे थे। जब मेरा बोलना खत्म हुआ और सब ने देखा कि यह तो केवल चुनाव की ही बातें बोल गया जो निर्दोष हैं तब कहीं जाकर उनमें ठंडक आई। यही बात कम-वेश लखीसराय में भी पाई गई।

देश के और बिहार के भी सभी प्रमुख नेता और कार्य-कर्ता जेलों में बन्द थे। बाहर का मैदान साफ था। सिर्फ मैं बाहर था। कही चुका हूँ कि सन् १९३० ई० में जेल में मैंने जो कुछ कांग्रेसी नेताओं के बारे में देखा था—ठेठ उनके बारे में जो फर्स्ट और सेकंड डिविजन में रखे गये थे—उससे मेरा मन जल गया था और मैं कांग्रेसी राजनीति से विरागी बन

नया था। क्योंकि कहने के लिये कुछ और व्यवहार में कुछ दूसरा ही पाया। यही सन् १९२२ ई० में भी देख चुका था। मैं सोचता कि १९२२ की बात तो पहले पहल की थी। अतः भूलें संभव थीं। मगर जब ८-१० साल के बाद वजाय उन्नति के उसमें बुरी अवनति देखी। तो विराग होना स्वाभाविक था। सोचता था, ऐसी संस्था में क्यों रहूँ जिसकी बातें केवल दिखावटी हों और सख्ती के साथ हर हालत में जिसके सदस्यों की नियम-पात्रन्दी का कोई इन्तजाम न हो। ऐसी संस्था तो धोखे की चीज होगी और टिक न सकेगी। हम अपने ईमान को धोखा देते-देते जनता को भी जिसकी सेवा का दम हम भरते हैं, धोखा देने लग जायेंगे। इसीलिये सन् १९३२ ई० में पुराने दोस्तों और साथियों के हजार कहने-सुनने पर भी मैं संवर्ष में न पड़ा। फलतः बाहर ही पड़ा तमाशा देखता था।

विहार ही ऐसा प्रान्त उस समय था जहाँ कांग्रेस के सिवाय कोई भी सार्वजनिक संस्था जमने पाती न थी। मुसलिम लीग, हिन्दू सभा या लिबरल फिडरेशन तक का यहाँ पता न था। किसान-सभा तो यों बन सकी कि उसमें दूसरे लोग थे ही न। यह भी बात थी कि लोग समझते थे कि यह तो खुद ही खत्म हो जायगी। क्योंकि किसी खास मतलब से ही बनी मानी जाती थी और वह मतलब शीघ्र ही पूरा हो जाने वाला माना जाता था। हर हालत में इसे कांग्रेस के विरुद्ध न जाने देने का इरादा लोगों ने कर लिया था; यही कारण है कि शुरू के पाँच-छे वर्षों में हमें भी फूँक-फूँक के पाँव देने पड़े थे। और यह सभा भी सन् १९३० के शुरू में ही स्थगित कर दी गई थी तथा तब तक इसे पुनर्जांचित करने की चेष्टा भी न की गई थी।

इसलिये सरकार ने, जमींदारों ने, मालदारों ने और उनके दोस्त जी-हुजूरों ने सोचा कि यही सुनहला मौका है। इससे फायदा उठा के एक ऐसी संस्था बना दी जाय जो कांग्रेस का मुकाबिला कर सके। सभी प्रमुख नेता और कार्य-कर्ता एक तो जेल में थे। दूसरे जो बाहर थे भी उन्हें कांग्रेस की लड़ाई के प्रबन्ध से फुर्सत कहीं थी कि और कुछ करते या इस

नई संस्था का विरोध करते ? जैसा कि जन आन्दोलन की सनातन रीति है कि दम न होने पर भीतर चला जाता है और ऊपर से नजर नहीं आता, ठीक वही बात कांग्रेस की लड़ाई की थी। वह भी भीतर ही भीतर आग की तरह धक्-धक् जल रही थी। इसीलिये उसे चलाने में ज्यादा दिक्कतें थीं। पुलिस परछाई की तरह सर्वत्र घूमती जो थी पता पाने के लिये, ताकि छपक पड़े। वह इस तरह अनजान में ही अपनी मज्जी के खिलाफ जनता को गुप्त रीति से आन्दोलन चलाने को न सिर्फ प्रोत्साहित कर रही थी, वरन् उसे इस काम में शिक्षित और दृढ़ बना रही थी। आखिर जरूरत पड़ने पर ही तो आदमी सब कुछ कर डालता है। इस तरह देश का आन्दोलन असली क्रांतिकारी मार्ग पकड़ के जा रहा था। गान्धी जी ने जो इसे सन् १९३४ ई० के शुरू में ही बन्द कर दिया उसका भी यही कारण था। वे इस बात को ताड़ गये थे। वे समझते थे कि यदि न रोका गया तो उनके और मध्यम वर्ग के हाथों से यह निकल जायगा। और सचमुच जन-आन्दोलन बन जायगा, और ऐसा होने में स्थिर स्वार्थों (Vested interests) की सरासर हानि थी।

हाँ, तो यारों की दौड़ धूप शुरू हो गई। कभी पटना और कभी रांची में, जहाँ पर गवर्नर साहब के चरण विराजते वहीं महाराजा दरभंगा वगैरह बड़े-बड़े जमींदार बार-बार तशरीफ ले जाते, बातें होतीं और सरकार का आशीर्वाद इस मामले में प्राप्त करने की कोशिश होती थी। आशीर्वाद तो मुलभ था ही। मगर सरकार भी देखना चाहती थी कि ये लोग उसके पात्र हैं या नहीं। उसे भी गर्ज तो थी ही कि कांग्रेस की प्रतिद्वन्द्वी कोई भी संस्था खड़ी की जाय। इसलिये बड़ी दौड़ धूप के बाद और महीनों सलाह मशविरा के फलस्वरूप जहाँ तक याद है, रांची में यह बात तय पा गई कि यूनाटेड पार्टी (संयुक्त दल) के नाम से ऐसी संस्था बनाई जाय। बेशक जमींदारों के भीतर भी इस बारे में दो दल थे जिनके बीच सिर्फ नेतृत्व का झगडा था कि कौन इसका नेता बने। मगर नेतृत्व तो सबसे बड़े जमींदार और पूँजीपति महाराजा दरभंगा को ही मिलना था।

असल में उनके सहायक और निकट सलाहकार कौन हों यही तय नहीं हो सकता था। आखिरश राजा सूर्यपुरा (शाहाबाद) उनके निकट सलाहकार (मंत्री) बने। भीतरी मतभेद के रहते हुए भा आपस की दत्तबन्दी जमींदारों के इस महान कार्य में—इस महाजाल में—बाधक कैसे हो सकती थी? इस प्रकार यूनाइटेड पार्टी का जन्म हो गया।

इस सम्बन्ध की एक और बात है। जब हमारी प्रान्तीय किसान-सभा पहले पहल बनी तो पटने के वकील बा० गुरुसहाय लाल भी उसके एक संयुक्त मंत्री बनाये गये, हालाँकि काम-वाम तो उनने कुछ किया नहीं। असल में तब तक की हालत यह थी कि पुरानी कौंसिल में किसानों के नाम पर जोई दो-चार आँसू बहा देता, दो एक गर्म बातें बोल देता या ज्यादे से ज्यादा किसान-हित की दृष्टि से काश्तकारी कानून में सुधार के लिये एकाध मामूली बिल पेश कर देता, वही किसानों का नेता माना जाता था। गोया किसान लावारिस माल थे, उनका पुर्साहाल कोई न था। इसलिये 'दे खुदा की राह पर' के मुताबिक जिसने उनकी ओर अपने स्वार्थ साधन के लिये भी जरा नजर उठाई कि वही उनका मुखिया (spokes man) माने जाने लगा। प्रायः सब के सब ऐसे मुखिया जमींदारों से मिले-जुले ही रहते थे और दो एक गर्म बातें बोल के और भी अपना उल्लू सीधा कर लिया करते थे। ऐसे ही लोगों ने सन् १९२६ ई० में भी एक बिल पेश किया था किसानों के नाम पर टेनेन्सी कानून की तरमीम के लिये, जिसके करते जमींदारों ने एक उलटा बिल ठोंक दिया था। फलतः दोनों को ताक पर रखके सरकार ने अपनी ओर से एक तीसरा बिल पेश किया था और उसीके विरोध को तात्कालिक कारण बनाके प्रान्तीय किसान को जन्म दिया गया था।

सरकार का हमेशा यही कहना था कि काश्तकारी कानून का संशोधन दोई तरह से हो सकता है—या तो किसान और जमींदार या इन दोनों के प्रतिनिधि मिल-जुल के कोई मसविदा (बिल) पेश करें और उसे पास कर लें, या यदि ऐसा न हो सके तो सरकार ही पेश करे और उसे दोनों

मानें । ठीक दो, विल्लियों के भगड़े में चन्द्र की पंचायत वाली बात थी । सन् १९२६ ई० में भी ऐसा ही हुआ था और दोनों की राय न मिलने के कारण ही सरकार बीच में कूदी थी । मगर जब किसानों के नाम पर किसान-सभा ने उसका जोरदार विरोध किया तो उसने यह कह के उसे वापस ले लिया कि जब किसान-सभा भी इसकी मुखालिफ है तो सरकार को क्या गर्ज है कि इस पर जोर दे ? इस तरह किसान-सभा ने जनमते ही दो काम किये । एक तो उस बिल को चौपट करवाके किसानों का गला बचाया । दूसरे सरकार को विवश किया कि न चाहते हुए भी किसान-सभा को किसानों की संस्था मान ले ।

इसी के मुनाबिक सरकार और जमींदारों को भी फिक्र पड़ी कि यूनाइटेड पार्टी को मजबूत बनाने के लिये सबसे पहले उसकी ओर से काश्तकारी कानून का संशोधन कराके किसानों को कुछ नाम मात्र के हक दे दिये जाँय । साथ ही, जमींदारों का भी मतलब साधा जाय । मगर अब तक जो तरीका था उसके अनुसार तो जो बिल किसान और जमींदार दोनों की रजामन्दी से पेश न हो उसे सरकार मान नहीं सकती थी । इसीलिये जरूरत इस बात की हुई कि जिस यूनाइटेड पार्टी को बनाया जा रहा है उसमें किसानों के नाम पर बोलने वाले भी रखे जाँय । नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जायगा । यूनाइटेड पार्टी का तो अर्थ ही यही था कि जिसमें सभी दल और फिर्के के लोग शामिल हों । उसके जिन खास-खास मेम्बरों की लिस्ट उस समय निकली थी उससे भी मालूम पड़ता था कि सभी धर्म, दल और स्वार्थ के लोग उसमें शरीक हैं । फलतः उसे ही बिहार प्रान्त के नाम में बोलने का हक है ।

अब उसके सूत्रधारों को इस बात की फिक्र पड़ी कि किसानों के प्रतिनिधि कौन-कौन से महाशय इसमें लाये जाँय । उनके सौभाग्य से श्री शिव-शंकर आचारी मिल ही तो गये । वे उसी प्रकार के किसान नेता हैं जिनका जिक्र पहले हो चुका है । यह ठीक है कि बाबू गुरुदशय लाल भी उस पार्टी के साथ थे । मगर चालाकी यह सोची गई कि अगर खुली तौर

पर उनका नाम शुरू में एलान किया जायगा तो चढ़ा हो-इल्ला मचेगा और मजा किरक़िरा हो जायगा। वे भी शायद डरते थे। इसलिये तब यह पाया कि वह पहले एक बिहार प्रान्तीय किसान-सभा खड़ी कर दें। पीछे बिल में जो बातें काश्तकारी के संशोधन के लिये दी जाने वाली हों उन्हें यह कहके अपनी सभा से स्वीकार करायें कि इन्हीं शर्तों पर जमींदारों के साथ किसानों का समझौता हुआ है। इसके बाद तो कानून बना के यह दमामा बजाया ही जायगा कि उनसे और भा जी ने किसानों को बड़े-बड़े हक दिलाये। इस तरह यूनाइटेड पार्टी की धाक भी किसानों में जम जायगी। क्योंकि पार्टी की ही तरफ से कानून का संशोधन कराया जायगा। साथ ही गुरुसहाय बाबू भी इसका सेहरा पहने पहनाये उस पार्टी में खुल्लमखुल्ला आजायेंगे !

उनने किया भी ऐसा ही। जिस सभा के एक मंत्री वह भी थे उसके रहते ही एक दूसरी सभा खड़ी कर देने की हिम्मत उनने कर डाली ! पीछे तो गुलाम बाग (पटना) की मीटिंग में यह भी बात खुली कि इस नकली सभा के बनाने में न सिर्फ जमींदारों का इशारा था, प्रत्युत उनके जैसे भी लगे थे। उस समय इस किसान-द्रोह में उनके साथ एकाध और भी सोशलिस्ट नामधारी जमींदारों के साथ पड़्यंत्र कर रहे थे। खूबी तो यह कि यह सारा काम इस खूबी से चुम्के-चुपके किया जा रहा था कि बाहरी दुनिया इसे समझ न सके। यहाँ तक कि पटने से १५-२० मील पर ही बिहटा में मैं मौजूद था। मगर सारी चीज मुझसे भरपूर छिपाई गई, मुझे खबर देना या मुझसे राय लेना तो दूर रहा। उन्हें असली किसान-सभा का भूत बुरी तरह परीशान जो कर रहा था। वे समझते थे खूब ही, कि यदि इस स्वामी को खबर लग गई तो विरागी होते हुए भी कहीं ऐसा न हो कि उस पुरानी सभा को ही जाग्रत कर दे जिसने जनमते ही सरकार और जमींदारों से भिड़ के एक पछाड़ उन्हें फौरन ही दी थी। तब तो सारी उम्मीदों पर पानी ही फिर जायगा। इसे ही कहते हैं गरीबों की सेवा और किसान-हितैषिता ! खुदा किसानों की हिफाजत ऐसे दोस्तों के करे।

लेकिन आखिर भंडा फूट के ही रहा और ये बेचारे "दुक-दुक दीदम, दम न कर्त्तदम" के अनुसार हाय मार के रह गये। इनकी किसान-सभा में विपत्ति का नारा न जाने मैं क्यों पहुँच गया जिससे इन पर पाला पड़ गया। वहाँ जब मैंने जमींदारों और जमींदार सभा के लीडरों को देखा तो चौंक पड़ा कि यह कैसी किसान-सभा! मगर जब किसानों के नामधारी नेता उन जमींदार लीडरों को इसीलिये सभा में घन्यवाद देना चाहते थे कि उनसे पैसे से सहायता की थी, तो दिल्ली थैले से बाहर आगई। आखिर पाप छिप न सका और मैंने मन ही मन कहा कि यह तो भयंकर किसान-सभा है। खुशी है कि वहाँ उसका श्राद्ध हो गया और पुरानी सभा जाग खड़ी हुई। इस तरह जो मैं अब तक सभा से उदासीन सा या वही अब फिर सारी शक्ति से उसमें पड़ गया। वे किसान नेता उसके बाद कुछी दिनों में अपने असली रूप में आगये और जमींदारों से साफ-साफ जा मिले। फिर भी किसी की एक न चली और दोई साल के भीतर ऐसा तूफान मचा कि उसमें न सिर्फ यूनाइटेड पार्टी उड़ गई, बल्कि जमींदारों के मनोरथों पर पानी फिर गया। जो बिल उनसे पेश किया उसमें किसान-हित की अनेक बातों को देके और जहरीली बातें उससे निकालके उसे कानून का जामा पहनाने के लिये उन्हें मजबूर होना पड़ा। उसी समय से जमींदारों ने अपनी जिरात जमीन के बढ़ाने का पुगना दावा सदा के लिये छोड़ दिया।

इस प्रकार अब तक जो अपने को किसानों के नेता कहते थे ऐसे नये पुराने सभी लोगो का पर्दाफाश हो गया और वे मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रह गये। लोग इस क्रमेले में भयभीत थे कि कहीं मैं दवा तो अनर्थ-होगा। क्योंकि अब तक के किसान नेताओं तथा जमींदारों की एक गुटबन्दी किसान-सभा के खिलाफ थी। मगर मुझे तो पूरा विश्वास था कि विजय होगी और वह होके ही रही। साथ ही, चौकन्ना होने की जरूरत भी पड़ी। यह किसान नेताओं का पहला भंडाफोड़ था। अभी न जाने ऐसे कितने ही भंडाफोड़ भविष्य के गर्भ में छिपे थे। (८-२-४१)

सन् १९३३ इ० म किसान-सभा के पुनर्जावन के बाद का समय था और मैं दिन-रात बेचैन था कि कैसे यूनाइटेड पार्टी, उसके छिपे दस्तम दोस्तों और जमींदारों के नाकों चने चक्काऊँ और उनके द्वारा पेश किये गये काश्तकारी कानून के संशोधन को जहन्नुम पहुँचाऊँ। इसीलिये रात-दिन प्रान्त-व्यापी दौरे में लगा था। इसी सिलसिले में दरभंगा जिले के मधुवनी इलाके में भी पहुँचा। खास मधुवनी में हाई इंगलिश स्कूल के मैदान में एक सभा का आयोजन था। किसानों की और शहर वालों की भी अपार भीड़ थी। मैंने खूब ही जम के व्याख्यान दिया जिसमें किसानों के गले पर फिरने वाली महाराजा दरभंगा तथा अन्य जमींदारों की तीखी तलवार का हाल कह सुनाया। देखा कि किसानों का चेहरा खिल उठा, मानों उन्हीं के दिल की बात कोई कह रहा हो।

लेकिन किसानों के नेता बन जाने पर भी अभी मुझे उनकी विपदाओं की असलियत का पता था कहाँ ? मैं तो यों ही सुनी सुनाई बातों पर ही जमीन और आसमान एक कर रहा था। बात दर असल यह है कि किसानों और मजदूरों का नेता इतना जल्द कोई बन नहीं सकता। जिसे उनके लिये सचमुच लड़ना और संघर्ष करना है उसे तो सबसे पहले उनमें घूम-घूम के उन्हीं की जवानी उनके दुःख ददों की कहानी सुनना चाहिये। यह बड़ी चीज है। जरा चात्र से उनकी दास्तान सुनिये और देखिये कि आप उनके दिलों में घुस जाते हैं या नहीं, उनके साथ आनका गंहरा नाता फौरन जुट जाता है या नहीं यही इसका रहस्य है।

हाँ, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब किसानों के मध्य से ही एक चन्दन टीका वाले ने उठके सभा के बाद ही अपनी रामकहानी सुनाई— अपनी यानी किसानों की। तब तक मोटा-मोटी समझा जाता था कि ज्यादा-

उत्तर मजलूम किसान तथा कथित विछड़ी जातियों के ही होते हैं। कम से कम यह ख्याल तो था ही कि मैथिल ब्राह्मणों का एकच्छत्र नेता माने जाने वाला महाराजा दरभंगा उन ब्राह्मण किसानों के साथ रिश्रायत तो करता ही होगा—दूसरे किसानों को हाँकने के लिये बनी लाठी से उन्हें भी हाँकता न होगा। नहीं तो सभी मैथिल उसे नेता क्यों मानते ? क्या अपने शोषक और शत्रु को कोई अपना मुखिया मानता है ?

मगर उस किसान ने कहा कि मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ और महाराजा का सताया हूँ। मेरे गाँव या देहात में या यों कहिये कि इस मधुवनी के इलाके में बरसात के दिनों में हमारे नाकों दम हो जाती है, हम अशरण हो जाते हैं। यही हालत महाराजा की सारी जमींदारी की है। हमारे यहाँ पानी बहुत बरसता है, नदी-नाले भी बहुत हैं। फलतः सैलाब (बाढ़) का पदार्पण रह-रह के होता रहता है जिससे हमारी फसलें तो चौपट होती ही हैं, हमारे झोंपड़े और मकान भी डूब जाते हैं, पानी के करते गिर जाते हैं। पानी रोकने के लिये जगह-जगह बाँध बने हैं। यदि वे फौरन जगह-जगह काट दिये जाँय तो चटपट पानी निकल जाय और हम, हमारे घर, हमारे पशु, हमारी खेती सभी बच जाँय। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। महाराजा की सख्त मनाही है।

मैंने पूछा, क्यों ? उसने उत्तर दिया कि यदि पानी बह जाय तो मछलियाँ कैसे पैदा होंगी ? वह जमा हो तो पैदा हों। जितना ही ज्यादा दूर तक पानी रहेगा, सो भी देर तक जमा रहेगा, उतनी ही अधिक मछलियाँ होंगी और उतनी ही ज्यादा आमदनी महाराजा को जल-कर से होगी। सिंघाड़े वगैरह से भी आय होगी ही। यह जल-कर उनका कानूनी हक है। यदि हम लोग न मानें और जान बचाने के लिये पानी काट दें तो हम पर आफत आ जाय। हम सैकड़ों तरह के मुकदमों में फँसा के तबाह कर दिये जाँय। उनके अमलों और नौकरों की गालियों की तो कुछ कहिये मत। उनकी लाल् आँखें तो मानों हमें खाई जाँयगी।

उसने और भी कहा कि जब यहाँ सर्वे सेट्लमेन्ट हुआ तो हम किसानों

को कुछ ज्ञान था नहीं। हम उसका ठीक-ठीक मतलब समझ सकते न थे। बस, हमारी नादानी से फायदा उठाके अपने पैसे और प्रभाव के बल पर महाराजा ने सर्वे के कागजों में यह दर्ज करवा दिया कि जमीनों पर तो किसानों का रैयती हक है। मगर उनमें लगे पेड़ों में जमींदार का हक आधा या नौ आने और हमारा बाकी। नतीजा यह होता है कि अपने ही बाप-दादों के लगाये पेड़ों से न तो एक दत्तवन और न एक पत्ता तोड़ने का हमें कानूनी हक है। यदि कानून की चले तो हर दत्तवन और हर पत्ते के तोड़ने की जब-जब जरूरत हो तब-तब हमें उनसे मंजूरी लेनी होगी, जो आसान नहीं। इसमें उनके नौकरों को घूस देने और उनकी पूजा-प्रतिष्ठा करने की बड़ी गुंजाइश है। इसीलिये जब तक वे खुश हैं तब तक तो ठीक। मगर ज्योंही किसी भी वजह से वे जरा भी नाखुश हुए कि हम पर मुकदमों की झड़ लग गई और हम उजड़े। नहीं तो काफी रुपये-पैसे दे के सुलह करने को विवश हुए। मगर इस तरह भी हमारी जमीनें बिक जाती हैं। क्योंकि हमारे पास पैसे कहाँ ? पीछे चलके तो हमें इस बात के हजारों प्रत्यक्ष उदाहरण मिले जिनमें किसान-सभा के कार्य-कर्त्ता इसी कारण परीक्षा न किये गये कि उनमें क्यों महाराजा की जमींदारी में सभा करने की हिम्मत की।

उसने यह भी कहा, और पीछे तो दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर के किसानों ने खून के आँसुओं से यही बात बताई, कि चाहे हमारे घर में पड़े मुर्दे सड़ जाँय, मगर उन्हें जलाने के लिये लकड़ी तोड़ने या काटने की इजाजत उन पेड़ों से नहीं है जो सर्वे के समय थे। यही नहीं। सर्वे के वक्त के पेड़ चाहे कभी के खत्म क्यों न हों और उनकी जगह नये हों क्यों न लगे हों। फिर भी हम उन्हें काट नहीं सकते बिना महाराजा के हुकम के। क्योंकि इसका सबूत क्या है कि पुराने पेड़ खत्म हो गये और नये लगे हैं। इसका हिसाब तो सरकार या जमींदार के घर लिखा जाता नहीं और किसानों की बातें कौन माने ? वे तो भूठे ठहरे ही। ईमानदारी और सच्चाई तो रूपों के पास कैद है न ? इसीलिये आज कानून के सुधार

काम ही खत्म हो जाता । इसीलिये हम अपने साथियों के साथ सभा स्थान में डँटे रहे । इस बात की इन्तजार भी हम कर रहे थे कि किसान आजाय तो मीटिंग हो । बा० चतुरानन दास भी न आये थे । उनकी भी प्रतीक्षा थी ।

मगर हमें पता लगा कि जमींदार ने पूरी बन्दिश की है कि कोई भी मीटिंग में न आये । चारों ओर धमकी के सिवाय तरह-तरह की झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं कि सभा में गोली चलेगी, मार-पीट होगी, गिरफ्तारी होगी । यह भी कहा गया है कि जाने वालों का नाम दर्ज कर लिया जायगा और पीछे उनकी खबर ली जायगी । इसके सिवाय सभा स्थान के चारों ओर कुछ दूर से ही पिकेटिंग हो रही है कि कोई आये तो लौटा दिया जाय । रास्ते में और जगह-जगह पर उनके दलाल बैठे हुए हैं जो लोगों को रोक रहे हैं । सारांश, मीटिंग रोकने का एक भी उपाय छोड़ा नहीं गया है ।

हम इन सब बातों के लिये तो तैयार थे ही ; आखिर जमींदारों के न सिर्फ स्वार्थ का सवाल था, बल्कि उनकी शान भी मिट्टी में मिल रही थी । आइन्दा उनकी हस्ती भी खतरे में थी ऐसा सोचा जा रहा था । मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि हिन्दुस्थान में सबसे बड़े जमींदार महाराजा दरभंगा की ही जमींदारी में हम जा डटे थे । महाराजा लाठी मारे काले नाग की तरह फू-फू कर रहे थे । उनकी नाक जो कट रही थी । वे डर रहे थे कि मजलूम इलाका सभा में ऐसा टूट पड़ेगा, जैसा कि पहले की मीटिंगों में उनने देखा था । नतीजा यह होगा कि दुखिया किसानों की आँखें खुल जायगी । इसलिये अगर जान पर खेल के उनके नौकर-चाकरों और टुकड़खोरों ने हमारी मीटिंग रोकना चाहा तो इसमें आश्चर्य की बात क्या थी ?

(६-८-११)

उन लोगों ने यह किया सो तो किया ही । मगर खास चतुरानन जी के मकान पर भी चढ़ गये और उन्हें तरह-तरह से धमकाया । आखिर वह भी तो महाराजा की ही जमींदारी में बसते थे । उनके घर घेरा डाले वे सब पड़े रहे । नतीजा यह हुआ कि चतुरानन जी मीटिंग का प्रबन्ध

और उसकी सफलता की कोशिश तो क्या करेंगे, खुद मीटिंग में आने की हिम्मत न कर सकते थे। इस प्रकार ज्यादा देर होने पर हम घबराये-जब्र-वार-वार खबर-भेजी तो बड़ी मुश्किल से आये। मगर चेहरा फक्क था। सारी आई-बाई हजम थी। जब नेताओं की यह हालत थी तो किसानों का क्या कहना ? बड़ी दिक्कत से कुछी लोग आसके थे।

मगर जमींदार के दलाल और गुंडे हमारी मीटिंग में भी आ गये और शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। कभी 'महाराजा बहादुर की जय' चिल्लाते, तो कभी मुँह बनाते थे। उनकी खुशकिसमती से हमारी इस मीटिंग के आठ-दस साल पूर्व उस इलाके में और बीहपुर (भागलपुर) में भी तथा और भी एकाध जगह एक हजारत किसान लीडर बन के किसानों को धोखा दे चुके थे। उनका नाम था असल में मुंशी घरभरनप्रसाद। वे निवासी थे सारन जिले के। मगर अपने को प्रसिद्ध किया था उनने स्वामी विद्यानन्द के नाम से। उनने एक तो किसानों को धोखा दे के काँसिल चुनाव में वोट लिया था। दूसरे उनसे पैसे भी खूब ठगे थे। पीछे तो जमींदारों से भी जगह-जगह उनने काफी रुपये ले के अपना प्रेस मुजफ्फरपुर में चला लिया। फिर लापता हो गये। पीछे सुना, बम्बई चले गये। एक बार जब पटना शहर (गुलाब बाग) की सभा में उनका दर्शन अकस्मात् मिला था तो सिर पर गुजरातियों की ऊँची टोपी नजर आई थी।

हाँ, तो महाराजा के आदमियों ने चारों ओर और उस मीटिंग में भी हल्ला किया कि एक स्वामी पहले आये तो हमें महाराजा से लड़ाके खुद उनने रुपये ले लिये। अब ये दूसरे स्वामी वैसे ही आये हैं। यह भी हमारी लड़ाई महाराजा से कराके अपना उल्लू सीधा करेंगे और पीछे हम पिस जाँयगे आदि-आदि। मुझसे भी वे लोग कुछ इसी तरह के सवाल करते थे। कहते थे कि हम किसान-सभा नहीं चाहते। आप जाइये, हमें यों ही रहने दीजिये। मीटिंग में जितने श्रोता होंगे उतने ये गुलगपाड़ा मचाने वाले थे। जब हम बोलने उठते तो वे बहुत ज्यादा शोर मचाते। यह पहला

नजारा था जो हमें देखने को मिलता । मगर हम भी तो वैसे ही हठी निकले । वहाँ से भागने के बजाय जैसे-तैसे मीटिंग करके ही इशना हमने तय किया और यही किया भी । आखिर वे कब तक बोलते रहते ?

इस प्रकार हमने सभा तो कर ली । लेकिन हमें बड़ा कटु अनुभव उन नेताओं के बारे में हुआ जो दिल से किसानों के लिये काम न करते हैं, जो उन्हीं के लिये मरने-जीनेवाले न हैं । ऐसे लोग मौके पर टिक नहीं सकते और फिसल जाते हैं । इस बात का ताजा नमूना हमें भच्छी में मिल गया । यह ठीक है कि इस मीटिंग के बाद हमने बाबू चतुरानन दास की आशा छोड़ दी । ऐसे लोग तो बीच में ही नाव को डुबा देते हैं । यह भी ठीक है कि जमींदार के आदमी भी दंग रह गये हमारी मुस्तैदी देख के । उनके भी जोश में कुछ ठंडक आई । हालाँ कि उसके बाद मधुबनी इलाके की एक मीटिंग में और भी उनकी कोशिश हुई कि वह न हो सके । मगर पहली बात न रही । बहेरा, मधेपुर के इलाकों में भी कई मीटिंगों में उन लोगों ने बाषायें डालीं । मगर हम तो आगे बढ़ते ही गये और वे दबते गये । यह सही है कि भच्छी जैसी हालत हमारी मीटिंगों की और कहीं न हुई ।

सन् १९३६ ई० की बरसात थी। दरभंगा जिले के मधुवनी इलाके में ही सकरी स्टेशन से दो मील के फासलेपर सागरपुर मौजे में किसानों का संघर्ष जारी था। दरभंगा महाराज की ही जमींदारी है। सागरपुर के पास में ही पंडौल में उनका ऑफिस है। वहीं पर हजारों बीघे में टैक्टर की सहायता से उनकी खेती भी होती है। वहाँ चीनी की कई मिलें हैं जिनमें महाराजा का भी बड़ा शेयर कुछेक में है। सकरी में ही एक मिल है। इसलिये हजारों-बीघे में ऊख की खेती करने से जमींदार को खूब ही लाभ होता है। दूसरी चीजों की भी खेती होती है। इसीलिये जमींदार की इच्छा होती है कि अच्छी-अच्छी जमीनें किसानों के हाथों से निकल जाँय तो ठीक। लगान दे सकना तो हमेशा मुमकिन नहीं होता। इसीलिये जमीनें नीलाम होई जाती हैं। मगर पहले जमींदार लोग खुद खेती में चसके न थे। इसीलिये घुमा-फिरा के जमीनें फिर किसानों को ही दी जाती थीं। हाँ, चालाकी यह की जाती थी कि जो लगान गल्ले के रूप में या नगद उनसे इन जमीनों की ली जाय उसकी साफ़-साफ़ रसीदें उन्हें न दी जाकर गोल-मोल ही दी जाँय, ताकि मौके पर जमीनों पर किसान दावा करने पर भी सबूत पेश न कर सकें कि वही जोतते हैं। कारण, सबूत होने पर कानून के अनुसार उन पर उनका कायमी रैयती हक (occupancy right) हो जाता है। यही बात सागरपुर की जमीनों के बारे में भी थी।

वहाँ की वकाशत जमीनों को जोतते तो ये किसान ही। इसीलिये उनपर उनका दावा स्वाभाविक था। कोई भी आदमी जरा सी भी अक्ल रखने पर बता सकता था कि बात यही थी भी। गाँव के तीन तरफ करीब-करीब ओलती के पास तक की जमीनें नीलाम हुई बतई जाती थीं। किसानों के बाहर निकलने का भी गस्ता न था। यदि जमीनें उनकी न

होती तो ओलती कहाँ गिरती ? जमींदार अपनी जमीन में ऐसा होने देता थोड़े ही । उनके पशु मवेशी भी आखिर कहाँ जाते ? क्या खाते थे । जो ब्वाले लोग पास के टोले में बसे थे उनकी तो झोंपड़ियाँ उन्हीं जमीनों में थीं । भला इससे बड़ा सन्नत और क्या चाहिये ?

एक बात और थी । महाराजा की खेती ट्रैक्टर से होती है और उसके लिये बड़े-बड़े खेत चाहिये । छोटे-छोटे खेतों में उसका चलना असंभव है । मगर कोई भी देखने वाला बता सकता था कि अभी तक छोटे-छोटे खेत साफ नजर आ रहे थे । खेतों के बीच की सीमाएँ (मैंदें) साफ-साफ नजर आती थीं । वेशक, उन सीमाओं के मिटाने की कोशिश जमींदार ने जबरदस्ती की थी और सभी खेतों पर ट्रैक्टर चलवाके उन्हें एक करना चाहा था । मगर हमने खुद जाके देखा कि खेत अलग-अलग साफ ही नजर आ रहे थे । असल में एकाध बार के जोतने से ही वे सीमाएँ मिट सकती नहीं हैं । कम से कम दस पाँच बार जोतिये तो मिटेंगी । मगर यहाँ तो कहने के लिये एक बार ट्रैक्टर घुमा दिया गया था । फिर भी इतने से आँख में धूल झोंकी जा सकती न थी ।

हाँ, तो सागरपुर में बकाशत संवर्ष के इस धिलधिले में मुझे दो बार जाना पड़ा था । दोनों बार ऐसी जबरदस्त मीटिंगें हुईं कि जमींदार के दाँत खट्टे हो गये । एक बार तो भरी सभा में ही जमींदार के आदमी कुछ गड़बड़ी करना चाहते थे । उनसे कुछ गुल-गपाड़ा करने या सवाल-जवाब करने की कोशिश की भी । हिम्मत तो भला देखिये कि दस-तीस हजार किसानों के बीच में - खड़े होकर कुछ आदमी शोर-गुल करें । जोश इतना था कि किसान उन्हें चटनी बना डालते । मगर इसमें तो हमारी ही हानि थी । शत्रु लोग तो मार-पीट चाहते ही थे । उससे उनसे दो लाभ सोचा था । एक तो मीटिंग खत्म हो जाती । दूसरे झूठ सच मुकद्दमों में फँसा के सभी प्रमुख लोगों को परीशान करते । इसलिये हमने यह बात होने न दी और किसानों को शान्त रखा । अन्त में हार के वे लोग चलते बने जब समूह का रुख घुरा देखा । मीटिंग में मौजूद पुलिस तथा दूसरे सरकारी

अफसरों से भी हमने कहा कि आखिर दस-तीस ही लोग ऊंघम करें और आप लोग चुप रहें यह क्या बात है ? इस पर उन लोगों ने भी उन्हें डाँटा । अब वे लोग करते क्या ? मजबूर थे ।

मगर दूसरी बार तो उन लोगों ने दूसरा ही रास्ता अख्तियार किया । इस बार पहले ही से सजग थे । ज्योंही हम स्टेशन से उतरे और हमारी सवारी आगे बढ़ी कि एक बड़ा सा दल टुकड़खोरों का बाहर आया । सकरी में ही पुलिस का एक दल पड़ा था । बकाशत की लड़ाई में धर-पकड़ करने के लिये उसकी तैनाती थी । हम जब सकरी से बाहर डाक बँगले से आगे बढ़े कि शोर-गुल मचाने वाले बाहर आगये । जानें क्या-क्या बकने लगे । 'महाराजा बहादुर की जय', 'किसान-सभा की जय', 'स्वामी जी लौट जाइये, हम आपके धोखे में न पड़ेंगे', 'भगड़ा लगाने वालों से सावधान' आदि पुकारें वे लोग मचाते थे । मजा तो तब आया जब हम आगे बढ़े और हमारे पीछे वे लोग दौड़ते जाते और चिल्लाते भी रहते । अजीब सभा थी । वह तमाशा देखने ही लायक था । वैसी बात हमें और कहीं देखने को न मिली । उनसे लगातार हमारा पीछा किया । यहाँ तक कि गाँव के किनारे तक आगये । मगर जब हम गाँव के भीतर चले तो वे लोग दूसरी ओर मुड़ गये । पता चला कि पास में ही जो महाराजा की कचहरी है वहीं चले गये इस बात का प्रमाण देने कि उनसे खूब ही पोछा किया, गाँव तक न छोड़ा । इसलिये उन्हें पूरा मिहनताना मिल जाना चाहिये । जमींदार की खैरखाही तो जरूरी थी ही । हमने यह भी देखा कि कुत्तों को तरह भोंकने और हमारा पीछा करने वालों में टीका चन्दन-धारी ब्राह्मण काफी थे ।

हमें हँसी आती थी और उनकी इस नादानि पर तर्क भी होता था । मधुवनी वाले उस ब्राह्मण किसान के शब्द हमारे कानों में रड़-रुह के गूँजते थे । हम सोचते कि आखिर यह भी उसी तरह के गरीब और मजलूम हैं । मगर फर्क यही है कि चाहे उसकी जमीन बगैरह भले ही बिकी हो, मगर आत्मा और इज्जत न बिकी थी । उसने अपना आत्म-सम्मान बना रखा

था। मगर इनने तो अपना सब कुछ जमींदार के टुकड़ों पर ही बँच दिया है। इसीलिये जहाँ इनसे कोई आशा नहीं, तहाँ उससे और उसके जैसे से हमें किसानों के उद्धार की आशा है।

हम यह कहना भूली गये कि सागरपुर में उस समय दरभंगा जिला-किसान कान्फ्रेंस थी। इसलिये किसानों के सिवाय जिले भर के कार्य-कर्त्ताओं का भी काफी जमाव था। प्रस्ताव तो अनेक पास हुए। स्वीचें भी गर्मागर्म हुईं। यों तो मैं खुद काफी गर्म माना जाता हूँ और मेरी स्वीचें बहुत ही संख्त समझी जाती हैं। मगर जब वहाँ मैंने दो एक जवाबदेह किसान-सभावादियों की तकरीरें सुनीं तो दंग रह गया। मालूम होता था, उनके हाथ में सभी किसान और सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। फलतः वे जोई चाहेंगे कर डालेंगे। इसीलिये महाराजा दरभंगा को रह-रहके ललकारते जाते थे। मानों वह कच्चे घागा हों कि एक ऋकोरे में ही खत्म हो जाँयगे। दस बारह साल तक काम कर चुकने के बाद जब कि किसान आन्दोलन किसान संघर्ष में जुटा हो, ठीक उसी समय ऐसी गैर जवाबदेही की बातें सुनने को मैं तैयार न था। फलतः अपने भाषण में मैंने इसके लिये फटकार सुना दी और साफ़ कह दिया कि दरभंगा महाराज ऐसे कमजोर नहीं हैं जैसा आपने समझ लिया है।

मेरे इस कथन पर जब जमींदारों के अखबार 'इंडियन नेशन' में टीका-टिप्पणी निकली तो मुझे और भी हैरत हुई और हँसी आई, लिखा गया कि त्वामी जी डर गये हैं। मर्चा बात तो यह है कि जमींदार इतने नादान हैं कि मेरी बात का मतलब न समझ सकेंगे, इसके लिये मैं तैयार न था। किस आधार पर मुझे डरा हुआ माना गया मैं आज तक समझ न सका।

सन् १९३६ ई० की गर्मियों की बात थी। लखनऊ कांग्रेस से लौटकर मैं मुंगेर जिले के सिमरी बखतियारपुर में मीटिंग करने गया। उसके पहले एक बार भूकम्प के बाद वहाँ गया था। सैलाब बड़े जोरों का था। वहाँ तो बाढ़ आती है कोशी की कृपा से और यह नदी ऐसी भयंकर है कि जून में ही तूफान मचाती है। उसने उस इलाके को ऊजाड़ बना दिया है। पहली यात्रा में बाढ़ का प्रकोप और लोगों की भयंकर दरिद्रता देख के मैं दंग था। मेरा दिल रोया। मेरे कलेजे में वह बात धँस गई। वहाँ के लोगों और कार्य-कर्त्ताओं से जो कुछ मैंने सुना उससे तय कर लिया कि दूसरी बार इस इलाके में घूमना होगा। तभी अपनी आँखों असली हालत देख सकूँगा।

इसीलिये बरसात आने के बहुत पहले सन् १९३६ ई० की मई में ही, जहाँ तक याद है, मैं वहाँ गया। इस बार खास बखतियारपुर के अलावे घेनुपुरा, केवरा आदि में भी मीटिंगों का प्रबन्ध था। मगर आसानी से उन जगहों में पहुँच न सकते थे। कढ़ाके की गर्माँ पड़ रही थी और सभी जगह पानी की पुकार थी। मगर उस इलाके में बिना नाव के घूमना असंभव था। कोशी माई की कृपा से सारी जमीनें पानी के भीतर चली गई हैं। जिधर देखिये उधर ही सिर्फ जल नजर आता था। समुद्र में बने टापुओं की ही तरह गाँव नजर आते थे। गाँव के किनारे थोड़ी बहुत जमीन नजर आती थी, जहाँ थोड़ी सी खेती हो सकती थी। बाकी तो निरा जल ही था। लोग मछलियों और जल-जन्तुओं को खा के ही ज्यादातर गुजर करते हैं। अन्न तो उन्हें नाम मात्र को ही कभी कभी मिल जाता है, सो भी केवल कदन्न, जिसे जमींदारों के कुत्ते सूँघना भी पसन्द न करने, खाना तो दूर रहा। उस इलाके में कुछी दूर बैलगाड़ी पर चल के बाकी

सर्वत्र केवल नाव पर या पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। जहाँ पानी न था वहाँ छुटने तक कीचड़ होने के कारण बैलगाड़ी का चलना भी तो असंभव था।

हाँ, यह कहना तो भूली गये कि उस इलाके के सबसे बड़े और चलते पुर्जे जमींदार हैं बख्तियारपुर के चौधरी साहब। उनका पूरा नाम है चौधरी मुहम्मद नजीरुलहसन मुतवली। वहाँ एक दरगाह है बहुत ही प्रसिद्ध और उसी के मुताल्लिक एक खासी जमींदारी है जिसकी आमदनी कुल मिला के उस समय सत्तर अस्सी हजार बताई जाती थी। चौधरी साहब उसी के मुतवली या अधिकारी हैं। इस प्रकार मुसलमानों की धार्मिक सम्पत्ति के ही वह मालिक हैं और उसी का उपभोग करते हैं। बड़े ठाटवाट वाले शानदार महल बने हैं। हाथी, घोड़े, मोटर-वगैरह सभी सवारियाँ हैं। शिकार खेलने में आप बड़े ही कामिल हैं, यहाँ तक कि गरीब किसानों की इब्जत जान और माल का भी शिकार खेलने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं, वशर्ते कि उसका मौका मिले। और जालिम जमींदारों को तो ऐसे मौके मिलते ही रहते हैं। उन जैसे जालिम जमींदार मैंने बहुत ही कम पाये हैं, यों तो बिना जुल्म ब्यादती के जमींदारी टिकी नहीं सकती। मेरी तो धारणा है कि किसानों और किसान-हितैषियों को, किसान-सेवकों को मिट्टी के बने जमींदार के पुतले से भी सजग रहना चाहिये। वह भी कम खतरनाक नहीं होता। और नहीं, तो यदि कहीं देह पर गिर जाय तो हाथ पाँव तोड़ ही देगा।

चौधरी की जमींदारी में मैं बहुत घूमा हूँ। किसानों के झोंपड़े झोंपड़े में जाके मैंने उनकी विपदा आँखों देखी है और एकान्त में उनके भीषण दुख दर्द की कहानियाँ सुनी हैं। दिल दहलाने वाली घटनाओं को सुनते सुनते मेरा खून खौल उठा है। जमींदार ने किसानों को दवाने के लिये सैकड़ों तरीके निकाल रखे हैं। कूटनीति के तो वे हजरत गोया अचतार ही उधरे। भेदनीति से खून ही काम लेते हैं। सैकड़ों क्या हजारों तो उनके दलाल हैं जो खुफिया का भी काम करते हैं। किसान उनके मारे तो हईं।

वे चुपके से क्या बातें करते हैं इसका भी पता बरेबर लगाया जाता है । हमारे पीछे भी उनके गुप्तचर काफी लगे थे । इसलिये हमें सतर्क होके बहुत ही एकान्त में बातें करने और उनकी हालत जानने की जरूरत हुई । फिर भी गरीब और मजलूम किसान इतने भयभीत थे कि गोया हवा से भी डरते थे । किसी में भी हिम्मत रही नहीं गई है । जरा भी शिकायत की कि न जानें कौन सी भारी बला कब सिर पर आ धमकेगी और चौधरी की जाल में फँस के मरना होगा, सो भी धुल धुल के ।

जिन किसानों के झोंपड़े भी उजड़े हैं और जिनसे वृष्टि तथा धूप छन छन के भीतर आती है, जिनके तन पर वस्त्र तक नदारद, जिनने अपनी लज्जा बचाने का काम हजार टुकड़ों से बने चिथड़ों से ले रखा है, जिन्हें अब शायद ही छोटे छमास मुयस्सर होता हो प्रायः उन्हीं से साल में पूरे अस्सी हजार रुपये की वसूली मामूली बात नहीं है । बालू से तेल और पत्थर से दूध निकालना भी इसकी अपेक्षा आसान बात है । किन किन उपायों और तरीकों से ये रुपये वसूल होते हैं यदि इसका व्योरा लिखा जाय तो पोथा तैयार हो जायगा । इसलिये नमूने के तौर पर ही कुछ बातें लिखी जाती हैं ।

उसी इलाके में मुझे पहले पहल पता चला कि पहले चौधरी की जमींदारी में चार चीजों की 'मोनोपली' (monopoly) थी । यानी चार चीजों पर उनका सर्वाधिकार था और उनकी मर्जों के खिलाफ ये चीजें बिक न सकती थीं । नमक, किरासन तेल, नया चमड़ा और सुँगठी मछली यही हैं वे चार चीजें । इनमें सिर्फ नमक की मोनोपली मेरे जाने के समय उठ चुकी थी । बाकी तीन तो थी ही, जो मेरे आन्दोलन के करते खत्म हुईं । अपनी लग्नी जमींदारी के भीतर उनने सबों को यह कह रखा था कि बिना उनकी मर्जों के कोई आदमी नमक, किरासन इन दो चीजों की बिक्री कर नहीं सकता । फलतः किसी को हिम्मत न थी । और जमींदार साहब किन्हीं एक दो मोटे अस्सामियों से दो चार हजार रुपये ले के उन्हीं को बँचने का हक देते थे । नतीजा यह होता था कि वे ठेकेदार ये दोनों चीजें

और जगहों की अपेक्षा महँगी बँचते थे । क्योंकि ठेके वाला पैसा तो बसूल कर लेते ही थे एकाधिकार होने से दाम और भी चढ़ा देते थे । मैंने पूछा तो पता चला कि जो किरासन तेल और जगह पाँच पैसे में मिलता है वही उस जमींदारी में सात आठ पैसे में । उफू, यह लूट !

अगर कोई आदमी बाहर से यह तेल लाये तो उसकी सख्त सजा होती और जाने उसे क्या-क्या दंड देने पड़ते थे । इसीलिये तो इस बात का पहरा दिया जाता था कि कोई बाहर से ला न सके । दो चार को सख्त दण्ड देने पड़े तो उसका भी नतीजा कुछ ऐसा होता है कि दूसरों की भी हिम्मत जाती रहती है । यह गैरकानूनी काम सरेश्राम चलता था । यह भी नहीं कि पुलिस दूर हो । वहाँ थाना भी तो है । फिर भी इस सीनाजोरी का पता चलता न था । चले भी क्यों ? आखिर किसी को गर्ज भी तो हो । किसानों को या गरीबों को गर्ज जरूर थी । मगर उनकी कौन सुने ? धनी लोग तो बाहर से ही टिन मँगा लेते थे । और वहाँ धनी हैं भी तो इन्हे गिने ही । बनिये वगैरह तो डर के मारे चूँ भी नहीं करते थे । चौधरी के श्रेयत चाहे धनी हों या गरीब उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाते तो कैसे ? मगर सरकार को इस धांधली का पता क्यों न चला जब तक मैं वहाँ न गया, यह ताज्जुब की बात जरूर है ।

नमक की बिक्री पर भी पहले चौधरी का एकाधिकार जरूर था । लेकिन सन् १९३० ई० वाले नमक सत्याग्रह के चलते वह जाता रहा । जब लोग सरकार की भी बात सुनने को तैयार न थे और कानून की धजियाँ उड़ा रहे थे तो फिर एक जमींदार की पर्वा कौन करता ? और अगर कहीं जमींदार साहब इस मामले में टाँग अड़ाते तो उस समय का वायु-मंडल ही ऐसा था कि उन्हें लेने के देने पड़ते । क्योंकि गैरकानूनी हरकत का भंडाफोड़ जो हो जाता । फलतः न सिर्फ नमक वाला उनका एकाधिकार चला जाता, बल्कि किरासन वगैरह के भी मिट जाते । इसीलिये उनमें चालाकी की और चुप्पी मार ली । लोग भी नमक की खरीद बिक्री की स्वतंत्रता से ही संतुष्ट होके आगे न बढ़े । इसीलिये उनकी काली करवृत्तों

का पता बाहरी दुनिया को न चल सका और बाकी चीजों पर उनका एकाधिकार बना ही रह गया ।

मुँगठी मछली की भी कुछ ऐसी ही बात है । मैं तो उसके बारे में खुद कुछ जानता नहीं कि वह कैसी चीज है । मगर लोगों ने बताया कि वह कोई उमदा मछली है जिसे खाने वाले बहुत चाव से खाते हैं । इसीलिये बाजार में उसकी बिक्री बहुत होती है । वह तो पानी वाला इलाका है । इसलिये वहाँ मछलियाँ बहुत होती हैं । सुखा कर दूर-दूर जगहों में उनकी चालान भी जाती है । इसीलिये पकड़ने वालों को तो फायदा होता ही है, जमींदार को भी खूब नफा मिलता है । उसकी आमदनी बढ़ती है । मछली बगैरह की श्राय को ही जल-कर कहते हैं । अब सभी लोग या जोई चाहे वही उन मछलियों को पकड़ नहीं सकता तो खामखाइ ठीका लेने वालों में आपस में चढ़ाबढ़ी होगी ही । इसीसे जमींदार फायदा उठाता है और इने-गिने लोगों को ही मछलियों का ठेका देके साल में न जाने कितने हजार रुपये बना लेता है । दूसरी मछलियों की उतनी पूछ न होने से उन पर रोक-टोक नहीं है । फलतः जोई पकड़ेगा वही जल-कर देगा ।

जल-कर का भी एक बंधाबंधाया नियम होता है । उस जमींदारी में और उसी प्रकार महाराजा दरभंगा से लेकर दूसरे जमींदारों को जमींदारियों में इस जल-कर के बारे में ऐसा अन्वेषखाता है कि कुछ कहिये मत । खासकर कोशी नदी जहाँ जहाँ बहती है वहाँ यह बात ज्यादातर पाई जाती है । वह यह कि, जमीन में तो नदी बह रही है और फसल होती ही नहीं । फिर भी लगान तो किसान को देना ही पड़ता है । कानून जो टहरा । मगर पानी में मछली बगैरह के लिये जल-कर अलग ही देना पड़ता है । एक ही जमीन पर दो टैक्स, दो लगान । जल-कर तो उस जमीन में जमा पानी पर होना चाहिये जिसमें कभी खेती नहीं होती । मगर यहाँ तो उलटी गंगा बहती है । इसीलिये चौधरी अपनी जमींदारी में यही करते हैं ।

अब रही आखिरी बात जो नये चमड़े के एकाधिकार की है । बात यों

होती है कि देहातों में जब पशु मरते हैं तो आमतौर से मुर्दार मांस खाने वाले लोग उन्हें उठा ले जाते और उनका चमड़ा निकाल के बेंच देते हैं। पशु वालों को ज्यादा से ज्यादा एकाध जोड़े जूते दे दिया करते हैं या कहीं-कहीं बंधे-बंधाये दो चार आने पैसे। यही तरीका सर्वत्र चालू है। बचपन से ही मेरा ऐसा अनुभव है। मगर उत्तरी बिहार के पूर्वी जिलों में कुछ उलटी बात पाई जाती है। चौधरी के सिवाय महाराजा दरभंगा की जमींदारी में पूर्णियाँ आदि में भी मुझे पता चला है कि बड़े जमींदार इन चमड़ों का एक खासतौर का बन्दोबस्त करते हैं जिसे 'चरसा महाल' कहा जाता है। उससे होने वाली आमदनी को चरसा महाल की आमदनी कहते हैं। तरीका यह होता है कि पशुओं से चमड़े निकालने के बाद निकालने वाला चाहे जिसी के हाथ बेंच नहीं सकता। किन्तु जमींदार को साल में हजारों रुपये देके इन चमड़ों की खरीद के ठेकेदार हर इलाके में एक, दो, चार मुकर्रर होते हैं और वही ये चमड़े खरीद सकते हैं। अगर दूसरे लोग खरीदे या दूसरों के यहाँ चमड़े वाले बेंच दे तो दण्ड के भागी बन जाते हैं। इस प्रकार खरीदार लोग रुपये दो रुपये के चमड़े को भी दोई चार आने में पा जाते हैं। बेंचने वाले को तो गर्ज होती ही है और दूसरा खरीदार न होने पर गर्ज का बचला जोई मिले उसी दाम पर बेंचता है। इस प्रकार हजारों गरीबों को लूट कर चन्द ठेकेदार और जमींदार अपनी जेबें गर्म करते हैं। यही तरीका चौधरी की जमींदारी में भी था।

इस चरसा महाल के खिलाफ हमारा आन्दोलन सभी जमींदारियों में हुआ। मगर चौधरी की जमींदारी में हमारे तीन-चार दौरे हुए और बहुत ज्यादा मीटिंगे हुईं। वहाँ किरासन तेल और मुँगाठी मछली वाला सबाल भी था। इसलिये वहाँ का आन्दोलन बहुत ही जोरदार हुआ। लोग दबे भी थे सबसे ज्यादा। हमने वैसा या उससे भी दबा इलाका बिहार में एक ही और पाया है। वह है महाराजा दरभंगा की ही जमींदारी में दरभंगा जिले के ही पंडरी परगने का इलाका। वह भी इसी प्रकार चारह महीने पानी में डूबा रहता है और प्रायः तथा कथित छोटी जाति के ही लोग वहाँ बसते

हैं। इसीलिये चौधरी की जमींदारी की ही तरह हमारे आन्दोलन की गति वहाँ भी खूब तेज थी। दो तीन बार हम खुद गये। नतीजा हुआ कि वहाँ के गरीब भी उठ खड़े हुए। यही हालत बखतियारपुर की जमींदारी में भी हुई और हमें पता लगा कि किरासन तेल आदि सभी चीजों का एकाधिकार खत्म हो गया।

चौधरी की तेजी ऐसी थी कि वह हमारा वहाँ जाना बर्बाद कर नहीं सकता था। संभा के लिये कोई जगह हमें न मिले और न ठहरने ही के लिये यह भी उसने किया। कार्यकर्त्ताओं ने जो आश्रम बनाया था उसे भी तोड़ डालने की भरपूर कोशिश उसने की। मगर इन कोशिशों में वह सदा विफल रहा। हमें भी वहाँ जाने की एक प्रकार सी जिद्द हो गई। एक बार तो सलखुवा गाँव में हमारी मीटिंग होने को थी। मगर उसने कोशिश करके नाहक हम पर १४४ की नोटिश ऐन मौके पर करवा दी। फिर भी मीटिंग तो हुई ही। उसके पेट में हमारे नाम से गोया ऊँट कूदने लगता था। हिन्दू-मुसलिम प्रश्न को भी अपने फायदे के लिये उठाता था, मगर मुसलमानों का दबाने के ही समय। वह चाहता था कि हिन्दू उनकी मदद न करें। पर हमने हिन्दुओं को सजग कर दिया कि ऐसी भूल वे लोग न करें।

सन् १९३६ ई० की बरसात के, जहाँ तक याद है, भादों का महीना था। मगर वृष्टि अच्छी नहीं हुई थी और दिन में धूपछाहीं होती थी—बादल के टुकड़े आसमान में पड़े रहते थे। फिर भी धूप ऐसी तेज होती थी कि शरीर का चमड़ा जलने सा लगता था। यों तो बरसात की धूप खुद काफी तेज होती है। मगर भादों में उसकी तेजी और भी बढ़ जाती है। खासकर वर्षा की कमी के समय वह देह को झुलसाने लगती है। ठीक उसी समय सारन (छपरा) जिले के अर्कपुर मौजे में किसानों की एक जबरदस्त मीटिंग की आयोजना हुई थी। तारीख तो याद नहीं। मगर दैवसंयोग से वह ऐसी पड़ी कि उसी दिन मीटिंग करके रात में सवा दस बजे की ट्रेन पकड़ कर बिहटा के लिये रवाना हो जाना जरूरी था। असल में अगले दिन बिहटा आश्रम में एक सज्जन किसानों के सवाल को लेकर ही आने और बातें करने वाले थे। यह बात पहले से ही तय थी। खास उनकी ही जमींदारी का सवाल था। जमींदारी तो कोई बड़ी न थी। मगर ये वह सज्जन हमारे पुराने परिचित। डेहरी के नजदीक दरिहट मौजा उनका ही है। वहीं किसानों का आन्दोलन तेज हो गया था। उसमें मुझे भी कई बार जाना पड़ा था। किसानों के प्रश्न के सामने परिचित या अपरिचित जमींदार की बात ही मेरे मन में उठ सकती न थी। उन्हें शायद विश्वास रहा हो। इसीलिये उनसे दूसरों के द्वारा मुझे उलाहना भी दिया था। पर मुझे उसकी पर्वा क्यों होने लगी? मैं तो अपना काम कर रहा था। ताहम जब उनसे उसी के बारे में मेरे पास खुद आके बातें करनी चाही तो मैंने खुशी-खुशी उसकी तारीख तय कर दी।

यह अर्कपुर गाँव बंगालनार्थ वेस्टर्न रेलवे (ओ० टी० रेलवे) के भाटापोखर स्टेशन से ६ मील दक्षिण पड़ता है। बाबू राजेन्द्र प्रसाद की

जन्मभूमि जीरादेई के पास से ही एक सड़क अर्कपुर चली जाती है। वहाँ जाने के लिये सवेरे की ही ट्रेन से मैं पहुँचा था। मेरे साथ एक श्राद्धमी और था। छपरे से श्री लक्ष्मीनारायण सिंह कांग्रेस कर्मों के सिवाय दो और वकील सजन थे जिनका घर उसी इलाके में पड़ता है। भाटापोखर स्टेशन से करीब एक मील दक्षिण-पच्छिम बाजार में ही हमारे ठहरने और खाने-पीने का प्रबन्ध था। हम लोग वहीं गये, स्नान भी किया, भोजन किया और दोपहर के पहले ही अर्कपुर के लिये चल पड़े। हाथी की सवारी थी। मैं तो इसे पसन्द नहीं करता। मगर कितानों की सभा ही तो थी। अगर उसमें जाने के लिये सवारी मिली तो यही क्या कम गनीमत की बात थी। न जाने कितनी सभाओं में मुझे दूर दूर तक पैदल ही जाना पड़ा है, ताकि मीटिंग ठीक वक्त पर हो—उसमें गड़बड़ी न हो। यदि किसी घनी महाशय की मिहर्बानी से हाथी ही मिला तो नापसन्दी का सवाल ही कहाँ था? इसलिये सबों के साथ मैं भी उसी पर बैठ के चल पड़ा। मगर रास्ते की धूप ने हमें जला दिया। बड़ी दिक्कत से दोपहर के लगभग अर्कपुर पहुँच सके। मैंने रास्ते, मैं ही तय कर लिया था कि लौटने के समय पैदल ही आऊँगा। सवेरे ही खाना हो जाऊँगा; रास्ते में तो कोई गड़बड़ी होगी नहीं। वह तो देखा ठहरा ही। लालटेन साथ रहेगी। ताकि अंधे हो जाने पर भी दिक्कत न हो। इसीलिये सभी लोग अपना कपड़ा-लत्ता बगैर-रह सामान स्टेशन के पास उसी बाजार में ही रख आये थे, ताकि लौटने में आसानी हो।

सभा तो वहाँ हुई और अच्छी हुई। लोग पीड़ित जो बहुत हैं। सरयू-माई निकट में ही दर्शन देती हैं। बरसात में उनकी बाढ़ से गारा इलाका जलमय होता है, फसल मारी जाती है, घरबार चौपट हो जाते हैं और किसानों में हाहाकार मच जाता है। फिर भी जमींदार लोग अपनी बख्तियों सख्ती के साथ करते ही जाते हैं। मेरे जाने से शायद किसानों को कुछ राहत मिले और उनकी आह बाहरी दुनिया को सुनाई पड़े इसीलिये मैं बुलाया गया था। ऐसी दशा में सभा की सफलता तो होनी ही थी। उसे

रोक कौन सकता था ? वहाँ के जमींदार महाराजा दरभंगा या चौधरी बखति-
चारपुर जैसे शानियल और हिम्मतवर भी न थे कि कोई खास बाधा
डालते ।

सभा के समय खास जिले के उस इलाके के कई कांग्रेस कर्मी और
भी आगये थे और उन्हीं में थे चैनपुर के एक युवक जमींदार साहब भी,
वह थे तो मेरे परिचित । उनके चचा बगैरह से मेरी पुरानी मुलाकात थी ।
मगर मैं तो चिहुका कि यह क्या ? किसानों को सभा में बड़े-बड़े जमींदारों
के पदार्पण का क्या अर्थ है ? लोगों ने कहा कि ये तो कांग्रेसी हैं । कांग्रेस
में तो सबों की गुंजाइश हुई । उसी नाते वहाँ भी आगये हैं । मैंने बात
तो सुन ली । मगर मेरे दिल, दिमाग में किसान-सभा का कांग्रेस से यह
नाता कुछ समा न सका । मेरी आँखों के सामने उस समय भारतीय भावी
स्वराज्य की एक झलक सी आगई । मुझे मालूम पड़ा कि इन जमींदारों
का भी तो आखिर वही स्वराज्य होगा । इनके लिये वह कोई और तो
होगा नहीं । फिर वही स्वराज्य किसानों का भी कैसे होगा वह अजीब
बात है । बाघ और बकरी का एक ही स्वराज्य हो तो यह नायब बात
और अघटित घटना होगी । लेकिन मेरे भीतर के इस उथल-पुथल और
महाभारत को वे लोग क्या समझें ? फिर मैं अपने काम में लग गया और
यह बात तो भूली गया । उस युवक जमींदार के पास एक बहुत अच्छी
और नई मोटर भी थी जिस पर चढ़ के वे आये थे ।

सभा का काम पूरा होने पर जब हमने दो घंटा दिन रहते ही रवाना
होने की बात कही तो वहाँ के कांग्रेसी दोस्त पहले तो अन्न चलते हैं, तब
चलते हैं करते रहे । पीछे उनमें कहा कि अभी काफी समय है । जरा ठहर
के चलेंगे । असल में वे लोग पैदल नौ मील चलने को तैयार न थे । ठीक
ही था । मेरी और उनकी किसान-सभा एक तो थी नहीं । उन्हें तो
स्वराज्य की फिक्र ज्यादा थी—गोल-मोल स्वराज्य की, जिसमें किसानों का
स्थान क्या होगा इस बात का अन्न तक पता ही नहीं । उसी स्वराज्य की
सहाई में किसानों को साथ लेने के ही लिये वे लोग आये थे । साथ ही,

उन लोगों का स्वराज्य तो फौरन ही असेम्बली, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि की मेम्बरी वगैरह के रूप में आने वाला था जिसमें किसानों की मदद निहायत जरूरी थी। उसके बिना उन्हें यह स्वराज्य मिल सकता था नहीं। यही तो ठोस बात थी जिसे वे लोग खूब समझते थे। मोटर वाले बाबू साहब की भी कांग्रेस भक्ति का पता मुझे पूरा पूरा तब लगा जब मैंने उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये कांग्रेसी उम्मीदवार एक मुसलमान सज्जन के खिलाफ महावीरी झंडा वाली मोटर में बैठ के बुरी तरह परीशान देखा!

अन्त में जब ज्यादा देर हो गई और मैं घबराया तो उन लोगों ने कहा कि बाबू साहब की मोटर हमने मंगनी करली है, आपको उसीसे पहुँचा देंगे। इस पर मैं चौंक के बोला कि मैं एक जमींदार की मोटर में चलूँ और फिर भी किसान सभा करने वाला बनूँ ? यह नहीं होने का। इस पर वे लोग थोड़ी देर चुप रहे। मैं भी परीशान था। आखिर इन्तजाम उन्हें ही करना था। अब देर भी हो चुकी थी। लालटेन बिना चलना गैरमुमकिन था और मेरे पास खुद लालटेन थी नहीं। नहीं तो भाग निकलता। जब फिर मैंने सवाल उठाया तो उनसे बड़ी मोटर वाली बात पुनरपि उठाई और बोले कि यह तो हमारा इन्तजाम है। इसमें आपका क्या है ? आगने तो मोटर माँगी है नहीं। मैंने उन्हें इसका उत्तर दिया सही। मगर वे तो तुले थे और मैं अब लाचार था। कुछ दिन रहते यदि यह बात उठती तो, मैं अकेला ही भाग जाता। पर, अब तो शाम हो रही थी। वे लोग भी मेरे स्वभाव से परिचित थे। इसीलिये पहले तो मोटर का सवाल उनसे उठाया नहीं, और पीछे जब देखा कि अब मैं अकेला भाग नहीं सकता, तो उस सवाल पर डट गये। मैंने भी अन्त में कमजोरी दिखाई और मोटर से ही जाने की बात ठहरी !

रात के आठ बजे हम उन्नों को लेकर मोटर चली। बाबू साहब ही उसे चला रहे थे। मालूम हुआ, नवरीक में ही उनको मनुष्य है। उन्हें वहीं उतार के मोटर हमें स्टेशन ले जायी। मोटर में चलने के कारण ही हमने

लालटेन साथ में ली ही नहीं। खैर, मोटर उनकी सतुराल में पहुँची। वे उतर गये। झाइवर आगे बैठा। उनसे ताकीद कर दी कि खूब आराम से ले जाना। रास्ते में गड़बड़ी न हो। वक्त, वह स्टेशन की ओर चल पड़ी। मगर रास्ता वह न था जितने हम दिन में आये थे। किन्तु सोलहों आने नई सड़क थी। रात के साढ़े आठ बज रहे थे। हमें पता नहीं किधर जा रहे थे। एकाएक कीचड़ में मोटर फँसी। वर्षा के दिन तो ये ही। सड़क भी कच्ची थी। झाइवर ने जोर मारा। मगर नतीजा कुछ नहीं। बहुत देर तक मोटर की कुरती उच्च कीचड़ से होती रही। हम घबरा रहे थे। धीरे-धीरे निराशा बढ़ रही थी। हमें शक भी हो रहा था कि झाइवर रात में जाना नहीं चाहता है। इसीलिये ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। मगर करते क्या ! बोलते तो बात और भी दिगड़ती। वह इनकार कर देता तो स्टेशन पहुँचना असंभव था। आखिर जब षड़ी में हमने साढ़े आठ देखा तो मोटर से निराश हो के पैदल चलने की सोचने लगे।

परन्तु एक तो भादों की अन्वैरी रात, दूसरे रास्ता बिलकुल ही अनजान, तीसरे साथ में लालटेन भी नहीं। मोटर के खवाल से हमने लालटेन की जरूरत न समझी और अब “बौबे गये छप्पे बनने, दूबे बन के लौंटे” वाली बात होगई ! फिर भी मुझे तो चाहे जैसे ही स्टेशन पहुँचना ही था। अगले दिन का प्रोग्राम जो था। आज तक मैंने ऐसा कभी होने न दिया कि मेरा निश्चित प्रोग्राम फेल हो जाये। मैंने हमेशा अपने कार्य-कर्त्ताओं से कहा है कि यकीन रखें, मेरा प्रोग्राम फेल हो नहीं सकता। या तो मैं पहले ही खबर दे दूँगा कि किसी कारण से आ नहीं सकता; ताकि समय रहते लोग सजग हो जायें। नहीं तो मैं खुद ही पहुँच जाऊँगा। और अगर ये दोनों बातें न हो सकीं तो मेरी लाश ही वहाँ जरूर पहुँचेगी। इच्छा नतीजा यह हुआ है कि मेरे प्रोग्राम के बारे में किसानों को पूरा विश्वास हो गया है कि वह कभी गड़बड़ होने का नहीं।

इसी के मुताबिक मुझे तो सवादस बजे रात की ट्रेन पकड़नी ही थी। मगर रास्ता मोटे अन्दाज से रात मील से कम न था। क्योंकि हम उत्तर

और मोटर से चल रहे थे और दो मील से ज्यादा चले न थे जब वह खराब होगई। हमें इतना मालूम था कि जिस सड़क से हम दिन में गये थे वह इस मोटर वाली सड़क से पच्छिम है और कुछ दूर जाने पर शायद यह उसी में मिल जाय। क्योंकि आखिर स्टेशन और पास की जमीन का नकशा तो आँखों के सामने नाचता ही था। और अब समय था कुल डेढ़ घंटे। इतने ही में उस बाजार में पहुँचना था जहाँ सामान रखा था। फिर वहाँ से एक मील स्टेशन चलना था सामान लेकर। यदि दस बजे बाजार में पहुँच जाते तो आशा थी कि पन्द्रह मिनट में वहाँ से स्टेशन पहुँच के ट्रेन पड़क लेते।

जब मैंने साथियों से पूछा तो दो ने तो साफ हिम्मत हारी, हालाँकि उन्हें भी छपरा पहुँचना जरूरी था। वे लोग वकील थे और कचहरी में उनका काम था। अब तो मैं और भी घबराया। मगर जब लक्ष्म बाबू से पूछा तो उनने कहा कि जरूर चलेंगे। फिर वश था। मेरा कलेजा चाँसों उछल पड़ा। मैं तो अकेले भी चल पड़ने का निश्चय कर चुका था और अब लक्ष्मी बाबू ने भी साथ देने को कह दिया। इसके बाद तो उन दोनों सजनों को भी हिम्मत आई और हम सबने मोटर महारानी को सलाम कर उत्तर का रास्ता पकड़ा।

रास्ता अनजान था। तिसपर तुरा यह कि मिट्टी सफेद थी। रास्ते में जहाँ तहाँ कीचड़ और पानी भी था। हमने कमरू में धोती लपेटी। जूते हाथ में लिये। मेरे एक हाथ में मेरा दरद भी था। फिर हमारी “क्रिक मार्च” शुरू हुई। यदि दौड़ते नहीं, तो समूची परेशानी के बाद भी ट्रेन पकड़ न पाते। इसलिये दौड़ते चलते थे। रास्ते में कहीं क्या है इसका पता हमें कहीं थी। साँप बिच्छू का तो खयाल ही जाता रहा। किफ रास्ते में समय समय पर पड़ने वाले झोड़ों में आदमी की आदट लेने की क्रिक हमें इसलिये थी कि रास्ते का पता पूछें कि ठीक तो जा रहे हैं? कहीं दूसरी ओर बहक तो नहीं रहे हैं? भाटापोकर अभी कितनी दूर है यह जानने की भी तीव्र उत्कंठा थी। मगर झोड़ों और गाँवों में तमाम सलाह छान

मिलता था । बहुत दूर जाने पर एक गाँव में एकाध आदमी मिले जिनने फासला दूर बताया । बहुतेरे लोग तो रास्ते में हमें दौड़ते देख या पैरों की आहट सुन सटक जाते थे । उन्हें भय हो जाता था कि इस घोर अंधियाली में चोर डाकुओं के सिवाय और कौन ऐसी दौड़ धूप करेगा । हम भी ताड़ जाते और हँसते हँसते आगे बढ़ जाते थे ।

रास्ते में एक बड़ी मजेदार बात हुई । हमने महाभारत में पढ़ा था कि मयदानव ने ऐसा सभा भवन बनाया कि दुर्योधन को सूखी जमीन में पानी का और पानी में सूखी जमीन का भ्रम हो जाता था । इससे पांडवों के कुछ आदमी उस पर हँस पड़े थे । इसी का बदला उसने पंछे लड़ाई के मौके पर लिया था । मगर हमें खुद इस भ्रम का शिकार होना पड़ा । अन्वैरी रात में आसमान साफ होने के कारण तारे खिले थे । फलतः रास्ता चमकता था । नतीजा यह हुआ कि हम लोगों को सैकड़ों बार सूखी जमीन में पानी का भ्रम हो गया और हमने धोती उठाली । पर, पाँव सूखी जमीन पर ही पड़ता गया । इसके उलटा पानी को सूखी जमीन समझ हम वेधड़क बढ़े तो घुटने तक डूब गये । जल्द बाजी और दौड़ की हालत में यह गौर करने का तो मौक़ा ही नहीं मिलता था कि पानी है या सूखी जमीन । मगर इसमें हमें खूब मजा आता था । मजा तो आने दिल में होता है । वह बाहर थोड़े ही होता है । हम लथपथ थे । कीचड़ से सारा बदन लिपटा था । मगर धुन थी ठीक समय पर पहुँच जाने की । इसीलिये सारी तकलीफ भूल गई और हम हँसते हँसते बढ़ते थे ।

कुछ दूर जाकर जब पहली सड़क मिली तब कहीं हमें यकीन हुआ कि ठीक रास्ते जा रहे हैं । मगर अभी प्रायः चार मील चलना था । अतः हमें साँस लेने की फुर्सत भी कहीं थी । खैर, दौड़ते दौड़ते दस बजे से पहले ही बाजार में पहुँच ही तो गये । पूछने पर पता चला कि जहाँ सामान है उसे बन्द करके हमारे परिचित सजन घर सोने चले गये । क्योंकि गाड़ी का समय नजदीक देख उनने मान लिया कि हम अब न आयेंगे । उनका घर भी कुछ फासले पर था । यह दूस्ती दिक्कत पेश आई । खैर, हममें एक

दौड़ के वहाँ गया और जैसे तैसे उन्हें जगा लाया । उनके आते ही हमने अपने अपने सामान निकाले । मेरा सामान कुछ ज्यादा था । मगर उस समय स्टेशन तक सामानों को पहुँचाने वाला कहीं मिलता ? फलतः हमने गधे की तरह अपने अपने सामान सर पर लादे । मेरी सहायता साधियों ने और साथ के आदमी ने भी की । इस तरह लडफन के हमने फिर वही “क्विक मार्च” शुरू किया । क्योंकि ट्रेन आ जाने का खतरा था । हमें अपनी घड़ी पर विश्वास होता न था । संकट के समय ऐसा ही होता है । अत्यन्त विश्वासों पर से भी विश्वास उठ जाता है ।

मगर जब स्टेशन पहुँचे और वहाँ की घड़ी में देखा कि पूरे दस बजे हैं तब हमारी जान में जान आई ! फिर तो हमारी खुरी का ठिकाना न रहा । निश्चित हो के हमने हाथ पाँव वगैरह धोये, कपड़े बदले और देह साफ़ की । इतने खतरे का काम हमने किया, ऐसी लम्बी राह, जो आठ मील से कम न थी, हमने डेढ़ घंटे में तय की और बाजार में पन्द्रह मिनट ठहरे भी, यह याद करके हमारा आनन्द बेहद बढ़ गया । खूबी यह कि हमें न तो कोई थकावट मालूम होती थी और न परीशानी । सख्त से सख्त काम और मिहनत के बाद भी यदि सफलता मिल जाय तो सारी हैरानी हवा में मिल जाती है । लेकिन यदि थोड़ी भी परीशानी के बाद त्रिकल होना पड़े तो ऐसी थकावट होती है कि कुछ पूछिये मत । और हम तो इस साहस (adventure) के बाद सफल हो चुके थे । तब थकावट क्यों होती ? कम से कम हमें उसका अनुभव क्यों होता ?

सन् १९३५ ई० की मई का महीना था। उसी समय पूर्णियां जिले में बरसात शुरू हो जाया करती है। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्त्ता पं० पुरया-नन्द मा पूर्णियां जिले के अररिया सब डिविजन के जहानपुर में रहते हैं। उनके ही आग्रह और प्रबन्ध से उस जिले का पहले पहल दौरा करने का मौका मिला। कटिहार स्टेशन से ही पहले किशनगंज जाने का प्रोग्राम था। कटिहार में डा० किशोरीलाल कुंडू के यहाँ ठहर के किशनगंज की ट्रेन पकड़नी थी। किशनगंज पूर्णियां जिले का सब डिविजन और बिहार प्रान्त का सबसे आखिरी पूर्वाय इलाका है। यों तो उस जिले में ७५ फीसदी मुसलमान ही वाशिन्द् माने जाते हैं। मगर किशनगंज में उनकी संख्या ६५ प्रतिशत कही जाती है। किसानों के आन्दोलन के सिलसिले में ऐसे इलाके में जाने का यह पहला ही अवसर था। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी।

मा जी कटिहार में ही साथ हो लिये और बरसोई होते हम किशनगंज पहुँचे। वहाँ के प्रसिद्ध कांग्रेस कर्मी श्री अनाथकांत वसु के यहाँ हम लोग ठहरे। पहली सभा वहीं शहर में ही होने वाली थी। सभा हुई भी। मगर वृष्टि के चलते जैसी हम चाहते थे हो न सकी। इसका पश्चात्ताप सबों को था। मगर मजबूरी थी किशनगंज में दोई दिन ठहरने का हमारा प्रोग्राम था। तो भी अनाथ बाबू ने भीतर ही भीतर तय कर लिया कि मुझे एक दिन और ठहरा के शहर में फिर सभा की जाय जो सफल हो। उनने देहात में भी खबर भेज दी और इसका खासा प्रचार किया। जब मैं तीसरे दिन चलने के लिये तैयार था तबो कुछ लोगों के डेप्युटेशन ने हठ करके मुझे रोक लिया और खासी अच्छी सभा कराई। मुझे भी मा जी के साथ देहात में होके ही उनके घर (जहानपुर) जाना था।

इसलिये कोई खास प्रोग्राम न होने के कारण एक दिन रुकने में विशेष बाधा नहीं हुई। यदि कहीं का निश्चित प्रोग्राम होता, तब तो तीसरे दिन रुकना गैर मुमकिन था।

हाँ, किशनगंज से ६-७ मील उत्तर देहात में दूसरे दिन जाना था। पांजीपाड़ा नामक एक हाट में मीटिंग करनी थी। किशनगंज से जो सड़क उत्तर ओर जाती है उसी के किनारे पांजीपाड़ा बस्ती है। किशनगंज से एक लाइट रेलवे दार्जिलिंग जाती है। मगर वह तो अजीब सी है। मालूम होता है बैलगाड़ी चलती है। हम लोग, जहाँ तक याद है, घोड़ागाड़ी से ही पांजीपाड़ा गये। बाजार का दिन था। जिस जगह बैठके लोग चीजें बँचते और खरीदते थे उसके पास ही एक फूस का मोपड़ा था। हम तो कही चुके हैं कि वह इलाका प्रायः मुसलमानों का ही है। हाट में भी हमें वही नजर आ रहे थे। यह भी देखा कि उस मोपड़े में उनका एक खास मजमा है, यों तो उसमें भी आना जाना लगा ही था। हमें पता लगा कि वह मोपड़ा ही मस्जिद थी जिसमें दोहर के बाद की नमाज पढ़ी जा रही थी। घोर देहात में इस प्रकार धार्मिक भावना देखके मैं प्रभावित हुआ। ऐसा देखना पहली ही बार था! मैंने सोचा कि इन्हीं के सामने किसान-समस्याओं पर स्पीच देनी है। कहीं ऐसा न हो कि तारा परिभ्रम बेकार जाय।

मगर बात उलटी ही हुई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि वे सभी बहुत ही गौर से मेरी बातें सुनते थे। मैं जैसे जैसे बोलता जाता था वैसे वैसे उनके चेहरे खिलते जाते थे। मेरी बातों की पसन्दगी जानने के लिये कितनों के सर हिलते थे। बहुतेरे तो मस्त हो रहे थे और भूमते थे। एक तो मुझे बराबर था कि मुसलमान किसानों में बोलना है। कहीं ऐसा न हो कि गेववा बरू देखते ही वे भड़क उठें कि यह कोई हिन्दू फकीर अपने धर्म वर्म की बात बोलने आया है। जनात बाँध के नमाज पढ़ते देख भेरा यह बर और भी चढ़ गया था। दूसरा आन्देश यह था कि बंगाल की तरह पर बसने वाले लोगों में बंगला

बोलते हैं और जिनकी रहन सहन त्रिलकुल ही बंगालियों की है, मेरी हिन्दुस्तानी भाषा कुछ ठीक न होगी। और बंगाली बोलना तो मैं जानता नहीं; गो पढ़ या समझ लेता हूँ। तीसरा खयाल यह था कि उनके खास सवालों को तो मैं जानता नहीं कि उन्हीं के बारे में बोल के उनके खयाल अपनी ओर खींच सकूँ। इसीलिये सिर्फ उन्हीं बातों पर बोलता रहा जो सभी किसानों को आमतौर से खलती हैं और जिनसे अपना छुटकारा सभी चाहते हैं। जैसे जमींदारों के जुल्म, लगान की सखती, बसुली में ज्यादातियाँ, कर्ज की तकलीफें, बकाशत जमीन की दिक्कतें वगैरह वगैरह।

मगर मेरा डर और अन्देशा वेबुनियाद साबित हुआ। उनने मेरी बातें दिल से सुनीं, गाया मैं वही बोलता था जो वह चाहते थे। बोलने में मेरी जवान और भाषा ऐसी होती ही है कि सभी आसानी से समझ लें। गुजरात से लेके पूर्व बंगाल और आसाम तक मैं यही भाषा बोलता रहा हूँ और किसान समझते रहे हैं। असल में उनके दिल की बात सीधी सादी और चुभती भाषा में अपने दिल से बोलिये तो वे खामखाह आधी या तीन चौथाई समझते ही हैं और इतने से ही काम चल जाता है। किशनगंज वाले तो सोलह आना समझते। खासकर मुसलमान कहीं भी रहें, तो भी हिन्दुस्तानी जवान वे समझते ही हैं। यह एक खास बात है।

इसलिये जब मैंने मीटिंग खत्म की तो उनने मुझे घेर लिया और कहने लगे कि आगने तो बड़ी अच्छी बातें कही हैं। ये तो हमें खूब ही पसन्द हैं। ये हमारे काम की ही हैं। हमने बहुत से लोकचर मौलवियों के आज तक सुने हैं। मगर मौलवी लोग तो ऐसी बातें बोलते नहीं। आप तो रोटी का सवाल ही उठाते हैं और उसी की बातें बोलते हैं। आप हमारे पेट भरने और आराम की बातें ही बोलते हैं जिन्हें हम खूब समझते हैं। ये बातें हमें रुचती हैं। सो आप हमारे गाँवों में चलिये। कई चलते-पुजें लोगों ने हठ किया कि मैं उनके गाँवों में चल के ये बातें लोगों को सुनाऊँ। क्योंकि वे लोग दूर दूर से आये थे और हर गाँव के एक दो चार

ही वहाँ थे। बाकी तो खेती गिरस्ती में ही लगे थे। मगर मैंने उनसे उस समय तो यह कहके छुड़ी ली कि कभी पीछे आऊँगा। इस समय मेरा प्रोग्राम दूसरी जगह तय हो गया है। हालाँकि मैं वह वादा अभी तक पूरा कर न सका, इसका सख्त अफसोस मुझे है।

इस प्रकार उस मीटिंग और मुसलिम किसानों की मनोवृत्ति का बहुत ही अच्छा असर लेके हम लोग शाम तक किशनगंज वापिस आये। किसानों और मजदूरों के आये दिन के जो आर्थिक प्रश्न हैं और जो उनकी रोजमर्रा की मुसीबतें हैं यह ऐसी चीजें हैं कि इन्हीं की बुनियाद पर सभी किसान मजदूर, चाहे उनका धर्म और मजहब कुछ भी क्यों न हो, एक हो सकते हैं। आसानी से एक सूत्र में बँधते के बँध सकते हैं, उनकी जल्येबन्दी हटा सकती है, यह बात हमारे दिमाग में उस दिन से अच्छी तरह बैठ गई। हमें वहाँ इसका नमूना ही मिल गया। वह हमारी जिन्दगी और उनके जीवन में शायद पहला ही मौका था जब मुसलमान किसानों ने हमारे जैसे हिन्दू कहे जाने वाले फकीर को अपना आदमी समझा और हमें अपने घर गाँव में मुहब्बत से ले जाना चाहा। हालाँकि हमारी और उनकी मुलाकात पहले पहल सिर्फ उसी दिन एक दो ही घंटे के लिये हुई थी। आखिर आर्थिक प्रश्नों के सिवाय दूसरा कौन जादू था जिसने उन पर ऐसा असर किया ? हमारी बातों के सामने मौलवियों की बातों को जो उनने उतना पसन्द नहीं किया इसकी वजह आखिर दूसरी और क्या थी ?

कहते हैं कि सारंगी और सितार के तारों की कनकार जब कहीं दूर से भी आती है तो सभी इनसान, फिर चाहे वह किसी भी धर्म मजहब के क्यों न हों, मुग्ध होके जर्बस्ती खिच आते हैं। सारी बातें, सारे काम भूल के एकटक सुनते रहते हैं। लेकिन अगर खुद उन्हीं को घर के—दिलों के—तार कनक उठें तो ? तब तो और भी मजा आयेगा और वे लट्टू होके ही रहेंगे। अकल में दुनियाधी विपदाएँ सभी गरीबों की एक ही हैं। वे सभी हिन्दू मुसलिम को बराबर सताती हैं। इसीलिये एक तरह सभी के दिलों में जुभती है। ऐसी हालत में ज़ोरी उनकी चर्चा हमने उठाई कि

सभी के दिलों के तार साथ ही म्मनक उठे । फलतः सभी एक ही हाँ में
 हाँ मिलाने, सुर में सुर मिलाने और एक ही राग गा उठते हैं कि “कमाने
 वाला खायगा, इसके चलते जो कुछ हो” । इस राग में हिन्दू मुसलिम
 भेद खामखाह मिट जाता है । इस पवित्र धारा में हिन्दू मुसलिम कलह की
 मैल त्रिना धुले रही नहीं सकती यह पक्की बात है । इसका ताजा ताजा
 नमूना हमारी आँखों के सामने उस दिन पांजीपाड़े में नजर आया और हमें
 भविष्य के लिये पूरी उम्मीद हो गई कि गरीबों के दुख जरूर कटेंगे और
 उनके अच्छे दिन जरूर आयेंगे, सो भी जल्द से जल्द, अगर हमने अपना
 यही रास्ता, यही काम जारी रखा ।

खैर, तो किशनगंज लौटने के बाद, जैसा कि पहले कहा है, एक दिन
 वहाँ ठहर के उस सत्र डिविजन की देहात का अनुभव करते और मजा
 खूटते पं० पुणधानन्द जी के गाँव पर पहुँचने की बात तय पाई । उनका
 गाँव जहानपुर अन्दाजन २५-३० मील के फासले पर है । बरसात का
 समय था । देहात की सड़कें तो योही चौपट होती हैं । तिसपर खूबी यह
 कि वह हलाका सबसे पछड़ा हुआ है । इसलिये रास्ते का भी ठिकाना
 न था, सवारी का तो पूछना ही नहीं । बड़ी दिक्कत से बैलगाड़ी मिल सकती
 थी । मगर रास्ता खराब होने से बैल कैसे गाड़ी खीचेंगे यह पेचीदा सवाल
 था । एक तो ऐसी दशा में उन्हें गाड़ी में जोतना कसाईपन होगा । दूसरे
 वे चल सकते नहीं चाहे हम कितने भी निर्दय क्यों न बनें । अगल में
 गाड़ी या हल में जोतने के समय हम लोग बैलों के साथ ठीक वही सलूक
 करते हैं जो जमींदार हम किसानों के साथ बर्तते हैं । अगर जमींदार उन्हें
 आदमी न समझ लावारिस पशु मानते हैं, और इसीलिये वे त्राय पियेंगे या
 नहीं इसकी जरा भी फिक्र न कर उनकी सारी कमाई जैसे जैसे वसूल लेने
 की फिक्र करते ही रहते हैं, तो किसान अपने बैलों के साथ भी कुछ वैसा
 ही सलूक करते हैं, हालाँकि किसानों के लिये जमींदारों जैसी निर्दयता
 गैर मुमकिन है । वे बैलों के खाने पीने की कोशिश तो करते हैं । बेशक
 उनको कमाई का अन्न प्राप्त रखके उन्हें भूसा, पुआल वगैरह वही चीजें

खिलाते हैं जो किसानों के लिये प्रायः बेकार सी हैं। बदले में जमींदार भी किसानों की कमाई के गेहूँ, बासमती, धी, मलाई आदि खुद लेके उनके लिये मंडुवा, खेसरी, मठा आदि ही छोड़ते हैं। मगर जहाँ तक जोतने का सवाल है किसान बैलों के साथ बड़ी निर्दयता से पेश आते हैं।

नतीजा यह हुआ कि मेरी ये बातें कुछ काम न कर सकीं और एक चैलगाड़ी तैयार की गई। अनाथ बाबू को भी साथ ही चलना था। जहानपुर और किशनगंज के बीच में ही कांग्रेस के पुराने सेवक श्री शराफत-अली मस्तान का गाँव कटहल बाड़ी चैनपुर पड़ता है। बीच में वहीं एक रात ठहरने और मीटिंग करने की बात तय पाई थी पहले से ही। मस्तान को भी यह बात मालूम थी। मगर ठीक दिन और वक्त का पता न था। हमें भी खुशी थी कि सन् १९२१ ई० से ही जिसने मुल्क की खिदमत में अपने को बर्बाद कर दिया और जमीन जायदाद वगैरह सब कुछ तहम नहस और नीलाम तिलाम होने दिया उस शख्स से मिलना होगा, सो भी खाटी किसान से। बर्बादी की पर्वा न करने के कारण ही तो उस शख्स का नाम सचमुच मस्तान पड़ा है। 'शराफत अली' तो शायद ही कोई जानता हो। सिर्फ मस्तान के ही नाम से वह पुराना देश सेवक प्रसिद्ध है। कांग्रेस का आन्दोलन शुरू होते ही उसे धुन सवार हुई कि किसान किसी को लगान क्यों देंगे, और खुद क्यों भूखों मरेंगे ? लोगों को उसने यही कहना शुरू किया। खुद भी यही किया। फिर जमीन जायदाद बचती तो कैसे ? जमीन थी काफ़ी। मगर सभी योंही खत्म हो गई और वह बहादुर दर-दर का भिखारी बन गया। उसके परिवार को भूखों मरते रहने की नौबत आई ! फिर भी वह धुन बराबर मुद्दत तक चनी रही। आज भी आग वही है, जो भीतरी-भीतर दबी पड़ी है। अगर किसान सिर्फ इतना ही समझें कि उन्हें भी खाने का हक है। वे भूखे मर नहीं सकते। और अगर इसी के अनुसार यदि वे अपनी कमाई को खाने पीने लग जाय तो घिना किसी की पर्वा किये ही, तो उनकी सारी तकलीफें हवा में मिल जाय।

जो कुछ हो, हम सबेरे ही खा पी के बैलगाड़ी पर बैठे और मस्तान के गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में चारों ओर सिर्फ मुसलमान किसानों के ही गांव पड़ते थे। हिन्दुओं की बस्ती तो हमें शायद ही मिली। ऐसी यात्रा मेरी जिन्दगी में पहली ही थी। सच बात तो यह है कि हजार जानने सुनने और समझने बूझने पर भी मेरे दिल में यह खयाल बना था कि हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमान जनता खामखाह सख्त मिजाज मगड़ालू और घमंडी होती है। इसीलिये रास्ते में पड़ने वाले गांवों में बराबर इस बात की तलाश में था की ऐसी बातें मिलेंगी। उनके मकान वगैरह में भी कुछ खास बातें देखना चाहता था। इसीलिये जब मुसलमान मिलते थे तो उनकी ओर मैं निहायत गौर से देखता था। गांव के बाद गांव आते गये और एक के बाद दीगरे न जानें कितने व्यक्ति और कितने गिरोह रास्ते में मिले। हमने बारबार उनसे मस्तान के गांव की राह पूछी। उनसे बताई भी। मगर हमें कोई खास बात उनमें मालूम न हुई। वही सादगी, वही सीधापन, वही मुलायम बातें और वही रहन सहन ! जरा भी फर्क नहीं ! दाढ़ी भी तो सबों को न था कि फर्क मालूम पड़ता। कपड़े भी वैसे ही थे। मकानों की बनावट में तो कोई अन्तर था ही नहीं। मुर्गे मुर्गियां नजर न आयें तो और कोई फर्क गांवों में न था। यदि किसी और मुल्क का आदमी ये चीजें देखता तो वह यह समझी नहीं सकता कि ये हिन्दू हैं या मुसलिम ! ठीक ही है किसान तो किसान ही हैं। वह हिन्दू या मुसलिम क्यों बनने लगा। बीमारी, भूख, गरीबी, तबाही वगैरह भी तो न कलमा और नमाज ही पढ़ती है और न गायत्री संध्या ही जानती है और इन्हीं सबों के शिकार सभी किसान हैं—इन्हीं की छाप सभी किसानों पर लगी हुई है। फिर उन्हें चाहे आप हिन्दू कहें या मुसलिम ! हैं तो दर-असल वे भूखे, गरीब, मजलूम, तबाह, चर्बाद।

यह देख के मेरे दिल पर इस यात्रा में जो अमिट छाप पड़ी वह हमेशा ताजा बनी है। पांजीपाड़े के बाद यह दूसरा अनुभव फौरन ही हुआ जिसने मेरी आंखें सदा के लिये खोल दीं। इससे मेरी आंखों के

सामने असलियत नाचने लगी। "जनता, अराम (masses) एक है, इनमें कोई भी धर्म मजहब का फर्क नहीं। वे भीतर से दुखस्त है।" यह दृश्य मैंने देखा! इसने किसान-सभा के काम में मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दी और आज जब कि बड़े से बड़े और क्रान्तिकारी से भी क्रान्तिकारी फट्टे जाने वाले हिन्दू मुसलमान तनातनी से बुरी तरह घबरा रहे हैं, भविष्य के लिये निराश हो रहे हैं, मैं निश्चिन्त हूँ। मैं इनकी बातें सुन के हँसता हूँ। इन्हें इन झगड़ों की दवा मालूम नहीं है। उसे तो मैंने न सिर्फ़ कितानों में पाया है, बल्कि किशनगंज के इस दौर में देखा है।

इस प्रकार कुछ दूर जाने के बाद बैलगाड़ी छोड़ देने की नौबत आई। असल में बैल थे तो कमजोर और रास्ता ऐसा वेढंगा था कि न सिर्फ़ बैलगाड़ी के पहिये कीचड़ में डूब जाते थे, बल्कि बैलों की टांगें भी। जब वे चल न पाते तो गाड़ीवान उन्हें पीटता था। यह दृश्य बर्दाश्त के बाहर था। मगर इतने पर भी बैल आगे बढ़ पाते न थे। बढ़ते भी आखिर कैसे? रास्ता वैसा हो तब न! इसलिये तय हुआ कि गाड़ी छोड़ के पैदल चलें। नहीं तो रास्ते में ही रह जायेंगे और मस्तान के गांव तक भी आज पहुँच न सकेंगे। फलतः कपड़ा लत्ता एक आदमी के सर पर गद्दर बांध के रख दिया गया और जूते हाथ में लेके हम सभी उत्तर पच्छिम रुख पैदल ही बढ़े। कीचड़ में फँसते, पानी पार करते, गिरते पड़ते हम लोग चराचर बढ़ते जाते थे। यह भी मजेश्वर यात्रा थी। हममें जरा भी मनहूँजी नजर न आई। हँसते हुए चल रहे थे। यह कितना सुन्दर 'ट्रिजर ट्रिप' था, सैर सगाटा था। आखिर कीचड़ पानी से लथपथ और वृष्टि से भी भीगते भागते शाम होते न होते हम लोग मस्तान के गांव पर पहुँची तो गये।

मस्तान साहब खबर पाते ही दौड़े दौड़ाये हाजिर आये और हम सभी गले गले मिले। शान का तो वक्त था ही। हम लोग थके माँदे भी थे। मैं तो रात में कुछ खाता पीता न था, मिशर गांव के दूध के और वर अन्नानक भिन्न सकता न था। अगर रहते से खबर होती तो उसका इन्तजाम थापद

हुआ रहता । मस्तान और उनके साथी कोशिश करके थक गये । मगर दूध न मिला । बाकी लोगों ने खाना-वाना खाया । रात में थकावट के चलते हम सभी सो रहे । तब पाया कि बहुत तड़के लोग जमा हों और हमारी मीटिंग हो । उसी दिन जल्द से जल्द सभा करके और खा पी के हमें जहानपुर पहुँचने के लिये आगे चल पड़ना भी था । हाँ, मस्तान साहब इधर उधर खबरें भेजते रहे उस दिन शाम से ही, कि कल तड़के लोग जुट जाँय । पता लगा कि उनसे हमारे बारे में पहले से ही लोगों में प्रचार भी कर रखा था ।

दूसरे दिन नित्यक्रिया स्नानादि के बाद हमारी सभा की तैयारी हुई । लोग जमा हुए । हमने उन्हें घंटों समझाया । हम तो सिर्फ उनकी भूख और गरीबी की बातें ही करना जानते थे और वे बातें उन्हें रुचती भी थीं । मस्तान साहब शेर (कविता) के प्रेमी हैं । बहुत से पद मौके-मौके के वे जानते भी हैं । हमारे बारे में भी उनका यही खयाल था । उनसे हमें भी कहा कि बीच बीच में कुछ चुभते हुए पद सुनाते चलेंगे तो अच्छा असर होगा । जहाँ तक हो सका हमने उनकी मर्जी को पूरा किया । मगर हमें खुशी थी कि एक सच्चे जन-सेवक के घर पर ठेठ देहात में मरते जीते जा पहुँचे थे, जैसे लोग तीर्थ और हज की यात्रा में पैदल ही जाते हैं । जहाँ सच्चे और मस्ताने जन-सेवक हों असल तीर्थ तो वही है । पुराने लोगों ने तो कहा भी है कि सत्पुरुष और जन सेवक तीर्थों तक को पवित्र कर देते हैं अपने पांवों की धूलों से—“स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ।” तीर्थ बने भी तो हैं आखिर सत्पुरुषों के रहने के ही कारण । इस युग में किसानों के तीर्थ कुछ और ही ढंग के होंगे ।

जहानपुर चलने के लिये भी एक बैलगाड़ी का इन्तजाम हुआ, हालाँकि पहले दिन के अनुभव से हम डरते थे कि फिर वही हालत होगी । कुछ तो पहले दिन की थकावट और कुछ लोगों के हठ के करते बैलगाड़ी फिर भी ठीक होई गई और उसी पर लद-फन के हम लोग दोपहर के पहले ही चल पड़े । शाम तक जैसे तैसे सा जी के घर पर पहुँचना जो था ।

लेकिन हमारा डर सही निकला । आगे का रास्ता और भी विकट था । नदी-नाले भी काफी थे । आखिरकार जहाँ तक जाते वना हम लोग गये । मगर जब गाड़ी का आगे जाना गैर मुमकिन हो गया तो उसे लौटा के हम आगे बढ़े । नदियों में गाड़ी पार करने में दिक्कत भी काफी थी । इसलिये हमने पैदल ही चलना ठीक समझा । नहीं तो शाम तक रास्ते में ही पड़े रह जाते और जहानपुर पहुँची न पाते । आज की यात्रा गुजरे दिन की यात्रा से भी मजेदार थी । हमें इन घोर देहातों का अनुभव करना जरूरी था । यह भी जांच करनी थी कि हम खुद कहां तक पार पा सकते हैं । क्योंकि बिना ऐसा किये और ऐसी तकलीफें वर्दाश्त किये किसान-आन्दोलन चलाया जा सकता नहीं । यह मजदूर सभा थोड़े ही है कि शहरों में ही मोटर दौड़ा के और रेलगाड़ियों से ही चल के कद लेंगे । इसीलिये सैकड़ों बार हमने छोटी मोटी ऐसी यात्राएँ जान झूक के की हैं ।

आखिर दूसरे दिन की हमारी यात्रा भी पूरी हुई और जहानपुर पहुँच गये । पं० पुण्ड्रानन्द झा एक लगन के आदमी हैं । हमने देखा कि गाँव बीच में सबसे ऊँची जमीन पर बने मोपड़े को उनने आश्रम बना रखा है । चरखे वगैरह का काम वहाँ बराबर होता था । कुछ लड़के पढ़ते भी थे । पण्डित जी के एक ही लड़का है । मगर उसे उनने कहीं और जगह जा के पढ़ने न दिया ! सरकारी स्कूलों का बायकाट जो किया था ! इसीलिये उसे अन्त तक निभाया । हमने प्रायः सभी लोहरों को देखा है कि सन् १९२१ ई० के बायकाट के बाद फिर उनके लड़के वगैरह उन्हीं सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं । मगर झा जी ने ऐसा करना पाप समझ अपने लड़के को घर पर ही रखा और पढ़ने के बदले लोगों की जो भी सेवा वह अपने ढंग से उच्च देहात में कर सके उसे ही पसन्द किया । उनका आश्रम बहुत ही साफ सुथरा और रमणीय था । तबीअत खूब ही रमी, गोबर अपने घर पहुँच आये । सासुर में सफाई बहुत ही पसन्द करता है । जरा भी गन्दगी हो तो मुझे नींद ही नहीं आती । बैचन हो जाना है ।

रूनानादि के बाद दूध पीके रात में सो गये । अगले दिन सभा होगी यही निश्चय हुआ था ।

किसानों की सभा भी अगले दिन बहुत ही अच्छी हुई । हमने अपने दिल का बुखार निकाल लिया । उन्हें उनके मसले बहुत ही अच्छी तरह समझाये । उनकी आँखों के समझ न सिर्फ उनकी हालत की नंगी तस्वीर खींची, बल्कि उसके कारण भी साफ साफ बता दिये । उन्हें यह मलका दिया कि उनकी नासमझी और कमजोरी से ही उनकी यह अवतर हालत है और दूसरे तरीके से यह दूर भी नहीं हो सकती जब तक वे खुद तैयार न होंगे, अपने में हिम्मत न लायेंगे और अपने हकों को न समझेंगे । उनका सबसे पहला हक है कि भर पेट खाये पियें, दवादारु का पूरा इन्तजाम करें, जरूरत भर कपड़े पहनें ओढ़ें और स्वास्थ्य के लिये जरूरी सामान तथा मकान वगैरह बनायें । दुनियाँ की कोई सरकार और कोई ताकत इस बात से इनकार कर नहीं सकती अगर डंट के वे इस हक का अमली तौर से दावा करने लगे । जब वे खुद कमाके अपने आप खाना और अपनी को खिलाना चाहते हैं, और बाकी दुनियाँ को भी, तो फिर किसे हिम्मत है कि वे खुद भूखे रहें और दुनियाँ को खिलायें ऐसा दावा पेश करे ! आखिर जिस गाय से दूध चाहते हैं उसे पहले खूब खिलाते पिलाते और आराम से रखते ही हैं । नहीं तो दूध के बजाय लात ही देती है ।

अब किसी प्रकार अररिया चलके रेलगाड़ी पकड़ना और कटिहार पहुँचना था । बरसात के दिन और रास्ते में छोटी बड़ी नदियाँ थीं । फिर वही ब्रैलगाड़ी हमारी मददगार बनी । मगर इस बार दो गाड़ियाँ लाई गईं । ऊपर वे छाई भी गई थीं । पहले की गाड़ियाँ तो सामूजी ही थीं । मगर इस बार जरा देख भाल के गाड़ी और ब्रैल लाये गये । एक में मैं खुद अपने सामान के साथ बैठा और दूसरी में मा जी और अनाथ बच्चा । रात में ही खाना हुआ । नहीं तो अगले दिन कहीं राह में ही रह जाना पड़ता । किस हैरानी और परीशानी के साथ यह बाकी यात्रा पूरी हुई वह वही समझ सकता है जिसे उधर ऐसे समय में जाने का मौका मिला हो । इसका यह

मतलब नहीं कि हममें मनहूसी थी, या हमने इस दिक्कत को अपने दिल में जरा भी स्थान दिया । देते भी क्यों ? हमने खुद जान-बूझ के ही यह यात्रा की थी । उन विकट देहातों का अनुभव जो लेना था । हमें खुद इस सख्त इम्तहान में पास जो होना था । और हमें खुशी है कि अच्छी तरह उत्तीर्ण हुए ।

अररिया में पहुँच के सीधे स्टेशन चले गये । स्टेशन शहर से दूर पड़ता है । वहीं ठहरे, स्नानादि किया, कुछ खाया-पिया । फिर ट्रेन आई और हमें लेके उसने कटिहार पहुँचाया ।



सन् १९३५ ई० की किशनगंज वाली यात्रा के ही सिलसिले में हमें कटिहार के बाद कुरसैला स्टेशन जाना और वहाँ से उतर के नजदीक के ही उमेशपुर या महेशपुर में होने वाली विराट् किसान-सभा में भाषण देना था। वहाँ से फिर टीकापट्टी आश्रम में जाने का प्रोग्राम था। वहीं रात को ठहरना भी था। हम लोग सदल-बल ट्रेन से रवाना हो गये। स्टेशन पर बाजे गाजे, झंडे और जुलूस की श्रृंखला भीड़ थी। लोगों में उमंग लहरें मार रही थीं। किसान-सभा और किसानों के नारों और आजादी की युक्त से आसमान फटा जा रहा था। स्टेशन के नजदीक ही एक बड़े जमींदार साहब का महल है और सभा-स्थान में जाने का रास्ता भी महल की बगल से ही था। पता नहीं वे वहाँ उस समय थे, या कहीं चले गये थे। यदि थे भी तो उन पर क्या गुजरती थी यह कौन बताये। वे बड़े सख्त जमींदार हैं जो जेठ की दुपहरी के सूर्य की तरह तपते हैं! उनकी जमींदारी में रहने वाले किसानों का तो खुदा ही हाफिज़!

मगर माने जाते हैं वे भी कांग्रेसी। कांग्रेसीजनों में उनकी पूछ है। शायद टीकापट्टी आश्रम तथा कांग्रेस की और संस्थाओं को साल में काफी श्रद्धा और पैसे उनसे मिलते हैं। जिले के कांग्रेसी लीडरों का सत्कार भी उनके यहाँ होता है। लीडरों को तो आखिर स्वराज्य लेना है पहले, और जब तक जमींदारों को साथ न लेंगे तब तक स्वराज्य मिलने में बाधा जो खड़ी होगी। अगर उनके बिना वह भी मिल गया तो शायद लँगड़ा होगा। लेकिन यदि किसानों की तकलीफों का खयाल करें तो ये जमींदार कांग्रेस में आ नहीं सकते। इसीलिये बहरहाल उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। सभी को ले के चलना जो ठहरा। यह भी सुना है कि वे जमींदार साहब और उन जैसे दो एक और भी साल में कांग्रेस के बहुत मेम्बर इधर-

बनाने लगे हैं। बात तो आसान है। जोई किसान लगान देने आये उससे ही लगान के सिवाय चार आना और ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। चार आना दिये बिना बाकी रुपये की भी रसीद न मिले तो ? तब तो सभी गायब हो जाते हैं। इसीलिये मजदूरन वे गरीब चार आना देते ही हैं। नजराना, शुकराना, रसीदाना, फारख या फरखती वगैरह के नाम पर जब बहुत कुछ गैर कानूनी वसूलियाँ उनसे की जाती हैं, तो इस चार आने की क्या गिनती ? खतरा यही है कि जब चवन्नी की वसूली जारी हो जायगी तो कुछ दिनों के बाद कांग्रेस के नाम की भी जरूरत न रहेगी और ये पीसे जमींदार हमेशा लेते रहेंगे। आखिर नये नये अववाव इसी तरह तो बने हैं अववावों का इतिहास हमें यही सिखाता है। मगर इससे क्या ? इसकी पर्वा है किसे ? मुरखंड (मुजफ्फरपुर) के एक जमींदार यों ही अन्नो के नाम पर न जानें कितने दिनों से गैर कानूनी वसूली किसानों से करते आ रहे हैं। हालाँकि उनके भाई कांग्रेसी हैं और अब तो जेल भी हो आये हैं। यह अन्नो भी इसी तरह बनी होगी।

हाँ, तो हम स्टेशन पर उतरे और सीधे सभा-स्थान की ओर चल पड़े। हमें ठीक याद नहीं कि बैलगाड़ी पर गये या हाथी पर। शायद बैलगाड़ी ही थी। हाथी पर चलना हमें कई कारणों से पसन्द नहीं। वह एक तो धनियों के ही यहाँ होता है। दूसरे वह रोचदात्र और शानदान की चीज और सवारी है और किसानों की सभा में वह चीज मुझे दुर्ग तरह खटकती है। इसीलिये बिना किसी मजदूरी के मैं उसे कभी पकड़ नहीं करता। किसानों की अपनी चीज होने के कारण मुझे बैलगाड़ी दिल से पसन्द है। कभी कभी पालकी में भी, आदमियों के कंधों पर, चलना ही पड़ता है। मगर जब कोई चारा नहीं होता और कहानों के गाने-बाने तथा उनकी पूरी मजदूरी का पक्का इन्तजाम हो लेता है तभी मैं उस पर चढ़ता हूँ। मैं कहारों से खामखाह पूछ लेता हूँ कि उन्हें जो कुछ मिला उसके वे पूरे सन्तुष्ट हैं या नहीं। यदि जरा भी कसर मालूम हुई तो उसे पूरा करवाता हूँ। सभी जगह मैंने देखा है कि कहारों के साथ बर्फी ही लारवाही और बेनुगबती

से व्यवहार किया जाता है। इसीलिये मैं उनसे खुद पूछता हूँ। कई जगह तो मारे प्रेम के उनने मुझे अपने कन्धों पर खामखाह चढ़ा लिया है।

इस प्रकार जोश-खरोश और उछलते उत्साह के साथ हम लोग सभा-स्थान में पहुँचे। बरसात की कड़ी धूप ने हमें रास्ते में काफी तपाया था और दुपहरी का समय भी था। मेव न होने के कारण सूर्य अपना तेज वैसे ही दिखा रहा था और लोगों को झुत्सा रहा जैसे जमींदार किसानों के सम्बन्ध में करता है। पेड़ों की छाया में हमें शान्ति मिली। ठंडे होके और पानी-वानी पी-पा के हम लोग मीटिंग में पहुँचे। जहाँ मीटिंग थी उसे धर्मपुर का परगना कहते हैं। इसमें पूर्णियाँ जिले का बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है। यहाँ के जमींदार महाराज दरभंगा हैं। कुरसैला के जमींदार और त्रिशुनपुर के जमींदार वगैरह दो एक ही और हैं। मगर महाराजा के सामने इनकी हस्ती नहीं के बराबर है। ये लोग महाराजा की हजारों बीघा रैयती जमीनें रखते हैं। खासकर त्रिशुनपुर वाले तो बीघियों हजार बीघे रैयती जमीनें रखते हैं, जो दर रैयतों (undertenants) या शिकमी किसानों को बँटाई पर जोतने को देते हैं। कहीं कहीं नगद लगान भी लेते हैं। मगर जब चाहे जमीन छोन लें इसकी पूरी इन्दिश कर रखते हैं। इसलिये इस मामले में जमींदारों से भी ये मालदार लोग जो अपने को मौका पढ़ने पर किसान भी कह डालते हैं, ज्यादा जालिम और खतरनाक हैं।

महाराजा की जमींदारी के और जुल्म तो हई, जो आमतौर से सभी जमींदारियों में पाये जाते हैं। उनके सिवाय एक खास जुल्म चरखा महाल वाला पहले ही बताया जा चुका है। लेकिन धर्मपुर में ही पता चला कि सर्वे खतियान में जमीन तो किसान की कायमी रैयती लिखी है। फिर भी उस पर जो पेड़ हैं वड़ सोलहों आने जमींदार के लिखे हैं। असल में पूर्णियाँ जिले में ज्यां ज्यों उत्तर जाइये नैपाल की तराई की ओर त्यों त्यों मधुमन्त्रियाँ पेड़ों पर शहद के बड़े बड़े छत्ते लगाती दिखेंगी। वहाँ शहद का खास ब्यारार होता है। इसीलिये जमींदार ने चरखा की से पेड़ों पर अपना अधिकार सर्वे के समय लिखवा लिया। किसानों को तो उस

समय इसका ज्ञान था ही नहीं। वे सर्वे का महत्व भी ठीक समझ न सके थे, और वही लिखा-पढ़ा आज उनका गला कतर, रहा है। वहाँ अक़ और दलील की गुंजाइश हुई नहीं कि किसान की जमीन पर जर्मींदार के पेड़ कैसे हो गये ? और अगर आज भी शहद उतारने वालों को किसान कह दे कि खबरदार, मेरी जमीन पर पाँव न देना, नहीं तो दृष्टिओं टूटेंगी। हवाई जहाज से जैसे हो ऊपर ही ऊपर उड़के पेड़ पर चढ़ जाओ और शहद ले जाओ, तो क्या हो ? आखिर कुछ तो करना ही होगा। नहीं तो काम कैसे चलेगा ? जब वे लोग बातें नहीं सुनते तो जैसे को तैसा जवाब देना ही होगा।

दूसरा जुल्म यह मालूम हुआ कि वहाँ घाट के नाम से एक टैक्स लगता है। यह टैक्स दूसरी जमींदारियों में भी पाया जाता है। एक बार तो ऐसा मौका लगा कि हम अपने साथियों के साथ फाविसगंज के इलाके में त्रैलगाड़ी से देहात में जा रहे थे। रास्ते में एकाएक कोई आया और गाड़ी रोक के घाट भाँगने लगा। पीछे जब उसे पता चला कि गाड़ी में कौन बैठा है तब सरक गया और हम आगे बढ़े। बात यह है कि कुछ दिन पहले जहाँ-तहाँ पानों की धारियाँ उस जिले में बहुत थीं। नतीजा यह होता था कि लोगों को हाट-बाजार जाने या दूसरे मौकों पर बढ़ी दिक्कतें होती थीं। पार करना मुश्किल था। जान पर खतरा था। इसलिए जर्मींदार लोग अपनी अपनी जर्मींदारियों में ऐसी धाराओं के घाटों पर नावों का इन्तजाम करते थे, ताकि लोगों को आगम मिले। शुरू शुरू में यह काम मुफ्त ही होता था। फिर उनने धीरे धीरे नाव वसूल्द का खर्च पार होने वालों से वसूलना शुरू किया। उसके घाट ठेकेदार मुहूर्कर कर दिये गये जो अपनी नावें रखते और आर-पार जाने वालों से सेना ले लेते थे। अन्ततोगत्वा जमींदारों ने घाटों की नीजाम करना शुरू किया और जोई ज्यादा पैसे देता वही घटवार या घाट के ठेकेदार बनता था। वह अपना खर्च मुनाफे के साथ सेना के रूप में लोगों से वसूलता था। यही तरीका बराबर चलता रहा। धीरे धीरे घटवार मौलवी बन गये। उसके बाद वे धारियाँ सुख गईं और नाव की जरूरत ही न रही। अगर घटवार

तो रद्दो गये। वे जमींदारों को पैसे देते और लोगों से वसूल लेते। भला यह लूट और अन्धेराकात नहीं है तो और हई क्या ? हमें इसके खिलाफ भी तूफान खड़ा करना पड़ा।

दरभंगा महाराज की जमींदारी में ही हमें सबसे पहले वहीं पर पता चला कि 'ट्रेस' के नाम पर गरीबों पर एक बला आई है और जमींदार सबों को परीशान कर रहा है। पहले तो हम समझी न सके कि यह 'ट्रेस' कौन सी बला है। मगर बातचीत से पता लगा कि असल में "ट्रेस पास" या दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा से ही मतलब है। 'पास' शब्द को तो हटा दिया और 'ट्रेस' का 'ट्रेस' कर दिया है। आखिर अनाड़ी देहाती क्या जानें कि असल शब्द क्या है। बात यों हांती है कि इधर कुछ दिनों से, खासकर किसान-सभा के आन्दोलन के शुरू होने पर, जमींदार के आदमियों ने किसानों को तंग करने के नये नये तरीके सोचने शुरू कर दिये हैं। इस प्रकार एक तो महाराजा की आमदनी बढ़ रही है। दूसरे किसान लोग पस्त हो जाते हैं और सिर उठा नहीं सकते। इसी सिलसिले में यह ट्रेस पास वाला हथियार भी ढूँढ़ निकाला गया है।

असल में सर्वे के समय किसानों के मकानों की जमीन खतियान में लिखी गई है। मगर मकान या फोपड़े दूर दूर रहने से बीच बीच में खाली जमीनें भी रह गई हैं जिन्हें कहीं कहीं गैर मजरुआ ग्राम और कहीं कहीं खास लिखा गया है। मुमकिन है कि समय पा के कुछ ज्यादा जमीन पर किसानों के पशु वगैरह बाँधे जाते हों। यह बात तो सर्वे के समय भी होती होगी। आखिर कलकत्ता जैसे शहर में तो किसान बसते ही नहीं कि इंच इंच जमीन की खोज हो। मगर सर्वे में इसका जिक्र नहीं हुआ। चौकीसों घंटे पशु घर में ही तो रहते नहीं। बाहर भी बाँधते ही हैं। यह भी हो सकता है कि खामखाह कहीं किसान ने कुछ जमीन हथिया ली हो। आखिर इफरात जो ठहरी। मगर जमींदार को तो मौका चाहिये तंग करने का। उसके अमले तो घूस और सिफारिश चाहते हैं जो अब किसानों से ग्रामतौर से होना असंभव है। इसलिये रंज होके खतियान के मुताबिक जमीन नापी

जाती है। नापने वाला वही अमला होता है। कोई सरकारी ओवरसिपर या अमीन नहीं आता। और अगर नाप में ज्यादा जमीन कुछ भी निकली तो किसान पर आफत आई। अमले नाप-जोख में गड़बड़ी करके भी ज्यादा जमीन साबित कर देते हैं। इस प्रकार किसान पर ट्रेस पास का केस चलाया जाता है। यदि उसने डर से अमलों की पूजा-प्रतिष्ठा पहले ही कर ली और जमींदार को भी कुछ नजर या सलामी दे दी तब तो खैरियत। नहीं तो लड़ते लड़ते तबाही की नींव आती है। इस "ट्रेस" के करते मैंने किसानों में एक प्रकार का आतंक वहाँ देखा। पीछे तो भागलपुर, दरभंगा आदि में भी यही बात मिली।

यों तो सैकड़ों प्रकार की गैर कानूनी वसूलियाँ समय समय पर चलती ही रहती हैं। मगर दो एक तो वहाँ की खास हैं। मवेशियों की खरीद-विक्री पर खुद किसानों से एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था और शायद अब भी हो। और गल्ले की विक्री पर भी और इस प्रकार उनके नाकों दम थी। मगर पुनाही खर्च के नाम से जो वसूली होती है वह बड़ी ही घुरी है इसी प्रकार कोसी नदी के जंगलों में सूअर या हिरन का शिकार खेजने के लिये जब कभी महाराजा का, उनके दोस्तों का या उनके मैनेजर का कैम्प देहातों में जाता है तो किसानों से बकरी, बकरे, दूध, घी, मुर्गी, मुर्गे वगैरह की शकल में सैकड़ों चीजें वसूल की जाती हैं। यों करने के लिये शायद उन चीजों की कीमत हिसाब में लिखी जाती है। मगर गरीब किसानों को मिलती तो है नहीं। और अगर कहीं कभी एकाध को मिली भी, तो नाम-मात्र को ही। बाकी तो अमलों के ही पेट में चली जाती है। यह भी होता है कि दो की जगह चार बकरे भेगाये जाते हैं और उनमें कुछ कैम्प खर्च में लिखे जाते ही नहीं। उन्हें तो ऊपर ही ऊपर वे अमले उड़ा दी लेते हैं। फिर उनका खर्च मिले तो कैते ! कुम्हारों से मुफ्त बर्तन और क्लारों से बेगार में फाम करवाना तो आम बात है। दूसरे गरीब भी इसी प्रकार खटते रहते हैं।

पुनाही की बात यों है कि साल में एक बार महाराजा के हर मकिल औपिस में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और एवन-पूजा होती है।

खूब खान-पान भी चलता है । बहुत लोग जमा होते हैं । यह उत्सव प्रायः दशहरा (दुर्गापूजा) के समय ही या उसीके आस-पास होता है । बिहार के अन्यान्य जिलों में जो तौजी की प्रथा है वह तो ठीक दशहरे के दिन ही होती है । यह पुनाही उसी तौजी का कुछ विस्तृत रूप है । असल में संस्कृत के पुण्याह शब्द का अर्थ है पवित्र दिन । इसी का अपभ्रंश पुनाह हो गया । पुनाही उसी पुनाह या पुण्याह का सूचक है । इसके मानी हैं पुण्याह वाला । जमींदार अगले साल के लगान की वसूली उसी दिन से शुरू करता है जैसा कि और जगह तौजी के दिन शुरू करता है । हिन्दी साल भी तो दशहरे के बाद ही शुरू कार्तिक से ही आरंभ होता है । इसीलिये अगले साल के लगान की वसूली का श्रीगणेश उस दिन ठीक ही है । और जमींदार के लिये इससे पवित्र दिन और क्या होगा कि उसने लगान की वसूली साल शुरू होने के पहले ही जारी कर दी । किसानों के लिये यह दिन भले ही बुरा हो । मगर जमींदार के लिये तो सोना है । इसीसे वह उत्सव पुनाही का उत्सव कहा जाता है ।

उसके खर्च का एक इस्टिमेट या अन्दाज (Budget) तैयार होता है । वह हर साल की ही तरह होता है । हाँ, कुछ घट-वढ़ तो होती ही है । इसके बाद वह हर तहसीलदार के हिस्से में बाँट दिया जाता है कि कौन कितना वसूल करेगा किसानों से । अब तहसीलदार लोगों को मौका मिलता है कि इसी बहाने कुछ अपने लिये भी वसूल कर लें । इसलिये सर्किल से उनके जिम्मे जितना रुपया या घाँ वगैरह वसूलने को दिया गया था उसका ड्योढ़ा-दूना करके उसे अपने पटवारी आदि मातहतों के जिम्मे बाँट देते हैं कि कौन कितना वसूल करेगा । फिर वे पटवारी वगैरह भी अपना हिस्सा उसी तरह ड्योढ़ा-दूना करके अपने अधीनस्थ नौकरों के हिस्से लगाते हैं जो कुछ बढ़ा-चढ़ा के हर किसान से वसूल करते हैं । इस तरह वसूली के समय असल खर्च कई गुना वन के वसूल होता है और गरीब किसान मारे जाते हैं । जो कुछ उन्हें घी-दूध आदि के रूप में या नगद देना पड़ता है वह ऐसा टैक्स है कि कुछ कहिये मत । उसके बदले

में उन्हें मिलता कुछ भी नहीं। वह तो लुट जाते हैं। शायद एकाध मिठाई मिलती हो !

इस प्रकार के जुल्मों और धींगामुश्तियों को कहीं तक गिनाया जाय ? सिर्फ नमूने के तौर पर कुछेक को दिखला दिया है। असल में जब जमींदार लोग किसानों को आदमी समझते ही नहीं, इन्सान मानते ही नहीं, तो मुसीबतों की गिनती क्या ? वे तो जितनी हैं सब मिलके थोड़ी ही हैं ! उनके भार से दूबे किसानों का गिरोह उस सभा में हाजिर था। हमने जमींदार और उसके नौकरों का खिदमत सभा में की तो काफी। जले तो पहले से ही थे। किसानों के करुण क्रन्दन, उनकी चीख-पुंकार ने उस पर नमक का काम कर दिया। फिर तो उबल पड़ना स्वाभाविक था। हमने जालिमों को ऐसा ललकारा और उनकी धज्जियाँ इस तरह उड़ाईं कि एक बार मुद्दे किसानों में भी जान आ गई। उनसे समझ लिया कि उनकी तकलीफों का खात्मा हो सकता है। पहले तो समझते थे कि “कोउ नृप” होइ हमें का हानी। चेरि छाँड़ि न होउव रानी !” पर एक बार उनकी रसों में गर्माँ आ गई।

सभा के बाद टीकापट्टी आश्रम में गये जो कुछ दूर है। रात को वहीं ठहरे। सुबह घूम-घाम के आश्रम देखा। वह तो गान्धीवाद का अखाड़ा है। चर्खे, करघे का कार-वार खूब फैला नजर आया। वहाँ के रहने वाले कभी कभी जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ पहले आवाज उठाते थे। देहातों में घूम के मीटिंगें भी करते थे। मगर धीरे धीरे यह बात कम होती गई। अब तो यह बात शायद ही होती है। शायद प्रारम्भिक दशा में वहाँ जमना था। इसीलिये किसान जनता की न्यायता जरूरी थी। अब तो काफी जम गये। सम्भवतः अब वह प्रश्न छेड़ने की जरूरत हमीलिये नहीं पड़ती ! किसान-सभा का बंद जमाना या भी शुरू का ही। लोग समझी न सके थे कि यह कियर जायगी। वर्ग चेतना किसानों में पैदा करेगी और वर्ग संघर्ष को काफी प्रोत्साहन देगी यह बात तब तक लोगों के दिमाग में आई न थी। इसीलिये मुझे भी उच्च आश्रम में निर्ममित किया

गया । स्टेशन के पास की सभा का प्रबन्ध भी उन लोगों ने ही किया था । मगर अब तो किसान-सभा से लोग भय खाते हैं । वर्ग विद्वेष की बात बहुत फैली है । ऐसी हालत में वैसे आश्रम यदि सतर्क हो जाँय तो कोई ताज्जुब नहीं । असल में ज्यों ज्यों किसानहित और जमींदारहित के बीच वाली चौड़ी एवं गहरी खाई साफ साफ दीखने लगी है त्यों त्यों दुभाषिये लोगों—दोनों तरफ की बातें मौके मौके से करने वाले लोगों के लिये इन बातों की गुंजाइश कम होती जाती है । अब तो गांधीवादी हमारे साथ बैठने से भी डरते हैं कि कहीं लीडर लोग जवाब न तलब करें । ऐसा हुआ भी है । चलो अच्छा ही हुआ । किसानों को सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं लोगों से है जो ऊपर से उनके हित होते हुए भी भीतर से वर्ग सामञ्जस्य के हामी हैं और चाहते हैं कि किसानों और जमींदारों में कोई समझौता हो जाय । नहीं तो अन्ततोगत्वा वे कहीं के न रह जाँयगे । क्योंकि आखिर अब तो किसानों के ही हाथों में अब देने के सिवाय बोट देने की भी शक्ति है ।

टीकापट्टी से हमें बनमनखी जाना था । यह रेलवे जंक्शन मुस्लीगंज और बिहारीगंज स्टेशनों से, जो पूर्णियाँ और भागलपुर जिलों की सीमा पर पड़ते हैं, आने वाली लाइनों का है । वहीं से पूर्णियाँ होती कटिहार को लाइन जाती है । हमें बड़हरा स्टेशन पर ट्रेन सवेरे ही पकड़नी थी । अगले दिन रवाना होने की बात तय पाई थी । बड़हरा वहाँ से दूर है । सड़क-बढ़क तो कोई है नहीं । सवारी भी सिवाय बैलगाड़ी के दूसरी संभव न थी । अगर दोपहर के बाद रवाना हुआ जाय और रातोंरात चलते जाँय तो ठीक समय पर शायद पहुँच जाँय । किसनगंज से जहानपुर वाली यात्रा से यह कठिन थी । वहाँ केवल दिन में ही चलना पड़ा । मगर यहाँ तो रात में बराबर चलना था ! मगर करना भी क्या था ? कोई उपाय न था आखिर किसान-आन्दोलन की बात जो ठहरी !

यही हुआ भी । हमारी बैलगाड़ी रवाना हो गई । बद्रिक्रमती से जो बैलगाड़ी मिली वह छोटी सी थी । उस पर पर्दा भी न था कि धूप या

पानी से बच सकें। अकसर उस और ऊपर से छाई हुई गाड़ियाँ मिलती हैं। मगर वह तो थी निरी सामान ढोने वाली। उसमें एक और भी कमी थी। गाड़ियों के दोनों तरफ ब्राँस की बल्लियाँ लगी रहती हैं जिनमें मजबूत रस्सी लगा के गाड़ी के साथ बाँधते हैं। किनारों पर लगे खूंटों पर वह बल्लियाँ लगाई जाती हैं। इस प्रकार गाड़ी में बैठने पर भूल-चूक से नीचे गिरने का खतरा नहीं रहता। सामान भी हिफाजत से रहता है। मगर हमारी गाड़ी में यह एक भी न था। इससे खुद भी गिर पड़ने का डर था और सामान के भी लुढ़क जाने का अन्देशा था। गाड़ीवान के अलावे हम तीन आदमी उस पर बैठे थे। सामान भी था।

हालत यह हुई कि हम सभी दिन में तो पलथी मारे बैठे ही रहे। रात में भी वही करना पड़ा। सोने की बात तो छोड़िये। जरा सा लेटना या झुकना भी गैर मुमकिन था। यह तकलीफ बर्दाश्त के बाहर थी। जिन्दगी में मेरे लिये यह पदला ही मौका था जब सांलह घंटे से ज्यादा बैलगाड़ी पर बैठे बैठे सारी रात गँवाई। बैलगाड़ी की सवारी तो यों भी बहुत बुरी होती है। उसमें उठाव-पटक तो कदम कदम पर होता ही रहता है। धक्के ऐने लगते हैं कि कलेजा दहल जाता है। यदि उस पर पुआल बगैरह कोई नर्म चीज न हो तो काफी चोट लगती है। चूतड़ जन्वमी हो जाते हैं। इतने पर भी यदि लेटने या सोने का जरा भी मौका न मिले तो मौत ही समझिये। मगर वहाँ ये सारे सामान मौजूद थे ! मैं मन ही मन हँसता था कि लोग समझते होंगे कि किसान-सभा का काम बहुत ही आराम वाला है। मैं यदि एक दिन भी सारी रात जग जाऊँ तो अगले दिन जरूर ही बीमार पड़ जाऊँ, यह बात जान लेने पर उस रात की तकलीफ का अन्दाज लगाया जा सकता है। तिस पर भी दर था कि कहीं ट्रेन न चूट जाय। इसलिये गाड़ीवान को मार्ग रात तर्काद करते रहे। इस प्रकार गाड़ी आने के पहले ही जैसे जैसे बड़दरा स्टेशन पहुँची तो गये।

पूर्णियाँ जिले की ही घटना है। सो भी उसी सन् १९३५ ई० की। यह सन् १९३५ किसान-सभा के इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसी साल पहले पहल बिहार प्रान्तीय किसान-सभा ने जमींदारी-प्रथा के मिटाने का निश्चय नवम्बर महीने के अन्त में हाजीपुर में किया था। प्रान्तीय किसान कांग्रेस का चौथा अधिवेशन वहीं हुआ था। मैं ही उसका सभा-पति था। उसी साल उसी नवम्बर महीने में ही हाजीपुर के अधिवेशन के पहले ही, जहाँ तक याद है, ११, १२ नवम्बर को धर्मपुर परगने के राजनीतिक-सम्मेलन और किसान-सम्मेलन बनमनखी में ही हुए थे। पहले सम्मेलन के अध्यक्ष बाबू अनुग्रह नारायण सिंह और दूसरे के बाबू श्रीकृष्ण सिंह थे। यही दोनों सज्जन पीछे कांग्रेसी-मंत्रिमंडल के जमाने में अर्थ-मंत्री और प्रधानमंत्री बिहार प्रान्त में बने थे। इसी भविष्य की तैयारी में जो अनेक बातें होती रहीं उन्हीं में वे दोनों सम्मेलन भी थे। हमें भी वहाँ से निमंत्रण मिला था। यह भी आग्रह किया गया था कि यदि किसी अनिवार्य कारण से कदाचित् हम न आ सकें तो किसान-सभा के किसी नामी-गरामी लीडर को ही भेज दें।

मगर हमने जान-बूझ के दो में एक भी न किया। न खुद गये और न किसी को भेजा ही। इसके लिये वहाँ के साथियों से क्षमा माँग ली अपनी मजदूरी दिखा के। बात दरअसल यह थी कि अब किसान-सभा ने जड़ पकड़ ली थी। उसकी आवाज अब कुछ निडर सी होने लगी थी। वह अब किसानों की स्वतंत्र आवाज उठाने का न सिर्फ दावा रखती थी, बल्कि हिम्मत भी। इसलिये कांग्रेसी लीडरों में उसके खिलाफ कानाफूसी होने लगी थी। भीतर भीतर से विरोध भी हो रहा था। लोग समझते थे कि हमारे जैसे कुछ इने-गिने लोग ही यह तूफान खड़ा कर रहे हैं। नहीं

तो कांग्रेस के अलावे और किसी संस्था को किसान खुद पसन्द नहीं करते । जन-ग्रान्दोलन के बारे में ऐसा खयाल कोई नई बात न थी । यह सनातनधर्म है । आग्विर कांग्रेस को भी तो सरकारी अधिकारी और दकियानूस टल के लोग पहले ऐसा ही कहते थे ।

इसलिये हमने और हमारे साथियों ने सोचा कि यदि बनमनखी जायगे तो कांग्रेस के प्रमुख लीडरों से प्रयत्न संघर्ष हो सकता है । हम जानते थे कि स्वतंत्र किसान-सभा बनाने और जमींदारी मिटाने का मञ्जाल नहीं उठेगा । खसकर हमारे रहने पर । ऐसी हालत में संघर्ष अनिवार्य है । हमारा मौजूदगी में भी यदि ये प्रश्न न उठे तो राजनीतिक-सम्मेलन से अलग किसान-सम्मेलन करने के कुछ मानी नहीं । और आग्विरत में वहाँ के मजलूम किसान समझेंगे क्या ? यही न कि हम भी जमींदारों से उरते हैं, उनके दलाल हैं और बिकर इसीलिये किसान-सभा बना रखी है ? यह तो हमारे लिये झूठ मरने की बात होगी । इसलिये हर पहलू से साचने पर यहाँ तब पाया कि वहाँ न जाना ही अच्छा । हमने यह भी सोच लिया कि यदि इतने पर भी वहाँ जमींदारी मिटाने और बिहार प्रान्तीय किसान-सभा की छत्र-छाया में उस जिले में किसान संगठन करने के मञ्जाल उठे तो वह हमारी सबसे बड़ी जीत होगी । तब तो हमारे विरोधियों को यह कहने का मोका ही न मिलेगा कि किसान-सभा के नाम पर हमें लोग ग्यामखार टाँग प्रड़ाते फिरते हैं—किसान यह सब नहीं चाहते । तब तो दुनिया की आँखें खुलने का मोका मिलेगा कि किसानों का जरूरत ने ही किसान-सभा को पैदा किया है । और अगर ये मञ्जाल उठे और बहुमत ने हमारे पक्ष में ही राय दी, जैसा कि हमारा दृढ़ विश्वास था, तब तो देखा ही पार समझिये । तब तो हमारी दूनो जीत समझ जायगी । हम वहाँ रहने पर तो शायद लोगों को राजों और मुख्तियार से फान लें । अगर न रहने पर तो लोग हमारे करने बिचारों से पूरा काम लेंगे । अन्त में कभी कभी नेताओं की घृणा, उनका दूरान जिते वे लोग समझदार करते हैं, उनकी उदात्ता—ये जनों-जनता का बहुत नुकसान करता है । इनके चक्के उनके दिन, दिनाग

वाहियात लगाम सी लग जाती है और जनता के विचार का निराबाध प्रवाह रुक जाता है । हमने सोचा कि यह महा पाप हमें न करना चाहिये ।

जहाँ तक स्मरण है, हम पटने में बिहार प्रान्तीय किसान कौंसिल (कार्य-कारिणी) की मीटिंग कर रहे थे । क्योंकि हाजीपुर के सम्बन्ध में सारी तैयारी करनी थी, सब बातें सोचनी थीं । वनमनखी के सम्मेलनों के फौरन ही बाद यह मीटिंग थी । वहीं पर जब हमने वनमनखी से लौटे किसी व्यक्ति के मुख से यह सुना कि वहाँ किसान-सम्मेलन में न सिर्फ बिहार प्रान्तीय किसान-सभा की मातहत में स्वतंत्र किसान-सभा बनाने का प्रस्ताव पास हुआ, बल्कि जमींदारी-प्रथा मिटाने का भी निश्चय हो गया, तो हम उछल पड़े । हमने यह भी सुना कि प्रायः पन्द्रह हजार किसान उपस्थित होंगे । क्योंकि वनमनखी तो घोर देहात है । और लीडरों के हजार कुड़बुड़ाने, सरतोड़ परिश्रम करके विरोध करने पर भी केवल तीन चार सौ लोगों ने विरोध में राय दी । बाकियों ने 'इन्किलाव जिन्दावाद', 'जमींदारी-प्रथा नाश हो', 'किसान-राज्य कायम हो', 'किसान-सभा जिन्दावाद' आदि नारों के बीच इन प्रस्तावों के पक्ष में राय दी । विरोध करने वाले न सिर्फ पूर्णियाँ जिले के वॉट्रेसी लीडर थे, प्रत्युत बाहर वाले भी । किसीने खुल के विरोध किया और सारी ताकत लगा दी, तो किसी ने भीतर ही भीतर यही काम किया । मगर विरोध में चूके एक भी नहीं । किसान-सभा-वादियों पर करारी डाँट भी पड़ी । मगर नतीजा कुछ न हुआ ।

इस निराली घटना ने, जो अपने ढंग की पहली ही थी, हममें बहुतों की आँखें खोल दीं, चाहे इससे कांग्रेसी लीडरों की आँखें भले ही न खुली हों । मेरे सामने तो इसके बहुत पहले कुछ ऐसी बातें हो गई थीं जिनसे मेरा विश्वास किसानों में, किसान-सभा में और उसके लक्ष्य में पक्का हो गया था । मगर इस घटना ने हमारे दूसरे साथियों को भी ऐसा विश्वासी बनने का मौका दिया ।

ठीक याद नहीं, किस साल की बात है। शायद सन् १९३६ ई० की गर्मी के दिन थे। मगर कोसी नदी के इलाके में तो उस समय बरसात शुरू होई जाती है। भागलपुर के मधेपुरा शहर में, जिसे कोसी ने न सिर्फ चारों ओर से घेर रखा है, बल्कि ऊजड़ सा बना दिया है, हमारी एक मीटिंग का प्रबन्ध किया गया था। भागलपुर जिले के उत्तरी भाग में सुपौल और मधेपुरा ये दो सब-डिविजन पड़ते हैं। सुपौल से दक्षिण मधेपुरा है। मगर कोसी का कोपभाजन होने से वह शहर तबाह, बर्बाद है। अब तो कोसी ने उसका पिंड छोड़ा है। इसलिये शायद पहले जैसा फिर बन जाय।

हाँ, तो हमें उस दिन वहाँ किसानों की सभा करनी थी। उसके पहले दिन, जहाँ तक याद है, सुपौल से बैलगाड़ी में बैठ के खाना हुए थे। क्योंकि रास्ते में एक और मीटिंग करनी थी। उस स्थान का नाम शायद गमहरिया है। एक बाजार है। जहाँ बनिये लोग भी काफी बसते हैं। वहाँ भी काफी उत्साह था। मीटिंग भी अच्छी हुई थी। वहाँ से हम मधेपुरा के लिये सवेरे ही खा-पी के खाना हुए थे, ताकि तीसरे पहर मीटिंग में पहुँच जाय। मगर बैलगाड़ी की सवारी थी। मालूम पड़ता था, रास्ता खत्म ही न होगा। जब तीन चार बजे तो हमारी घबराहट का ठिकाना न रहा। गाड़ी छोड़ के दौड़ना चाहते थे। पर, आखिर दौड़ के जाते वहाँ। अकेले तो रास्ता भी मालूम न था। नदी-नालों का प्रदेश ठहरा। वह दूसरी दिफ्त थी। रास्ते में मफो, इरहर चमौर की पत्तल खरी थी और रास्ता उन्हीं खेतों से रोके था। वहाँ उली जंगल में भटक जाय तो और भी बुरा हो। हमारे साथ में वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता श्री महाशयल यादव थे। वह हमारी दौड़ में साथ दे न सकते थे। जैसे छारन जिले की अर्कपुर वाली सभा से लौटने पर हमारे साथी हिम्मत वाले मिले थे वह

कृति यहाँ न थी । इसीलिये सिवाय गाड़ीवान को बारबार ललकारने कि जरा तेज हाँको भई, और कोई चारा न था ।

मगर देहात का बरसाती रास्ता घूम-घुमाव वाला था । वह गाड़ीवान वेचारा भी क्या करता ? उसने काफी मुस्तैदी दिखाई । बैल भी काफी परीशान हुए । फिर भी मधेपुरा दूर ही रहा । बड़ी दिक्कत और परीशानी के बाद शाम होते होते हम कोसी के किनारे पहुँचे । अब हमारे बीच में यह नदी ही खड़ी थी । नहीं तो मीटिंग में दौड़ जाते । मटपट पार होने की कोशिश करने लगे । यह नदी भी बड़ी बुरी है । धारा चौड़ी और तेज है । हमने वहीं देखा कि किसान लोग निराश होके सभा-स्थान से लौट रहे हैं । कुछ तो नाव से इस पार आ गये हैं । कुछ उस पार किनारे नाव की आशा में खड़े हैं । दूर दूर से आये थे । अन्धेरा हो रहा था । घर न लौटें तो वहाँ पशु-मवेशियों की हिफाजत कौन करेगा, यह विकट प्रश्न था । खाना-बाना भी साथ न लाये थे । मगर जब उन्हें पता लगा कि हमी स्वामी जी हैं तो बहुतेरे तो 'दर्शन' से ही संतुष्ट होके चलते बने । लेकिन कुछ साथ ही नाव पर फिर वापस लौटे । पार होते होते काफी अन्धेरा हो गया । फिर भी हिम्मत थी कि सभा होगी ही । उस पार वाले भी साथ हो लिये । मैं था आगे आगे । पीछे किसानों का झुंड था । हम लोग वेतहाशा दौड़ रहे थे । खेतों से ही होके जाना था । फसल खड़ी थी । सभा-स्थान काफी दूर था । हालाँकि हम मधेपुरा में ही दौड़ रहे थे । लोगों ने 'स्वामी जी की जय', 'लौट चलो' आदि की आवाजें लगानी शुरू कीं । ताकि जो लोग दूसरे रास्तों से लौटते हों घर की तरफ, वे भी सभा में वापस आयें । अजीब सभा थी । एक बार तो कुछ देर तक दिशायें पुकार से गूँज गईं । जब तक हमारी दौड़ जारी रही पुकार भी होती ही रही । जो जहाँ था वहीं से जय जय करता लौट पड़ा । सूखती फसल को गोया बारिश मिली । निराश लोगों में खुशी का ठिकाना न रहा । चाहे भूखे भले ही रहें, मगर स्वामी जी का व्याख्यान तो सुन लें, यही खयाल उनके दिलों में उछालें मार रहा था ।

खैर, यह पहुँचे, वह पहुँचे, ऐसा करते-कराते हम लोग वेतदाशा की ओर चले गये। लोग भी चारों ओर से आवाज सुनते ही दौड़ पड़े थे। जोई सुनता वही आवाज लगाता था। उस दिन हमने दिखना दिया कि सभा करने और उसे चलाने में ही हम आगे आगे नहीं रहते, मीका पढ़ने पर दौड़ने में भी आगे ही रहते हैं। उस दिन कहाँ से उतनी ताकत हममें आ गई, यह कौन बताये ? मैं सब चीजें बर्दाश्त कर सकता हूँ। मगर एक भी मीटिंग से किसान निराश होके लांठ जाँय और मैं ठीक समय पर मीटिंग में पहुँच न सकूँ, यह बात मेरे लिये बर्दाश्त के बाहर है, मीत से भी बुरी है। उस समय मेरी मनोवृत्ति कैसी होती है इसे दूसरा समझी नहीं सकता। यदि हमारे कार्यकर्ता भी मेरी उस वेदना को समझ पाते तो भविष्य में ऐसी गलतियाँ न करते। उस मनोवृत्ति के फलस्वरूप मुझमें निराशा के बदले काफ़ी बल आता है ताकि किसी भी प्रकार मीटिंग में पहुँच तो जाऊँ। क्योंकि यदि कुछ भी किसान मुझे बर्दा देना लेंगे तो उनके द्वारा धीरे धीरे सबों में खबर फैल जायगी कि मैं मीटिंग में पहुँचा था जरूर। देरी का कारण सचारी ही थी।

सभा-स्थान राष्ट्रीय स्कूल और कांग्रेस ऑफिस के पास का मैदान था। मैं भी पहुँचा और लोग भी आये, गोकि बहुतेरे चले गये थे। मैंने उन्हें उपदेश दिया और देरी के लिये माफी माँगी। यह भी तय पाया कि अगले दिन फिर सभा होगी। रातों-रात खबर फिर छी गई। लोग अगले दिन भी काफ़ी आये। आयेँ भी क्यों नहीं ? कोसी ने तो उनको कचूमर निकाल ही ली है। मगर बच्चे-बच्चाये रक्त को जमींदारों ने चूस लिया है। केवल कंकाल खड़ा है। यही है जमींदारी-प्रथा के भारे हमारे किसान !

भागलपुर जिले के उत्तरी हिस्से में कोसी नदी और जमींदारों ने कुछ ऐसी गुटबन्दी की है कि किसान लोग पनाह माँगते हैं। दोनों ही निर्दय और किसानों की ओर से ऐसे लापवाह हैं कि कुछ कहिये मत। कोसी को तो खैर न समझ है और न चेतनता। इसलिये वह जो भी अनर्थ करे समझ में आ सकता है। वह तो अन्धी ठहरी। मगर इन्सान और सभ्य कहे जाने वाले ये जमींदार ! इन्हें क्या कहा जाय ? जब कोसी से भी बाजी मार ले जाते हुए ये भलेमानस देखे जाते हैं तो आश्चर्य होता है। मालूम होता है, ये लोग नादिरशाह हैं। इन्हें मनुष्यता से कोई नाता ही नहीं। इनके लिये कोई आईन कानून भी नहीं हैं ! इन निराले जीवों को कुदरत ने क्यों पैदा किया यह पता ही नहीं चलता !

किसान-सभा के ही आन्दोलन के सिलसिले में मैं कई बार उस इलाके में गया जिसे कोसी ने उजाड़ दिया है। उसकी धारा का कोई ठिकाना नहीं है। रहती है रहती है, एकाएक पलट जाती है और आवाद भू-भाग को अपने पेट में बीसियों साल तक लगातार डाल लेती है। यह ठीक है कि जिस जमीन को छोड़ देती है वह पैदावार तो खूब ही हो जाती है। मगर मौआ, खरही, बगौरह का ऐसा घोर जंगल हो जाता है कि कुछ पूछिये मत। जंगली सूअर, हिरण और दूसरे जानवरों के अड्डे उस जंगल में बन जाते हैं। फिर तो वे लोग दूर तक धावा मारते हैं। किसानों की फसलें बचने पाती ही नहीं हैं। वे लोग पनाह माँगते फिरते हैं। यह भी नहीं कि वह जंगल कट जाय। किसानों की क्या ताकत कि उसे काट सकें ? हजारों, लाखों बीघे में लगातार जंगल ही जङ्गल होता है। यदि काटिये भी

तो फिर खड़ा हो जाता है। जब तक उसकी जड़ें न खोद डाली जायँ तब तक कुछ होने जाने का नहीं। और यह काम मामूली नहीं है। इसीसे किसान तनाह रहते हैं।

कोसी की धारा जिधर जाती है उधर एक तो लक्ष लक्ष वीथा जमीन पानी के पेट में समा जाती है। दूसरे जङ्गल हो जाने से विप्रात बढ़ती है। तीसरे मलेरिया का प्रकोप ऐसा होता है कि सबों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। यह भी नहीं कि धारा सर्वत्र बनी रहे। लाखों करोड़ों ग्रामों में स्थिर पानी पड़ा रहता है। इसीसे जङ्गल तैयार होता है और मच्छरों की फौज पैदा होती है। उस पानी में एक प्रकार का घान बोया जा सकता है। मगर उस पर यह आफत होती है कि जब धान में बालें लगती और पकती हैं तो रात में जल वाले पक्षियों का गिरोह लाखों की तादाद में आके खा डालता है। यह यम-सेना कहीं से आती है कौन बताये ? मगर आती है जरूर। एक तो रात में राज राज इनसे फसल की रखवाली आसान नहीं है—गैर मुमकिन है। बिना नाव के काम चलता नहीं। सो भी बहुत ज्यादा नावें ही और सैकड़ों हजारों आदमी रागी रात जगते तथा हू हू करते रहें, तब वही जाके शायद पिट छूटे। किन्तु आश्चर्य तो यह है कि जमींदार उन्हें ऐसा करने भी नहीं देते। उस इलाके में नानाछिया के जमींदार हैं बा० भूपेन्द्र नारायण सिंह उर्फ लाल साहब। उन्हें चिड़ियों के शिकार का बड़ा शौक है। खुद तो खुद, दूर दूर से अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं इसी काम के लिये। सरकारी अफसर भी अवसर निमंत्रित किये जाते हैं। रात में पानी में चारा डाला जाता है ताकि पक्षियों के दिल के दिल उसी लोभ से आवें। अब यदि कहीं किसान ने उन्हें उदामा शुरू किया अपनी फसल बचाने के लिये, तो जमींदार साहब और उनके दोस्त शिकार कैसे खेलेंगे ? तब तो उन का सारा मजा ही किरकिरा हो जायगा। इसलिये तो खाल तौर से चारा फेंका जाता है, ताकि यदि धान के लोभ ने वहाँ न भी आवें तो उस चारे के लोभ से तो आवेंगे ही। यही कारण है कि किसानों को सख्त मनाही है कि चिड़ियों को हरिज रात में या दिन में

उड़ायें न। कैसी नवात्री और तानाशाही है ! चाहे किसानों के प्राण-पंखेरु इसके चलते अन्न त्रिना भले ही उड़ जाँय। मंगर चिड़ियाँ उड़ाई जा नहीं सकती हैं। उनका उड़ना जमींदार को वर्दाश्त नहीं है ! खूबी यह है कि यही जमींदार साइब लीडरों की कोशिश से गत असेम्बली चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार करीब करीब बनाये जा चुके थे। बड़ी भुशुकल से रोके जा सके।

उसी इलाके में महाराजा दरभंगा की जमींदारी में दो बड़े गाँव हैं, जैसे शहर हों। उनका नाम है महिषी और बनगाँव। दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं, जो बीच में तीसरा गाँव है नहीं। फिर भी प्रायः दोनों साथ ही बोले जाते हैं। वहाँ मैथिल ब्राह्मणों की—महाराजा दरभंगा के खास भाई-बन्धुओं की—बड़ी आबादी है। मधेपुरा के लिये जिस सहरसा स्टेशन से एक छोटी सी लाइन जाती है उसीके पास ही वे दोनों गाँव पड़ते हैं। वहीं उतर के वहाँ जाना पड़ता है। बनगाँव के मजलूम किसानों ने हमारी मीटिंग का प्रबन्ध कर रखा था। मगर हमें यह भी पता था कि महिषी में भी वैसी ही मीटिंग है। वहाँ भी जाना होगा। जाना तो जरूर था, पर रास्ते में कोसी की जलराशि जो बाधक थी। इसलिये बहुत दूर पैदल जाके नाव पर चलना था। दूसरा रास्ता था ही नहीं। आखिरकार बनगाँव की शानदार सभा को पूरा करके हम लोग महिषी के लिये चल पड़े। यों तो पानी सर्वत्र खेतों में फैला था और बनगाँव वाले भी काफी तबाह थे। फिर भी कम पानी होने से छोटी से भी छोटी डोंगी उन खेतों में चन्न न सकती थी। इसलिये दूर तक कीचड़ और पानी पार करके हमने डोंगी पकड़ी और चल पड़े।

रास्ते में जो दृश्य देखा वह कभी भूलने का नहीं। जो कभी धान के हरे भरे खेत थे वही आज अपार जलराशि और जंगल देखा। जहाँ कभी धान लहराते और किसानों के कलेजों को वाँसों उछालते थे वहीं आज कोसी दिलों में मारती थी—वहीं आज जंगल लहराता था। नाव पर चलते चलते बहुत देर हुई। मगर फिर भी यात्रा का अन्त नहीं। उन खेतों

वाले किसान कैसे जीते हंगे यह सवाल स्वाभाविक है। हमें पता लगा— किसानों ने खून के आँसू रोके हमें अपनी दुःख-दर्द की गाथा सुनाई—कि गाँव की चौदह आना जमीन पानी के भीतर है। अच्छे से अच्छे विद्वान् और कुलीन ब्राह्मण गाँव में दौड़ के बाजे गाजे के साथ घुटने भर पानी में हमें लेने आये थे। उन्हें आज खुशी की बड़ी मालूम पड़ती थी। उन्हें किसान-सभा से आशा थी। इसीलिये चाक्षते थे कि मैं खुद अपनी आँखों उनकी दुर्दशा देख जाऊँ। उनसे अपना किसान सुलभ निर्मल, एवं कामल हृदय मेरे सामने बिछा दिया था। सच्ची बात तो यह है कि वह भयावनी हालत देख के मेरा खून खौलता था, मेरी आँखों से आग निकलती थी। जी चाहता था कि इस राक्षसी जमींदारी को कैसे रसातल भेज दूँ—मार्टियामेट कर दूँ। मैंने दिल भर के वहाँ की सभा में जमींदारी-प्रथा को फोसा! मीटिंग में वहाँ के ब्राह्मणों ने जो अभिनन्दन किया वह कभी भूलने वाला नहीं। उसने मेरा मंक्ल और भी दृढ़ कर दिया कि जमींदारी को जद्दूम में पहुँचा के ही ठम लूँगा।

वहीं मुझे पता लगा कि बीसियों साल से जमीन में चारदां माल बानी रहता है। खेती हो पाती नहीं। फिर भी जमींदार का लगान देना ही पकड़ है! बाहर रे लगान और बाहर रे कानून। न देने पर मदाराजा नालिश करते हैं और माल भवेशी ले जाते हैं। उन्हें तो नालिश करने की भी जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट का अधिकार जो प्राप्त है। जैसे सरकारी पावना बिना नालिश के ही बखल होता है। क्योंकि जोई नॉज मिली जब्त, कुर्क कर ली जाती है। ठीक वैसे ही सर्टिफिकेट के चल पर मदाराजाधिगज भी करते हैं। केवल सरकारी माल-मुद्दकमे के अफसर को आकापदा सूचना देने से ही उनका काम बन जाता है और ग्वर ग्वर रुपये बखल हो जाते हैं। नहीं तो एक रुपये में पचास पचास की नीज नीलान हो जाती है। इसीलिये किमान जेवर, जमीन घँन के, कर्ज लेके, यहाँ तक कि लहदियाँ ऐव के भी खामलाह रुपदा छदा करी देते हैं।

सवाल हो सकता है कि जमीन की बरी नीलान हो जाने नहीं देते यह

उसमें कुछ होता ही नहीं ! बात तो ठीक है । मगर सर्टिफिकेट में जमीन तो णछे नीलाम होती है । पहले तो और ही चीजें लुटती हैं । एक बात और । किसान को आशा बनी रहती है कि शायद कोसी की धारा यहाँ से चली जाय तो फिर खेतों में खेती हो सकेगी । तब तो कुछ साल तक वे काफ़ी पैदावार भी रहेंगे । इसीलिये उन्हें नीलाम होने देना वह नहीं चाहता ! आशा में ही साल पर साल गुजरता जाता है । वह निराश नहीं होता । असल में उसमें जितनी हिम्मत है उतनी शायद ही किसी ऋषि-मुनियों और पैगम्बर औलियों में भी पाई गई हो ! एक ही दो साल या एक दो बार ही घाटा होने पर व्यापारियों का दिवाला बोल जाता है । मगर लगातार पाँच, सात या दस साल तक फसल मारी जाती है, मजदूरी, बीज और दूसरे खर्च भी ज़ाया होते हैं । फिर भी मौसिम आने पर वह खेती किये जाता है । खूबी तो यह कि इनके पर भी, इस कदर लुट जाने पर भी, न तो सरकार को और न दूसरों को ही अपराधी ठहराता है ! केवल अपनी तकदीर और पूर्व जन्म की कमाई को ही कोस के सन्तोष कर लेता है ।

यह भी बताया गया कि जिनकी जमीनें और जगह हैं वे उन जमीनों से अन्न पैदा करके इन पानी वाली जमीनों का लगान चुकता करते हैं । ऐसे कई किसानों के नाम भी मुझे बताये गये । यह भी मैंने वहीं जाना कि यदि किसान उन जमीनों में भरे पानी में मछली मार के अपनी जीविका किसा प्रकार चलाना चाहें तो जमींदार को उसके लिये जल-कर जुदा देना पड़ता है । क्या खूब ! इत्ते जले पर ननक डालना कहें या क्या ! पैदावार होती नहीं । फिर भी लगान होता जा रहा है । और अगर उसी जमीन वाले पानी में पैदा होने वाली मछली किसान मार लेता है या उसमें मखाना पैदा कर लेता है तो उसके लिये अलग जल-कर वसूल किया जाय ! यह अन्धेरखाता कब तक चलता रहेगा ? उन मजलूमों का कोई पुर्सा हाल आखिर कभी होगा या नहीं ! जो लोग यह समझे बैठे हैं कि वे यो ही इन अन्नदाता किसानों का शिकार करते रहेंगे वे भूलते हैं । वह

दिन दूर नहीं जब उनके पाप का घड़ा फूटेगा—उनका पाप सर पर चढ़के नाचेगा ।

खैर, हमने किसानों को जहाँ तक हो सका आश्वासन दिया और वहाँ से फिर उसी डोंगी पर चढ़के खाना हो गये । अगले दिन हमारा प्रोग्राम कहीं और जगह था । शायद चौधरी बखतियारपुर की जमींदारी में मोटिंग करनी थी जहाँ हमारे ऊपर दफा १४४ की पाबन्दी लगी थी । वटने पहुँच के अखबारों में हमने वहाँ का सारा कच्चा चिट्ठा छुरवा दिया ।

भागलपुर जिले की ही एक और दिलचस्प यात्रा है। वह भी उसी कोसी के इलाके में थी। कोसी की घास के बराबर बदलते रहने के कारण बहुत सी जमीन भागलपुर और पूर्णियाँ जिलों के बीच में जंगल से घिरी है। मगर बीच बीच में खेती होती है। वही कोसी का दियारा कहा जाता है। राजपूताने के अपार रेगिस्तान की-सी उसकी हालत है। चलते जाइये, मगर खात्मा नहीं होता। उस दियारे में कदवा नाम का एक गाँव या गाँवों का समूह है। दस दस, बीस बीस या अधिक स्रोपड़ों के अनेक टोले बसते हैं। कोसों चले जाइये। पर, एक ही गाँव पाइयेगा। नदियों के हट जाने पर जो जमीनें नये सिरे से बनती हैं वही हैं दियारे की जमीनें। ऐसी जमीनों में आनादी की यही हालत सर्वत्र पाई जाती है। लगातार मीलों लम्बे गाँव तो कहीं शायद ही मिलेंगे। खेती करने की आसानी के खयाल से दो चार स्रोपड़े पड़ गये और काम चालू हो गया। फिर कुछ दूर हट के कुछ छप्पर डाल दिये गये और उन्हींके इर्द-गिर्द खेती होने लगी। इसी तरह गाँव बसते हैं। कदवा भी ऐसे ही गाँवों में एक है।

भागलपुर जिले के उत्तरी भाग में श्री नानेश्वर सेन जी एक गठीले युवक और लगन वाले किसान-सेवक हैं। कदवा उन्हीं का कार्यक्षेत्र उस समय था। उनसे ही वहाँ मीटिंग का प्रबन्ध किया था। उन्हींके अनुरोध और आग्रह से हमने भी वहाँ जाना स्वीकार कर लिया था। लेकिन हमें इस बात का पता न था कि कदवा है किधर और वहाँ पहुँचेंगे किस तरह किस रास्ते से? कोसी दियारे में कहीं है, सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। जब तक वहाँ के लिये हम खाना न हो गये तब तक जानते थे कि कहीं बैलगाड़ी के रास्ते पर होगा। मगर जब मीटिंग के पहिले

दिन नौगच्छिया से खाना होने की तैयारी हुई और कहा गया कि नाव से रातों रात चलना है, तब कहीं जाकर हमें श्रद्धाज लगा कि यात्रा विकट जरूर होगी।

शाम का वक्त था। बादल विरे थे। बूँदा-बाँदी भी हो रही थी। पर वही टिप् टिप् टिप्। नौगाछिया स्टेशन के पास ही जो नदी की धारा है उसीमें एक नाव तैयार खड़ी थी। वह धारा चालू नहीं बताई जाती है। मगर बरसात में तो विकट रूप उसका होई गया था। नाव पर ऊपर से छावनी भी थी ताकि पानी पड़ने पर कमड़े-लत्ते बचाये जा सकें। छाँदी-सी डोंगी थी जिस पर ज्यादा से ज्यादा दस-पाँच आदमी ही चल सकते थे। ज्यादा लोग हों तो शायद डूब ही जाय। उस धारा में घड़ियाल बगीरह खतरनाक जानवरों का बाहुल्य बताया जाता है। इसीलिये नाव पर भी लोग होशियार होके यात्रा करते हैं। कहीं वह फँस जाय तो खूँवार जलधर धावा ही बोल दे। तिस पर तुराँ वह कि रात का समय था। बरसात अलग ही थी। बूँदें भी उसके खतरे को और बढ़ा रही थीं। नारायण यह कि सभी सामान इस बात के मौजूद थे कि चलने वाले दिग्मत ही धर जाय।

हुआ भी ऐसा ही। नागेश्वर सेन तो साथ थे नहीं। वे तो कटया में ही सभा की तैयारी में लगे थे। मगर और जितने साथी वहाँ चलने वाले थे एक के अलावे सबने पस्त-दिग्मती दिखाई। रात के मुँह में जान-बूझ के कौन जाये ? यदि रात में मूसलाधार भविष्य हो गई और नाव के ही डूबने की नीयत आ गई तो ? सचमुच ही ऐसा हुआ भी और रात में एने कई बार नाव किनारे लगा के रोकनी पड़ी। किंतु साथी लोग तो दिग्मत लगा रहे थे कि ठेठ घड़ियालो के मुँह में ही चला जाना होगा; हाँ, वह बात सीधे कहते न थे। किन्तु दूसरे दूसरे बराने कर रहे थे। 'नायसु है, मौसिम बुग है, न जानें रात में क्या हो जाय, बरसात के चलते मीठिन भी शायद ही हो सकें, यदि हो भी तो ज्यादा दिग्मत खाए ही जा सकें' आदि दलीलें न चलने के खिलाफिले में उरो उरो पैर की काली भी लो लो

मेरा खून खौलता था और डर भी लगता था कि अगर इनने अन्ततोगत्वा इन जाने का ही फैसला कर लिया तो बात बुरी होगी। मेरा प्रोग्राम और पूरा न हो ! मैं यह बात सोचने को भी तैयार न था इसीलिये साथियों की इस नामर्दा पर भीतर ही भीतर कुढ़ता था और तर्स भी खाता था। सब के सब किसान-सेवक ही थे। सों भी पुराने। मगर सेवा की ऐन परीक्षा में फेल हो रहे थे।

रेल, मोटर या दूसरी सवारियों से शान से पहुँच के फूल-मालायें पहनना, नेता बनना, पुजवाना और गर्मागर्म लेक्चर झाड़ना इसे किसान-सेवा नहीं कहते। यह तो दूकानदारी भी हो सकती है और सेवा भी। इससे तो किसानों को घोखा हो सकता है। दस-तीस मील पैदल चलके, कीचड़-पानी के साथ कुश्ती करके, जान की बाजी लगाके, टौड़-धूप के और भूखों रहके भी जब अपना प्रोग्राम पूरा किया जाय, किसानों का उत्साह बढ़ाया जाय, उनका संघर्ष चलाया जाय और उन्हें रास्ता दिखाया जाय तभी किसान-सेवा की बात उठ सकती है। यही है उस सेवा की अग्नि-परीक्षा। इसमें बार-बार उत्तीर्ण होने पर ही किसान-सेवक बनने का हक किसी को हो सकता है। दूर-दूर के गाँवों से अपना काम-धाम छोड़ के किसान लोग तो भीगते-भागते और घूप में जलते या जाड़े में काँपते हुए मीटिंग में इस आशा से आये कि अपने काम की बातें सुनेंगे, अन्धेरे में अपना रास्ता देखेंगे। मगर बातें सुनाने और रास्ता बताने वाले नेता ही गैरडाजिर ! उनने अपने दिल में पक्की बजह बना ली कि सवारी न मिली, मौसिम ही बुरा था वगैरह वगैरह। मगर किसान को क्या मालूम ! उसे किसने कहा था कि मौसिम खराब होने पर सभा न होगी, या उसे ही (हर किसान को ही) सवारी का प्रवन्ध करना होगा ! ये बातें तो जान-बूझ के उनसे कही जाती हैं नहीं। सिर्फ अन्न-पानी या पैसे उनसे इस काम के लिये माँगे जाते हैं और ये गरीब खुशी खुशी देते भी हैं। चाहे खुद भूखे रह जाँय भले ही ! ऐसी हालत में उन्हें निराशा करने या ऐन मौके पर मीटिंग में न पहुँचने का हक किस किसान-नेता या किसान-सेवक

को रह जाया है ? ऐसा करना न सिर्फ गैर जिम्मेदारी का काम है, बल्कि किसानों के हितों के साथ खिन्नवाड़ करना है। ऐसी दशा में तो किसान-आन्दोलन निरर्थक दूकानदारी हो जाती है।

मगर हमें इस दिक्कत का सामना करना न पड़ा और अन्त में तब पाया कि खामखाद चलना ही होगा। हमें हमसे जितनी ही खुरी हुई वह कौन बतायेगा ? नाव चल पड़ी। राते करते-करते और गीते-जागते हम लंग उस कोयले से भी काली रात में नदी की भयंकर धार में नाव लिये चले जा रहे थे। रास्ते में कई द्वार किनारे लगे वह तो कहीं चुके हैं। कोई बता नहीं सकता कि हमें कितने मील तय करने पड़े। मगर जब सुबह हुई तो पता चला कि अभी दूर चलना है। दिक्कत यह थी कि रास्ते में धाराये कई मिलीं और कौन कदवा जायगी यह तय करने में दिक्कते पैदा आईं। तो भी जैसे-तैसे हम ठीक रास्ते से चलते गये। जानवरों का सामना तो कभी हुआ नहीं। मगर रास्ते में कई द्वार ऐसा हुआ कि पानी बिल्कुल ही कम था और हमारी छोटी-सी नाव भी जमीन से टकरा जाती थी। फिर आगे बढ़े तो कैसे ? तब हर द्वार हम लोग ऊपर से उतर पड़ते जिससे हल्की होके ऊपर उठ आती। साथ ही आगे-वाछे लग के टेशते जाते भी थे। इस तरह इस यात्रा का मजा हमें मिला। इसी देला-अली ने नाव को ठिकाने लगाया।

एक दिक्कत यह भी थी कि रास्ते में गाँव तो शायद ही कहीं मिले। सिर्फ मझी आदि के रेत चारों ओर गढ़े थे। हाँ, कहीं-कहीं उनकी रखवाली करने वाले किसान कोयले ढाले पड़े थे। उनसे ही रास्ते का पता हमें जरूरत के वक्त लग जाता था। हाँ, उन्हें भी यह देस के ऐत होला थी कि आखिर कैसे पागलों की हमारी दोली थी, जो मझी में मूजली चली जाती थी। वे तो समझते थे कि उपर तो ठन जैसे मझी के बसंदा करने वाले लोग ही जा सकते हैं और हमें वे समझते थे कोरे शर। और बाहुओं की गुजर उपर भी कहीं ! इससे वे बाहुओं में पड़ते थे। उन्हें क्या मालूम कि हम बाहुओं को ठीक रास्ते पर लाने वाले हैं। वे

क्या जानते गये कि हमसे चावू भी खार खाते और डरते हैं ? वे जानते न थे कि हम जन-सेवा के नाम पर होने वाली दूकानदारी को मिटाने वाले हैं। यदि उन्हें मालूम होता कि हम जमींदारी-प्रथा को उसी धारे में डुबा के घड़ियालों के हवाले करने वाले हैं तो वे विचारे कितने खुश होते ! क्योंकि सभी के सभी जमींदारों के द्वारा बुरी तरह सताये गये थे।

इस प्रकार चक्कर काटते और घूमघुमाव करते-करते हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ नाव लगानी थी और पैदल चलना था। हमें खुशी हुई कि आ तो गये। मगर अभी कई मील पैदल खेतों से होके गुजरना था। उसी जगह नित्य कर्म, स्नानादि से फुर्सत पाके हम लोग 'क्विक मार्च' चल पड़े। दौड़ते तो नहीं ही थे। हाँ, खूब तेज चलते थे। रात भर नाव में पड़े पड़े एक तरह की थकावट आ गई थी। उसे मिटाना और सवेरे टहलना ये दोनों ही काम हमें करने थे। इसीलिये कुछ तेज चलना जरूरी था। रास्ते में पता लगना मुश्किल था कि किधर जा रहे थे। चारों ओर मक्की ही मक्की खड़ी थी। उस इलाके में यह फसल खूब होती है और बरसात शुरू होते ही तैयार भी हो जाती है। जब और जगह देहातों में मक्की का भुट्टा देखने को भी नहीं मिलता तभी वहाँ उसकी फसल पक के तैयार हो जाती है।

इस तरह नौ-दस बजे उस आश्रम पर पहुँचे जहाँ श्री नागेश्वर सेन ने सभा की तैयारी कर रखी थी। वहाँ देखा कि दूध-दही का टाल लगा था। बहुत लोगों के खाने-पीने की तैयारी थी। दूर-दूर से आने वाले किसानों को भी खिलाने-पिलाने का इन्तजाम था। इसीलिये इतना सामान मौजूद था। किसान गाय-भैंसे पालते ही हैं। एक वक्त का दूध दे दिया और काफ़ी हो गया। गरीब और पीड़ित होने पर भी किसान कितना उदार है इसका अनुभव मुझे बहुत ज्यादा है। मगर जो कोई अनजान आदमी भी वहाँ जाता वह यह देख के हैरत में पड़ जाता। या तो धनियों की ही सभा की तैयारी समझता, या किसानों की उदारता पर ही मुग्ध होता।

तीसरे पहर वहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हुई। जमींदारों के हाथों किसान वहाँ किस प्रकार सताये जाते हैं और उनकी खास शिकायतें क्या हैं ये सब बातें मुझे मालूम हुईं। मैंने उनका उपाय सुनाया और किसान खुशी-खुशी सुनते रहे। इस प्रकार सभा का कार्य कर चुकने पर दूसरे दिन कहरों के कन्वे पर बैठ के मैं नारायणपुर स्टेशन तक गया। वहाँ गाड़ी पकड़ के बिहटा लीया। साथ में आश्रम के लड़कों के लिये एक बोरा भुट्टा भी लेता गया।

सन् १९३३ ई० वाला जुलाई का महीना था। जहाँ तक याद है, १५ वीं जुलाई की बात है। तारीख इसलिये याद है कि किसान-सभा की तरफ से गया के किसानों की जाँच का काम हमने पहले पहल शुरू किया था। सो भी ऐन बरसात में। उसकी लम्बी रिपोर्ट की दुहरी प्रति तैयार करने में हमें महीनों लग गये थे। असल में अमावाँ टेकारी के जमींदार राजा हरिहरप्रसाद, नारायण सिंह की ही जमींदारी गया जिले में चारों ओर फैली है। इसलिये उनके साठ गाँवों में जाके हमें कच्चे चिट्ठे का पता लगाना जरूरी था। जिले भर के साठ गाँवों से सारी जमींदारी की कलई पूरी तरह खुल जाती थी। इसलिये उतने गाँवों में जाना पड़ा। जब राजा साहब ने हमारी रिपोर्ट माँगी, ताकि हालत जान के कुछ कर सकें, तो हमें मजबूरन दो प्रतियाँ तैयार करनी पड़ीं। वेशक, इस परीशानी का और बाद में बात-चीत वगैरह में जो वक्त बीता उसका कुछ भी नतीजा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस समूची घटना ने मेरे दिल पर यह अमिट छाप लगा दी कि जमींदारी मिटाने के सिवाय किसानों को अत्याचार और मुसीबतों से उबारने का और कोई रास्ता हई नहीं। मेरे दिल में जो यह खयाल कभी कभी हो आता था कि शायद गाँधी जी की बातें सही हों और जमींदार सुधर जायें, वह इस घटना के बाद सदा के लिये मिट गया और मैंने दिल से मान लिया कि जमींदारी ला-इलाज मर्ज़ है। “गया के किसानों की करुण कहानी” के नाम से उस रिपोर्ट की प्रधान बातें पुस्तक के रूप में पीछे छापी भी गईं। इन्हीं सब कार्यों से और आगे लिखी वजहों से भी वह बरसात की १५वीं जुलाई अभी तक भूली नहीं।

उसी दिन मैं, पं० यमुना कारी, पं० यदुनन्दन शर्मा और डाक्टर युगलकिशोर सिंह किसानों की हालत जाँचने के लिये प्रान्तीय किसान-सभा की तरफ से जहानाबाद पहुँचे थे। पं० यदुनन्दन शर्मा ने गया जिले में हमारा रोज रोज का प्रोग्राम ठीक किया था। चार देखाता में वर्षा के दिनों में जाँच का प्रोग्राम पूरा होना, जो श्रवने ढंग का पहला ही था, आसान न था। दस दस, पन्द्रह पन्द्रह मील और इससे भी ज्यादा दूरी पर हमें ठीक समय पर पहुँचना था। नहीं तो जाँच असंभव हो जाती। फिर किसानों का जना करना गैर मुमकिन जो हो जाता अगर हम एक दिन भी चूक जाते। जाँच के काम के बाद हमें उनकी बड़ी बड़ी समस्याओं में उपदेश देना भी जरूरी था। इसलिये शर्मा जी ने ऐसा सुन्दर प्रबन्ध किया था कि एक दिन भी हमारे काम में गड़बड़ी न हो सकी। देहाती रास्तों को तय करके हम बराबर ही ठीक समय पर सभी जगह पहुँचते गये। एक जगह हमारा काम पूरा भी नहीं हो पाता कि दूसरी जगह से सवारी आ जाती। यह भी था कि सवारी की जहाँ कोई भी आशा न होती वहाँ हम पैदल ही जा भगवते। आखिर मूसलाधार वृष्टि में सवारी बिन मिलती और कैसे ? जो काम बाबुआनी ढंग से काँसेस की जाँच कमेटी गमियों और जाटों में कर न सकी वही हमने मध्य बरसात में इस खूबी से पूरा किया कि हम खुद हेत में ये कि यह फिले हो सका। दूसरे लोग तो इसे असंभव ही समझते बैठे रहे। सबसे बड़ी बात यह हुई कि किसानों की नुस्तैरी और तैयारी का हमें विश्वास हो गया, यहाँ कि पं० यदुनन्दन शर्मा जैसे कार्यकर्ता उन्हें मिल जायें। हमें मान लिया कि क्षेत्र तैयार है। सिर्फ धनी किसान-सेवकों और पय-दर्शकों की उम्मत है। यह हमारा विश्वास, जो उस समय की किसानों की आकांक्षिक सुरक्षा से हुआ था, तबसे बराबर मजबूत होता ही गया है।

यह मानो हुई बात है कि किसान-सभा के पास कोई कोष न था। अभी अभी तो वह पुनर्जीवित हुई थी। और सभी बातें यह है कि सभा में कोष कभी रहा ही नहीं है। हालाँकि बीके पर उसके नाम से हजारों रुपये जमा होते रहे हैं। जब्त में जनता की समस्याओं के बावजूद

कोप होना भी नहीं चाहिये । यह तो मध्यम वर्ग की संस्थाओं की ही चीज है कि रुपये जमा हों । उनका काम रुपयों के बिना चली नहीं सकता । मगर विपरीत इसके जनता की संस्थाओं का असली कोप है उन पर जनता का पूरा पूरा विश्वास और प्रेम । फिर तो अन्न-धन की कमी हो सकती नहीं । हाँ, वह मिलता रहता है उतना ही जितने की समय समय पर जरूरत हो । न ज्यादा मिलता है और न कम । सिर्फ काम चलाऊ मिलता है । ईमानदार संस्थायें ज्यादा वसूली खुद ही नहीं करती हैं । अगर कहीं ज्यादा हो गई तो खामखाह उसका सदुपयोग होना असंभव हो जाता है । कुछ न कुछ ऐसा उपयोग होता ही है जिसकी कोई जरूरत न हो । नतीजा यह होता है कि यह पाप छिपता नहीं और संस्था में घुन लग जाता है । पैसा जमा हो जाने पर सेवा की जगह एक तरह की महन्धी ले लेती है और कोढ़ी लोगों का प्रवेश उन संस्थाओं में होने लगता है, जब कि पहले केवल धनी और परिश्रमी लोग ही आते थे ।

हमारी उस जाँच में किसानों ने न सिर्फ सवारी और हमारे खान-पान आदि का ही प्रबन्ध किया, बल्कि जाँच के हर केन्द्र में उनने यथा-शक्ति पैसे का भी पूरा प्रबन्ध किया जो चुपचाप शर्मा जी के हवाले कर दिया करते थे । हमें रेल से भी कभी कभी जाने का मौका मिला । पटने से तो रेल से ही गये थे । शहर में जाने पर सवारी और खान-पान का भी खर्च जरूरी था, इसीलिये उनने पैसे का प्रबन्ध किया था । जब एक जाँच खत्म करके खाना होने लगते तो पैसे मिल जाते । हमें यह भी पता लगा कि वे पैसे सभी किसानों से थोड़ा थोड़ा करके ही वसूल किये गये थे । जाँच के केन्द्र में हमारे खान-पान या सवारी के खर्च का प्रबन्ध कर लेने पर जो बच जाता वही हमें मिलता । वही हमारी जरूरत के लिये काफी होता । जाँच का आखिरी काम हमने फतहपुर थाना, गया के सदर सत्र-डिविजन में किया था । वह निरा जङ्गली और पहाड़ी इलाका है । अमावाँ, महन्थ गया आदि की जमींदारियाँ हैं । महन्थ ने तो किसानों को पस्त और पामाल कर दिया है । अमावाँ

के भी जुल्म कम नहीं हैं। पिछड़े हुए इलाके में जुल्म तामझाद ज्यादा होते ही हैं। मगर हमें यह जानकर ताज्जुब हुआ कि वहाँ भी हमारी खर्च के लिये काफी पैसे बखल हो गये थे। असल में वहाँ हमें पता चला कि सभी जगह किसान जाँच के बाद शर्मा जी को पैसे देते रहे हैं। कोई जाँच-केन्द्र नागा नहीं गया है।

बाहरी दुनियाँ को शायद विश्वास न हो और ताज्जुब हो कि किसान-सभा की प्रारम्भिक हालत में ही यह बात कैसे हो सकी। मगर मैं बिहार प्रान्तीय किसान-सभा के बारे में पक्की पक्की बात कह सकता हूँ कि मुश्किल से सौ दो सौ रुपये आज तक हमें हमारे शुभचिन्तकों से मिले होंगे, सो भी दस-तीस के ही रूप में, न कि एक बार। उदादे से उदादा पचास रुपये एक बार एक ने दिये, सो भी यूनाइटेड पार्टी के कमेले के ही समय सन् १९३३ ई० के शुरू में ही। लेकिन आज तक हमारी सभा ने लाखों रुपये जरूर ही खर्च होंगे। केवल मेरी सफर में ही, जो महीने में पचीस दिन तो जरूर ही हाँतो रहती है और कभी कभी उदादे दिन भी, साल में कम से कम पाँच छे हजार रुपये खर्च होई जाते होंगे। यह सिलसिला प्रायः दस साल से जारी है। हाँता है वही कि जहाँ जितने मुझे बुलाना होता है वहाँ से मेरे सफर खर्च का प्रबन्ध जरूरी है। अन्दाज से उतने पैसे या तो पहले ही भेज दिये जाते हैं या वहाँ जाने पर मिल जाते हैं। वहाँ के लोग पूछ लेते हैं कि खर्च कितना चाहिये। मैं भी जितने से काम चले उतना बता देता हूँ। कभी दो चार रुपये उदादा भी मिल जाते हैं जब ये लोग खुद देते हैं बिना पूछे ही। दूसरे प्रान्तों में टीका करने पर भी वही होता है। फलतः “हूँथी खोदो और पानी पियो” वाला सिद्धान्त ही मेरे साथ चलता है। न तो उदादा बचता है और न काम रुकता है। यदि बचता भी है तो साल में दस बीस ही, सो भी एक दो के दिखने में ही। टीका ही है, “आसाँ बचे न कुत्ता खार।” अब तो यह सभी जानते हैं कि मेरे टीके का खर्च किसानों को ही करना पड़ता है। इंग्लैंड में परसे ने ही उदादा कर रखते हैं। हाँ, जमींदारों और उनके योग्यों को शायद यह गाली न हो।

किन्तु हमें उससे गर्ज ही क्या है ? वे मेरे खर्च के बारे में अन्दाज लगाते रहें कि कौन देता है। जो किसान उन्हें और दुनियों को देता है वही मुझे क्यों न दे यदि मैं उसीका काम करने जाऊँ ? उसे विश्वास होना चाहिये कि मैं उसके लिये मरता हूँ या उसके दुश्मनों के लिये, और यह विश्वास उसे है यह मेरा यकीन है। तब और चाहिये क्या ? और अगर मैं उस किसान की आशा छोड़ूँ जैसे के लिये औरों का, जो प्रायः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके शत्रु ही हो सकते हैं, मुँह देखूँ तो मुझ-सा घोखेबाज और पापी कौन होगा ? यदि किसान-सभा भी ऐसा करे तो वह किसानों की सभा हर्गर्ज नहीं हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ।

हाँ, तो जहानाबाद से पहले दिन अलगाना और दूसरे दिन धनगाँवा जाना था। ये दोनों गाँव जहानाबाद से पूर्वोत्तर और पूर्व हैं। कभी हरे-भरे थे। मगर अब वीरान हैं। उन गाँवों में जाँच के सिलसिले में जो बातें मालूम हुईं उनका वर्णन हमें यहाँ नहीं करना है और न दूसरे गाँवों का ही। 'कच्छण कहानी' में ये सभी बातें लिखी हैं। मगर दो एक घटनायें ऐसी हैं जिन्हें यहाँ लिख देना है। कहते हैं कि जीव एक दूसरे को खा के ही कायम रह सकते हैं "जीवो जीवस्य जीवनम्।" अलगाना में टेकारी की जमींदारी के एक पटवारी हमें मिले। वह किसानों के साथ लगान की वसूली में खूब सख्ती करते थे। फिर भी कचूल करने को तैयार न थे। एक दिन बातों बात में वे बोल बैठे कि टेकारी की ही जमींदारी में किसी और मौजे में रहते हैं। बकाया लगान में जमीन नीलाम हो गई, तो यहाँ नौकरी करने लगे। पूछने पर यह बात भी उनसे कचूल की कि लगान एक तो उधादा था। दूसरे फसल भी मारी गई लगातार। इसीलिये चुकता न कर सके जिससे खेत नीलाम हो गये। मगर अलगाना में वे खुद दूसरों की जमीन नीलाम करवाने में लगे थे और इस तरह अपनी जीविका चलाते थे। असल में जमींदारी की मैशिन के लिये तेल का काम ये उजड़े किसान ही करते हैं। वही इसे चलाते हैं। इसका प्रत्यक्ष दृष्टान्त हमें वे पटवारी साहब मिले। इसीलिये जान-बूझ के किसानों को तबाह किया जाता है।

नहीं तो जमींदार की नौकरी कौन करता, सो भी दस पाँच रुपये महीने की ! जमींदारी का पौधा पनपता और फूलता फलता है किसानों के खून से ही !

धनगाँवा में हमें पता चला कि एक तो साग तरकारी के खेतों को सींचने के लिये पुराने जमाने में जमींदार ने जो चार बड़े कुएँ बनवाये थे वे खराब हो गये और उनकी मरम्मत न हुई । दूसरे चुनाव के जमाने में जमींदार के तहसीलदार या सिकल अफसर उम्मीदवार होते और मुफ्त ही साग तरकारी बाँटने को खिलाने के लिये ले जाते हैं । क्योंकि धनगाँवा जहानाबाद से निकट है । इसलिये हार कर कोहरी लोगों ने साग तरकारी की खेती ही बन्द कर दी । अब सभी केवल धान की खेती करते हैं । वर भी कभी चौपट होती और व भी कुछ संभलती है । क्योंकि नदी का बाँध खत्म हो जाने से पानी के बिना धान भर जाता है । जमींदार बाँध की मरम्मत करता नहीं और दस पाँच हजार रुपये लगाना किसानों के लिये गैर मुमकिन है ।

हमें मन्त्रिबाबा जाना था । रात में महमदपुर टकरे थे—वही महमदपुर जहाँ के किसानों ने अपने संगठन और सुरसैदी से पीछे चलके जमींदारों के नाकों चने चबवा दिये और आखिरकार पूरे अरबी बीघे नीलाम जमीन जमींदारों ने उन्हें ही जोतने-घोने दी । क्योंकि नीलामी के बाद जो जो काँड हुए उनमें जमींदारों को लेने के देने पड़े और पासी पादा हुआ । जब किसानों ने उनका मद अपनी सुरसैदी से उठा लिया तो आखिर करते क्या । इसका पूरा वृत्तान्त तो 'किसान कैसे लड़ते हैं' पुस्तक में मिलेगा । रात में बूढ़ पानी पड़ा था और सुन्दर भी जारी था । मन्त्रिबाबा घाट नी माल से काम न था, सो भी परगाव में, सो तो देराली लोग नजदीक ही बंद देते हैं । सरागी या प्रयोग प्रसन्न था । पानी में होता भी था । वही की मिट्टी फेराल का (घाटी-विद्युत्) है । पाँच फिल्लते देर नहीं, इतनी मरत दीने हैं । कहीं-कहीं नर्म में इतनी रोती है कि पाँच को छोड़ना ही नहीं चाहते । हुने पत वा किरदार है । रास्ते में एक नहर नाता भी है । मगर हमें तो प्रोवान पूरा समझ

था। सो भी मम्कियावाँ बहुत ही मजलूम है। राजा अमावाँ ने उसे भून डाला है। अभी अभी वकारत संवर्ष के बाद कुछ सँभलने लगा है। इसी गाँव ने पं० यदुनन्दन शर्मा को जन्म दिया है। उस समय लाखों रुपये लगान के बाकी थे ऐसा कहा जाता था।

ऐसे गाँव में यदि न जाते तो सारा गुड़ गोबर ही हो जाता। वहाँ जल्दी कोई पहुँचता भी नहीं। वहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है। इसलिये हम लोग हिम्मत करके चल पड़े। उछलते कूदते, गिरते पड़ते बढ़ते जाते थे। यात्रा बेशक बड़ी भयंकर थी। हमारी उस दिन आग्नि-परीक्षा थी। यदि फेल होते तो कहीं के न रहते। मम्कियावाँ ने सन् १९३६ ई० की बरसात के समय जो ब्रह्मादुरी वकारत की लड़ाई में दिखाई और विशेषतः वहाँ की स्त्रियाँ जिस मुस्तेदी से लड़ के विजय पाने में समर्थ हुईं उसका बीज हमने सन् १९३३ ई० की बरसात में ही उसी जाँच वाली यात्रा में बोया था। वही छे साल के बाद फल फूल के साथ तैयार हो गया। तब तो साफ ही है कि उस दिन चूकने से काम खराब हो जाता। इसलिये हँसी खुशी चल पड़े थे। तारीफ की बात यही थी कि हममें कोई भी हिचकने वाला न दीखा। सभी ने उत्साह के साथ आगे बढ़ना ही पसन्द किया। नहीं तो मजा किरकिरा हो जाता। ऐसे समय में दुविधे से काम ब्रिगड़ता है।

नतीजा यह हुआ कि हम दोपहर के पहले ही मम्कियावाँ ठाकुरवाड़ी पर जा पहुँचे। लोग तो निराश थे कि हम पहुँच न सकेंगे। मगर हमें देख किसानों में विजली दौड़ गई। जो काम हमारे हजार लेक्चरों और उपदेशों से नहीं होता वही उस दिन की हमारी हिम्मत ने कर दिया। इसे ही कहते हैं मौन या अमली उपदेश। 'रुह सुनाऊँ या कर दिखाऊँ' में "कर दिखाऊँ" इसी का नाम है।

मम्कियावाँ के किसानों की जो दरिद्रता हमने पहले पहल देखी वह कभी भूलने की नहीं। जमींदार कितने निर्दय और वज्र हृदय हो सकते हैं। यह चित्र हमारी आँखों के सामने पहले पहल खिंचा वहीं पर। हमने घर घर घूम के उनकी दशा देखी, उस पर खून के आँसू बहाये और जमींदारी को पेट भर के कोसा।

सन् १९३८ ई० की बरसात गुजर चुकी थी। आश्विन या कार्तिक का महोना होगा। अभी तक देहाती सड़कों की मरम्मत न हो सकी थी। किसान रबी की फसल बोने में लगे थे। रास्तों में कीचड़ और पानी की कमी न थी। ठीक उसी समय श्री विश्वनाथ प्रसाद मर्दाना ने बलिया जिले में हमारे दौरे का प्रोग्राम बनाया। हमें युक्तप्रान्त के कई जिलों में दौरा करना था। श्री हर्षदेव मालवीय (इलाहाबाद) ने उसका प्रबन्ध किया था। बदकिश्मती से कश्मिरिया खुश-किश्मती से, बलिया जिले के लिये केवल एक ही दिन का समय मिला था और मर्दाना ने एक ही दिन में एक छोर से दूसरे तक तीन चार मीटिंगों का प्रबन्ध किया था। मोटर से चलना था। पर सड़कें तो न मोटर के बस की थी और न मर्दाना के ही कन्ने की। उन सड़कों के ही बल पर चार मीटिंगों का इन्तजाम करना खतरे की गोल लेना था। हुआ भी ऐसा ही। मगर मर्दाना तो मर्दाना ही ठहरे। उनमें जोश और हिम्मत काफी है। उस भोली होने में खतरे का सोच-विचार बरा कम करते हैं। जो होगा सो देखा जायगा, यही खयाल रहता है। इसीलिये खतरे के साथ खेलने में उन्हें मजा खाना है। हमारे कार्यकर्ताओं में आमतौर से जवाबदेही का उतना खयाल नहीं है जितना होना चाहिये और यह बात आन्डोलन के लिये बहुत बुरी है। देहात की सभाओं के प्रबन्ध के मिलजुल में बहुत बड़े और जवाबदेर कई जाने-माने लोगों की खतरनाक रीर जवाबदेही देना के मुझे ईश में झा जाना पड़ा है, जो भी बार-बार। यह हमारा बहुत बड़ी कमी है जो मुझे रद्द-रद्द के हुयी तरह झगड़ती है।

हाँ, तो बलिया स्टेशन पर आये। रात के बाद ही हम खोज खतरे के और बेहिस हम में ही ठहर गये। खतरे ही खतरी के खतना हो जाने की

तैयारी थी। एक ही मोटर थी। उसी पर जितने लोग लद सके लद के रवाना हो गये। रेवती, सहतवार, चाँसडीह और मनियार इन चार स्थानों में सभायें करके अगले दिन सुबह के पहले ही प्रायः दो ही बजे वेजथरा रोड स्टेशन पहुँच के बस्ती जाने की ट्रेन पकड़नी थी। जिले के पूर्वी सिरे के करीब पहुँच के पहली मीटिंग थी और उत्तर पच्छिमी किनारे पर पहुँच के रेलगाड़ी पकड़नी थी। सड़कें तो सब की सब कच्ची ही थीं। केवल शुरू में ही थोड़ी सी पक्की मिली। बरसात ने उनकी ऐसी फजीती कर डाली थी कि रास्ते भर मोटर उछाल मारती थी। मुझे तो सबसे ज्यादा ताज्जुब उस मोटर की मजबूती पर था जो टूटी नहीं और अन्त तक काम करती ही गई।

दोपहर के करीब हम लोग रेवती पहुँचे। एक बाग में मीटिंग का प्रबन्ध था। पाम में ही एक डिप्टी साहब का खेमा था। शायद तक्रावी या इसी प्रकार का कर्ज वे बाँट रहे थे गरीब किसानों को। मगर उनसे कृपा की और हमारी मीटिंग में बाधा नहीं हुई। हमने अपनी बात किसानों को कह सुनाई और चाँसडीह के लिये चल पड़े। रास्ते में ही सहतवार गाँव पड़ा। जाने के समय भी पड़ा था और वहाँ के लोगों ने हमें रोकने का तय कर लिया था। जब लौटे तो मजबूर होना पड़ा। देहात का यह एक अच्छा बाजार है। लोग जमा हो गये। दूसरे गाँवों के भी लोग थे। पेड़ों के बीच एक ऊँची पक्की जगह पर, जो शायद एक मन्दिर की है, हमने उन्हें अपना कर्तव्य समझाया और किसानों के लिये क्या करना जरूरी है यह बताया। फिर फौरन ही चाँसडीह का रास्ता लिया।

चाँसडीह में बड़ी तैयारी थी। कोठे पर ठहरे। बहुत लोग वहीं जमा हो गये। उनसे बातें होती रहीं। फिर नीचे काफी भीड़ हुई। हमें मजबूरन कोठे पर ही छत के किनारे से उपदेश देना पड़ा ताकि नीचे और ऊपर के सभी लोग अच्छी तरह सुन सकें। दूसरी जगह जाने में देर होती और हमें अभी मनियार जाना था, जो वहाँ से काफी दूर था। इसीलिये कोठे

पर से ही उपदेश देने का प्रबन्ध किया गया था। हमने वहाँ का काम भी जल्दी-जल्दी में खत्म किया और चटपट मनियर के लिये रवाना हो गये। असल में सबसे बड़ी और तैयारी वाली सभा मनियर में ही थी। खुशी यही थी कि वह सभा रात में होने को थी। यदि दिन में होती तो हम हर्गिज वहाँ पहुँची न सकते। अन्धेरा तो हो गया पहुँचते ही पहुँचते। मर्दाना ने रात में उसका प्रबन्ध करके दूरदेशी और जत्रावदेही का परिचय जरूर दिया था।

वेशक, जैसी आशा थी नहीं वैसी सभा वहाँ हुई। हमने स्थान की तैयारी वगैरह देखी सो तो देखी ही। हमें उस चीज ने आकृष्ट नहीं किया। हाँ, जत्र देखा कि सैकड़ों किसान-सेवक (वालंटियर) वर्दी पहने और हाथ में लाठी लिये चारों तरफ तैनात थे और भीड़ को कब्जे में रख रहे थे तो हमें बड़ी ही खुशी हुई। मीटिंग का प्रबन्ध, बोलने आदि का तरीका ये सभी बातें सराहनीय थीं। वहाँ पर हम घंटों बोलते रहे और किसानों की समस्याओं को खोल के लोगों के सामने रख दिया। असल में उस दिन की चार मीटिंगों में पहली में हम अच्छी तरह बोल सके थे हालाँकि जल्दी में जरूर थे। मगर मनियर में तो निश्चिन्त होके बोलते रहे। लोग भी ऐसे शान्त थे कि गोया हमारी बातें मस्त होके पीते जाते थे। कांग्रेसी मंत्रिमंडल के युग में भी किसानों की तकलीफें पहले जैसे ही रह गईं यह देख के लोगों में बहुत ही क्षोभ था। लोग अब असलियत समझने लग गये थे। अब तो बातों से नहीं, किन्तु कामों से मंत्रो लोगों की जाँच कर रहे थे और साफ देख रहे थे कि उनकी बातें डपोरशंखी निकलों। इसीलिये मुझसे इसका रहस्य सुनने और समझने में उन्हें मजा आ रहा था। किसान-सभा की जरूरत वे लोग अब समझने लगे थे।

खैर, सभा तो खत्म हुई और हम लोग डेरे पर आये। मैंने दूध पिया और साथियों ने खाना खाया। इतने में रात के दस-बारह बज गये। हम चलने की जल्दी में थे। बस्ती जिले का प्रोग्राम बड़ा ही महत्वपूर्ण था। असल में वहाँ की यह यात्रा पहली ही थी। बलिया में तो कई

बार आ चुके थे। सो भी एक जालिम जमींदारी के किसानों का जमाव था। इसीलिये मुझे बड़ी चिन्ता थी ट्रेन पकड़ने की। मगर मोटर के करते साथी जरा निश्चिन्त थे। फलतः खा-पी के खाना हो गये। मोटर पच्छिम की ओर चल पड़ी। हाँ, यह कहना तो भूली गया कि सरयू नदी की बाढ़ ने लोगों के घरों और उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया था। सड़कें भी उसने चौपट कर दी थीं। रास्ते में बर्बाद गाँवों और घरों को देखते चले जा रहे थे। लोग बाहर निकल-निकल के हमें अभिवादन करते थे। उन्हें हमारी खबर तो थी ही। कुछ लोग सभा से लौटे भी थे। इस प्रकार हम आगे जाई रहे थे कि पता लगा कि आगे सड़क टूटी है। मोटर 'पास' नहीं कर सकती। यदि बगल से जा सकें तो जायें। मगर पक्का रास्ता बताने वाला कोई न था। बस, मैं तो सन्न हो गया और जान पड़ा कि कोई गड़बड़ी होने वाली है। कलेजा धक् धक् कर रहा था।

मोटर रास्ता छोड़ के खेतों से चली। अन्दाज से ही ड्राइवर चला रहा था। एक तो रात, दूसरे अनजान रास्ता, तीसरे मोटर और खेतों से उसका चलना। यह गजब की बात थी! हम लाग सचमुच ही मौत के साथ उस समय खेल रहे थे। खेतों से घूमती-घामती और बागों से होती मोटर धीरे धीरे इस ढंग से चल रही थी कि आगे फिर सड़क मिल जायगी, जो ठीक होगी। जरूरत होने पर हममें एकाध उतर के आगे रास्ता देख आते। तब मोटर बढ़ती। ऐसा होते-होते एक बार एकाएक हममें एक बोल उठा कि "कुआँ है, कुआँ है।" ड्राइवर ने मोटर फॉरन रोक दी। असल में बहुत ही धीमी चाल से चलती थी तभी हम बच सके। नहीं तो मोटर ही कुएँ में जा गिरती। कुआँ बरसात में बास से छिपा था। जब उसके ऐन किनारे में पहुँचे तभी वह नजर आया और हम लोग बाल बाल बचे।

फिर आगे बढ़े। मगर सड़क लापता थी। हालाँकि अपने खयाल से हम लोग उसके नजदीक से ही चल रहे थे। असल में तो हमें रास्ता ही नहीं मिला कि सड़क की ओर बढ़ें। सर्वत्र कीचड़-पानी से ही भेंट होती

रही। इसी तरह आगे बढ़ते और घूम-घुमाव करते जा रहे थे। नतीजा यह हुआ कि हम लोग सड़क से एक तो बहुत दूर हट गये। दूसरे पच्छिम ओर चलते-चलते पूर्व की ओर हो गये। मोटर के चक्कर और घुमाव के करते ही ड्राइवर को भी और हमें भी पता ही न लगा कि किधर से किधर जा रहे हैं। यों ही चलते-चलाते दालत यह हुई कि जोते खेतों से हम गुजरने लगे। यह थी तो हमारी सरासर नादानी। मोटर की सवारी में अन्धेरी रात में ऐसा काम करने की हिम्मत भला कौन करेगा कि रास्ता छोड़ के खेतों से अनजान दिशा में अन्दाज के ही बल चले ? मगर “आरत करहिं विचार न काऊ” वाली बात थी। हमें अगले दिन का प्रोग्राम पूरा करना था। और मर्दाना ने पक्का पता सड़क का न लगा के हमें जो यों ही कह दिया कि सड़क ठीक है वह उसी का प्रार्थश्चित्त हमें किसी प्रकार ठीक समय वेलथरा पहुँचा के करना चाहते थे। इसीलिये उस समय हमें मौत भी भूल गई थी। नहीं तो कुएँ वाली घटना के बाद तो खामखाइ रुक जाते।

इतने में एकाएक एक मील के किनारे हमारी मोटर जा पहुँची। जोते हुए खेतों ने चलते-चलते हम समझी न सके कि किधर जा रहे हैं। तब तक पानी के किनारे जा पहुँचे। यह भी अन्दाज हुआ कि यह मील लम्बी है। अब हम निराश हो गये और घड़ी देखने लगे। पता चला कि दो से ज्यादा समय हो गया है। अब तक हम इस फिराग में थे कि रेल की सीटी सुनें या ट्रेन की आहट पायें। खयाल था कि स्टेशन निकट है। मगर अब निराश हो गये। जो तबलीफ उस समय हमें हुई कि आज का प्रोग्राम चौपट हुआ उसे कौन समझ सकता था ? यदि समझने वाले होते तो अब तक किसान कहाँ से कहाँ चले गये होते ! अब सोचा गया कि यहीं रुक जाँय। क्योंकि पता ही न था कि किधर जा रहे हैं। आगे पानी भी तो था। सारी रात जगे थे। पहले दिन चार सभाओं में बोलते बोलते पस्त भी हो चुके थे। सोने का कोई सामान न था। चिन्ता अलग प्राण ले रही थी। इतने में फिर देखा कि तीन से भी ज्यादा बज चुके थे।

लाचार, सोचा गया कि सुबह चलेंगे। मगर नौद कहाँ ? वह भी तो तभी आती है। जब आराम और मौज के सामान मौजूद रहते हैं। अकेली तो आना जानती नहीं। लाचार किसी प्रकार कुछ घंटे काटे। फिर खयाल आया कि सारे साज-सामान के साथ चलना है। इसलिये बैलगाड़ी तो जरूर ही चाहिये। उसके लिये दो एक साथी पास के गाँव में गये भी। मगर मेरे साथ तो एक और बला आ लगी। पहले दिन की दौड़-धूप और परीशानी के बाद भी रात में नौद हराम रही। इसलिये मेरी आवाज कतई बन्द हो गई। गला ऐसा रूँधा कि ताज्जुब होता था। मेरी जिन्दगी में गले की यह हालत पहली ही बार हुई और शायद आखिरी बार भी। जरा भी आवाज निकल न सकती थी। मेरी आवाज बड़ी तेज मानी जाती है। मगर वह एकाएक कहाँ—क्यों चली गई—यह कौन बताये सिवाय डाक्टरों और वैद्य-हकीमों के ! बुखार भी हो आया।

फिर भी जैसे-तैसे बैलगाड़ी पर बैठ के वेलथरा रोड पहुँचना तो था ही। पहुँच भी गये। उसी समय युक्तप्रान्त के श्री मोहनलाल सक्सेना कांग्रेसी मंत्रिमंडल का दमामा बजाते वेलथरा पहुँचे थे। उनकी सभा थी। लोगों ने बोलने का हठ मुझसे भी किया। हालाँकि सक्सेना चौंकते थे। मगर यहाँ तो आवाज ही बन्द थी। इसलिये बला टली।

स्टेशन पर ही बस्ती वालों को अपनी लाचारी का तार देके सन्तोष करना पड़ा। दूसरा चारा था भी नहीं। फिर तय पाया कि बनारस चल के गला ठीक करें। तब दौरा करेंगे। सभी जगह खबर भेज के प्रोग्राम स्थगित किया गया और हम लोग काशी में बाबू वेनीप्रसाद सिंह के यहाँ पहुँचे। वहीं दो या तीन दिनों में गला ठीक करके फिर दौरा आरंभ किया गया।

ठीक तारीख और साल याद नहीं। बिहार की ही घटना है। सो भी पटना जिले की ही, बिहटा से दक्षिण मसौदा परगने के नामी जालिम जमींदारों की जमींदारी की। भरतपुरा, धरहरा के जमींदारों से कोई भी जमींदार इस बात की तालीम पा सकता है कि जुल्म कितने प्रकार के और कैसे किये जा सकते हैं। खूनी तो यह कि सरकार और उसके कानूनों की एक न चले और किसान की कचूमर भी निकल आये। अब तो किसान-सभा के प्रताप से जमाना बदल गया है और उन्हीं जमींदारों को वहीं के पस्त किसानों ने नाकों चने चबवा दिये हैं। जो जमींदार भावली लगान की नगदी करने में आकाश-पाताल एक कर डालते थे, क्योंकि भावली (दानाबंदी) के चलते उन्हें पूरा फायदा था। उससे किसान तबाह भी हो जाते थे। वही आज ऋखमार के नगदी करने को उतारु हो गये। किसानों ने थोड़ी सी हिम्मत, समझदारी और दूरदेशी से काम लिया और वे जीत गये। किसानों की सचाई और ईमानदारी से वेजा फायदा उठा के उन्हें ही तंग करने वाले जमींदारों के साथ कैसा सलूक करना ठीक है यह बात किसानों के समझ में आ गई और काम बन गया। उनसे समझ लिया कि सबके साथ युधिष्ठिर और धर्मराज बनना भारी भूल है। इतने ही से पासा पलट गया।

हाँ, तो धरहरा के ही एक जमींदार की कोठी ऐन पक्की सड़क पर ही अछुवा मौजे में बनी है। मौजा उन्हीं हजरत का है। वहाँ के किसान अधिकांश कोइरी हैं। यह एक पक्की किसान जाति है। कोइरी लोग सीधे-सादे, प्रायः अपढ़ और बड़े ही ईमानदार होते हैं। ऋगड़ा करना तो जानते ही नहीं, सो भी जमींदारों या उनके मामूली अमलों तक के साथ। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मनुष्यों में यह जाति गो.

है। इतनी परिश्रमी और खून को पानी बना के खेती करने वाली कि कुछ कहिये मत। जेठ की धूप की लपट और धू धू करती दुपहरी के समय मैदान में साग तरकारी के खेतों को ये दिन-रात साँचते रहते हैं। तब कहीं जमींदार का कड़े से कड़ा पावना चुका पाते हैं। धान या रबी की पैदावार से काम नहीं चलता। इसीलिये अपने आपको झुलस डालते हैं। फिर भी जमींदार ऐसा जल्लाद होता है कि हर घड़ी इनके खून का ही प्यासा रहता है। उसका पेट तो कभी भरता नहीं। वह तो कुम्भकर्ण ठहरे। फिर पेट भरे तो कैसे? उसे जितना ही ज्यादा मिलता है उसकी माँगें उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती हैं। इसीलिये स्त्री-पुरुषों, बाल-बच्चों और बूढ़ों तक के बदन को झुलसा के भी जमींदार की माँगों को पूरा करना किसानों के लिये गैर मुमकिन है। इसीसे अछुवा के गरीब कोइरी किसान भी जमींदारी जुल्म के शिकार हो चुके थे।

असल में वहाँ के जमींदार सभी किसानों से, खासकर पिछड़ी जाति वालों से, दिन भर मुफ्त काम करवाते रहते थे। बहुत तड़के उनके दरवाजे पर किसानों का पहुँच जाना लाजिमी था। फिर रात होने पर घर जाते थे। और तो कृषा मिलेगा, दिन में एक बार भोजन तक मुहाल था यदि खुद घर से खाने के लिये साग-सब्ज न लाते। यदि जमींदार ने भूखे और लावारिश कुत्तों के टुकड़ों की तरह कभी दो चार पैसे या पात्र-आध सेर दे दिया तो शनीमत! फिर भी हिम्मत न थी कि चूँ करें या दूमरी बार काम पर न आयें। चाहे हजार काम बिगड़े तो बिगड़े। मगर जमींदार के यहाँ बेगारी करने जाना ही होगा। एक बार मजदूरन एक किसान नहीं जा सका। इसीके फलस्वरूप न सिर्फ वह, बल्कि सारा गाँव तबाह किया गया। इसीलिये अछुवा वाले थर्र मारते रहते थे। जमींदार के नाम पर उनकी रूढ़ काँपती थी।

जमींदार ने तरीका ऐसा निकाला था कि पारी पारी से हर किसान को उसके यहाँ पहुँचना ही पड़ता था। इसके लिये उसने एक बड़ा ही निराला ढंग निकाला था जिससे किसानों पर खौफ भी छा जाये और काम भी

चलता रहे। जमींदार का एक मोश और लम्बा डंडा एक के बाद दीगरे किसानों के दरवाजे पर शाम को ही पहुँच जाया करता था। जिस किसान के घर पर आज पहुँचा वही कल जमींदार के यहाँ जायेगा। फिर कल शाम को उसके घर वाले बगल के पड़ोसी के द्वार पर चुपके से रख आर्येंगे जिससे अगले दिन उसे जाने की खबर मिल जाय। यही रचैया बराबर जारी था। जहाँ डंडा महाराज पधारे कि उसे हजार काम छोड़ के जाना ही होगा। एक बार अचानक किसी किसान के घर कोई बड़ा बूढ़ा डंडा जी के पदार्पण के बाद रात में मर गया। रिवाज के मुताबिक उस घर के सभी लोग मुर्दे को गंगा-किनारे ले गये। फलतः जमींदार के यहाँ कोई जा न सका। जब यह बात उसे मालूम हुई तो आगबबूला हो गया। किसान की पुकार हुई। वह आया। हाथ जोड़ के भरे हुए गले से उसने सारी कहानी सुनाई और लाचारी के लिये माफ़ी चाही। मगर माफ़ी कौन दे ? फिर तो जमींदार का भारी गुस्सा उसके सिर उतरा और गाँव के लोग उजाड़े गये। न जाने कितने जाल-फरेब करके किसानों पर तरह तरह के मुकदमें चलाये गये, मार-पीट कराई गई और इस प्रकार उन्हें क्ला मारा गया। यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसे उस इलाके का बच्चा बच्चा जानता है।

असेम्बली के चुनाव में धरहरा के ही एक चलते-पुर्जे जमींदार, जो डिस्ट्रिक्टबोर्ड के चेयरमैन, पुरानी कौंसिल के लगातार मेम्बर और अन्त में प्रेसिडेन्ट भी रह चुके थे, बुरी तरह हारे। चुनाव में सभी किसानों ने दिल खोल के हमारा साथ दिया था। जिस जमींदार के खिलाफ़ खड़े होने की हिम्मत जल्दी कोई करता न था और करने पर भी बुरी तरह हारता था, यहाँ तक कि एक बार एक कांग्रेसी उम्मीदवार भी स्वराज्य पार्टी के जमाने में अपनी जमानत जव्त करा चुके थे, वही हारा और उसी की जमानत जैसे-तैसे बचते बचते बची। यदि किसान दिल खोल के हमारा साथ न देते तो यह कब हो सकता था ? इसीलिये हमारा सिर उनकी इस हिम्मत के सामने झुक गया। जमींदार को सारी खूबियाँ और धमकी की पर्वा न करके उनसे निराली हिम्मत दिखाई। जमींदार

के खिलाफ वोट देना बया था गोया ग्याऊँ की ठौर पकड़नी थी चूहों को । मगर उनने ऐसा ही करके सबको हैरत में डाल दिया । जो लोग यह कहके किसान-संघर्ष से भागना चाहते हैं कि मौके पर वे साथ न देंगे उनके मुँह में करारा तमाचा वहाँ के किसानों ने लगाया और अमली तौर से यह बात सिद्ध कर दी कि यह इलजाम सरासर झूठा है । मुझे तो उसी बिहटा के इलाके में ऐसे और भी कई मौके मिले हैं जब किसानों ने आशा से हजार गुना ज्यादा कर दिखाया है । इसीलिये मेरा उनमें अटूट विश्वास है । मैं मानता हूँ कि यदि वे कभी हमारा साथ नहीं देते, तो इसमें उनका कसूर न होके हमारा ही रहता है । जब हमीं में उनके बारे में विश्वास नहीं है, तो फिर हो बया ? हम खुद ही जब लड़ना नहीं चाहते और आगे पीछे करते रहते हैं तो किसान बया करें ? तब वे कैसे पूरा पूरा साथ दें ? और साथ न देने पर भी वे दोषी बयोकर बन सकते हैं ? और तो और—जिस महाशय को जमींदार के खिलाफ किसानों ने शान से जिताया, उन्हें खुद किसानों पर यकीन न हुआ । इसका सबूत हमें उसके बाद दो मौकों पर साफ साफ मिला । पीछे उनने स्वयं माना कि उन्हें विश्वास न था । जब मैं विश्वास रखता था । इसीलिये उनने मेरे खयाल को हार कर सही माना । खूबी तो यह कि वह किसानों के क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं, या अपने आपको कम से कम ऐसा समझते जरूर हैं । यही है हमारा किसान-नेतृत्व ! फिर भी घमंड रखते हैं कि क्रांति करेंगे और किसान-मजदूर राज्य लायेंगे !

हाँ, तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन चुकने के बाद शायद सन् १९३८ या ३९ में उसी अछुवा का एक जवान कोइरी किसान बिहटा आश्रम में मेरे पास एक दिन आया । अठारह, बीस साल की उम्र होगी । गठीला जवान, छुरहरा, बदन, काला रंग और हँसता चेहरा । उस दिन की घटना कुछ ऐसी थी कि मुझे सारी जिन्दगी भूलेगी नहीं । इसलिये उसका चित्र मेरी आँखों के सामने नाचता है । उसे मैं पहचानता भी न था । मगर वह तो मुझे पहचानता था ही ।

वह आया था मेरे पास अपनी दुख-गाथा सुनाने । शायद घर में कोई बड़े बूढ़े न होंगे । पढ़ा-लिखा भी न था । कांग्रेसी मंत्रियों ने लगान कम करवाने और बकाशत जमीन की वापसी के नाम पर जो ब्रंटार किया था और इस तरह कांग्रेस की लुटिया डुना दी थी, उसीके फलस्वरूप उस गरीब की फर्याद मेरे सामने थी । सारी कोशिश करके वह थक चुका था । मगर जमींदार के पैसे और कानून की पेचीदगी के सामने उसकी एक भी चल न सकी थी । फलतः उसकी आँखें खुल गई थीं । चुनाव के समय कांग्रेस के नाम से जो डंका पिटा था कि लगान काफी घटाया जायगा और बकाशत जमीनें वापस दिलाई जायँगी, उस पर सीधे सादे किसानों ने पूरा विश्वास किया था । मगर जब मौका पड़ने पर उन्हें असलियत का पता चला और मालूम हुआ कि बरसने वाले बादल तो और ही होते हैं; वे तो सिर्फ गर्जने वाले थे, तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा । एक तो कुछ हुआ भी नहीं ! दूसरे जमींदारों और उनके दलालों की धमकियाँ और तानाजनी उन्हें फिर मिलने लगी । इसलिये उनका क्षोभ और क्रोध उचित ही था । वह जवान भी इसी क्षोभ और क्रोध को उतारने के लिये मेरे पास आया था ।

सामने आते ही मैंने उससे पूछा कि 'कहो भाई, क्या हुक्म है ?' मैं हमेशा नये या आकस्मिक मिलने वालों से 'क्या हुक्म है' ही कहता हूँ । किसानों से खामखाह यही कहता हूँ । मैं मानता हूँ कि उन्हें मुझे हुक्म देने का पूरा हक है । जब मौके पर मेरी बातों पर विश्वास करके वे लोग मेरा कहना मान लेते हैं, तो दूसरे मौके पर मुझे वे हुक्म क्यों न दें ? यदि उन्हें यह अधिकार न हो तो फिर मेरी बातें वे क्यों मानने लगे ? कोई जोर-जुल्म या दबाव तो है नहीं । यहाँ तो परस्पर समझौता (understanding) ही हो सकता है । यही बात है भी । इसीलिये तो मेरे काम में रकावट होती नहीं । मैं बराबर माने बैठे हूँ कि किसान मेरा साथ जरूर देगा । क्योंकि मैं उसका साथ जो देता हूँ ।

उसने अपनी लम्बी दास्तान सुनाई और कहा कि कैसी कैसी दौड़-धूड़

के बाद भी उसकी एक बात भी न चल सकी। जो खेत उसे मिलना चाहिये खामखाह, वह मिल न सका। उसने कई दृष्टान्त इस बात के सुनाये कि न तो बकाशत जमीनें लोगों को मिलीं और न लगान ही घटा। फिर बोला कि, “सुना था, सब कुछ हो जायगा। वोट भी इसी आशा पर जान पर खेलकर दिया था। मगर यह तो घोखा ही निकला,” आदि आदि। उसके मुँह से जो बातें धड़ाके से निकलती थीं मैं उन्हें गौर से सुनता था और उसकी भावभंगी भी देखता जाता था। मालूम होता था किसी बहुत बड़े धोखे से उसकी आँखें खुली हैं और झूठी प्रतिज्ञा करने वालों को—खासकर कांग्रेस मंत्रियों को—कच्चा ही खा जाना चाहता है। गोकि बाहर से उसके इस भयंकर क्रोध का पता नहीं चलता था। मगर भीतर ही भीतर यह आग जल रही थी यह मुझे साफ मालूम था। वह महान् विस्मय में गोते लगा रहा था कि ऐसे लोग भी झूठी बातें करते हैं। उस समय उसका चेहरा देखने ही लायक था। मुझे इसीलिये वह नहीं भूलता है।

उसकी बातें सुनने के बाद मैंने उससे साफ साफ कबूल कर लिया कि ‘हाँ भई, घोखा तो हुआ। यहाँ तो ऊँची दूकान के फोके पकवान ही नजर आये।’ इसके बाद मैंने व्योरे के साथ सारी बातें उसे सुनाई और समझाया कि बकाशत की वापसी और लगान की कमी के नाम पर जो कानून अभी बने हैं वे कितने कच्चे हैं और केवल रुपये वाले जमींदार किस प्रकार बाजी मार ले जाते हैं। मैंने उसे खासा लेक्चर ही सुना दिया। क्योंकि मेरा भी दिल जला ही था। उसके सामने मैंने इस बात की बहुतेरी मिसालें भी पेश कीं और कहा कि घोखा तो दिया ही जा रहा है।

इस पर उसने चटपट सुना दिया कि “आप ही ने तो कहा था कि कांग्रेस को वोट दीजिये। हम क्या जानते थे कि कौन क्या है ? आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया।” इस पर मैं ठक् सा हो गया। मेरे पास इस बात का तो कोई उत्तर था नहीं। वह बातें तो सरासर सच्ची कह रहा था। किसानों ने तो मेरे ही कहने से अपनी मर्जी के खिलाफ कांग्रेस

के नाम पर उन नर-पिशाच जमींदारों तक को वोट दिया था जिनके हाथों किसानों की एक भी गत चाकी न रही थी। मुझे याद है कि वोट देने के पहले उसी घरहरा के इलाके के एक किसान ने एक सभा में लोकचर सुनने के बाद ही मुझसे धीरे से कहा था कि आपकी बातें तो हम मान लेंगे और वोट देंगे जरूर। मगर जिन्हें वोट देने को आप कहते हैं वह भी जमींदार ही तो नहीं है ? इस पर मैंने उसे समझा-बुझा के ठीक किया था। आज उस कोइरी नौजवान की बातें सुनके वह घटना भी आँखों के सामने नाच गई।

मैंने उससे साफ साफ स्वीकार किया कि 'हाँ जी, यह तो बात सही है। तुम्हारा इलजाम मैं मानता हूँ। असल में मैं भी धोखे में था। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था की ओर से डंके की चोट जो बातें कही जा रही थीं और जिन्हें बड़े बड़े महात्मा और लीडर बार बार लाखों लोगों के सामने दुहरा रहे थे मैं उन पर विश्वास करता कैसे नहीं ? इसीसे तो धोखा हुआ। मैं किसानों के सामने अपने आपको इस दृष्टि से अपराधी कबूल करता हूँ। मगर इतना कहे देता हूँ कि इस घटना से मैंने बहुत कुछ सीखा है और किसानों को भी सीखना चाहिये। हाँ, आगे के लिये यही कह सकता हूँ कि फिर ऐसी बात होने न दूँगा।'

मैंने देखा कि मेरी इन साफ बातों से उसे संतोष हो गया। यदि मैं दलीलें देके अपनी बकालत करने लगता तो उसे शायद ही यह संतोष होता। मगर ईमानदारी से अपनी भूल कबूल कर लेने पर उसने समझ लिया कि गलती तो सभी से होती ही है। स्वामी जी को भी धोखा हो गया था। इनने जान-बूझ के कुछ नहीं किया। वह कोई बड़ा राजनीतिज्ञ तो था नहीं कि मैं उसे राजनीति की पेचीदगियाँ समझाने लगता और कहता कि यदि तुम ऐसा न करते और कांग्रेस को वोट न देते तो जमींदार जीत जाते। फिर तो और भी बुरा होता आदि आदि। इन चारीक्रियों को भला वह अपढ़ और सीधा सादा किसान क्या समझने लगा ? मेरा तो यह भी खयाल है कि उन लोगों से ये बातें कहने से वे इन्हें समझ तो

पाते नहीं। उल्टे नेताओं को तौलने की जो उनकी सीधी सी कसौटी है कि जो कहें उसे खामखाह पूरा करें उसका भी इस्तेमाल करना वे लोग भूल जा सकते हैं। फलतः इसी राजनीति की ओट में धोखेवाज़ लोग उन्हें बराबर चकमा दे सकते हैं। इसीलिये मैंने सीधी बात की और अपनी गलती मान ली।

मगर इस घटना से मेरे दिल पर इस बात की गहरी छाप पड़ गई कि किसानों ने अपने हित अहित को पहचानना शुरू कर दिया। वे लोग बड़ी बड़ी बातें बनाने वाले नेताओं और बोट के भिखारियों के चकमे में आसानी से नहीं आ सकते, यदि उनका नेतृत्व ठीक ठीक किया जाय। वे भविष्य में बोट माँगने वालों के नाकों दम कर दे सकते हैं यदि किसान-सभा उस मौके से मुनासिब फायदा उठाके उन्हें पहले ही से आगाह कर दे। जो लोग कहा करते हैं कि किसान बुद्धू हैं और वे आसानी से फाँसे जा सकते हैं वे कितने धोखे में हैं यह बात मैंने उस दिन आँखों देख ली। अत्यन्त पिछड़ी भोली भाली जाति का एक अपढ़ युवक अगर यह बात वेखटके बोल सकता है और मुझे भी मीठे मीठे सुना दे सकता है तो औरों का क्या कहना? अरुल में जनता की मनोवृत्ति का ठीक ठीक पता लगाना सबका काम नहीं है। यह बड़ा ही मुश्किल मसला है। इसका थाह बिरले ही पाते हैं जिन्होंने अपने आपको जनता के बीच खपा दिया है, दिन रात उसके हँवाले कर दिया है और जो उसी की नींद जागते और सोते हैं। रूसी किसानों की इसी सम्बन्ध की घटना मुझे याद आ गई।

श्री लांसलाट ओयन (Launcelot A. Owen) ने अपनी अंग्रेजी किताब 'दी रशियन पेज़ेन्ट मूवमेन्ट १९०६-१९१७' में रूस के किसानों की सबसे पहली संगठित मीटिंग का जिक्र किया है जो ता० ३१-७-१९०५ को एलेग्जेंडर बैकुनिन नामक जमींदार की जमींदारी में तोरजोक जिले में हुई थी। उस मीटिंग की कार्यवाही पूरी होने के बाद जो आपस में बातचीत जारी हुई थी उसमें किसानों ने भाग लिया था। सिर्फ

सत्रह गाँवों के किसान जमा थे। जिले के सरकारी बोर्ड के मेम्बरों को जो यह शक था कि अभी तक किसान उत्तरदायी शासन के लिये तैयार नहीं हैं, अतः उसकी माँग बेकार है, उसका मुँहतोड़ उत्तर वहीं एक किसान ने चट दे दिया कि “नहीं नहीं, यह बात नहीं है। असल बात तो यह है कि किसान उसके लिये जरूरत से ज्यादा योग्य और तैयार हैं। इसीसे सरकार डरती है” “Another (peasant) confuting the Zemstoomen's doubts as to peasant ripeness for responsibility, asserted that the trouble was that they were over ripe.”

सन् १९३८-३९ की घटना है। हरिपुरा कांग्रेस के पहले और उसके बाद भी मुझे गुजरात में दौरा करने का मौका किसान-आन्दोलन के सिलसिले में लगा था। हरिपुरा के पहले गुजरात के हमारे प्रमुख किसान कर्मा श्री इन्दुलाल याज्ञिक ने अपने सहकर्मियों की सम्मति से तय किया था कि कांग्रेस के अवसर पर किसानों का एक विराट् जुलूस निकाला जाय और मीटिंग भी हो। फैजपुर के समय से ही यह प्रथा हमने चलाई थी जो अब तक लगातार जारी रही है। हमने भी उनकी राय मानी थी। इसीलिये निश्चय किया गया था कि उसके पहले मेरा दौरा हो जाय। क्योंकि वहाँ तो अभी किसान-आन्दोलन को जन्म देना था। अब तक तो वह वहाँ पनप पाया न था। गांधी जी का वह प्रान्त जो ठहरा। सो भी टेठ चारदौली के पड़ोस में ही कांग्रेस हो जाने जा रही थी। सरदार बल्लभ भाई का तो हम पर प्रचंड कोप भी था। यह भी खबर अखबारों में छप चुकी थी कि कांग्रेस के अवसर पर ही अखिल भारतीय खेत मजदूर सम्मेलन श्री बल्लभ भाई की अध्यक्षता में होगा। यह खेत मजदूर आन्दोलन किसान-सभा का विरोधी बनाया जा रहा था। बिहार तथा आन्ध्र आदि प्रान्तों में इस बात की खुली कोशिश पहले ही की जा रही थी कि खेत मजदूरों को उभाड़ कर या कम से कम उनके नाम पर ही कोई आन्दोलन खड़ा करके बढ़ते हुए किसान-आन्दोलन को दबाया जाय। खुलेआम जमींदारों के आदमियों और पैसे के द्वारा यह बात की जा रही थी। हमें इसका पता था।

मगर हमें इसकी पर्वा जरा भी न थी। हम बखूबी जानते थे कि ये बातें टिक नहीं सकती हैं। फिर भी सजग होके किसानों का खासा जमावड़ा हरिपुरा में करना जरूरी हो गया। इसीलिये दौरे की जरूरत

विशेष रूप से थी। आखिर किसानों को यह पैगाम तो सुनाना ही था कि किसान-सभा की क्यो जरूरत है जब कि कांग्रेस मौजूद ही है। साधारण पढ़े-लिखों से लेकर ऊपर के प्रायः सभी लोग वहाँ किसान-सभा को देख भी न सकते थे। ऐसी ऐसी दलीलें करते थे कि सुनके दंग हो जाना पड़ता था। बारदौली वाली जो किसानों के नाम को लड़ाई पहले लड़ी जा चुकी थी उसके करते यह गलतफ़हमी और भी ज्यादा बढ़ गई थी कि कांग्रेस ही किसान-सभा है और श्री बल्लभ भाई किसानों के असली नेता हैं। श्री इन्दुलाल जी की बातों से हमें तो कुछ पता चल गया कि वह लड़ाई असली किसानों की न होके उनके शोपकों की ही थी जो असली किसानों को हटा के उनकी जगह जा बैठे हैं और जिनकी संख्या मुट्ठी भर ही है। मगर इस बात की पूरी जानकारी तभी हो सकती थी जब वहाँ खुद घूमा जाय। इसीलिये हम बड़े चाव के साथ उस दौर के लिये खाना हुए थे। वहाँ जाके हमने खुद अनुभव किया। किसानों की जमीनें करीब करीब मुफ्त में ही हथिया लेने वाले जो दस-पन्द्रह फीसदी वनिये पारसी या पटेल वगैरह हैं वही किसान कहे जाते हैं। वे काफी मालदार हैं और उनके पास बहुत जमीनें हैं। पहले के किसान उन्हींके हलवाहे और गुलाम होके नर्क की जिन्दगी गुजारते हैं। उन्हीं दस-पन्द्रह फीसदी लोगों की मालगुजारी घटाने के लिये बारदौली में लड़ाई लड़ी गई थी, ताकि असली किसानों की छिनी जमीनें उन्हें वापस दिलाने या कम से कम उनकी गुलामी मिटाने के लिये।

भुसावल से हमने ताप्ती वैली रेलवे को पकड़ी और खाना हो गये। यह रेलवे बहुत ही धीमी और दुःखद है। पर, मजबूरी थी। मड़ी स्टेशन, जहाँ से हरिपुरा जाना था, के बहुत पहले ही सोनगढ़ के इलाके में हमें पहली मोटिंग करनी थी और यह सोनगढ़ उसी ताप्ती वैली रेलवे में पड़ता है। बड़ौदा का राज्य है। किसान बहुत ही मजलूम और दुखिया हैं। वहाँ से श्रीगणेश करने का विचार था। मगर बड़ौदा राज्य के हाकिमों को यह बात बर्दाश्त न हो सकी और वे लोग इस फिक्र में लगे कि किसी प्रकार हमारी

सभा होने न दी जाय । उनने इस बारे में अपना काफी दिमाग लगाया । साफ साफ नोटिस देके हमारी सभा रोकने में उन्हें शायद खतरा नजर आया । इसलिये एक चाल चली गई । ठीक सभा के दिन बहुत ही सवेरे उस इलाके के सभी गाँवों के पटेलों और मुखियों को राज्य की कचहरी पर पहुँच-जाने की खबर ऐन मौके पर दी गई जब हमारे आदमी सभा की तारीख बदल न सकते थे । पटेल और मुखिया लोग होते हैं एक तरह के राज्य के नौकर । इसलिये उसका कचहरी में पहुँच जाना जरूरी हो गया, और जब सभी गाँवों के मुखिया ही चले गये तो फिर सभा में आता कौन ? अभी तक किसान-सभा वहाँ जमी तो थी नहीं । सीधे-सादे खेडूत (किसान) उसका महत्त्व क्या जानने गये ? और अगर इतने पर भी गाँव के प्रमुख लोग सभा में चलते, तो दूसरे भी आते । मगर वह तो कचहरी चले गये । फलतः सभा की कोई संभावना रही न गई । इस प्रकार बड़ौदा राज्य का यत्न सफल हो गया ।

जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो इन्दुलाल जी ने सब बातें कहीं । फिर तय पाया कि रात में पास के ही एक गाँव में ठहरना होगा । ठहरने का प्रबन्ध पहले से ही था । उस इलाके में रानीपरज के नाम से प्रसिद्ध जाति के लोग ज्यादातर बसते हैं । वही वहाँ के असली किसान हैं । उनके नेता श्री जीवनभाई हमारे साथ थे । वे अब कहीं बाहर कारबार करके गुजर करते हैं । मगर हमारी सहायता के लिये आ गये थे । उन्हींके साथ हम सभी उस गाँव में गये । जब हमने रानीपरज की दशा पूछी तो उनने सारी दास्तान कह सुनाई । यह भी बताया कि “रानीपरज प्रगति-मंडल” के नाम से एक संस्था खुली है जो उन लोगों की उन्नति का यत्न करती है । स्कूल आदि के जरिये उन्हें कुछ पढ़ाया लिखाया जाता है । चरखा भी सिखाया जाता है । सरदार वल्लभ भाई वगैरह उसमें मदद करते हैं । ‘रानी परज’ या किसी ऐसे ही नाम का कोई पत्र भी निकलता है । सारांश, वह “प्रगति-मंडल” समाज-सुधार की संस्था है । इसीलिये शराब वगैरह पीने से लोगों को रोकती है ।

मुझे आश्चर्य जरूर हुआ कि यहीं पास में वारदौला में किसानों की लड़ाई हुई ऐसा सभी जानते सुनते हैं। फिर भी रानीपरज के लोग आज बिना जमीन के हैं और दूसरों की गुलामी करते हैं। छुवला के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें जमीन दिलाने या उनकी गुलामी मिटाने की लड़ाई लड़ी न जाकर यह समाज-सुधार (social reform) का काम एक निराली बात है। गोया ये लोग जरायम पेशा कौम हैं, जो Criminal Tribes हैं। जैसे जरायम पेशा लोगों को धर्म के नाम पर सुधारने की कोशिश की जाती है और शराब बन्दी का प्रचार होता है ठीक वही हालत यहाँ है। मैंने समझ लिया कि असली काम न करके यह बाहर मरहमपट्टी लोगों की आँख में धूल मोकने के ही लिये की जा रही है। जंगल में रहने वाली बहादुर कौम पेट के लिये सुफ्तखोरों और लुटेरों की गुलामी करे और नेता लोग इसके भीतर समाज-सुधार का प्रचार करें! यह निराली बात निकली। ब्याह-शादी वगैरह के समय बनिये साहुकार या शराब बँचने वाले इन सीधे किसानों को चढ़ाके कर्ज देते दिलाते और शराब पिलवाते हैं, और पीछे उसी कर्ज में न सिर्फ इनकी जमीनें ले लेते बल्कि पुश्त दरपुश्त इन्हें गुलाम बना डालते हैं। इस लूट और धोखेबाजी के खिलाफ इनमें बगावत का प्रचार किया जाना चाहता था। इन्हें बताना था कि उस बनावटी कर्ज को साफ कर दे और सुना दे कि अब हम गुलाम किसान के भी नहीं हैं। यही तो इस मर्ज की असली दवा है। मगर नकली नेता लोग दूसरी ही बात करते हैं। असल में इसी बात में उनका भी स्वार्थ है। वह भी या तो सहुकार आदि हैं, या उनके दोस्त और दलाल।

वहाँ से हम अगले दिन सूरत जाना था। रेल पकड़ के सूरत पहुँचे भी और वहाँ शाम को एक मीटिंग भी की। फिर सीधे पंचमहाल जिले के दादोद शहर के लिये फ्रांटियर मेल से खाना होके अगले दिन सबेरे रात रहते ही पहुँचे। वहाँ एक तो म्युनिसिपैलिटी की ओर से हमें मान-पत्र मिलना था। दूसरे एक सार्वजनिक सभा में भाषण करना था। बाम्बे बन्दोबा और सेन्द्रल इन्डिया रेलवे का वहाँ एक बड़ा कारखाना होने से

मजदूरों की सभा में बोलना था। मगर सबसे सुन्दर चीज थी दाहोद से दूर देहात में भीलों की एक बड़ी सभा। ग्युनिर्सपैलिटी के अध्यक्ष थे एक बहोरा मुसलमान सज्जन। मगर जो अभिनन्दन पत्र उनने गुजराती में पढ़ा और जो संक्षिप्त भाषण दिया वह मार्के का था। मैंने भी उचित उत्तर दिया। सन्धासी होके किसानों के काम में मैं क्यों पड़ा इस बात का स्पष्टीकरण वहाँ मैंने निराले ढंग से किया। असल में शहरों के लोगों का पेट जैसे तैसे भरी जाता है। इसलिये उन्हें धर्म की पर्वा ज्यादा रहती है। मैंने भी धर्म की ही दृष्टि से उन्हें समझाया। मैंने कहा कि यद्यपि भगवान सभी जगह है, फिर भी उसे विशेषरूप से शोषितों में ही पाता हूँ और वहीं ढूँढ़ने से वह मिलता है। जिस प्रकार फोड़े वाले के सारे शरीर में दवा न लगाके दर्द की ही जगह दवा लगाने से उसे विशेष आनन्द मिलता है, क्योंकि उसका मन वहीं केन्द्रीभूत है। उसका मन, उसकी आत्मा वहीं मिलती है, पकड़ी जाती है हालाँकि वह है दर असल सारे शरीर में। वही हालत भगवान की है।

जब हम लोग दूसरे दिन भीलों की मीटिंग में गये तो हमें बड़ा मजा आया। स्थान का नाम भूलता हूँ। मैदान में सभा थी। खासी भोड़ थी। चारों ओर आदमी ही आदमी थे। मर्द भी थे, औरतें भी थीं। ये तो दूसरे लोग भी। मगर भीलों की ही प्रधानता वहाँ थी। बचपन में सुना करता था कि द्वारका की यात्रा करने वाले यात्री लोग जब डाकोर की ओर चलते हैं तो दाउद गुहरा (दाहोद-गोध्रा) की झाड़ियाँ मिलती हैं। यानी दाहोद और गोध्रा के बीच में लगातार झाड़ियाँ हैं, जंगल हैं जहाँ मोल लोग तीर चलाते हैं और यात्री को मार के लूट लेते हैं। मैं समझता था कि बड़े ही खूँखार और भयंकर होंगे। मगर जब उन्हें देखा कि भले आदमियों की सी सूरत-शकल वाले हैं तो आश्चर्य हुआ। हाँ, अधिकांश के हाथ में घनुष और तीरों के गुन्ठे जरूर देखे। इनसे उन्हें अपार प्रेम है। इसीलिये साथ में रखते हैं। उनने कहा कि रास्ते में कहीं चोर-बदमाशों या जंगली जानवरों का खतरा हो तो यही तीर घनुष काम आते-

हैं। जंगली प्रदेश तो हई। यह दृश्य मैंने पहले पहल देखा। मगर यह भी देखा कि वे मेरी बातें मस्त होके सुनते और भूमते थे। मेरी भाषा तो उनकी न थी। फिर भी मैं इस तरह बोलता था कि वे समझ जावें। बातें तो उन्हींके दिल की बोलता था। फिर भूमें क्यों नहीं ?

हमें वहाँ पर यह भी पता चला कि उसी इलाके में बहुत पहले से "भील सेवा-मंडल" काम कर रहा है। वहाँ जाने का तो हमें मौका न लग सका। क्योंकि शाम तक दाहोद वापस आना जरूरी था। रेलवे मजदूरों की सभा में बोलना जो था। मगर लौटते समय रास्ते में ही हमें दूर से "सेवा-मंडल" के मकान दिखाये गये। सेवा-मंडल का काम भीलों के विकास से ताल्लुक रखता था। मंडल के कार्यकर्त्ताओं में अच्छे से अच्छे त्यागी लोग रहे हैं। हमारे साथी श्री इन्दुलाल जी का भी उसमें हाथ रहा है। यह काम उस समय शुरू हुआ जब हमारे देश में राजनीतिक चेतना नाम-मात्र को ही थी। इसीलिये समाज सेवा के नाम पर यह मंडल खुला। * मगर आज जब राजनीतिक चेतना की एक बड़ी बाढ़ हमारे देश में आ गई है और उसीके साथ उसका आर्थिक पहलू स्पष्ट हो गया है, तब ऐसे संस्थाओं का खास महत्त्व है या नहीं, यही प्रश्न पैदा होता है। यदि महत्त्व हो भी तो क्या उनके काम का तरीका वही रहे या बदला जाय, यह दूसरा सवाल भी खड़ा होता है। भीलों की वह असभ्यता तो जाती रही। समय ने पलटा खाया और वह सभ्यता की वायु में साँस लेने को बाध्य है। इस झकोरे से वे बच नहीं सकते, यदि हजार चाहें। ऐसी हालत में आर्थिक प्रोग्राम के आधार पर ही उनमें अब काम क्यों न किया जाय ? मेरा तो विश्वास है कि असभ्य और जरायम पेशा कही जाने वाली जातियों में अब भी मर्दानगी औरों से कहीं ज्यादा है। फिर तो आर्थिक प्रोग्राम की बिना पर न्योही उनमें काम शुरू हुआ और इसका महत्त्व उनने समझ लिया कि एक की लड़ाई में जूमने के लिये सबसे आगे वही लोग मिलेंगे।

खैर, शाम तक उस सभा से हम लोग लौटे और मजदूरों की मीटिंग में गये। मीटिंग खासी अच्छी थी। सफेद पोश दावुओं की एक अच्छी

तादाद वहाँ हाजिर थी। मैले और काले कपड़े वाले भी थे ही। श्रमिकों के क्या हक हैं और उनकी प्राप्ति के लिये उन्हें क्या करना होगा यही बात मैंने उन्हें बताई। सभा के बाद हम अपने स्थान पर वापिस आये।

दूसरे दिन गोध्रा के नजदीक, उसके बाद वाले वैजलपुर स्टेशन से उत्तर जीतपुरा में हमारी मीटिंग थी। यह खासी देहात की सभा थी! दूर-दूर के किसान उसमें हाजिर थे। बहुत ही उत्साह और उमंग से हमें वे लोग वहाँ ले गये। बाजे गाजे और तैयारी की कमी न थी। सभा भी पूर्ण सफल हुई। जिस जमीन में सभा हुई उसे किसान ने किसान-आश्रम बनाने के लिये दे दिया। आगे के स्थायी काम के लिये इस प्रकार वहाँ नींव डाली गई, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। मुझे इस बात से अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि मेरी हिन्दी भाषा वहाँ के खेडूत भी बखूबी समझ लेते थे। बेशक मेरी कुछ ऐसी आदत हो गई है कि किसानों के ही समझने योग्य भाषा बोलता हूँ, सो भी धीरे धीरे। असल में बातें तो उनके दिल की ही बोलता हूँ। इसीलिये उन्हें समझने में आसानी होती है। हाँ, तो जीतपुरा से लौट के हमने रात में गाड़ी पकड़ी और मढ़ी चल पड़े। मढ़ी से ही हरिपुरा जाना था।

मढ़ी और हरिपुरा के बीच में ही हमारी एक और भी सभा थी खासी देहात में। हमने वह सभा की तीसरे पहर। कांग्रेसी मंत्रिमंडल तो बनी चुका था। पहले पहल हमने उसी सभा में एक बात कही जिसे हम पीछे चल के कई जगह दुहराते रहे। दरअसल गुजरात और मद्रास में कर्ज और साहुकारों के जुल्म का ही प्रश्न सबसे पेचीदा और महत्त्वपूर्ण है। कहा जाता है कि वहाँ जमींदारी-प्रथा नहीं है। वहाँ के किसानों का सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध है। इसे रयतवारी कहते हैं। मगर बनियों और साहुकारों ने सूद दर सूद के जाल में फाँस के किसानों की प्रायः सारी जमीनें ले ली हैं और वे खुद जमींदार बन बैठे हैं। अर्द्धभाग या चँटाई पर फिर उन्हीं किसानों को वही जमीनें ये साहुकार जोतने को देते हैं। और अगर फसल मारी जाय तो खामखाह नगद मालगुजारी ही बसूल कर लेते हैं।

डरा और दना किसान चूँ भी नहीं करता है। बँटवाई की हालत यह है कि मँगफली जैसी कीमती और किराना चीजों की पैदावार का भी आधा हिस्सा ले लेते हैं। किसानों की गुलामी भी इसीके करते हैं।

इसीलिये उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता अगर इस कर्ज के असह्य भार को उनके सिर से उठा फेंकने की बात की जाय। यदि उनकी छाती से यह चट्टान हटे तो जरा साँस लें। मुझे यह बात मालूम तो थी ही। इसीलिये मैंने कहा कि पड़ोस में ही कांग्रेस हो रही है। उसका दावा भी है कि वह गरीबों और सताये गये लोगों की ही संस्था है। श्री बल्लभ भाई अपने को किसानों का नेता कहते भी हैं। और आज तो इस बम्बई प्रान्त में कांग्रेस के ही मंत्री शासन चला रहे हैं, ऐसा माना जाता है। उन्हीं की मर्जा से कानून बनते हैं। इसलिये हरिपुरा में लाखों की तादाद में किसान जमा होके साफ साफ कह दें कि इस मनहूस कर्ज ने हमारी रीढ़ तोड़ डाली। हमने एक के दस अटा किये। फिर भी साहुकार की बही (चौपड़ी) में घिस बाकी पड़े हैं। हमारी जमीन और इज्जत इसीके चलते चली गई। हम गुलाम भी बन गये। यहाँ एक नये प्रकार के "साहुकार जमींदार" पैदा हो गये। इसलिये कांग्रेस के मंत्री लोग कृपा करके इन साहुकारों के सभी कागज-पत्र अपने पास मँगवा लें। फिर या तो उन्हें बम्बई के पास के ही समुद्र में डुबा दें, या नहीं तो होली जला दें। और अगर हुक्म दे तो हमों लोग उन्हें लेके ताप्ती नदी में ही डुबा दें। नहीं तो हमारा जो जीवन भार बन गया है वह खत्म हो जायगा।

हमने देखा कि इन शब्दों के सुनते ही किसानों के चेहरे खिल उठे। उसके बाद सभा का काम पूरा करके हमने हरिपुरा पहुँचने की सोची। खयाल आया कि मोटर लारियाँ तो बराबर दौड़ रही हैं। हम लोग पल मारते पहुँच जायेंगे। फिर वहाँ से सड़क पर आये और लारियों की इन्तजार करने लगे। बटों योही चीता। बीच में चीसियों लारियाँ आईं और चली गईं। हमने हजार कोशिश की कि रुकें, मगर एक भी न

रुकी। लाचार जीवन भाई के साथ पैदल ही आगे बढ़े। उनने कहा कि आगे कुछ दूरी पर जो गाँव पक्की सड़क से हट के पड़ता है वहीं से एक बैलगाड़ी लेके उसी पर हरिपुरा चलेंगे। वस, गाँव की ओर चल पड़े। दो-तीन मील चलने पर गाँव आया।

गाँव पहुँचने के पहले ही हमने जीवन भाई से रानीपरज तथा और किसानों की हालत पूछी। वे भी रानीपरज विरादरी के ही थे। इसीलिये उनकी दशा ठीक ठीक बता सकते थे। ऊपर से जान पड़ता था कि गांधी जी और सरदार बल्लभ भाई के बड़े भक्त थे। पहले कांग्रेस में उनने काफी काम भी किया था, मगर उनने जो हृदय विद्रावक वर्णन अपने भाइयों के कष्टों का किया उससे हमारा तो खून उबल पड़ा। उनकी भी मावभंगी अजीब हो गई थी। उनने कहा कि यदि किसी रानीपरज के के पास काफी जमीन हो और अपने गरीब भाई से खेती का काम वह कराये तो काम करने वाले के परिवार को अपने ही मकान के एक भाग में रखके अपने ही परिवार में उस परिवार को शामिल कर लेगा। मगर, अगर साहुकार, पारसी या पटेल वही काम गरीब रानीपरज से कराये तो दिन में ज्वार की रोटी और कोई साग उसे खाने को देगा जिसमें मसाले के नाम पर सिर्फ लाल मिर्च के बीज पड़े होंगे, न कि लाल मिर्च। असल में गुजरात में उन बीजों को निकाल के फेंक देते हैं। खाते नहीं। इसीलिये साहुकार उन बेकार चीजों को उन गरीबों के साग में डाल देते हैं। शाम को दो सेर ज्वार या एक डेढ़ आने पैसे दे देते हैं।

इसके बाद जो कुछ उनने कहा या कहना चाहा वह बड़ा ही बीभत्स था। उनकी आँखें डबडबा आईं। आखिर अपनी ही विरादरी की प्रतिष्ठा की बात जो ठहरी। उनने कहा कि हमारे जो भाई साहुकारों के ऋण में फँसे हैं उनकी जवान लड़कियों और पुत्र-वधुओं को भी ये राक्षस कभी कभी जबरदस्ती काम करवाने के लिये बुलवा लेते हैं। अब आप ही सोच सकते हैं कि उनका धर्म कैसे बचने पाता होगा, आदि आदि। उनने इस बात

पर बहुत ही जोर दिया और कहा कि दुबला के नाम से प्रसिद्ध गरीब किसानों और उनकी बहू-बेटियों की इज्जत की खैरियत नहीं है ।

इस पर हमने कहा कि “लेकिन हम जो यह किसान-सभा कर रहे हैं उसे सरदार बल्लभ भाई तो पसन्द नहीं करते । हालाँकि उन्हें चाहिये तो यह था कि वह खुद दुबला लोगों के लिये यह काम करते और गांधी जी भी उन्हें इस बात का आदेश देते । यह क्या बात है कि गांधी जी इस बात पर मौन हैं ? क्या उन्हें भी यह बात पसन्द है ?” तब उनने कहा कि “इसमें गांधी जी का दोष नहीं है । असल में लीडर लोग गड़बड़ी करते हैं ।” हमने फिर कहा कि “मगर गांधी जी भी हमारी किसान-सभा को पसन्द नहीं करते, यह पक्की बात है । तब हम कैसे मानें कि केवल लीडरों की ही भूल है, उनकी नहीं ? और अगर ऐसी हालत में आप किसान-सभा में पढ़ेंगे, तो गांधी जी जरूर आप पर रंज होंगे ।” अब क्या था, अब तो वे साफ खुल गये और कहने लगे कि “गांधी जी अपना काम करते हैं और हम अपना । हमें किसान-सभा में ही किसानों का उद्धार दीखता है । कांग्रेस से कुछ होने जाने का नहीं । इसलिये यदि गांधी जी हम पर बिगड़े तो हम क्या करें ? हम तो यह काम करेंगे ही ।” बस, मैंने समझ लिया कि किसान-सभा गुजरात में भी जीती-जागती संस्था बनके ही रहेगी, जब कि शुरू में ही जीवन भाई जैसे किसान इसकी जरूरत और महत्ता को यों ही समझने लगे हैं । क्योंकि सभा का काम तो उनने अभी देखा भी नहीं । इससे स्पष्ट है कि परिस्थिति (Objective conditions) उसके अनुकूल है । सिर्फ पयदर्शका और सच्चे कार्यकर्ता (Subjective conditions) की कमी है ।

इतने ही में हम उस गाँव में जा पहुँचे और एक किसान के दरवाजे पर ठहरे । बैज्ञाणादी का प्रबन्ध होने लगा । शाम भी होई रही थी । थोड़ी देर में गाड़ी तैयार होके आ गई और हम लोग उस पर बैठ के खाना हो गये । रास्ते में हमने गाड़ी हँकने वाले किसान से हरिपुरा की बात चलाई और पूछा कि वहाँ चिटल नगर में काम करने के लिये

यहाँ के लोग जाते हैं या नहीं, और अगर जाते हैं तो क्या मजदूरी उन्हें प्रतिदिन मिलती है ? इस पर उसने कहा कि रेलवे या सड़क वगैरह में काम करने वालों को दस आने पैसे मिलते हैं । कांग्रेस में भी पहले कुछी कम पैसे मिलते थे । मगर पीछे जब ज्यादा तादाद में काम करने वाले जाने लगे तो छे आने ही दिये जाने लगे ! इसके लिये हो । हत्ला भी हुआ । मगर सुनता कौन है ? शायद तूफान मचने पर सुनवाई हो । मगर मजदूर तो भूखे हैं । इसलिये जोई मिलता है उसी पर सन्तुष कर लेते हैं । उसने इसी तरह की और भी बातें सुनाईं । मुझे यह सुनके ताज्जुब तो हुआ नहीं । क्योंकि मैं तो कांग्रेसी लीडरों की मनोवृत्ति जानता था । मगर उनकी इस हिम्मत, वेशर्मा और हृदय-हीनता पर क्रोध जरूर हुआ । मैंने दिल में सोचा कि यही लोग गरीबों को स्वराज्य दिलायेंगे । यही देहात की कांग्रेस है जिसमें देहातियों को उतनी भी मजदूरी नहीं मिलती जितनी सरकारी ठेकेदार देते हैं । इसी त्रुते पर यह दावा गांधी जी तक कर डालते हैं कि किसानों की सबसे अच्छी संस्था कांग्रेस ही है—“The Congress is the Kisan organisation par excellence !” मुझे खुशी इस बात की थी कि न सिर्फ वह गांधी हाँकने वाला, बल्कि उस देहात के सभी लोग इस पोल को बखूबी समझ रहे थे जैसा कि उसकी बातों से साफ झलकता था ।

रात में हम विट्टल नगर पहुँचे और वहीं ठहरे । पूरे अठारह रुपयेमें हमने एक स्रोपड़ा लिया जिसमें सिर्फ तीन चारपाइयाँ पड़ सकती थीं । यही है गरीबों की कांग्रेस ! वहाँ एक रुपये से कम में तो एक दिन में एक आदमी का पेट भरी नहीं सकता था । चीजे इतनी महँगी कि कुछ कहिये मत । जल्लाद की तरह वेमुरव्वती से तो दूकानदारों से सख्त किराया लिया जाता है । देहात में होने वाली सभी कांग्रेसों की यही हालत होती है । दिन-ब-दिन चीजे महँगी ही मिलती हैं ।

खैर, हरिपुरा में हमें तो अपना काम करना था । वहाँ किसानों का लग्ना जुलूस निकालना था । मीटिंग भी करनी थी । मगर पता चला कि



किसान-रैली, हरिपुवा, गुजरात

सरदार बल्लभ भाई का सख्त हुक्म है कि बिना उनकी आज्ञा के विद्वल नगर के भीतर कोई भी मीटिंग या प्रदर्शन होने न पाये। हमें यह चीज बुरी लगी। हमने कहा कि सरदार साहब या उनकी स्वागत समिति को यह हक हर्गिज नहीं है कि ग्राम सड़क पर जलूस रोक दें। जब तक पुलिस या मजिस्ट्रेट की ऐसी मुनादी न हो तब तक तो हमें कोई रोक सकता नहीं। हाँ, मुनादी हो जाने पर कानून तोड़ने की नौबत आयेगी। मगर सरदार या उनके साथियों को न तो पुलिस का अधिकार प्राप्त है और न मजिस्ट्रेट का ही। फिर उनकी नादिरशाही के सामने हम क्यों खिर झुकें ?

नतीजा यह हुआ कि हम और हमारे साथी श्री इन्दुलाल याशिक-वगैरह किसी से भी पूछने न गये और जलूस निकला खूब ठाट के साथ। पचीस तीस हजार से कम लोगों का जलूस नहीं था। साहुकारों से त्राण दिलाने और हालो प्रथा मिटाने आदि के नारे मुख्य थे। हाली और दुबला या गुलाम ये सब एक ही हैं। मीटिंग भी बहुत ही जम के हुई। मैं ही अध्यक्ष था। मेरे सिवाय याशिक, डाक्टर सुमन्त मेहता आदि अनेक सज्जन बोले।

सरदार बल्लभ भाई यह बात देख के भीतर ही भीतर आगबबूला हो गये सही। मगर मजबूर थे। इसीलिये किसी न किसी बहाने से अपने दिल का बुखार निकालते रहे। रह रह के बिना मौके के ही हम लोगों पर तानाजनी करते रहे। एक बार तो वहाँ पली गायों के बारे में यों ही लेक्चर देते हुए बोल बैठे कि हम तो इन गायों का पसन्द करते हैं जो न तो प्रस्ताव करती हैं और न उनमें सुधार पेश करती हैं। ये तो क्रान्ति और जमींदारी या पूँजीवाद मिटाने की भी बातें नहीं करती हैं। किन्तु दूध दिये चली जाती हैं। जिससे हमारा काम चलता है। इसी तरह के अनेक मौके आये।

एक बार तो खास विषय समिति में ही बिना वजह और बिना किसी प्रसंग के ही विशेषतः मुझे और साधारणतः सभी वामपक्षियों को लक्ष्य करके न जाने वह क्या क्या बक गये। यहाँ तक हो गया कि सभी लोग

जल के खाक हो गये। फलतः हमने बहुत ही शोर किया और सभापति श्री सुभाष बाबू पर जोर दिया कि उन्हें रोकेँ। पहले तो सभापति जी हिचकते रहे और सरदार साहब भी लापवाह होके बकते जाते थे। मगर जब परिस्थिति बेढब हो गई और शोर बहुत बढ़ा तो उनने रोका, जिससे वे एकाएक अपना सा मुँह लेके बैठ गये। इस प्रकार वारदौली की भूमि में ही उनकी नाक कट गई सिंह अपनी माँद में ही सर हो गया।

हरिपुरा के पीछे कुछ महीने गुजर जाने पर फिर गुजरात में दौरा करने का मौका आया। इस वार श्री इन्दुलाल याज्ञिक और उनके साथियों ने संगठित किसानों की सभायें प्रायः गुजरात के हर जिले में की। अहमदाबाद शहर में ही नहीं, किन्तु देहात में भी एक सभा हुई। हरिपुरा के बाद किसानों की कई संगठित लड़ाइयाँ भी हो चुकी थीं और विशेष-रूप से बड़ौदा राज्य के घोर दमन का शिकार उन्हें तथा हमारे प्रमुख किसान सेवकों को होना पड़ा था। उनकी कितनी ही मीटिंगे दफा १४४ की नोटिस और पुलिस की मुस्तैदी के करते रोकी गई। फिर भी लड़ाई चलती रही। यद्यपि बड़ौदा सरकार का कानून है कि किसान से नगद लगान ही लेना होगा, न कि बँटाई। फिर भी साहुकार जमींदार यह बात मानते न थे। खूबी तो यह कि यदि साल में दो फसलें हों तो दोनों में ही आधा हिस्सा लेते थे। फलतः किसानों ने बँटाई देने से इनकार कर दिया। सरकार को इस पर उनका और किसान-सभा का कृतज्ञ होना चाहता था। मगर उलटे दमन चक्र चालू हो गया। असल में सरकारें तो मालदारों की ही होती हैं। इसलिये उनका फर्ज हर हालत में यही होता है कि धनियों की रक्षा करें। वे कानून तोड़ते हैं तो बला से। शोषित जनता को सिर उठाने नहीं देते। असली चीज कानून नहीं है, किन्तु कमाने वाली, पर लुट्टी जाने वाली, जनता को चाहे जैसे हो सके दबा रखना ही असल चीज है। कानून भी इसी गर्ज से बनाये जाते हैं। मगर अगर कहीं कानून की पाबन्दी के चलते ही जनता सिर उठा ले तो उसकी पाबन्दी से बढ़के भूल और क्या हो सकती है ? यही कारण है कि जमींदारों और मालदारों

के कानून तोड़ने पर भी सरकार तरह दे जाती है । उनके रुपये और प्रभाव के चलते इसके लिये ब्रह्मने तो सरकार को मिला जाते हैं । पुलिस उसकी रिपोर्ट करती ही नहीं । फिर सरकार क्या करे ? और अगर कहीं एक दो जगह किसान सिर उठाने पाये तो फिर गजब हो जाने का डर जो रहता है । क्योंकि “बुढ़िया के मरने का उतना डर नहीं, जितना यम का रास्ता खुल जाने का रहता है !” बड़ीदा राज्य में किसानों की उन लड़ाइयों ने यह बात साफ कर दी ।

अहमदाबाद की सभा के बाद हमारा दौरा था खेड़ा जिले में—उसी खेड़ा जिले में जो 'न सिर्फ' श्री इन्दुलाल जी का जिला है, बल्कि सरदार बल्लभ भाई का भी जन्म उसी जिले में हुआ है । हमारी मीटिंगें ठेठ देशतों में थीं । स्टेशन से उतर के हमें कई दिन देहात देहात ही घूमते रहने और इस तरह डाकोर के पास रेलवे लाइन पकड़ने का मौका मिला । कुछ दूर लारी से और बाकी ज्यादा जगहें बैलगाड़ी से ही तय करनी पड़ीं । इस बार हम ऐसे इलाके में गये जहाँ आज तक कांग्रेस का कोई खास असर होई न पाया है । इसलिये हमें इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई । अनुभव भी बहुत ही मजेदार हुए ।

असल में खेड़ा जिले के बहुत बड़े हिस्से में क्षत्रियों की एक बहादुर कौम बसती है जिसे धाराला कहते हैं । ये लोग अहमदाबाद जिले में भी खाली तादाद में पाये जाते हैं । हमें इस बात से बड़ी तकलीफ हुई कि सरकार ने इस दिलेर कौम को जरायम पेशा करार दे रखा है । असल में विदेशी सरकारी तो चश से यही नीति रही है कि लोगों में मर्दानगी का माहा रहने ही न दिया जाय । पर अफसोस है कि कांग्रेसी मंत्रियों ने भी इस कलंक को मिटाने की कोशिश न की, जिससे धाराला लोग अब भी वैसे ही माने जाते हैं । पहले गांधी जी के 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' में पढ़ के हमें भी इनके बारे में यही गजब धारणा थी । परन्तु दौरा करने पर हमें पता चला कि सारी बातें गलत हैं । ये लोग अपने पास लम्बे लम्बे दाव लाठी में लगाके रखते हैं जिसे धारिया कहते हैं । धाराला नाम इसी

धारिया के रखने से पड़ा है। जंगल में लकड़ी वगैरह काटने में इससे बड़ी आसानी होती है। हमें इस बात से खुशी हुई कि इन लोगों ने, जो सदा कांग्रेस के विरोधी रहे, न सिर्फ हमारी किसान-सभा को अपनाया, बल्कि इस काम में बड़ी मुस्तैदी दिखाई। उनने इसे अपनी चीज मान ली। इसका प्रमाण हमें उसी यात्रा में प्रत्यक्ष मिला। साहुकारों ने जो उन्हें आज तक बेखटके लूटा था उससे बचने का रास्ता उन्हें किसान-सभा में ही दीखा। क्योंकि सभा की नीति इस मामले में साफ है। यही कारण है कि वे इस ओर भुके, गो कांग्रेस से अलग रहे। उसकी नीति गोल-मोल जो ठहरी।

खेड़ा जिले के गाँवों में घूमते-घामते हम डाकोर से सात ही आठ मील के फासले वाले रेलवे स्टेशन कालोल पहुँचे। यह एक अच्छा-शहर है। यहाँ व्यापारी और साहुकार बहुत ज्यादा बसते हैं। हमारे दौरे से इनके भीतर एक प्रकार की हड़कण मच चुकी थी, गोकि हमें इसका पूरा पता न था। सरदार बल्लभ भाई के गण लोग भी चुपचाप बैठे न थे। हम उनके गढ़ पर ही घावा जो बोल रहे थे। जो गुजगत आज तक गांधीवाद का किला माना जाता था वहीं किसान-सभा की प्रखर प्रगति उन नेताओं को बुरी तरह खल रही थी। इसीलिये हमारे खिलाफ अंट-संट प्रचार करके और हमें कांग्रेस-विरोधी करार देके उनके गण मध्यम वर्गीय लोगों को हमारे विरुद्ध खूब ही उभाड़ रहे थे। और कालोल शहर तो मध्य वर्गीय लोगों का अड्डा ही ठहरा।

एक बात और भी हो गई थी। उसके पूर्व देहातों में जो हमारे कई लेक्चर हो चुके थे उनमें साहुकारों और सूदखोरों की लूट का हमने खासा भंडाफोड़ किया था। हमने कहा था कि किसानों के सभी कर्ज मंखल कर दिये जायँ। इससे साहुकारों में खलबली मचना स्वभाविक था। उनने समझा कि यह तो हमारा भारी दुश्मन खड़ा हो गया। वे मानते थे कि यदि ऐसे लेक्चर किसानों में होने लग जाय तो वे हमारी एक न सुनेंगे, निडर हो जायँगे और हमारा दिवाला ही बुलवा देंगे। पंचमहाल जिले के गुसर मौजे में पीछे चलके श्री जवेर भाई नामक किसान ने ऐसा किया भी।

और जगह भी ऐसी घटनायें हुईं । इसलिये उनका डरना और सतर्क होना जरूरी था ।

जिस दिन हम कालोल पहुँचे उसके ठीक पहले दिन एक गाँव में एक साहुकार से कुछ बातें भी ऐसी हो गईं कि वह चौंक पड़ा, और बहुत संभव है कि उसने भी कालोल में सनसनी पैदा की हो । बात यों हुई कि उसने किसानों की फ़जूलखर्चों की शिकायत करते हुए यह कह डाला कि ये लोग शहरों जाके सैलूनो में बाल कटवाया करते हैं । सैलून अंग्रेजी ढंग की जगहें होती हैं जहाँ बालु आनी ढंग से नाऊ लोग हजामत बनाते और ज्यादा पैसे मजदूरी में लेते हैं । साहुकार को खटकता था कि ये लोग मेरा कर्ज और सूद चुकता न करके फ़िजूल पैसे खर्च डालते हैं । इसीसे उसने मुझसे उनकी शिकायत की ।

मगर मैंने मरुलाके कहा कि क्या ऐसा बराबर होता है या कभी कभी ? उसने उत्तर दिया कि केवल कभी कभी । इस पर मैंने उसे डाँटा कि यही चीज तुम्हें चुभ गई ? आखिर किसान लोग पत्थर तो हैं नहीं । ये भी मनुष्य हैं । इन्हें भी अभिलाषायें और वासनायें हैं । इसीलिये कभी कभी उन्हें पूरा कर लेते हैं । जो लोग इन्हीं की कमाई के पैसे सूद, कर्ज, लगान आदि के रूप में लूट के बराबर ही सैलूनो में जाते और गुलदरों उढ़ाते हैं उन्हें शर्म होनी चाहिये, न कि इन किसानों को । ये तो अपने ही कमाई के पैसे से कभी कभी ऐसा करते हैं और यह अनिवार्य है । मगर आपको श्रमीरों की बात नहीं खटक के इनकी ही क्यों खटकती है ? ये कितने लूट के सैलून में जाते हैं ? इस पर वह साहुकार हक्का-बक्का हो गया । उसे यह आशा न थी कि मैं ऐसा कहूँगा । वह तो मुझे गांधीवादियों की तरह समाज-सुधारक समझता था । फलतः मेरी बात सुनके उसे अचम्भा हुआ । शायद उसीने कालोल में ज्यादा सनसनी फैलाई ।

हाँ, तो कालोल में पहुँचने पर शहर से बाहर एक बाग में जो रेलवे स्टेशन के पास ही है, हम जा ठहरे । हमारे ठहरने का प्रबन्ध पहले से ही वहीं था । बाग में पहले एक कारखाना था जो तहर-नहर की हालत में

की हालत में पड़ा रो रहा था। शहर के दो एक प्रतिष्ठित और पढ़े-लिखे लोग हमसे वहाँ मिलने आये। यह भी पता चला कि उन्हीं लोगों ने हमारी सभा का भी प्रवन्ध किया है। श्री इन्दुलाल जी से उनका पुराना परिचय था। हमें खुशी इस बात की थी कि मध्यम वर्गीय पढ़े-लिखे लोग हमारे भी साथ हैं। उन्हींके नाम से सभा की नोटिसें भी बँटी थीं। सभा का समय शाम होने पर था जब कि चिराग जल जाँय। हम भी निश्चित थे। क्योंकि भीतरी सनसनी और हमारे खिलाफ की गई तैयारी का हमें पता न था। दूसरों को भी शायद न था। नहीं तो हमें बता तो देते ताकि हम पहले से ही सजग हो जायँ। मगर विरोधियों ने गुप्तचुप अग्नी तैयारी कर ली थी जरूर।

जब शाम होने के बाद हम सभा में चले तो शहर के बीच में जाना पड़ा। हमें ताज्जुब हुआ कि यह क्या बात है ? घने मकानों के बीच कहीं जा रहे हैं यह समझना असंभव था। इतने में हम ऐसी जगह जा पहुँचे जो चारों ओर ऊँचे मकानों से घिरी थी। बीच में जो जगह खाली थी वहीं देखा कि बहुत से सफेद-भोश लोग जमा हैं। सब के सब खड़े थे। बैठने के लिये कोई दरी-वरी या बिछावन भी वहाँ न दीखा। हमने समझा कि यों ही किसी काम से ये लोग खड़े हैं और आगे चन्ने लगे। लेकिन हमें बताया गया कि यही सभा स्थान है। हमें ताज्जुब हुआ कि शहर की सभा और उसकी ऐसी तैयारी ! हम समझी न सके कि क्या बात है। इतने में किसीने इशारा कर दिया कि यही स्वामी जी हैं। इशारे का पता हमें तो न लगा। मगर विरोधियों की तैयारी ऐसी थी कि वे किसी के इशारे से समझ जा सकते थे।

बस, फिर कुछ कहिये मत। हमें कोई बैठने को भी कहने वाला न दीखा। यहाँ तक कि किसी ने बात भी न की और चारों ओर से एक अजीब 'सी सी' की आवाज आने लगी। वह आवाज हमें पहले ही पहल सुनने को मिली। हमने हजारों किसान-सभाएँ कीं। विरोधियों के मजमे में हमने व्याख्यान दिये वहाँ तक कि हरिपुरा के पड़ते सरत जिजे में त्रिलिमोड़ा स्टेशन

से एक दूर बसे शहर में भी हमारी सभा हुई जिसमें गांधीवादी भरे पड़े थे । मगर ऐसी हालत वहाँ न देखी । उनसे सभ्यता से आदरपूर्वक हमसे सवाल जरूर किये जिनके उत्तर हमने दिये । मगर ऐसा न किया । यहाँ तो कोई सुनने वाला ही न था । मालूम होता था कि यों ही 'सी सी' और 'हू हू' करके या 'ताने मार के हमें ये लोग भगा देने पर तुले बैठे थे । तानेजनी की बातें भी बोली जा रही थीं । कोई कोई हमें संन्यासी का धर्म सिखा रहे थे । मगर अप्रत्यक्ष रूप से जैसा कि हुआ करता है ।

पहले तो हम और याज्ञिक दोनों ही अकचका गये । मगर पीछे खयाल किया कि यहाँ तो जैसे हो निपटना ही होगा । हम मार भले ही खा जायँ । मगर सभा तो करके ही हटेंगे । इतने में एक दीवार के बगल वाले चबूतरे पर हम दोनों जा खड़े हुए और याज्ञिक ने बोलने की कोशिश की । पहले तो वे लोग सुनने को खादार थे ही नहीं । इसलिये उनकी सिसकारी चलती रही । मगर हम या याज्ञिक भी बच्चे या थकने वाले तो थे नहीं । इसलिये याज्ञिक ने बोलने की कोशिश बराबर जारी रखी । नतीजा यह हुआ कि बाधा ढालने वाले थक के सुनने को बाध्य हुए । आखिर कब तक ऐसा करते रहते ? उनका थकना जरूरी था । हमारा तो एक पवित्र लक्ष्य है जिसमें मस्त होने से हम थकना क्या जानें ? वह लक्ष्य भी महान है । शोषितों एवं पीड़ितों का उद्धार ही हमारा लक्ष्य है । उसमें हमारा अटल विश्वास भी है । फिर हम क्यों थकते ? बल्कि ऐसी बाधाओं से तो उल्टे हमारी हिम्मत और भी बढ़ती है । मगर उन लोगों का तो कोई महान् और पवित्र लक्ष्य था नहीं । फिर थकते क्यों नहीं ?

जब वे चुप हो गये तो हमें और भी हिम्मत हुई । फिर तो श्री इन्दुलाल ने अपना लेक्चर तेज किया और धीरे धीरे उन लोगों को ऐसा बनाया कि कुछ कहिये मत । आखिर वह भी उसी खेड़ा जिले के ही रहने वाले ठहरे । कालील के बहुतेरे लोग उनके त्याग और उनकी जन-सेवा को खूब ही जानते हैं । वे गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी बहुत दिनों तक रह

की सेवा के लिये समर्पित किया । यहाँ तक कि शादी भी न की । यह बात खेड़ा वालों से ही छिपी रहे यह कब संभव था ? यही वजह थी कि उनने विरोधियों की भीठे मीठे खूब ही मरम्मत की ।

फिर मेरा मौका आया । मैं खड़ा हुआ और भाषण का प्रवाह चला । मैंने देखा कि इन्हें कांग्रेस के ही मन्तव्यों और प्रस्तावों के द्वारा पानी पानी करना ठीक होगा । इसलिये कांग्रेस की चुनाव घोषणा, फैजपुर के प्रस्ताव और लखनऊ के प्रस्ताव का उल्लेख करके मैंने उन्हें बताया कि यदि वे कांग्रेस के भक्त हैं तो फौरन ही किसानों को कर्ज से और जमींदारों के जुल्मों तथा बड़े हुए लगान के बोझ से मुक्त करना होगा । वे वेचारे क्या जानने गये कि प्रस्ताव क्या हैं और लीडर लोग कांग्रेस के मन्तव्यों के ही विरुद्ध काम कर रहे हैं ? उन्हें तो जैसा समझाया गया वैसा ही उनने मान के मुझे कांग्रेस का चागी करार दे दिया ! मैंने उनसे कहा कि गुनाह कोई करे और अपराधी कोई बने ! मैंने उन्हें ललकारा कि मेरी एक बात का भी उत्तर दे दें तो मैं हार जाने को तैयार हूँ । मैं तो घंटों बोलता रहा और वहाँ ऐसी शांति रही कि कुछ पूछिये मत । अब तो कोई चूँ भी नहीं करता था । मेरे बाद स्थानीय एक सज्जन भी बोले और सभा बर्खास्त की गई ।

पीछे तो 'सी सी' करने वालों को खूब ही पता चला कि वे धोखे में थे । जब मैंने न सिर्फ उनकी बल्कि उनके बड़े से बड़े लीडरों की भी खासी खबर ली तो आखिर वे करते भी क्या ? दरअसल मध्यम वर्गीय लोगों को तो यों ही भटका के गुरुघंटाल लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं । वहीं मैंने प्रत्यक्ष देखा कि मध्यम वर्गीय लोग कितने खतरनाक और किस तरह वे पेंदी के लोटे की तरह इधर से उधर दुलकते हैं । पहले तो मेरे दुश्मन थे । मगर पीछे ऐसे सरके कि कुछ कहिये मत । चाहे जो हो पर उनके करते हमारी किसान-सभा की धाक खूब ही जमी ।

लखनऊ की कांग्रेस के बाद ही सन् १९२६ ई० में बिहार प्रान्तीय वर्किंग कमिटी की मीटिंग थी। मैं भी मौजूद था। लखनऊ में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव किसानों की हालत की जाँच के लिये पास किया था और प्रान्तीय कमिटियों से जाँच की यह रिपोर्ट माँगी थी कि विभिन्न प्रान्तों में किसानों के लिये किन किन सुधारों की जरूरत है जिससे उनकी तकलीफें घटें और उन्हें आराम मिले, उसी सम्बन्ध में यह खास मीटिंग हुई थी। उसी मीटिंग में किसान जाँच कमिटी बनानी थी। वह बनाई भी गई। बहुत देर तक विचार और बहस-मुवाहसा होता रहा। समस्या ठहरी पेचीदा। इसीलिये कमिटी का काम आसान न था। अन्त में तय पाया कि नौ मेम्बरों की कमिटी बने और जाँच का काम फौरन शुरू कर दे। तभी फैजपुर कांग्रेस के पहले ही दिसम्बर आते आते रिपोर्ट तैयार हो सकेगी।

अब सवाल पैदा हुआ कि मेम्बर हों कौन कौन से? यह तो जरूरी था कि बिहार के सभी प्रमुख लीडर जो वर्किंग कमिटी में थे उसके मेम्बर बन जाते। हुआ भी ऐसा ही। मगर एक दिक्कत पेश हुई। मैं भी वर्किंग कमिटी का सदस्य था। साथ ही, किसानों के सम्बन्ध में मुझसे ज्यादा जानकारी किसी और को थी भी नहीं। जाँच कमिटी में रहके किसानों से ऐसी बातें तो मैं ही पूछ सकता था जिनसे जमींदारों के ऐसे अत्याचारों पर भी प्रकाश पड़ता जो अब तक छिपे थे। कहाँ क्या सवाल किया जाय और कब किया जाय इस बात की जानकारी सबसे ज्यादा मुझी की थी। इतना ही नहीं। रिपोर्ट तैयार करने के समय मैं उसे किसानों के पक्ष में प्रभावित कर सकता था। मेरे न रहने पर तो शेष लोग या तो जमींदारों के ही तरफदार होते, या ज्यादा से ज्यादा दो भाविये हो सकते थे। मगर

किसानों की यदि कुछ भी भलाई करनी थी तो कुल नौ मेग्वरों में एक का ऐसा होना अनिवार्य था जो किसानों की बातें ठीक ठीक जानता और उनकी सभी समस्याएँ समझता हो। कोई वजह भी न थी कि मैं जाँच कमिटी में न रहूँ। यह हिम्मत भी किसे हो सकती थी कि मुझे रहने से रोके ? आखिर चुनाव में जो अगले साल शुरू में ही होने को था, किसान-सभा की सहायता भी तो कांग्रेस के लिये जरूरी थी। इसलिये भी मुझे रखना ही पड़ता।

मगर मुझे क्या मालूम कि खुद बा० राजेन्द्र प्रसाद धर्मसंकट में पड़े डूबते उतराते थे। मैं तो समझता था, और दूसरे भी समझते थे, कि मुझे जाँच कमिटी में रहना ही है। दूसरी बात होई न सकती थी। लेकिन जब राजेन्द्र बाबू ने दबी जवान से कहा कि स्वामी जी के रहने पर जमींदार और सरकार दोनों ही कहेंगे कि जाँच कमिटी की रिपोर्ट तो दरअसल किसान-सभा की रिपोर्ट है, न कि कांग्रेस की। कहने के लिये भले ही उसकी हो, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि यह क्या बोल रहे हैं। मगर उनसे और भी कह डाला कि हम नहीं चाहते कि किसी को ऐसा कहने का मौका मिले। हम चाहते हैं कि सभी की नजरों में हमारी रिपोर्ट की कीमत और अहमियत हो। अब तो मैं और भी हैरान हुआ और उनसे पूछा कि आप क्या दलील दे रहे हैं ? नौ में मैं ही अकेला किसान-सभा का ठहरा। बाकी तो खांटी कांग्रेसी हैं, जमींदार और जमींदारों के दोस्त हैं। फिर यह कैसे होगा कि उनकी कीमत न हो और अकेले मेरे ही करते आपकी रिपोर्ट किसान-सभा की बन जाय ? खुद राजेन्द्र बाबू भी उसमें होंगे। तो क्या मेरे सामने उनकी भी कोई कीमत न होगी। क्या किसान-सभा का या मेरा इतना महत्त्व सरकार और जमींदारों की नजरों में बढ़ गया ? मैं तो यह सुन के हैरान हूँ।

मेरी इन बातों का उत्तर वे लोग क्या देते ? आखिर कोई बात भी तो हो। और अगर किसान-सभा की या मेरी अहमियत इतनी मान लें, तो फिर कांग्रेस को क्या कहें ? उसे तो उन्हें सबके ऊपर रखना था। फिर

दलीलों का जवाब देते हो क्या ? इसलिये यह कहना शुरू किया कि आपके रहने से रिपोर्ट सर्व सम्मत (unanimous) न होगी और उसकी कीमत पूरी पूरी होने के लिये उसका सर्व सम्मत होना जरूरी है । इस पर मैं बोल बैठा कि आपने अभी से यह कैसे मान लिया कि रिपोर्ट ऐसी न होगी और उसमें मेरा मतभेद खामखाह होगा ? मैं तो बहुत दिनों से वर्किंग कमिटी का मेम्बर हूँ और उसके सामने बहुत से पेचीदा प्रश्न आते ही रहे हैं । किसानों के भी कितने ही सवाल जब न तब आये हैं । मगर आप लोग क्या एक भी ऐसा मौका बता सकते हैं जब मेरा मतभेद रहा हो ? या जब मैंने अन्त में अलग राय दी हो ? यह दूसरी बात है कि वहस मुवाहसे होते रहे हैं । तो भी अन्त में फैसला तो हमने एक राय से ही किया है । फिर भी यदि आप लोग अभी से यह माने बैठे हैं कि जाँच कमिटी की रिपोर्ट में मेरा रिपोर्ट खामखाह होगा, तो माफ़ कीजिये, मुझे कुछ दूसरी ही बात दीखती है । मैं हैरत में हूँ कि यह क्या बातें सुन रहा हूँ ।

एक बात और है । मान लीजिये कि मेरा मतभेद वाकी मेम्बरों से होगा ही । तो इससे क्या ? यह तो बराबर होता ही है । क्या सभी कमिटियों की रिपोर्टें एक राय से ही लिखी जाती हैं ? शायद निम्नानवे फीसदी तो कभी एक मत नहीं होती है । मुश्किल से चौ में एक रिपोर्ट ऐसी होती होगी । तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि शुरू में ही ऐसे लोग मेम्बर बनाये जाँय जिनके विचार एक से ही हों ? उलटे हमने देखा है, हम बराबर देखते हैं कि ऐसी कमिटियों में खासकर अनेक खयाल के लोग ही रखे जाते हैं । बल्कि उनकी रिपोर्टों की ज्यादा कीमत, ज्यादा अहमियत इसीसे होती है कि अनेक मत के लोग उनमें थे । फिर भी आप लोग उल्टी ही बात बोल रहे हैं । आखिर आपकी यह जाँच कमिटी कोई निराली चीज तो है नहीं । फिर मैं यह क्या सुनता हूँ कि रिपोर्ट एक मत न होगी ?

अब तो किसी के बोलने के लिये और भी गुंजाइश न थी । सभी चुप थे । और लोगों की भवाभंगी से और खासकर राजेन्द्र बाबू के चेहरे से मुझे साफ साफ कलका कि उन लोगों पर कोई भारी आफत आ गई है ।

चे नहीं चाहते कि मैं जाँच कमिटी में रहूँ। मगर उसीके साथ उनकी दिकत यह है कि मुझे रखने के लिये मजबूर हो रहे हैं, जब तक कि मैं खुद रहने से इनकार न कर दूँ। मैं समझने में लाचार था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे क्या पता था कि उन लोगों के भीतर पाप भरा था कि न रिपोर्ट तैयार होगी और न छपेगी। सिर्फ चुनाव के पहले जाँच का ढकोसला खड़ा करके वे लोग किसानों को केवल ठगना चाहते थे कि वोट दें। यह भंडाफोड़ पीछे हुआ जब कि उनने रिपोर्ट का नाम ही लेना बन्द कर दिया। बल्कि जब मैंने पीछे उनकी यह हालत देख के फैजपुर में आल इंडिया कांग्रेस कमिटी में यह सवाल उठाया तो वे लोग बुरी तरह विगड़ बैठे। मैंने वहाँ भी उन्हें फटकारा और ऐसा मुनाया कि बोलती ही बन्द थी।

हाँ, तो यह हालत देखके मैंने खुद कहा कि यदि आप लोगों की यही मर्जा है तो लीजिये मैं खुद रहने से इनकार करता हूँ। क्योंकि देखता हूँ कि यदि ऐसा नहीं करता तो जाँच कमिटी ही न बनेगी और पीछे सब लोग मुक्ती को इसके लिये कसरवार ठहराके खुद पाक बनने की कोशिश करेंगे। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। इसलिये खुद हट जाता हूँ। लेकिन यह कैसे होगा कि आप लोग जोई रिपोर्ट चाहेंगे छाप देंगे और मैं मान लूँगा ? मुझे रिपोर्ट की तैयारी के पहले और छपने के पहले भी पूरा मौका तो मिलना ही चाहिये कि बहस करके सम्भव हो तो उसे कुछ दूसरा रूप दिला सकूँ। इस पर सभी एकाएक बोल बैठे कि यह तो होगा ही। जाँच के समय भी आप रह सकते हैं। मगर जाँच का काम पूरा होने और रिपोर्ट लिखने के पहले एक बार कमिटी आपसे सभी बातों पर काफी विचार कर लेगी और आपको पूरा मौका देगी कि उसे प्रभावित करें। फिर जब रिपोर्ट तैयार होगी तो छपने के पहले आपके पास उसकी एक कापी जरूर भेजी जायगी और यदि आप चाहेंगे तो कमिटी से फिर बहस करके उसमें रद्द-बदल करवा सकेंगे। इस पर मैंने कह दिया कि घन्यवाद ! मैं इतने से ही संतोष कर लेता हूँ। तब कहीं जाकर रजेन्द्र बाबू और दूसरों का धर्मसंकट टला।

अब एक दूसरा सवाल पैदा हुआ। जितने मेम्बर चुने गये उनमें पटना और शाहानाद जिलों के एक भी न थे और किसानों के प्रश्नों के खयाल से ये जिले बहुत ही महत्व रखते हैं। सच बात तो यह है कि मैं इस सवाल को न तो उसी समय समझ सका और न अब तक समझ पाया हूँ। यदि सभी जिलों के मेम्बर न होंगे तो उससे क्या ? मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ कि अपने जिले की किसान समस्याओं की पूरी जानकारी शायद किसी को आज तक भी हो। जानकारी तो उन्हें हो जो उसमें दिलचस्पी रखते हों और उसकी टटोल में बराबर रहते हों। इधर किसी को न तो इसकी पर्वा है और न इसके लिये फुर्सत। फिर इस सवाल से क्या मतलब ? बिहार के कुल सोलह जिलों को मिलाकर जब सिर्फ नौ मेम्बरों की ही जाँच कमिटी बनी तो यह सवाल उठता ही कैसे कि फला जिले का कोई नहीं है ? हाँ, किसी का नाम कमिटी के मेम्बरों में होने से अखबारों में छपे और वह इस प्रकार नामवरी हासिल करे यह बात जुदा है और अगर इस दृष्टि से पटना शाहानाद से किसी को देना हो तो हो।

खैर, कुछ देर के बाद किसी ने कहा कि बाबू गंगाशरण सिंह पटने के ही हैं। उन्हें क्यों न दिया जाय ? इस पर प्रायः सभी बोल बैठे कि ठीक है, ठीक है। अन्त में तय भी पा गया कि वह भी एक मेम्बर रहें और वह तथा बाबू कृष्णबल्लभ सहाय—दोनों ही—जाँच कमिटी के मंत्री हों। मैं चुपचाप बैठा आश्चर्य में डूब रहा था। बाबू गंगाशरण सिंह न सिर्फ बिहार प्रान्तीय किसान कौंसिल के मेम्बर थे, बल्कि बिहार प्रान्तीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की कौंसिल ऑफ ऐक्जिन के भी सदस्य और पक्के सोशलिस्ट माने जाते हैं। मैं तो जाँच कमिटी में इसलिये खतरनाक माना गया कि किसान सभावादी हूँ। मगर सोशलिस्ट लोग तो ठेठ क्रांति तक पहुँच जाने वाले माने जाते हैं। वह तो क्रांति से नीचे की बात करते ही नहीं। फिर भी गंगा बाबू, बाबू राजेन्द्र प्रसाद और उनके साथियों को न सिर्फ कबूल थे, बल्कि उन लोगों ने खुद उनका नाम पेश किया। यह एक निराली बात थी

कि सोशलिस्ट तो कबूल हो, मगर मेरे जैसा आदमी, जो सोशलिस्ट बनने का दावा कभी नहीं करता, कबूल न हो। यह मेरा आश्चर्य आज तक बराबर बना है। इतना ही नहीं जब मैंने सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश बाबू से यह चर्चा की तो उनने खुद कहा कि गंगा बाबू तो सोशलिस्ट भी हैं, तब कैसे कबूल हो गये ? इसीलिये यह सावल आज भी ज्यों का त्यों बना है और कौन कहे कि कब तक बना रहेगा ?

हजारीबाग जेज में इस बार हमें जो घटनायें मिलीं वह भी काफी मजेश्वर हैं । हमें कुछ ऐसे गांधीवादी यहाँ मिले जो हिटलर की जीत से केवल इसलिये खुश होते थे कि वह हिन्दुस्तान पर चला आयेगा और इस प्रकार किसान-सभा और मजदूर-सभा का गला घोट देगा । सोवियत रूस पर होने वाले उसके आक्रमण से तो वे लोग और भी ज्यादा खुश थे । वह यहाँ तक बढ़ गये थे कि सोवियत की हार अब हुई, तब हुई ऐसा कहने लगे थे । भारत में हिटलर के पदार्पण से उनकी क्या हालत होगी यह बात भी शायद वह सोचते हों, मगर क्या सोचते थे यह हमने न जाना । किसान आन्दोलन खत्म हो जायगा, उन्हें इसी की खुशी थी । यदि वे खुद भी उसीके साथ खत्म हो जाँय तो भी उन्हें पर्याप्त न थी । फिर उन्हें अगर कोई दिखी तो यही कि किसान-सभा कैसे मिटेगी । बेराक उनमें कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो स्वराज्य लेना नहीं चाहते थे, किन्तु उन्हें चिन्ता थी उसके बचाने की । उनके जानते उनका अपना स्वराज्य तो है । जमींदारी बड़ी है और रुपये पैसों भी काफी जमा हैं । ठाठ-चाट और शान-मान भी पूरी है । किसानों पर रोब भी खूब ढाँटते हैं । फिर और स्वराज्य कहते हैं किसे ? उनसे तो स्वराज्य का यही मतलब समझा है । उन्हें भय है कि उनका यह स्वराज्य कहीं किसान और पीड़ित लोग छीन न लें, इसीलिये कांग्रेस और गांधी जी की दुम पकड़ के वे इस बला से पार होने के लिये यहाँ पधारे थे । क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यहाँ आ जाने पर उनके स्वराज्य की रक्षा गांधी जी और कांग्रेस—दोनों ही—ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हिन्दुओं की गाय की दुम उन्हें वैतरणी में डूबने से बचाती है ।

मगर उनमें जो जमींदार या मालदार न थे उनको इस मनोवृत्ति पर इमें तर्क आया और हँसी भी आई । हिटलर के पदार्पण से उन्हें अपना

स्वराज्य कैसे मिलेगा यह समझ में न आया । शायद उन्हें अपने स्वराज्य की पर्वा कतई थी नहीं । कदाचित् जेल आये थे वे इसीलिये कि उनकी लीडरी खतरे में थी—छिन जाती । अगर उसे उनने बचा लिया तो यही क्या कम है ? उसीसे क्या खायेंगे । आज लीडरी भी एक पेशा जो बन गई है । मगर, अगर हिटलर के आ जाने से वह लीडरी भी छिन जाय, तो छिन जाय बला से । उसीके साथ विरान-रुभा भी तो खत्म होगी । वस, इतने से ही उन्हें सन्तोष था । इसे ही कहते हैं “आप गये अरु घालहिं आनहि” या “दुश्मन की दोनों आँखें फोड़ने के लिये अपनी एक फोड़ लेना !” हमें तो साफ ही मालूम हुआ कि कांग्रेस एक अजायबघर या चिड़ियाखाना । (Museum or zoo) है जिसमें रंग-विरंगे जीव पाये जाते हैं । गुलाम भारत की विकट परिस्थिति के चलते ही उसकी रियात है । क्योंकि राष्ट्रीय संस्था के अलावे और कोई भी संस्था अंग्रेजों का मुँहतोड़ दे नहीं सकती, उनसे सफलतापूर्वक लोहा ले नहीं सकती । इसीलिये कांग्रेस को हर हालत में मजबूत बनाना हर विचारशील माननीय का फर्ज हो जाता है । अंग्रेजी सरकार की मनोवृत्ति और सलूक उसे लड़ने को विवश भी करते हैं । यही है परिस्थिति वश कांग्रेस की विलक्षणता और मान्यता । मगर उसमें रंग-विरंगे जीव तो हैं ।

हजारीबाग जेल में रोजाना दस आना मिलता है खुराक के लिये । कपड़े-लत्ते दूध-ब्रश, पाउडर, साबुन वगैरह अलग ही मिलते हैं । इतने पर भी एक ‘टुटपुँजिये’ जमींदार महोदय को तमक के कहते पाया कि “बट भोगने के लिये तो हम जमींदार लोग हैं और स्वराज्य लेने या जमींदारी मिटाने की बात किसान करते हैं । देखिये न, यह कितनी अन्वेर है !” क्या खूब ! वे हजरत इतने कष्ट में थे कि कुछ कहिये मत । दस आने हजम करने में क्या कम कष्ट है ? और ये पाउडर, ब्रश आदि ? इनका प्रयोग तो उन्हें बाहर शायद ही कभी मुअत्सर हुआ हो । इसलिये इसमें भी उन्हें काफी कष्ट था । प्रतिदिन दस आना खामखाइ हजम करना यह तो आफत ही थी । यदि कभी कम-वेश होता तो एक बात थी । मगर रोज

ही पूरे दस आने ! यही तो गजब था ! पता नहीं, छूटने के दिन वे ३०-४० पौंड वजन में बढ़े हुए गये या कि कुछ कम ! उनके बारे में हमें केवल इतना ही कहना है कि किसानों ने उन्हें कभी नहीं कहा था कि जेल के ये कष्ट वे भोगें । वे तो खुद आये थे । फिर किसान उनके साथ क्यों रिआयत करेंगे, यही समझ में न आया । दरअसल बात तो कुछ दूसरी ही थी । वह तो पहले समझते थे कि स्वराज्य होगा किसानों और जमींदारों के सामे का, और बँटवारे के समय हम किसानों को ग्वाले के छोटे भाई की तरह ठग लेंगे । मगर किसान-सभा ने इस बात का पर्दाफाश कर दिया और कह दिया है कि सामे का स्वराज्य होई नहीं सकता । वस, इसीसे उन्हें क्रोध था ।

कहते हैं कि किसी गाँव में दो भाई ग्वाले साथ ही रहते और कमाते खाते थे । बड़ा भाई था काफी चालाक । कमाता वह था नहीं । कमाते कमाते मरता था छोटा भाई ही । मगर खान-पान में बड़ा आगे ही रहता था । फिर भी छोटे को पर्वा न थी । मगर यह बात आखिर चलती कब तक ? अन्ततोगत्वा एक दिन छोटे को भी गुस्सा आया और उसने कहा कि हमें जुदा कर दो, साथ न रहेंगे । बड़े ने पहले तो काफी कौशिश की कि यह बात न हो । मगर छोटे को जिद्द थी । इसलिये लाचार सभी चीजों का बँटवारा करना ही पड़ा । और चीजों में तो कोई दिक्कत न थी । मगर दस-पन्द्रह सेर दूध देने वाली तार्जी ब्याई एक भैंस थी । उसका बँटवारा कैसे हो, यह बात उठी । लोटा-थाली हो तो एक एक बाँट लें । अन्न और पैसे आदि में भी यही बात थी । मगर भैंस तो एक ही थी । दो होती तो और बात थी । अब क्या हो ? दोनों को कुछ सुझता न था । अक्ल के पूरे तो थे ही बड़े हजरत । उनने रास्ता सुझाया । भैंस का आधा भाग तुम्हारा और आधा हमारा रहे, जैसे घर में आधा आधा दोनों ने लिया है । छोटे ने मान लिया । अब सवाल उठा कि भैंस का कौन हिस्सा कितने मिले ?

यहाँ पर बड़े भाई ने चालाकी की और छोटे से कहा कि देखो भाई, तुम्हें मैं बहुत मानता हूँ । इसीलिये चाहता हूँ कि यहाँ भी तुम्हें अच्छा

ही हिस्सा हूँ। यह तो जानते ही हो कि मैंस का मुँह कितना सुन्दर है, किस प्रकार पगुरी करती है। उसकी चींघें कितनी चमकीली और मुड़ी हुई हैं, कान, आँख वगैरह भी देखते ही बनते हैं। विनयीत इसके चूतड़ का हिस्सा कितना गन्दा है। उस पर बराबर गोबर-मूत लगा रहता है जिसे रोज बौना पड़ता है। मैंस बार बार गोबर-मूत निकालती ही रहती है। अगर एक दिन उसे उठाके न फेंके तो रहने की जगह नर्क ही हो जाय ! लेकिन तुम्हारे करते मैं लाचार होके उसका पिछला हिस्सा ही लूँगा और गोबर-मूत फेकूँगा। तुम्हें अगला भाग देता हूँ। बस, बँटवारा हो गया। खुश हो न ? छोटे ने हामी मर दी।

अब तो ऐसा हुआ कि छोटा भाई रोज मैंस को खूब खिलाता मिलाता और बड़ा धीरे से दोनों समय उसका दूध निकालता और मजा करता। यह बात कुछ दिन चलती रही। छोटे को इस चीव दही, दूब कुछ भी देखने तक को न मिला। कभी कभी वह घबराता था जलर। मगर सीधा तो था ही। अतः संतोष कर लेता कि क्या किया जाय ? बँटवारा जो हो गया है ! बस, फिर काम में लग जाता था। इस प्रकार मिहनत करते करते मरता था वह और मजा मारता था बड़ा। कितना सुन्दर न्याय था ! कैसा सुन्दर प्रेम बड़े ने छोटे भाई के प्रति दिखाया। उसके सीधे मन से उसने कैसा वेजा नफा उठाया ! मगर यह अन्वेर टिक न सकी। टिकती भी क्यों ?

एक दिन छोटे भाई का परिचित कोई सयाना आदमी उसके घर आया। छोटे ने उसका आदर-सत्कार किया। भोजन भी अच्छा खिलाया। मगर दही-दूध न दारद ! आगन्तुक को ताज्जुब हुआ कि हाल की व्याई सुन्दर मैंस दरवाजे पर बँधी है। दूब भी कान्नी देती होगी। यह शरहत मेरा सच्चा दोस्त भी है। फिर भी मुझे इतने न दूब दिया और न दही। मैंने गौर करके देखा तो इसके घर में ये चींघें नजर भी न आईं। यह क्या बात है ? उसने छोटे से यही सवाल किया भी। उसने उत्तर दिया कि वो तो सही है। मैंस तो है। मगर बँटवारे में मेरे पहले उसका अगला

हिस्सा जो पड़ा है पिछला तो भैया का है। फिर मैं दूध पाता तो कैसे ? हाँ, साँग वगैरह की सुन्दरता से सन्तोष करता हूँ। गोंवर-मून से भी बचता हूँ। यही क्या कम है ? भैया ने बड़ी कृपा करके मुझे अगला भाग ही दिया है। भाई हो तो ऐसा हो। इतने से ही आगन्तुक ने समझ लिया कि इसमें चाल क्या है।

उसने छोटे भाई से कहा कि तो फिर बड़ा भाई भी दूध क्यों निकाल लेता है ? यदि तुम अगले हिस्से को खिल्लाते-पिलाते हो तो वह भी पिछले हिस्से का गोंवर-मूत फेंके। यह क्या बात है कि तुम तो कमाते कमाते और खिल्लाते खिल्लाते मरो और वह मजा चखे ? जब एक काम तुम करते हो तो वह भी एक ही करे। भैंस के दुह लेने का दूसरा काम वह क्यों करता है ? उसे जाके रोकते क्यों नहीं हो ? आखिर दोनों को पूरा पूरा काम करना होगा। क्योंकि हिस्सा तो बराबर ही है न ! उसका यह कहना था कि उस सीधे भाई के समझ में बात आ गई। आगन्तुक ने इसके पहले जो दूध के बँटवारे आदि की बातें कही थीं वह उसके दिमाग में नहीं धँसी और नहीं धँसीं। हालाँकि बातें थोड़ी सही। हमने देखा है कि किसान ही जोत-बो के फसल पैदा करते हैं। मगर जब तक जमींदार हुजूम न दे एक दाना भी नहीं छूते और मशुम्रों को तथा बाल-बच्चों को भी भूखों मारते हैं। यदि उनसे कहिये कि ऐसा क्यों करते हो ? खाते-पीते क्यों नहीं हो ? तो बोल बैठते हैं कि राम राम, ऐसा कैसे होगा ? ऐसा करने से पाप होगा। जमींदार का उसमें हिस्सा जा है। चाहे हजार मायावच्ची कोजिये कि जमींदार तो कुछ करता-धरता नहीं। जमीन भी उसकी बनाई न होके भगवान या प्रकृति की है। इस पर न जाने कितने मालिक बने और गये। जोई चली होता है वही जमीन पर दखल करता है—“वीर भोग्या वसुधरा।” मगर उनके दिमाग में एक भी बात घुसती नहीं और यह धर्म, पाप और हिस्से का भूत उन्हें सताता ही रहता है। यही हालत छोटे भाई की भी थी। और जैसे सीधी बात उसके दिल में धँस गई उसी तरह सीधी बात किसानों को भी जँच जाती है।

फिर तो वह दौड़ा दौड़ाया बड़े भाई के पास फौरन गया और ऐन मैच दूहने के समय उससे कहने लगा कि आप यह ज्यादा काम करते हैं। एक काम मेरा है मैच के खिलाने का। एक ही आपका होना चाहिये उसके गोल-मूल को साफ करने का। फिर यह दूसरा काम आप क्यों कर रहे हैं ? पहले मैं यह समझ न सका था। अभी अभी यह बात मैंने जानी है। इसलिये आपको यह काम करने न दूँगा। नहीं तो मुझे एक काम इसके बदले में दीजिये।

इस पर बड़ा भाई घबराया सही। लेकिन सोच के बोला कि पिछला आधा भाग मेरा है और अगला आधा तुम्हारा। अपने अपने भाग में जिसे जो करना है करे। इसमें रोक-टोक का क्या सवाल ? काम का बँटवारा तो नहीं है। यहाँ तो मैच का बँटवारा है और उसके दो हिस्से किये हैं। यदि तुम खामखाह काम ही चाहते हो तो मैच के मुँह और आँखों पर तेल-बेल लगाया करो और सींगों पर भी। या जब मैं इसे दुहता हूँ तो इसके मुँह पर से मक्खियाँ और मच्छर वगैरह हँका करो। इस, और ज्यादा चाहिये क्या ?

इस पर छोटा भाई निरुत्तर होके चला गया और आगन्तुक ने सारी बात उसने कह सुनाई। इस पर आगन्तुक ने कहा कि घबराओ मत। अभी काम हुआ जाता है। अगले हिस्से के लिये जो काम उसने बताया है वह तो उसीके फायदे का है। इससे तो दूध निकालने में उसे और भी आसानी होगी। लेकिन जब उसने मैच को दुहने का काम शुरू किया था तो तुमने पूछा तो था नहीं कि यह काम कल्लू या न कल्लू। पिछला भाग उर्ती का होने के कारण उसने उस पर जो काम कहा किया। दुहने से उसे फायदा होता है। इसलिये वही काम करता है। ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने फायदे का काम अपने के भाग में करो। उससे पूछने को क्या बात ?

इस पर छोटे ने पूछा कि अच्छा आप ही बताइये कि किस काम के करने से मेरा फायदा होगा ? उसने उत्तर दिया कि क्योंकि वह हज़रत दूहने बैठे त्योंही मैच के मुँह पर बड़ाबड़ लाटियाँ लगाने लगे। इससे मैच

भड़क के भाग जायगी और वे हजरत दूध निकला न सवेंगे । यह बात छोटे को पसन्द आई और उसने पौरन 'अच्छा' कह दिया । इसके बाद भैंस दूहने के समय घर लाठी लिये तैयार बैठा रहा और ज्योंही बड़े भैया दूहने की तैयारी करने लगे कि उसने दौड़ के उसके मुँह पर तड़ातड़ लाठियाँ बरसानी शुरू की । बड़े साहज हैरत में थे और जब तक "हैं, हैं" करके उसे रोकने की कोशिश करें तब तक भैंस जाने कहाँ भाग गई । बड़े भैया को इसके रहस्य का पता न लगा । उनने छोटे से पूछा तो उत्तर मिला कि मुँह तो मेरे हिस्से का है न ? फिर उस पर मैंने जो चाहा किया, जैसा आपने अपने हिस्से पर मन चाहा अब तक किया है । फिर 'हैं हैं' करने या बिगड़ने का क्या सवाल ? बड़े भाई ने समझा कि यह सनक तो नहीं गया है । उसने छोटे को समझा बुझा के तथा हिंसा करने और भैंस को कष्ट देने को अनुचित बता के उसे टंडा किया । उसने समझा कि अब आगे ऐसा न करेगा । मगर दूसरे समय ज्योंही दुहना शुरू हुआ कि उसने फिर वही लाठीकांड शुरू किया । पूछने पर जवाब भी वही दिया ।

अब तो बड़े भैया की पिलही चमकी । उनने सोचा कि हो न हो दाल में काला अवश्य है । इसे कोई गहरा गुरू मिल गया है । नहीं तो यह तो भोला-भाला आदमी है । खुद ऐसा कभी नहीं करता । और जब उसने अच्छी तरह पता लगाया तो मालूम हो गया कि छोटे भाई का कोई काइयाँ दोस्त आया है जिसने उसे यह बात सुझा दी है । अब वह बिना आधा दूध लिये नहीं मानने का । अब मेरी दाल हगिज न गलेगी । इसलिये द्वार कर उसने छोटे भाई से कहा कि क्यों तूफान करते हो ? भैंस भी खराब हो रही है और दूध भी किसी को मिल नहीं रहा है—न तुम्हें और न मुझे । जाओ आज से जितना दूध होगा उसका आधा तुम्हें जरूर बाँट दिया करूँगा । तुमने मुझसे यही बात पहले ही क्यों न कह दी कि आधा दूध चहते हो ? मैं उसी समय तुम्हारी बात मान लेता ।

इस पर छोटा भाई खुशी खुशी अपने मित्र के पास गया और उससे उसने कह सुनाया कि आपका बताया उपाय सही निकला । अब हमें रोज

आधा दूध दुहने के बाद ही मिल जाया करेगा । आपका उपाय तो बहुत ही सुन्दर और आसान निकला । यह सुन के मित्र को भी खुशी हुई कि उस बेचारे का लुटा-लुटाया हक मिल गया ।

किसान-सभ ने भी ठीक इसी तरह आसान उपाय किसानों को बता दिया है जिससे अपनी कमाई को पा सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें । जमींदार इसीलिये सभा से घबराते हैं और उसे कोसा करते हैं । वह तो सामे वाली भैंस की तरह "सामे का स्वराज्य चाहते थे, जिसमें पीछे चल के किसानों को वैसे ही ठग सकें जैसे छोटे भाई को बड़े ने मीठी मीठी बातों से ठग लिया था । किसान-सभा ने इसी ठगी से किसानों को पहले ही से आगाह कर दिया है । उसने कह दिया है साफ साफ, कि सामे का स्वराज्य धोखे की चीज होगी । खबरदार, किसान और जमींदार का स्वराज्य सामे का या एक नहीं हो सकता है । वह तो जुदा जुदा होगा । जो किसान का होगा वह जमींदार का नहीं और ज जमींदार का होगा उससे किसान कत्ल हो जायेंगे, जैसा कि भैंस के बारे में साफ देखा गया है ।

जमींदारों और उनके दोस्तों को इस बात का मलाल है कि किसान अब चेत गये हैं । वे यह बात मानने को तैयार नहीं कि जमींदारों और उनके दोस्तों की मदद से किसानों को स्वराज्य मिलेगा । वह तो मानते हैं कि अपने ही त्याग और परिश्रम से किसान-राज्य कायम होगा । यही कारण है कि जेल में पड़े पड़े वह दुष्टपुँजिये जमींदार साहब उन पर कुढ़ते थे ।

जेल में हमें और भी कई मजेदार बातें देखने को मिलीं। किसान-सभा-वादियों को तो यह पक्की धारणा है कि किसानों की आर्थिक लड़ाई के जरिये ही उनके हक उन्हें दिलाये जा सकते हैं। उनका स्वराज्य भी इसी तरह आयेगा। वह यह भी मानते हैं कि किसानों के बीच जहाँ धर्म-वर्म का नाम लिया कि सारा गुड़ गोबर हो गया। धर्म के मामले में जिसे जो करना होगा करेगा, या नहीं करेगा। यह तो हरेक आदमी की व्यक्तिगत बात है कि धर्म माने या न माने और माने तो कौन सा धर्म और किस प्रकार माने। मन्दिर, मस्जिद या गिर्जे में जायगा या कि न जायगा यह फैसला हरेक आदमी को अपने लिये खुद करना होगा। किसान-सभा इस मामले में हगिज न पड़ेगी। वह इससे कोसों दूर रहेगी। नहीं तो सारा गुड़ गोबर हो जायगा। हम किसानों और मजदूरों या दूसरे शोषितों की लड़ाई में पंडित, मौलवी और पादरी की गुंजाइश रहने देना नहीं चाहते। हमें ऐसा मौका देना ही नहीं है जिसमें वे लोग किसानों की बातों में “दाल-भात में मूसरचन्द” वनें। नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जायगा। क्योंकि धर्म की बात आते ही किसान-सभा वालों को बोलने का हक रही न जायगा और पंडित, मौलवी आ टपकेंगे। धर्म उन्हीं के अधिकार की चीज जो है। वहाँ दूसरों की सुनेगा भी कौन ?

इस बात का करारा अनुभव हमें इस बार जेल में हुआ। जो लोग गांधी जी के नाम पर ही जेल आये थे और अपने आप को पक्के गांधीवादी मानते थे उन्हीं की हरकतों ने हमें साफ सुझा दिया कि आजादी के मामले में लड़ाई लड़ने वाले लोगों के सामने हर बात को धर्म के रूप में बार बार लाके गांधी जी मुल्क का कितना बढ़ा अहित कर रहे हैं। राजनीति में धर्म का चाहे किसी भी ऊँचे से ऊँचे और आदर्श रूप में भी मिला देने से कितना अनर्थ हो

संक्रात हैं यह हमने साफ देखा । राजनीति या रोटी के प्रश्न का कोरी दुनियावादी चीज मानना कितनी अच्छी चीज है यह हम बखूबी देख पाये ।

चम्पारण जिले के नेइसी थाने के एक सुबलमान सजन सत्याग्रहों के रूप में ही जेल पधारे थे । गोचे से ऊपर तक खादोनय दिखे । सीधे सादे आदमी थे देखने से मालूम होता था कोई पक्का देहती है । घांती और कुर्वे के साथ गांधी टोपी बखबर ही नजर आती थी । हमने राँच छे नहीने के दर्न्यान उनका सर गांधी टोपी से सला कभी न देखा । एक बार तो यहाँ तक सुना कि उनने जेल के कपड़े लेने से इनकार कर दिया । सिर्फ इत्तलिये कि वे खादो के न थे । हालाँकि गांधी जी का हुक्म है कि जेल में खादो का आग्रह न करके जो कपड़े मिलें उन्हीं कों कइल करना होगा । जब चम्पारण के प्रमुख गांधी वादी नेता ने उन्हे यह बात समझाई तो उनने उत्तर दिया कि आप और गांधी जी समर्थ हैं । इसलिये चाहे जो कपड़े पहने नगर में तो ना चीज हूँ । फिर मुक्तते कैसी ऐसी उम्मीद करते हैं ? पंछे उनने जेल के कपड़े मजबूरन लिये सही । नगर वे कितने पक्के गांधी भक्त हैं इसका पूरा सबूत इसते मिल जाता है । नमाजी तों वे पक्के हैं यह सबने देखा है । गांधी जी तो धर्म पर जोर देते ही हैं । फिर वे ऐसे हाते क्यों नहीं ? मगर धर्म की बात कैसी अंधी है इत्तका भी प्रमाण हमीने भिन्न जाना है कि जब उनने धर्म बुद्धिसे एक बार खादी पहन ली, ता फिर गांधी जी का हजार दुहाई देने पर भी वे दूखत कपड़ा लेने को तब तक राजी न हुए जब तक मजबूर न हो गये । राजनीति में धर्म का धुत्तेड़ने वाले गांधी जी का भी इसते सीखना चाहिये कि वह उनकी बात भी मानने को तैयार न थे । उनने एक ऐसा अल्ल धर्म के नाम पर अपने अनुयायियों को दे दिया है कि खुद उनकी बातें भी वे लोग नहीं मानते और दलील देते हैं धर्म की ही । यह दुधारी तलवार दोनों ओर चलती है यह गांधी जी याद रखें । उन हजरत की तो मोटी दलील यही थी कि जब एक बार खादी की पहनना धर्म हो गया तो फिर उसका त्याग कैसे उचित होगा । गांधी जी को यह भी न भूलना चाहिये कि आम लोग ऐसे ही होते हैं गांधी जी की बुद्धि सब को तो होती नहीं कि धर्म की पेचीदगिर्या

समझ सकें। इसलिये यह बड़ी खतरनाक चीज है, खासकर दुनियावादी और राजनीतिक मामलों में।

अच्छा आगे चलिये। वे हजरत ज्योंही हजारीबाग जेल में आये उसके एकी दो दिनों बाद एक मुसलमान सज्जन ने उनके बारे में मुझसे आके कहा कि एक मुसलमान आये हैं। उनसे गोदाम में मुझे देखते ही आतुर भाव से कहा है कि भई, मुझे भी मुसलमान के हाथ का पकाया खाना खिलाओ। इतने दिनों तक तो मैं फल फूज खाते खाते घबरा गया हूँ। सभी लोग तो हिन्दू ही मिले। फिर उनके हाथ को पकाई चीजें खाता तो कैसे खाता? तुम मुसलमान हो और अपना खाना अलग पकवाते हो। इसलिये मुझे भी उसी में शामिल करलो तो मैं बहुत ही उपकार मानूँगा, आदि आदि। जिस मुसलमान ने मुझसे ये बातें कहीं वह भी उनकी बातें सुनके हैरत में था। हैरत की बात भी थी। यह बात आमतौर से यहाँ देखी गई है कि कुछेक को छोड़ सभी हिन्दुओं को मुसलमानों के हाथों पकी चीजें खाने में कोई उज्र नजर नहीं हुआ। कहियों ने तो खामखाह मुसलमान पकाने वाले रखे हैं। इसलिये उनकी बातों से चौकने का पूरा मक्का था। मगर मैं सुनके हँसा और फौरन समझ गया कि हो न हो यह धर्म महाराज की महिमा है। खैर, वह मुसलिम सज्जन उस मुसलमान के चौके में ही कई साथियों के साथ बहुत दिनों तक खाते रहे यह मैंने अपनी आँखों देखा।

अब एक दूसरी ऐसी ही घटना सुनिये। बड़ी असेम्बली के एक हिन्दू जमींदार मेम्बर भी इसी जेल में थे। पहले तो मुझे कुछ पता न चला। मगर पीछे कई बातों के सिलसिले में पता चला कि यदि मुसलमान उनकी खाने पीने की चीजों के पास चला जाय या छू दे तो वह उन्हें खाते नहीं थे। वे अपना खाना एक आदमी के साथ अलग ही पकवाते थे। कहने के लिये कटर गांधीवादी। गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं। किसान-सभा या समाजवाद के भी ऐसे दुश्मन कि कुछ कहिये मत। मगर धर्म के भक्त ऐसे कि मुसलमान के स्पर्श से हिचक! मुसलमान को छाया

से उनका खाना अपवित्र हो गया । मेरे लिये यह समझना गैरमुमकिन था । मैं भी खुद बना के खाता हूँ और छूआ-छूत से परहेज करता हूँ खाने पीने में । मगर इसका यह अर्थ नहीं कि किसी मुसलमान, ईसाई या अस्पृश्य कहे जाने वाले के स्पर्श से 'खाद्य पदार्थों' को अखाद्य मान लेता हूँ । मेरी छूआ-छूत का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है । यदि कभी कोई मुसलिम या अछूत मेरी रोटी, मेरा भात छूदे तो भी मैं उसे खा लूँगा । मगर सदा ऐसा नहीं करता । वह इसलिये कि आमतौर से लोगों की भीतरी और बाहरी शुद्धि के बारे में कहाँ ज्ञान रहता कि कौन कैसा है ? किसने घृणिततम काम किया है या नहीं कौन कैसी संक्रामक बीमारी में फँसा है या नहीं यह जाना नहीं जा सकता । इसीलिये साधारणतः मैं किसी का छूआ हुआ नहीं खाता हूँ, जिसे बखूबी नहीं जानता । यही मेरी छूआ-छूत का रहस्य है ।

मगर उन गांधीवादी महोदय को मैं खूब जानता हूँ । वह इस तरह की छूआ-छूत नहीं मानते हैं । उनके लिये ऐसा मानना असंभव भी है । उनकी छूआ-छूत तो वैसी ही है जैसी आम हिन्दुओं की । जब एक मुसलिम सज्जन ने मौलवी ने जो मेरी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं उन्हें पकड़ा तो वे हजरत मेरा दृष्टांत देके ही पार हो जाना चाहते थे । मगर मौलवी ने उनकी एक न चलने दी और आखिर निरुत्तर कर दिया ।

एक तीसरी घटना भी सुनने योग्य ही है । जेल में कुछ प्रमुख लोग श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को धार्मिक ढंग से मनाने की तैयारी कर रहे थे । उसमें शामिल तो सभी ये एक मुसुको छोड़ के । क्योंकि मैं कृष्ण को धर्म की कष्टरता से कहीं परे और बाहर मानता हूँ । मेरे जानते वह एक बड़े भारी जन-सुधारक और नायक थे । उन्हें या उनकी गीता को धार्मिक जामा पहनाना उनकी महत्ता को कम करना है । वह और उनकी गीता सार्वभौम पदार्थ हैं । इसीलिये मैं उन्हें धार्मिक रूप देने में साथी बनना नहीं चाहता । इसीसे उस उत्सव से अलग रहा । कोई दूसरा कारण न था । मगर और लोग तो शरीक थे ही ।

जिन मौलवी साहब का जिक्र अभी किया है उन्हीं को दो एक प्रमुख

लोगों ने उस उत्सव में निमंत्रित किया कि कृष्ण के बारे में उनका कुछ प्रवचन हो। मौलवी साहब ने कबूल भी कर लिया। कुछी दिन पहले जब हजरत मुहम्मद साहब का जन्मोत्सव मुसलमानों ने मनाया था तो उनमें सभी हिन्दुओं को बुलाया था। कह्यों ने उनके जीवन पर कुछ प्रवचन किया भी था। इसलिये इस बार मौलवी साहब का बुलाया जाना और उनका कबूल करना इस खयाल से भी मुनासिब ही था। लोग कहते हैं कि दोनों के धार्मिक उत्सवों में अगर दोनों ही योग दें या दिल से शरीक हों तो धार्मिक झगड़े खुद मिट जायँ। बात चाहे कुछ भी हो। लेकिन कांग्रेसी लोग ऐसा जरूर मानते हैं। इसीलिये तो जन्माष्टमी में मौलवी साहब का शामिल होना गौरव की बात थी, खुशी की चीज थी।

मगर इस बात में कई सत्याग्रही हिन्दू सख्त विरोधी हो गये। उनमें एकाध तो निहायत सीधे और अनजान थे। मगर दो एक तो ऐसे थे कि दिन रात गांधी जी की ही दुहाई देते रहते हैं। सबसे मजे की बात यह थी कि जिन जमींदार गांधीवादी की बात खाने-पीने के बारे में अभी कह चुके हैं वह इस बात के सख्त विरोधी थे कि मौलवी साहब उसमें शामिल हों या कुछ भी बोलें। कृष्ण के बारे में मौलवी साहब को बोलने देना वे हर्गिज नहीं चाहते थे और इस बात पर उनमें घुमा-फिरा के चालाकी से बहुत जोर दिया। साफ तो बोलते न थे कि धर्म की बात है। क्योंकि इसमें बदनाम जो हो जाते। इसलिये घुमा-फिरा के बराबर कहते फिरते थे। उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। जब उन्हें पता लगा कि मौलवी गये और बोले भी। उनमें पीछे उलाहने के तौर पर कहा कि आखिर आप गये और बोले भी ? माना नहीं ? एकाध को तो यहाँ तक साफ ही कहते सुना कि धर्म ही चौपट हो गया।

मगर ये सभी घटनायें वाजिब हुईं, इस मानी में कि जब धर्म की ही छाप हमारे सारे राजनीतिक और आर्थिक कामों पर लगी हुई है तो दूसरी बात होई कैसे सकती है ? गांधी जी चाहे धर्म की हजार व्याख्या करें और उसे विल्कुल ही नया जामा पहना डालें जो राजनीति में आके

भी उसे आदर्श बनाये रखे, उसे विकृत होने न दे, जैसा कि ऊपर की घटनाओं से स्पष्ट होता है। फिर भी जन-साधारण के दिल में हजारों वर्षों से धर्म के सम्बन्ध में जो धारणा है वह बदल नहीं सकती। उसका बदलना करीब करीब गैर मुमकिन है। धर्म के नाम पर होने वाली खराबियों और बुराइयों को दूर करने के लिये कितने ही धर्म-सुधारक आये और चले गये। मगर वे ज्यों की त्यों पड़ी हैं। नहीं, नहीं, वह तो और भी बढ़ती गई हैं। सुधारकों ने सुधार के बदले एक और भी नया सम्प्रदाय पैदा कर दिया जो गुत्थियों को और ज्यादा उलझाने का ही काम करने लगा। गांधी जी के नाम पर तो एक ऐसा ही सम्प्रदाय पैदा हो चुका है जो दूसरों की बातें सुनने तक को खादार नहीं। असल में धर्म की तो खासियत ही है अन्धपरम्परा पैदा करना और उसे प्रश्रय देना। तर्क दलील की गुंजाइश वहाँ हई नहीं। और अगर कोई यह बात न माने तो उसे मान लेना होगा कि जहाँ तर्क दलील और अक्ल की गुंजाइश हो वह यदि धर्म हो भी तो किसी खास व्यक्ति या कुछ चुने लोगों के ही लिए हो सकता है। ज्योंही उसे आपने सार्वजनिक रूप देने की कोशिश की कि अक्ल के लिये मनाही का सख्त आर्डर जारी हुआ और अन्धपरम्परा आ धुसी। धर्मों और धार्मिक आन्दोलनों के इतिहास से यह बात साफ-साफ जाहिर है। गांधी जी इस बात को न मान कर और राजनीति पर धर्म की छाप लगाकर यह बड़ी भारी भूल कर रहे हैं, जिसका नतीजा आने वाली पीढ़ियों को सूद के साथ भुगतना नहीं होगा।

इस तरह हम देखते हैं कि ज्योंही किसी बात में धर्म का नाम आया कि धर्म के नाम पर ही गुजर करने वाले और उसके सर्व जन-सम्मत ठेकेदार पंडित और मौलवी आ धुसे। उस बात में टाँग अड़ाने का मौका तो उन्हें तभी तक नहीं मिलता जब तक वे बातें शुद्ध राजनीतिक या आर्थिक हैं और उन पर धर्म मजहब की मुहर नहीं लगी है। जब तक ये लोग मजबूरन दूर रहते हैं और ताक में रहते हैं कि हमारे धुसने का मौका कब आयेगा। इसलिये धर्म का नाम लेते ही कूद पड़ते हैं। उन्हें इस बात

से क्या गर्ज कि आपने धर्म का नाम किस मानी में लिया है ? उनके लिये धर्म का जिक्र ही काफी है । उसका अर्थ तो वे खुद लगाते हैं और उनका यह भी दावा है कि उनके सिवाय दूसरा न तो धर्म का मतलब समझ सकता है और न समझने का हक ही रखता है । खूबी तो यह कि उनके इस दावे का समर्थन, इसकी ताईद, जन-साधारण भी करते हैं, इसीलिये उन्हीं की बात मानी जाती है और दूसरों की हवा में मिल जाती है चाहे वे कितने ही बड़े महात्मा और पैगम्बर क्यों न कहे जायँ ।

और जब परिडल और मौलवी उस मामले में आ धुसे तो फिर लोगों को अपने ही रास्ते पर ले जायँगे । वे जो कहेंगे आमतौर से वही बात मान्य होगी । यही कारण है कि खान-पान आदि के मामले में उन्हीं की बात चलती है और ऊपर लिखी घटनायें होती हैं, होती रहेंगी । लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते तो यह स्पष्ट है कि गांधी जी के हजार चिह्नाने पर भी उनके दिल में धार्मिक भाव है नहीं, उनने धर्म को कभी समझा या माना है नहीं । तब आज क्यों मानने लगे ? यदि धर्म की बात बोलते हैं तो तिर्फ ज्ञान से हो । चाहे गांधी जो इसे मानें या न मानें । मगर यह कट्ट सत्य है ।



हमने जो कुछ पूर्व प्रसंग के अन्त में कहा है उसको स्वष्टीकरण एक दूसरी घटना से हो जाता है। एक दिन जेल के भीतर ही हमें आश्चर्य में डूबने के साथ ही बहुत तकलीफ हुई जब हमने कुछ हिन्दुओं को एक मौलवी साहब की श्रालोचना करते सुना। उनके बोलते बोलते कृष्ण जी को 'हजरत' कह दिया था। यही उनका महान् अपराध था। हम तो समझी न सके कि माजरा क्या है। मगर पीछे बहुत सी बातें याद आईं। उसके पहले एक सज्जन ने बोलने में जब 'दृष्टिकोण' शब्द का प्रयोग किया था तो एक मुसलमान साहब ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? जब उनने मतलब समझाया तो मुसलमान बोले कि बोलने में भी ऐसा ही क्यों नहीं बोलते ताकि सभी लोग समझ सकें। उनका इतना कहना था कि वह हिन्दू सज्जन आपसे बाहर हो गये और तमक के कहने लगे कि हम आपके लिये या हिन्दू-मुसलिम मेल के, हिन्दुओं की संस्कृत और उनके साहित्य को चौपट न करेंगे। इस पर मामला बढ़ गया। मगर हमें उससे यहाँ मतलब नहीं है। हमें इतना कह देना है कि सचमुच ही 'दृष्टिकोण' का अर्थ आसानी से न तो आम हिन्दू जनता ही समझ सकती है और न मुसलिम लोग ही जान सकते हैं। और अगर कोई इस पर इतराज करता है तो गांधीवाद की माला जपने वाले साहित्य और हिन्दू संस्कृति के नाश का हौवा खड़ा करते हैं। हालाँकि किसानों और गरीबों की भलाई के ही लिये वे जेल आये हैं ऐसी दुहाई देते रहते हैं। मगर जरा भी नहीं सोचते कि उनकी यह भाषा कितने प्रतिशत किसान समझ सकते हैं। और जब बात ही न समझेंगे तो साथ कहीं तक देंगे।

लेकिन अगर 'हजरत' शब्द को देखा जाय तो उस पर इसलिये उज्र नहीं हुआ कि लोग समझ न सके। हम तो देखते हैं कि बराबर ही

‘आइये हजरत, हजरत की हरकत तो देखिये’ आदि बोला करते हैं। यह तो मामूली बोल-चाल का शब्द हिन्दी भाषा में हो गया है। इसलिये अगर उस पर इतराज हुआ तो सिर्फ इसलिये कि कृष्ण को उनसे हजरत कह दिया। यह तो गजब हो गया। वही मुसलमान अपने बड़े से बड़े नेता को, पैगम्बर साहब को हजरत कहता है और हम लोग सुनते रहते हैं। फिर भी जिन्हें हिन्दू अवतार मानते हैं उन्हें वही मुसलमान हजरत कहे तो आफत हो गई। इस बात का इससे सबूत मिलता है कि हम लोग असल में कितने गहरे पानी में हैं। इसी प्रकार ‘सीता को वेगम और राम को बादशाह’ कहने का भी विरोध करते हमने जेल में सुना। बाहर तो सुनते ही थे। अगर अंग्रेजी में क्वीन (Queen) और किंग (King) कहा जाय तो हमें जरा भी दर्द नहीं होता। हालाँकि इन शब्दों का मतलब वही है जो वेगम और बादशाह का। हमने यह नजारा देखा और अफसोस किया।

आजकल हिन्दी पढ़ने का शौक बढ़ गया है। इसीलिये जो जेल में भी यह बात देखने को मिली ज्यादातर गांधीवादी लोग ही ऐसे दिखे। यों तो तथाकथित वामपन्थी और क्रांतिकारी लोग भी इस तरह के पाये गये। हिन्दी और हिन्दुस्तानी पर विचार विमर्श भी होता रहा। कुछ लोगों ने जो अपने को राजनीतिक नेता मानते हैं, यह तय किया कि मिडिल क्लास के ऊपर तो हिन्दुस्तानी की किताबें पढ़ाई जायँ। मगर नीचे की कक्षाओं में वही ‘दृष्टिकोण’ वाली हिन्दी ही पढ़ाई जाय। शायद इसमें उनसे एक ही तीर से दोनों शिकार मारे। हिन्दी साहित्य और हिन्दू संस्कृति भी बचा ली गई और हिन्दू-मुसलिम एकता के जरिये राजनीति की भी रक्षा हो गई। मगर वे यह समझी न सके कि यह रक्षा नकली है। इससे काम नहीं चलने का।

मैंने ऐसे एकाध दोस्तों से पूछा कि जो लोग मिडिल से आगे नहीं जा सकते उनकी राजनीति कैसे बचेगी? उनका हिन्दू-मुसलिम मेल क्यों कर हो सकेगा? और भी तो सोचने की बात है कि अधिकांश तो मिडिल

तक ही रुक जाते हैं। बहुतेरे तो लोअर और अपर तक ही इति श्री कर लेते हैं। प्रायः नब्बे फीसदी तो पढ़ने का नाम ही नहीं जानते हैं। एक बात यह भी है कि जो जवान और बूढ़े हो चुके हैं वह यों ही रह जायेंगे। उन्हें तो “काला अक्षर भैस बराबर” है। तो फिर उनके लिये आपकी हिन्दी या हिन्दुस्तानी किस काम की ? वे लोग संस्कृति और साहित्य की रत्ना कैसे कर पायेंगे ? मगर वे चुप्प रहे। उत्तर देई न सके। विचारे देते भी क्या ?

असल बात दूसरी ही है। जहाँ मैं या मेरे जैसे कुछ लोग हर बात को ‘जनता’ (mass) की नजर से देखते और सोचते हैं, न कि संस्कृति और साहित्य की दृष्टि से। क्योंकि जनता को तो सबसे पहले रोटी, कपड़े, दवा आदि से मतलब है। हाँ, जब पेट भरेगा तो ये बातें सूझेंगी मगर अभी तो उनका मौका ही नहीं है। तहाँ साधारण कांग्रेसवादी—फिर चाहे वह गान्धीवादी हों या तथाकथित क्रांतिकारी और वामपन्थी—सबसे पहले साहित्य और संस्कृति की ही ओर नजर दौड़ाते हैं। और याद रहे कि इन दोनों के पीछे धर्म छिपा हुआ है। खुल के आने की या उसे लाने की हिम्मत नहीं है। इसीलिये साहित्य और संस्कृति का ढकोसला खड़ा किया जाता है। असल में न सिर्फ वे लोग मध्यम वर्गीय हैं, किन्तु उनकी मनोवृत्ति भी वैसी ही है। इसलिये मध्यम वर्ग की ही नजर से हर बात को वे लोग स्वभावतः देखते और तौलते हैं। मध्यम वर्ग का पेट तो भरता ही है। कपड़ा और दवा-दारु भी अप्राप्य नहीं हैं। फिर उन्हें साहित्य और संस्कृति न सूझे तो सूझे क्या खाक ?

मगर वे यह नहीं सोचते कि साहित्य की अगर कोई जरूरत है तो जनसमूह के लिये ही। आम लोगों को जगाना और तैयार करना ही साहित्य का काम होना चाहिये, खासकर गुलाम देश में। त्रिना जगे और पूरी तरह तैयार हुए जन-साधारण आजादी की लड़ाई में भाग क्योंकर ले सकते हैं ? और आजाद हो जाने पर भी उन्हें ही ऊपर उठाना और आगे ले चलाना जरूरी है। नहीं तो दुनिया की घुड़दौड़ में हमारा मुल्क पीछे

पढ़ जायगा । जब तक समूचे देश के बाशिन्दों की शारीरिक और मानसिक उन्नति नहीं हो जाय तब तक देश पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जायगा । इसलिये उस समय भी साहित्य का निर्माण आम लोगों की ही दृष्टि से होना चाहिये । मुट्टी भर मध्यवर्गीय लोग साहित्य पढ़-पढ़ाके क्या कर लेंगे ? उनसे तो कुछ होने जाने का नहीं, जब तक किसान, मजदूर और अन्य श्रमजीवी उनका साथ न दें । इसीलिये हर हालत में साहित्य की असली उपयोगिता शोषित जनता के ही लिये है । मगर “दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला । तरुशिखा पर थी तब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा”, या “पूर्वजों की चरित चिंता की तरंगों में बहो” जैसे साहित्य को, जिस पर मध्यम वर्गीय बाबुओं को नाज है और जिसके ही लिये हिन्दी हिन्दुस्तानी की कलह खड़ा करके आकाश-पाताल एक कर रहे हैं, कितने किसान या मजदूर समझ सकते हैं ? यही हालत है “नहीं मिन्नतकशे तावे शुनीदन दास्ताँ मेरी । खमोशी गुप्ततगू है वे ज़बानी है ज़बाँ मेरी” की भी । दोनों ही साहित्य, जिनके लिये हिन्दू और मुसलिम के नाम पर माथाफुड़ौवल हो रही है, किसानों और मजदूरों से, कमाने वालों से, आम जनता से लाख कौस दूर हैं ।

मगर इससे क्या ? मुट्टी भर मध्यवर्गीय लोग तो इन्हें समझते ही हैं । बाकियों की फिक्र उन्हें हई कहाँ ? असल में साहित्य की ओट में संस्कृति छिपी है और उसकी आड़ में धर्म बैठा है, जिनका उपयोग आम जनता को उभाड़ने में किया जाकर मुट्टी भर बाबुओं और सफेदपोशों का उल्लू सीधा किया जाता है । जब तक संस्कृति और धर्म, तमद्दुत और मजद्दुत के नाश का हौवा ये मध्यम वर्गीय लोग खड़ा न करें किसान मजदूर उनके चक्रमें आ नहीं सकते और बिना इसके काम बनने का नहीं । आखिर आम हिन्दुओं और मुसलमानों के नाम पर ही तो इन्हें नौकरियाँ लेना, सीटों का बँटवारा करना और पैक्ट या समझौता करना है । सीधे लोगों की धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करके, उन्हें उभाड़ कर ही ये काहियाँ लोग अपना काम बना लेते हैं, हालाँकि ऊपर से पक्के बगुला भगत बने

रहते हैं। गरीबों के नाम पर ऐसा आँसू बहाते हैं कि कुछ पूछिये मत।

जैसा कि ऊह चुके हैं, साहित्य का काम है आम लोगों को जागृत करना, तैयार करना और उनकी मानसिक उन्नति करना, जितने सच्चे नागरिक बन सकें। साहित्य का दूसरा काम है नहीं। थोड़े से लोगों का मनोरंजन करना या उन्हें काल्पनिक संसार में विचरण करने का मौका देना यह काम साहित्य का नहीं है। पुराने साहित्यकारों ने उसका लक्षण करते हुए साफ ही कहा है कि दिमाग पर ज्यादा दबाव न डाल कर और इसीलिये सुकुमार मस्तिष्क वालों के लिये भी बातें सुगम बनाने वाला ही ठीक साहित्य है। इसीलिये पढ़ते या सुनते जाइये और बिना दिक्कत मतलब समझते जाइये। जहाँ समझने में विशेष दिक्कत हुई कि वह दूषित साहित्य हो गया। बातें जो सरस बना के कही जाती हैं उसका मतलब यही है कि वे आसानी से हृदयंगम हो जायें।

इस दृष्टि से तो जन-साधारण के लिये सुलभ और सुगम साहित्य तैयार करने के दो ही रास्ते हैं। या तो वह ऐसी भाषा में लिखा जाय जो बचपन से हम बोलते और सुनते हैं, जिसे मातायें और बहनें बोलती आ रही हैं। या अगर यह न हो सके या इसमें बड़ी कठिनाई हो तो ऐसी खड़ी बरेली वाली भाषा तैयार की जाय जिसे सभी देहाती—हिन्दू-मुसलमान देखने के समझ सकें। “इस दृष्टि विन्दु को सम्मुख रखके यदि हम पर्यावेक्षण करते हैं तो मर्यान्तक वेदना होती है”, या “पहाड़ों की चोटियाँ गोशे सहाय से सरगोशियाँ कर रही हैं”, को कौन सी आम जनता समझती है, समझ सकती है? हिन्दी और उर्दू के नामी लिक्खाइ चाहे खुद कुछ समझें। मगर उनकी बातें आम लोगों के लिये वैसी ही हैं जैसा बन में पका बेल बन्दरों के लिये। न तो उनकी हिन्दी समझ सकती है हिन्दू जनता और न उर्दू मुसलिम जनता। फिर हिन्दी को मुसलिम या उर्दू को हिन्दू जन समूह क्योंकर समझ पायेगा? या तो सिर्फ “लिखें ईसा, पढ़ें मूसा” जैसी कुछ बात है। वे लोग खुद लिखते और खुद ही समझते हैं, या ज्यादा से ज्यादा उन्हीं जैसे कुछ इने-गिने लोग। मगर वह लोग

जनता नहीं है। वह तो निराले ही हैं यह याद रहे।

इसीलिये अगर बिहार में हम ऐसा साहित्य बनाना चाहते हैं, तो या तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, बंगाली, संथाली और उरांव आदि भाषाओं में ही जुदे जुदे इलाकों के लिये अलग अलग साहित्य रचे या हिन्दी और उर्दू मिलाके एक ऐसी सरल भाषा बना दे जो सभी समझ सके। हिन्दी-उर्दू मिलाने से हमारा मतलब है संस्कृत शब्दों की भरमार वाली हिन्दी और अरबी-फ़ारसी के शब्दों से लदी उर्दू की जगह सरल और सबके समझने लायक भाषा तैयार करने से। दृष्टान्त के लिये 'अज़ीज़मू' या 'अज़ीज़मन' और 'प्रियवर' या 'प्रिय मित्र' की जगह "मेरे प्यारे दोस्त" या "मेरे प्यारे भाई" वगैरह लिखें तो कितना सुन्दर हो और काम चले। जरूरत होने से नये नये शब्दों को भी या तो गढ़ के या दूसरी तरह से प्रचार करते जायेंगे।

जो लोग 'हजरत' आदि शब्दों को देखें-सुन के चिहुँकते हैं उन्हें याद रखना चाहिये कि हमने, हमारी हिन्दी ने और हमारी जनता ने अरबी-फ़ारसी के हजारों शब्दों को हजम करके अपने को मजबूत बनाया है। इतने पर भी अभी यह भाषा अधूरी सी लगती है। अगर हजारों शब्दों को अपने में मिलाये न होती तो न जाने इसकी क्या हालत होती। हाज़िरी, मतलब, हिफ़ाजत, हाल, हालत, फ़ुर्सत, क़सूर, दावा, मुद्दे, अर्ज़, गर्ज़, तक्रदीर, असर, ज़रूरत, फसल, रबी, खरीफ, कायदा, कानून, अदालत, इन्साफ़, तरह, सदर, दिमाग़, ज़मीन, वगैरह शब्दों को नमूने की तरह देखें तो पता चलेगा कि ये और इनके जैसे हजारों शब्द ठेठ अरबी और फ़ारसी के हैं। मगर इन्हें बोलते और समझते हैं न सिर्फ़ हिन्दी साहित्य वाले, बल्कि बिल्कुल देहात में रहने और पलने वाले गँवार किसान और मज़दूर भी। समय समय पर इनने और हमने इन्हें हजम करके अपने को मजबूत और बड़ा बनाया है। इससे हमारी संस्कृति निगड़ने के बजाय सुधरी है, बनी है। वह कोई छुईमुई नहीं है कि हजरत, वेगम और सादशाह वगैरह बोलने से ही खत्म हो जायगी। यह भी हमारी

नादानी है कि सीता को वेगम और राम को बादशाह कहने से नाक-भैंसकोड़ते हैं। तुलसीदास तो श्रीगम जी को अचतार मानते थे। वह उनके और जानकी जी के अनन्य भक्त थे। मगर अपनी रामायण में उनसे "राजा राम जानकी रानी" लिखा है। वे हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। उन्हें राजा और रानी कहने में तो जरा भी हिचक न हुई। आज तक हमारे हिन्दी-साहित्य-सेवियों ने भी इस बारे में अपनी जज्ञान न हिलाई। मगर राजा की जगह बादशाह और रानी की जगह वेगम कहते ही तूफान सा आ गया। क्या इसका यह मतलब है कि अब हिन्दी की भी शुद्धि होगी ? उसमें से पूर्व वताये हजारों शब्दों को गर्दनियाँ देके निकाला जायगा क्या ? अगर ऐसा है तो "खुदा हाफ़िज़।"

बात तो साफ साफ कहना चाहिये। असल में राष्ट्रवादी लोग अधिकांश मध्यम श्रेणी के ही हैं। उनमें भी जो आज खांटी कांग्रेसी या गांधीवादी कहे जाते हैं वह तो गिन गिन के मध्यम वर्गीय हैं, मिडिल क्लास के हैं। वे चाहे अपने को हजार बार कहें कि वे न तो हिन्दू हैं और न मुसलमान, किन्तु हिन्दुस्थानी, पहले हिन्दुस्थानी और पीछे हिन्दू या मुसलमान। मगर दरअसल हैं वे पहले हिन्दू या मुसलमन और पीछे हिन्दुस्थानी या राष्ट्रवादी। इसका प्रमाण उनकी सँभली सँभलाई बातों से न मिलके उनके कामों और अचानक की बातों से मिल जाता है। वह हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्थानी का मगड़ा इस बात का जवर्दस्त सबूत है। जब वह लेखक देने बैठते हैं तो उनकी तकरीर इस बात की गवाही देती है कि वे क्या हैं। उनकी बातें ग्राम लोग समझते हैं या नहीं इसकी उन्हें जरा भी फिक्र नहीं रहती है। वे तो धड़ल्ले से बोलते चले जाते हैं, गोया उनकी बातें सुनने वाले सभी लोग या तो पण्डित या मौलवी हैं। उनसे आलम-फाजिल या साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाएँ पास कर ली हैं। यदि वे ऐसा नहीं मानते तो लच्छेदार संस्कृत या फ़ारसी के शब्दों को क्यों उगलते जाते ?

अगर हिन्दुस्थानी कमिटी अपनी किताबों में कुछ उर्दू फ़ारसी के

शब्द नये सिरे से डालती है या पंजाब के हिन्दू लोग उर्दू में संस्कृत के शब्द घुसेड़ते हैं तो उनका कलेजा कहने लगता है कि हाय हिन्दी चौपट हुई, उर्दू बर्बाद हुई ! साहित्य चौपट हुआ ! संस्कृति मटियामेट हो गई ! मालूम होता है अब हिन्दी को अजीर्ण हो गया है, या उसकी पाचन-शक्ति ही जाती रही है। यही हालत उर्दू की भी है। हमें आश्चर्य तो इस बात का है कि यही लोग मुल्क को आजाद करने का बीड़ा उठाये हुए हैं। हिन्दू-मुसलिम मेल की हाय-तोबा भी यही सजन बराबर मचाते रहते हैं। अगर कहीं हिन्दू-मुसलिम दंगा हो गया तो हिन्दू-मुसलिम जनता को भर पेट कोसने में थकते भी नहीं। लेकिन कभी भी नहीं सोचते, सोचने का कष्ट उठाते कि इन सब अनर्थों की जड़ उनकी ही दूषित मनोवृत्ति है। 'मुख पर आन, मन में आन' वाला जो उनका स्वैया है उसीके चलते ये सारी चीजें होती हैं। सभी बातों में भीतरी दिल से हिन्दूपन और मुसलिमपन की छाप लगाने की जो उनकी वाहियात आदत है उसीके चलते ये सारी बातें होती हैं। अपने को चाहे वह हजार छिपायें। फिर भी उनका जो यह हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्थानी का फ़मेला है वही उनकी असलियत को जाहिर कर देने के लिये काफी है।

इस कहने से मेरा यह मतलब हर्गिज नहीं कि मैं हिन्दुस्थानी कमिटी की या दूसरों की सारी बातों का समर्थन करता हूँ। मैं कृत्रिम या बनावटी भाषा का सख्त दुश्मन हूँ और मुझे डर है कि हिन्दुस्थानी क्रमेण कहीं ऐसी ही भाषा न गढ़ डाले। असलियत तो यह है कि मुझे उनकी किताबें वगैरह पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, कभी कभी कुछ बातें सामने खामखाह आई जाती हैं। इसलिये उनकी जानकारी निहायत जरूरी हो जाती है। मगर अखबारों में जो बातें इस सिलसिले में बराबर निकलती रहती हैं और कुछ दोस्तों से भी जो कुछ सुनता रहता हूँ उसीके आधार पर मैंने यह निश्चय किया है। मैंने देखा है कि इन फ़गड़ों के पीछे दूसरी ही मनोवृत्ति काम कर रही है। इसलिये हमें सभी जगह और ही चीजें दीखती हैं। अगर मनोवृत्ति ठीक हो जाय तो हिन्दी हिन्दुस्थानी के

रूगड़े फौरन मिट जायें या कम से कम उनके मिटने का रास्ता तो जरूर ही साफ हो जाय ।

मगर इस हिन्दी और हिन्दुस्थानी के कमेले में हमें बड़ा खतरा नजर आ रहा है । अभी तो यह सिर्फ सफेदपोश बाबुओं के ही बीच होने के कारण उन्हीं की चीज है । मगर अन्देश है कि वे लोग किसानों और मजदूरों के भीतर इसे फैलायेंगे । शिद्दा का सम्बन्ध ज्यादातर इन्हीं के हाथ में है । फलतः वे इसी साँचे में सबों को ढालना चाहेंगे ही । वैसे ही कितानों, वैसे ही लेख, वैसे ही अखबार तैयार होने जनता को पढ़ाने के लिये । अधिक कोशिश इस बात की होगी कि यह जहर देहातों में और मजदूरों के इलाकों में फैले । जो जिस चीज को पसन्द करता है वह उसे ही सर्वप्रिय बनाना चाहता है । इसलिये इसका नतीजा सीधे धार्मिक रूगड़ों के मुकाबिले में और भी बुरा होगा । क्योंकि यह जहर राजनीति की गोली के साथ लोगों के भीतर घुसेगा । आज तो राजनीति हमारे जीवन का प्रधान अंग बन गई है । और अगर उसीके साथ यह रूगड़ा हमारे किसानों तथा मजदूरों के भीतर घुसा, तो गज़ब हो जायगा । क्योंकि धार्मिक अन्धता को घुसाने का नया तरीका और नया रूप यही हो जायगा । फिर तो हम हमेशा कट मरेंगे । अतएव हमें अभी से इसके लिये सजग हो जाना होगा, ताकि इस साँचे में हमारी जनता का भावी जीवन टलने न पाये ।

हमें ताज्जुब है कि यह बात क्यों हो रही है । भाषा का विकास तो नदी के विस्तार की तरह होता है । जैसे नदी खुद ही आगे बढ़ती जाती है । वह अपना रास्ता खुद बना लेती है । हम हजार चाहें, मगर वह हमारी मर्जा के मुताबिक कभी नहीं चलती । तभी उसका फैलाव काफी होता है । भाषा की भी यही हालत होती है । आज अंग्रेजों के संसर्ग से हम अपनी भाषा में कितने ही शब्दों को घुसाते जा रहे हैं । प्रोग्राम, कमिटी, कान्फ्रेंस आदि शब्द हमने अपना लिये हैं । कांग्रेस और मिनिस्ट्री शब्द हमारी जवान पर हमेशा ही मौके व मौके पाये जाते हैं । देहाती लोग भी

इन्हें समझते और बोलते हैं। लालटेन और रेल शब्द गोया हिन्दी भाषा के ही हों ऐसे मालूम पड़ते हैं। हमें पता ही न चला कि हम इन्हें हजम कर रहे हैं। सभा की जगह मीटिंग कहना हमें अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार मुसलमानों के जमाने में हमने फ़ारसी और अरबी शब्दों से अपनी भाषा का खजाना भरा है। तब आज हिचक कैसी ?

आज जिस खड़ी बोली में साहित्य तैयार करने पर हम तुले बैठे हैं आखिर वह भी तो यों ही धीरे धीरे बनी है, बनती जा रही है। संस्कृत, पाली या प्रकृत को यह रूप धीरे धीरे मिला है हजारों साल के बाद। इसी तरह अरबी या फ़ारसी को उर्दू की शकल मिली है। विकास तो संसार का नियम ही है। हिन्दी और उर्दू के सम्मिश्रण से जो नई भाषा तैयार होगी वही हमारी जरूरत को पूरा कर सकेगी। उसीके सहारे यह मुल्क आगे बढ़ेगा। हम हजार चिल्लायेँ और छाती पीटें। मगर यह बात होके रहेगी। फिर समय रहते ही हम क्यों न चेत जाँय और इसी काम में मददगार बन जायँ। यह जो नाहक का वचन्द्र हम खड़ा कर रहे हैं उससे हाथ तो खिंच जाय। भाषा हमारे लिये है, न कि हमी भाषा के लिये हैं। लेकिन हमारी आपसी तू तू, मैं मैं, मैं कहीं हमी पिछड़ न जायँ, मिट न जायँ, यह सोचने की बात है।

आज तो पशु-पक्षियों और पेड़-पौदों में सम्मिश्रण के जरिये नई नई नसलें पैदा की जा रही हैं जो हमारी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा कर रही हैं। पुराने पशु-पक्षी और पेड़-पौदे इस बात के लिये नाकाबिल सिद्ध हो चुके हैं कि अब हमारी जरूरतों को पूरा कर सकें। इसीलिये इस युग को 'क्रासब्रीड्स' (cross-breeds) का युग कहते हैं। यही बात हमारी भाषा के बारे में क्यों न लागू हो ? आज हजार यत्न करके भी लैटिन को प्रचलित नहीं कर सकते हैं। वह पुरानी पड़ गई है। इसी प्रकार संस्कृत, अरबी और फ़ारसी की माया आम जनता के लिये हमें छोड़ देना होगा। सो भी आधे मन से नहीं, सच्चे दिल से। खामखाह संस्कृत और अरबी-फ़ारसी के नये नये शब्दों को ढूँढ़ या गढ़ के सार्वजनिक भाषा की

तोद फलाना उसके जिये बलगम का काम करेगा । हमारा दिमाग उसके बजाय ऐसे शब्दों के टूटने में और बनाने में लगना चाहिये जिन्हें सभी जाति और धर्म के जन-साधारण आशानी से समझ सकें । इस प्रकार जो साहित्य तैयार होगा वही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारे असली काम का होगा । नहीं तो मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति हमें जानें कहीं उठा फेंकेगी । मगर इसीके साथ हमें याद रखना होगा कि भाषा का स्वाभाविक विकास हो और उसमें कृत्रिमता शाने न पावे । नदी के प्रवाह का दृष्टान्त देही चुके है । जैसे शरीर में मान वृद्धि होती है वैसे ही बाहरी शब्द भाषा में लटके रहें वह बुरा है । अन्न-पानी को जैसे शरीर हजम करता है वैसे ही शब्दों को भाषा खुद हजम कर ले तभी ठीक होगा ।

कांग्रेसी मंत्रि-मंडल के जमाने की बात है। भरसक सन् १९३८-३९ की दास्तान है। युक्तप्रान्त में पन्त जी की मिनिस्ट्री थी। गांधी जी अहिंसा की बात बार बार कहते हैं। अब तो और भी ज्यादा जोर देने लगे हैं। कांग्रेस ने अहिंसा को ही अपना सिद्धान्त रखा है यह बात भी वह कहते ही जाते हैं। मगर कांग्रेसी वजारतों के जमाने में बम्बई और कानपुर में मजदूरों पर जो गोलियाँ चली, लाठीचार्ज हुए और बम्बई में तो आँसू बहाने वाले बम भी चलाये गये, न जाने अहिंसा की परिभाषा के भीतर ये बातें कैसे समा जाती हैं। नागपुर में जब श्री मंचेरशाह अवारी अस्त्र ग्रहण के लिये सत्याग्रह कर रहे थे तो गांधी जी ने यह कहेके उसका विरोध किया था कि सशस्त्र सत्याग्रह कैसा ? जब शस्त्र लेके चलियेगा तो अहिंसा मूलक सत्याग्रह संभव नहीं। सत्याग्रह और शस्त्र ग्रहण ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। इसलिये यह चीज बन्द होनी चाहिये। हमारे दिमाग में तो उनकी यह दलील उस समय भी समा न सकी थी। इस समय तो और भी नहीं समाती। सिर्फ शस्त्र लेकर चलने से हिंसा कैसे होगी ? जब उस्ते नहीं चलाने का प्रण कर लिया तो फिर हिंसा का क्या सवाल ? नहीं तो फिर अकाली सिख कभी सत्याग्रही होई नहीं सकते। क्योंकि वे तो कृपाण के बिना एक मिनट रही नहीं सकते। मगर गांधी जी ने उन्हें भी बार बार सत्याग्रह में भर्त्ता किया है। लेकिन जब यह बात है तो फिर लाठी, गोली और बम चलवाके भी कांग्रेसी मंत्रिगण अहिंसक कैसे रह गये ? और अगर नहीं रहे तो गांधी जी ने उनका विरोध न करके समर्थन क्यों किया ? उनके इन कामों पर उनने मुहर क्यों लगा दी ? इसीलिये हमें तो उनकी अहिंसा अजीब घपला मालूम होती है।

यही कारण है कि उनके अहिंसक अनुयायी उन्हें खूब ही टगते हैं।

मजा तो यह है कि गांधी जी यह बात न तो समझते और न मानते हैं। मुझे तो उनके और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी श्री महादेव देसाई के क्रोध और डाट-फटकार का शिकार केवल इसीलिये बनना पड़ा है कि मैं यह बातें साफ बोलता हूँ और काम भी बही करता हूँ जो बाहर-भीतर एक रस हो। किसानों को भी यही सिखाता हूँ कि जायदाद फौजदारी के अनुसार अपनी और अपनी जायदाद वगैरह की डिफायत के लिये उतनी हिंसा भां कर सकते हो जितनी जरूरी हो जाय। मैं किसानों या आप लोगों को पहले से ही मिला यह कानूनी हक छोड़ने और छुड़वाने के लिये किसी भी हालत में तैयार नहीं हूँ। इसीलिये सन् १९३८ वाली हरिपुरा की कांग्रेस से पहले हरिजन में श्री महादेव देसाई ने मेरे खिलाफ लम्बा लेख भी लिखा था जिसका उत्तर मुझे देना पड़ा। मगर यह जान के मुझे निहायत ताज्जुब हुआ जब कि ठीक उसी समय हरिपुरा जाते हुए मध्य प्रान्त में दौरे के लिये बर्खा जाने पर और अहिंसा के अवतार श्री विनोबा भावे से बातें करने पर पता चला कि किसान-सभा के बारे में हिंसा का निश्चय करने के पहले उन लोगों ने सारी बातें जानने की कोशिश तक न की थी।

उन्हीं के आश्रम में श्री विनोबा जी से मेरी घंटों बातें होती रहीं। हरिजन में वह लेख ताजा ही निकला था। इसलिये बातचीत का विषय वही बात थी। वे लोग वास्तविक दुनिया से कितने कोरे हैं इसकी जानकारी मुझे वहाँ हुई। किसान-सभा के किसी कार्य-कर्त्ता ने कोई बात हिंसा-अहिंसा के बारे में कही या न कही। मगर गांधी जी के भक्तों ने उनके पास रिपोर्ट पहुँचा दी और उनने उसे ध्रुव सत्य मान लिया। दूसरों को तो हजार बार कहते हैं कि पूरी जाँच के बाद ही बातें मानो। सचार्ई का पता लगाओ। मगर मेरे बारे में यह इलजाम लगाने के पहले उनने मुझसे एक बार पूछना तक उचित न समझा। किसान-सभा पर भी वही दोषारोपण किया गया। लेकिन सभा को सफाई देने का मौका तक न दिया गया। यह है गांधी जी का न्याय ! यह है उनका सत्य ! न सिर्फ उनने निश्चय कर लिया बल्कि अपने संगी-साथियों के दिमाग में इसे भर दिया।

जब मुझे श्री विनोबा जी ने ये बातें पूछीं तो मैंने ऐसा जवाब दिया कि वे अवाक् हो गये। मैंने सबूत में पक्का प्रमाण पेश करने को भी कह दिया कि इलजाम निराधार हैं। मैंने कहा, कि मैंने जिस हिंसा का आश्रय लिया है वह न सिर्फ कानून के भीतर है, प्रत्युत गांधी जी ने भी वैसी हिंसा का उपदेश बराबर किया है। फिर मैंने देसाई के आक्षेप का लिखित उत्तर भी उन्हें दिखाया। और भी बातें होती रहीं। अन्त में उनने यही कहा कि इस बारे में क्या गांधी जी से आपकी बातें हुई हैं ? मैंने उत्तर दिया कि नहीं। तब उनने कहा कि बातें जरूर करें। मगर मैंने यही कहके टाल दिया कि मौका मिलेगा तो देखूंगा। मैंने वह भी कह दिया कि जो लोग यों ही एकतरफा बातों से निश्चय कर लेते हैं उनसे बातें करके होगा ही क्या ? फिर भी बातें करने पर उनने बहुत जोर दिया। मगर मुझे मौका ही कहाँ था ? मुझे तो शाम को वर्धा के सोशलिस्ट चौक में एक अच्छी मीटिंग करके आगे बढ़ना था।

लेकिन यहाँ पर मुझे गांधीवादी नेताओं की अहिंसा के दो सुन्दर नमूने पेश करने हैं। पन्त मिनिस्ट्री के समय इलाहाबाद में बड़ा सा दंगा हो गया था। बड़ी सनसनी थी। तूफान भी काफी मचा था। उस समय गांधी जी के सिद्धान्त के अनुसार कांग्रेस के प्रमुख लोगों का यह फर्ज था कि अपनी जान को जोखिम में डाल के भी दंगे को शान्त कर, ठीक उसी तरह जिस तरह सन् १९३१ ई० वाले कानपुर के दंगे में स्वर्गीय श्री गणेशशंकर विद्यार्थी ने किया था। ऐसे ही मौके गांधी जी और कांग्रेस की अहिंसा की परीक्षा करते हैं। गांधी जी का जोर भी यही रहता है कि ऐसे समय कांग्रेसी नेता निडर होके हिन्दू-मुसलिम महल्लों में जायँ और उन्हें ठंडा करें। नियमानुसार इलाहाबाद का दंगा उन नेताओं की बात देख रहा था। खुशकिस्मती से वहीं पर स्वराज्य-भवन में आलइंडिया कांग्रेस कमिटी का आफिस भी था। अब भी है। उसके जेनरल सेक्रेटरी आचार्य कृपलानी वहीं मौजूद थे, दूसरे बड़े लोग भी।

मगर उनने क्या किया ? मेरे दो मुसलिम साथी जो किसान-सभा

और मजदूर आन्दोलन में खासी दिलचस्पी लेते हैं और जो अच्छे पेंडे-निरते हैं, वहाँ घे । जब दंगा शुरू हो गया तो वे स्वराज्य-भवन में फौरन गये और बड़े नेताओं से कइने लगे कि आइये चलो और शहर में घूम के लोगों को समझाये ' सुझाये', उन्हें ठंडा करें । चाहे वे ठंडा हों या न हों । मगर हम लोग कोशिश तो करें । हमारे एक मुसलिम दोस्त टाउन कांग्रेस कमिटी के सभारति थे । इसलिये उन्हें अपना फर्ज भी अदा करना था । मगर उन नेताओं में एक सयते बड़े नेता ने, जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, मगर जो अखिल भारतीय नेता है और गांधी जी का डोल आज भी मुल्क में घूम घूम के पीटते है, चटपट यह कह डाला कि 'ऐ', घूमने चलो ? यह क्या बात है ? यह नाटानी कौन करे ? क्या बिगड़े दिमाग लोग हमें पाने पर सोचेंगे कि नेता हैं ? हमें वहीं खत्म न कर देंगे ? मैं तो हर्गिज नहीं जाता । अब लोग भी मत जाये ।' और फौरन पन्त जी के पास लखनऊ फोन करने लगे कि मिलिटरी भेजे । नहीं तो खैरियत नहीं । हमारे मुसलिम जवान साथी को उनकी इस बात पर ताज्जुब हुआ । हैरत भी हुई । मगर वे तो अपना फर्ज अदा करने चली पड़े । भला वे नेता की बात क्यों सुनते ? जो कुछ उनसे बन सका घूम-घूम के किया भी । हिन्दू-मुसलिम सभी महल्लों में निडर होके घूमते रहे ।

पीछे मुलाकात होने पर उनने अहिंसा की ही चर्चा के सिलसिले में यह अर्जाब दास्तान मुझे सुनाई । वे गांधीवादियों की अहिंसा पर हँसते थे । मैं भाँ हँसता था । हम किसान-सभा वाले तो गांधी जी के द्वार में काफी बदनाम हैं कि कांग्रेस के वसूलां की पावन्दी नहीं करते । साथ ही, जो नेता साहब और उनके साथी न सिर्फ़ दुम दबा के ऐन मौके पर सटक रहे, बल्कि इधियारबन्द पुलिस और फौज की गोलियों और संगीनों से दंगे को शान्त करने के लिये श्री पन्त जी पर बार बार जोर देते रहे, उन्हें 'गांधी जी का ऐसा दवामी सर्टिफिकेट अहिंसा के बारे में मिल चुका है कि कुछ पूछिये मत । अगर ऐसा ही दूटी नाव पर चढ़के न सिर्फ़ गांधी जी खुद पार होना चाहते हैं, बल्कि सारे मुल्क को भी पार ले जाना चाहते हैं तो उन्हें

मुबारक हो । किसान-सभा वाले अगर गांधी जी की अहिंसा को नहीं मानते तो उन्हें साफ कह तो देते हैं । मौके पर अमली तौर से धोखा तो नहीं देते । बल्कि ईमानदारी से जहाँ तक होता है उसके अनुसार काम करते हैं ।

इसी सम्बन्ध की एक दूसरी घटना बिहार की है । बिहार पर और खासकर उसकी अहिंसा पर गांधी जी को नाज़ है । अक्सर वे इस बात को लिखते और कहते रहते हैं । मगर बिहार के नामी-गरामी नेता लोग कहाँ तक अहिंसा को मानते और गांधी जी को कितना धोखा देते हैं इसका ताजा नमूना हाल के बिहार शरीफ वाले दंगे में मिला है । इसका पता हमें जेल में ही लगा है जब कि पटना जिले के एक कांग्रेसी साथी जेल में हाल में ही आये हैं । उनसे आप वीथी हमें एक दिन सुनाई । उनका और जिन नेताओं से उन्हें सांत्वना पढ़ा उनका नाम लेना ठीक नहीं ।

बिहार शरीफ में हिन्दू-मुसलिम दंगा शुरू हो जाने के बाद सदाकत आश्रम के दो बड़े नेता, जो न सिर्फ प्रांतीय कांग्रेस के औफिस के चलाने के लिये बहुत पुराने जवानदेह आदमी माने जाते हैं, बल्कि खांटी गांधी-वादी भी हैं, मोटर पर चढ़के बिहार शरीफ जाने के लिये तैयार हुए । उनमें एक हिन्दू है और एक मुसलमान । उनसे सोचा कि पटना जिले के किसी हिन्दू कार्यकर्ता को भी साथ ले लें तो ठीक हो । संयोग से हमारे वे कांग्रेसी साथी वहीं थे । वस, हुआ हुआ कि साथ चलना होगा । साथी को सारी बातें मालूम थीं । उनसे कहा कि मेरे पास रिवाल्वर तो है नहीं । मैं कैसे चलूंगा ? याद रहे कि हमारे साथी सत्याग्रह करके जेल आये हैं । उनसे फिर कहा कि अगर मुझे भी आप लोग एक रिवाल्वर दें तो साथ चलने को तैयार हूँ । इस पर लीडरों ने कहा कि आप हम दोनों के बीच में हमारी ही मोटर पर बैठ के चलिये । हम जो अलग मोटर पर पीछे पीछे चलने को कहते थे वह इसीलिये कि आपके पास रिवाल्वर है नहीं । मगर अगर आप इसके लिये तैयार नहीं हैं तो हमारे बीच में बैठ के हमारी ही मोटर पर चलिये । मगर इस पर भी साथी तैयार न हुए । तब उनसे कहा गया

कि आपके घरवालों के पास बन्दूक तो हुई । उसे ही लेकर चलिये । इस पर साथी ने उत्तर दिया कि बन्दूक लेके चलना तो और भी बुरा है । मैं ऐसा न करूँगा ।

इस पर हार मान के दोनों नेता खाना खा गये । साथी ने कहा कि मुझे तो मालूम था ही कि उन दोनों के पास एक एक रिवाल्वर था । दोनों रिवाल्वर किसी नवान्न साधक के यहाँ से उनसे मँगाये थे । मैं उनमें से एक माँगता था । मगर वे लोग इसके लिये तैयार न थे । उनसे कफ़ कह भी दिया कि दोई तो रिवाल्वर हैं और हम दो खुदो जा रहे हैं । फिर आपको कैसे दे ? खुदो यह कि रिवाल्वर लेके जाने पर भी वे लोग बिहार शरीफ़ में घूम न सके । जहाँ कांग्रेसियों का गिरोह था वहीं गये और दल के साथ ही इधर-उधर आये गये ।

कितना सुन्दर नमूना गांधी जी की अहिंसा का है । आज तो जगह जगह कांग्रेसी नेता शान्तिदल बना रहे हैं जिसका काम ही है कि हिंसा करने वालों के बीच जाके उन्हें समझाना और शान्त करना । उन्हें न तो हथियार रखना होगा और न जान की पर्वा करनी होगी । इस बात की प्रतिज्ञा शान्तिदल वाले करते हैं । मगर जब उनके नेताओं की यही दशा है तो आक्रियों का क्या कहना ? पाकेट में रिवाल्वर लेके शान्तिदल का काम करना अजीब चीज है । फिर भी इस पाखंड को गांधी जी समझें तब न ? यदि मैं रहता तो जरूर बन्दूक लेके चलता और धीरे से लोगों को इशारा कर देता कि देखिये हमारी अहिंसा !

सन् १९३७ ई० की जनवरी का महीना था। फैजपुर कांग्रेस से हम ताज़े ताज़े वापिस आये थे। असेम्बली-चुनाव की तारीखें सर पर थीं। जल्दी जल्दी एक बार पटना जिले का दौरा ऐन चुनाव से पहले कर लेना था। मेरे साथ कांग्रेस के दूसरे भी नेता उस दौरे में शरीक थे। बख्तियारपुर में एक मिटिंग करके बिहार शरीफ जाना था। शाम को वहाँ मिटिंग थी। इस दर्भान हरनौत थाने वालों का हठ था कि रास्ते में ही यह जंगल है और ऐन सड़क पर ही। इसलिये यहाँ भी एक सभा जरूर हो ले। हमने इसकी मंजूरी दे दी थी। लोगों ने मीटिंग की तैयारी खासी कर ली थी। मगर हमारे विरोधी भी चुप न थे। वह इलाका ज्यादातर उन लोगों का है जिन्हें कुर्मा, कुर्मवंशी आदि कहते हैं। और जातियों की अपेक्षा कुर्मा लोग उधर ज्यादा बसते हैं। चुनाव के जमाने में बदकिस्मती से जाति-पाँति की बातें खूब चलती हैं। मगर वहाँ तो एक और भी वजह थी जिससे ये बातें तेज हो गईं।

बख्तियारपुर बाढ़ सत्र-डिविजन में पड़ता है और उससे दक्षिण बिहार सत्र-डिविजन है। कांग्रेस के भीतर ही बाढ़ और बिहार की सीटों को लेकर तनातनी चलती रही। बाढ़ के ही एक कुर्मा सज्जन, जो वकील हैं, चुने जाने के लिये बहुत ही लालायित थे। मगर कांग्रेसी नेताओं ने जब किसी कारण से उन्हें बिहार के लिये नामजद करना चाहा था तो वे तैयार न हुए और भीतर ही भीतर उनने गुटबन्दी ऐसी कर ली थी कि बिहार से एक गैर कांग्रेसी कुर्मा चुन लिये जायें। तैयारी ऐसी थी कि ऐन मौके पर कोई गलती जान-बूझ कर दी जाय और दूसरा होने न पाये। इसीलिये उनने पीछे कबूल कर लिया था कि अच्छा, मैं बिहार की ही सीट से तैयार हो जाता हूँ। फिर भी भीतर ही भीतर तैयारी कुछ और ही

थी। उनकी बदबख्ती से ठीक नामिनेशन के ही समय उस तैयारी का पता चल जाने के कारण उनका नामिनेशन कांग्रेस की तरफ से दाखिल न किया जाके एक और कुर्मा सज्जन का ही दाखिल किया गया। इससे कुर्मा समाज में कुछ खलबली नहीं। क्योंकि चुनाव को लेके उस जाति के भीतर ही दो दल ही चुके थे। कांग्रेस विरोधी कुर्मा सज्जन का भी नामिनेशन दाखिल हुआ था। उनका असर उस इलाके में ज्यादा था।

जिला कांग्रेस कमिटी का सभापति भी मैं ही था। किसान-सभा की तो बात थी ही। विरोधी लोग जाति जाते अगर मैं जरा भी उदासीन हो जाता। इसकी कोशिश भी की गई। कांग्रेसी उमीदवार एक जालिम जर्मीदार हैं। इसलिये भी वे लोग सोचते थे कि अगर मैं उनकी मदद में न जाऊँ तो वे हारेंगे जरूर। मैंने उनकी जर्मीदारी में उन्हीं की जाति के किसानों का पक्ष लेके काफी आन्दोलन भी पहले किया था। इससे भी विरोधियों को आशा थी कि मैं चुनाव के मामले में ढोला पड़ जाऊँगा। मगर मेरी तो मजदूरी थी। जिला कांग्रेस कमिटी की तरफ से मुझे काम करना ही था। जवाबदेही भी मेरे ऊपर क्रिय के सम्बन्ध की थी ही। फिर वेईमानी कैसे कर सकता था ? यदि ऐन मौके पर जिला के सभापतित्व से हटता तो भी ठीक न होता। हाँ, मैं चाहता तो था कि वे जालिम हजरत नामजद न हों। मगर कांग्रेसी नेता लोगों को इसकी पर्वा कहीं थी ? वे तो सभी लोगों को उस समय असेम्बली में भेज रहे थे—ऐसों को भी जो न सिर्फ जालिम जर्मीदार थे, बल्कि दरअसल कांग्रेस से अब तक जिनका कोई ताल्लुक न था। इस घाँघली के विरुद्ध प्रान्तीय वर्किंग कमिटी में मैं बराबर लड़ता था। मगर अकेला ही था। बाकियों ने तो बैठा ही तय कर लिया था। अजीब हालत थी। पर करता ही आखिर क्या ?

ऐसी दशा में मेरे ही ऊपर वहाँ के कांग्रेस विरोधियों का क्रोध था। वे जानते थे कि अगर मैं वहाँ न जाऊँ तो कांग्रेसी उमीदवार को चुटकी मार के वे हरा देंगे। कुर्मा जाति में भी दोनों उमीदवार दो अलग विरादारियों के थे और अपनी अपनी विरादरी को लेके लोग परीशान थे। इसलिये

बख्तियारपुर में ही मुझे पता चला कि हरनौत की मिटिंग में कुछ गड़बड़ी होगी और विरोधी लोग ऊधम मचायेंगे। यही कारण था कि मैं पहले से ही तैयार होके गया था। गाँव के नजदीक पहुँचते ही देखा कि जहाँ एक दल लाल और तिरंगे झंडे के साथ बाजे-गाजे से हमारा स्वागत करने को तैयार है, तहाँ उसके बाद ही काले झंडे वाला दूसरा दल "स्वामी जी, लौट जाँय" आदि के साथ हमारा विरोध कर रहा है। हम हँसते थे। हमारी मोटर विरोधियों के बीच से आगे बढ़ गई। हम लोग सड़क से कुछ दूर के एक बाग में गये जहाँ सभा की तैयारी थी। लोग तो पहले से थे ही। श्रव और भी जम गये।

सभा-स्थान में कई चौकियाँ, एक साथ मिलाके पड़ी थीं और उन पर दरी, कालीन वगैरह पड़े थे। हम लोग उन्हीं पर उत्तर रख बैठे थे। स्पीचें हो रही थीं। और लोग बोल चुके थे। मगर मैं अभी बोल चुका था नहीं। अभी बोलने का सिलसिला जारी ही था। सभी का ध्यान उसी ओर था। इतने में एकाएक मुझे पता लगा कि मेरे दाएँ कंधे पर जैसे तेज जलन सी हो गई। मालूम पड़ा कि कोई जलता अंगार गिर गया। मेरा हाथ उस पर पहुँचा। तेज दर्द था। मगर लोगों ने देखा कि कोई आदमी अपनी लाठी मुझ पर चलाके वेतहाशा भागा जा रहा है। दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो की आवाज हुई। कुछ लोग दौड़ भी पड़े। मगर मैंने दृष्ट करके सबों को लौटा लिया। मारने वाला निश्चिन्त निकल गया। असल में लाठी तो उसने मेरे माथे पर ही चलाई थी। मगर माथा बच गया बाल बाल और वह जा लगी कंधे पर। उससे पहले मैंने लाठी की चोट खाई न थी। इसीसे मालूम पड़ा कि जैसे जलता अंगार गिर गया।

मैंने मारने वाले को पकड़ने से लोगों को इसलिये रोका कि उसमें खतरा था। अगर वह पकड़ा जाता, जैसा कि निश्चय था, तो लोग क्रोध में उतावले होके जाँनें उससे कैसे पेश आते। भीड़ तो थी ही। अन्देश था कि उसकी जान ही चली जाती। कम से कम इसका खतरा तो था ही।

उसके बाद उसके दलवाले जानें क्या क्या करते । हो सकता था कि वहीं करारी मार-पीट हो जाती । यही सोच के मैंने लोगों को रोका । परिणाम हमारे लिये सुन्दर हुआ । मीटिंग वेखटके होती रही । मेरी चोट पर लोगों को दवा की सूझी । पर, मैंने रोक दिया । चोट की जगह सूज गई जरूर, वह काली भी हो आई । मगर मैं टंडा रहा और सभा में खड़ा होके बोला भी । लोग ताज्जुब में थे । पर मुझे पर्वा न थी । हाय हाय करना या चिल्लाना तो मैंने आज तक जाना ही नहीं । फिर वहाँ कैसे हाय हाय करता ? मीटिंग के बाद बिहार शरीफ जाने पर चोट को धीरे धीरे गर्म पानी से धोया गया ताकि दर्द शान्त हो । वहाँ भी सनसनी थी । मगर मैं तो वहाँ की सभा में भी बराबर बैठा रहा । बोला भी । इस प्रकार वह दौरा पूरा हुआ । कांग्रेसी उमीदवार तो जीते और अच्छी तरह जीते ।

मगर दो साल गुजरने के बाद हालत कुछ और ही हो गई । मुझे निमंत्रण मिला कि हरनौत में किसान-सभा होगी । खूनी तो यह कि जो लोग पहली बार मेरे सख्त दुश्मन थे वही इस बार मेरी सभा करा रहे थे । उनने मेरे स्वागत की तैयारी भी सुन्दर की थी । मैंने निमंत्रण स्वीकार किया खुशी खुशी । वहाँ जाके देखा तो सचमुच सम्राट ही कुछ और थी । मीटिंग भी ठाठ-बाट से हुई । उनने प्रेम से मेरा अभिनन्दन भी किया । स्वागताध्यक्ष ने जो भाषण दिया वह दूसरे ढंग का था । लोग हैरत में थे । मैं भी चकित था । इतना तो सघने माना कि दो साल के भीतर किसान-सभा की ताकत बढ़ी है काफी । इसीलिये पहले के दुश्मनों को भी लोहा मानना पड़ा है, चाहे उनका मतलब इस बार कुछ भी क्यों न हो । हमारे लिये यही क्या कम गौरव की बात थी कि हमारे दुश्मन भी हमारे ही झंडे के नीचे आके मतलब साधने की कोशिश करें ? हाँ, हमें सजग रहना जरूरी था कि कहीं किसान-सभा बदनाम न हो जाय । सो तो हम थे ही और आज भी हैं । उस बदली हालत को देख के हमने यह समझने की भूल कभी न की कि वे लोग किसान-सभा के पक्के भक्त बन गये । ऐसा मानने में ही तो खतरा था और हमने ऐसा किया नहीं । लेकिन उन्हें मजबूर न



बफारत-संघर्ष, सतीथान, मलदूमपुर, गया

किसान-सभा का नारा बुलन्द करना पड़ा है यह हमने माना। वह उनकी मजबूरी किसान-सभा के महत्व को समझ कर हुई और उनसे समझ कि इसी का पल्ला पकड़ो तो काम चलेगा, या सचमुच किसान-सभा की सच्ची भक्ति के करते हुई, यह निराला प्रश्न है। इसका उत्तर उस समय दिया जा सकता भी न था। यह तो समय ही बता सकता था कि असल बात क्या है।

लेकिन वहाँ जो आशाजनक असली बात दिखी वह कुछ और ही थी। हमें वहाँ कुछ नौजवान और विद्यार्थी मिले जो कर्मा समाज के ही थे। हमने उनमें जो कुछ पाया वही दरअसल हमारे कामकी चीज थी। उसी पर हम मुग्ध भी हुए। अपनी उस यात्रा की सफलता भी हमने प्रधानतया उसी जानकारी से मानी। उन छात्रों और युवकों में हमने किसान-सभा और किसान-आन्दोलन की मनोवृत्ति पाई। हमने यह देखा कि वह लोग इसे अपनी चीज समझने लगे हैं। वह यह मानते नजर आये कि हम किसान हैं और हमारी असल संस्था किसान-सभा ही हो सकती है। इसमें वह अपने किसान समाज का उद्धार देखने लगे थे। यह मेरे लिए काले बादलों में सुनहली रेखा-नजर आई।

एक और चीज भी थी। उनसे मुझे हस्तलिखित एक मासिक पत्र दिखाया। मैं उसका नाम भूलता हूँ। उनसे कहा कि प्रतिमास लिख के वे लोग उसे खुद तैयार करते हैं। लेख और चित्र दोनों ही दिखे। दोनों ही हस्तलिखित—हस्तनिर्मित थे। उनसे मुझसे आग्रह किया कि मैं उसे आयो-पान्त पढ़ के अपनी सम्मति लिख दूँ। समय मेरे पास न था। मगर मैंने उनकी इच्छापूर्ति जरूरी समझ उस 'पत्र' को शुरू से आखीर तक पढ़ा। लेखक नये नये छात्र और जवान लोग ही थे जिन्हें उसकी शिक्षा कभी नहीं मिली थी। व्याकरण वगैरह का ज्ञान भी उन्हें उतना न था। फिर भी जिन भावों को मैंने उन लेखों में पाया उनसे मुझे मुग्ध कर दिया। लेखों की गलतियाँ तो मैं भूल ही गया। मेरे सामने तो भाव ही खड़े थे। देश के और कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं के बारे में निर्भीक समालोचना उस मासिक पत्र के लेखों में थी, सो भी अनेक में। समालोचना भी ऐसी

सुन्दर कि तबीअतं खुश हो जाय। चुभने वाली बात बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाई गई थी।

इतना ही नहीं। मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब मैंने देखा कि लेखों में मेरा और अन्य कई किसान-नेताओं का भी जिक्र है, उनकी बड़ाई है, उनके कामों की तारीफ है। साथ ही यह भी पाया कि कांग्रेसी नेताओं के मुकामिले में हमारे को जन-हित की दृष्टि से अच्छा और महत्वपूर्ण बताया गया था। बातें कहने और लिखने का तरीका उनका अपना था और यही ठीक भी था। बनावटी ढंग से बातें लिखना या लिखने में दूसरों की नकल करना कभी ठीक नहीं होता। हर बात में मौलिकता का मूल्य होता है। चाहे शैली कुछ भी हो—और मैंने तो निराली शैली को हृदय से पसन्द किया—मगर बातें तो मार्के की थीं, दुस्त थीं। यह भी नहीं कि हमसे उनकी कोई घनिष्टता थी। हम तो उनमें किसी को जानते-पहचानते भी न थे। इसीलिये उनने जो कुछ लिखा वह उनके हृदयों का उद्गार था। कइयों ने लिखा था, न कि एक दो ने ही। कांग्रेसी नेताओं पर कुछ चुटकियाँ भी थीं, जो भद्दी न थीं। किन्तु अच्छी थीं।

लोग कहते हैं कि हमारे देश में जातीयता का अभिशाप कुछ करने न देगा। मैं तो निराशावादी हूँ नहीं, किन्तु पक्का आशावादी हूँ। मैंने वहाँ निराशावाद से उल्टी बातें पाईं। हालाँकि घोर जाति पक्षपात का इलाका वह है। हरनौत इसका अड्डा माना जाता है। मेरे खिलाफ तो वहाँ बवंडर खड़ा हो चुका था। फिर भी युवकों के वे स्वाभाविक उद्गार हवा का रुख कुछ दूसरा ही बताते थे। मैं मानता हूँ कि सयाने होने पर उनके दिमाग में जहर भरने की कोशिश होगी, होती है। मगर मैंने वहाँ जो कुछ पाया वह बताता था कि वह जहर मिटेगा जरूर ही।

सन् १९३८ ई० के गर्मियों का मौसम था। मेरा दौरा किसान-आन्दोलन के सिलसिले में ही बाढ़ और विहार सत्र-दिविजनों में हो रहा था। बाढ़ शहर के पास के ही एक बड़े गाँव में सभा करने के बाद मैं घोर देहात में गया। वह देहात बाढ़ से दक्षिण है जिसे टाल का इलाका कहते हैं। मिट्टी निहायत ही चिकनी और काली है। बरसात में तो पाँव में चिपक जाती है ऐसी, कि जल्द छूटना जानती ही नहीं। मगर गर्मियों में सूख के ऐसी सख्त बन जाती है कि कंकड़ों की तरह पाँवों में चुभती है और काट खाती है। दूर दूर तक पेड़-वैड़ नजर आते नहीं। कहीं कहीं गाँव होते हैं। बरसात में पचासों मील लम्बी और बीसियों मील चौड़ी उस जमीन पर केवल जल ही नजर आता है। बीच बीच में गाँव ऐसे ही दीखते हैं जैसे समुद्र में टापू। लगातार तीन-चार महीने यही नजारा दीखता है। सिर्फ़ किश्तियों पर चढ़के ही उन गाँवों में जा सकते हैं। उसी टाल के इलाके का एक भाग, जो बाढ़ से बहुत ज्यादा पूर्व और टाल के आखिरी हिस्से पर पड़ता है, बड़हिया टाल कहा जाता है। बड़हिया एक बड़ा सा गाँव जमींदारों का टाल के उत्तरी सिरे पर रेलवे का स्टेशन है, जैसे बाढ़, मुकामा वगैरह। इन बड़े बड़े गाँवों की जमींदारियाँ उस टाल में हैं। इसलिये उस टाल के बनावटी टुकड़े बन गये हैं सिर्फ़ जमींदारियों को जनाने के लिये। उन्हें ही बड़हिया टाल, मुकामा टाल वगैरह कहा करते हैं। उसी टाल की जमीनों को लेकर बड़हिया इलाके के किसानों, जो अधिकांश केवल खेत-भजदूर और तथाकथित छोटी जाति के ही हैं, की लड़ाई हमारी किसान-सभा लगातार कई साल तक लड़ती रही है। इस लड़ाई में किसानों पर घड़े दौड़ाये गये, लाठियाँ पड़ी, भाले-बछे लगे, सैकड़ों केस चले, कई सौ जेल गये और क्या क्या न हुआ। हमारे वार्य-

कर्त्ता और नेता भी जेल गये । वहीं लालकुर्त्ता वाले किसान-सेवकों के दल पहले-पहल तैयार किये गये । उनके बारे में तो उस टाल में तैनात अफसरों तक ने कह दिया कि सचमुच ही ये लोग शांतिदल (Peace Brigade) के आदमी हैं । जमींदारों के द्वारा लाठीराज और गुंडाराज कायम कर देने पर भी उन्हीं ने वहाँ किसानों को हर तरह से शान्त रखा । वे भी उन्हीं किसानों के बच्चे थे । यही तो उस दल की खूबी रही है । हमने लड़ाई के नेतृत्व के लिये भी उन्हीं पिछड़े किसानों को स्वावलम्बी बनाया । जैसे वगैरह का काम भी उनने जैसे-तैसे ज्यादातर खुद ही चलाया ।

हाँ, तो उसी टाल के दो गाँवों में हमने मीटिंगों की । पहले से ही उन मीटिंगों की तैयारी थी । उसके बाद फिर बाढ़ लौटने के वजाय बाहर ही बाहर बिहार के इलाके में हमें नूरसराय जाना था । रास्ता विकट था । बैलगाड़ी वगैरह से जैसे-तैसे हमें हरनौत जाना था । वहाँ से टमटम से नूरसराय आसानी से जा सकते थे । ठीक याद नहीं कि हमें टमटम को सवारी हरनौत में ही मिली, या उससे पहले ही पहुँची थी । मगर हरनौत के बाद तो हम जंरूर ही टमटम से गये यह बखूबी याद है । असल में हरनौत के बाद की ही यात्रा महत्वपूर्ण थी । इसीलिये वह अच्छी तरह याद है ।

हरनौत से बहुत दूर तक हम पक्की सड़क से ही गये । मगर आगे हमें पक्की सड़क छोड़ देना पड़ा । टमटम कच्ची सड़क से चलने लगा । हम कई साथी उस पर बैठे थे । शायद तीन थे । कुछ दूर जाने के बाद हमें एक अजीब लड़ाई देखने को मिली । जिस गाँव के पास यह हो रही थी उसका नाम-धाम तो हमें याद नहीं । हमने बहुत दूर से देखा कि तीन-चार छोटे छोटे जानवरों की आपस में ही कुछ खटपट चल रही है । कभी एक खदेड़ता है बाकियों को, जो तीन की तादाद में थे, तो कभी वे तीन उस पर हमला करते हैं । बहुत देर तक मैं यह चीज देखता रहा । जब तक टमटम नजदीक न पहुँचा तब तक तो मुझे पता भी न चल सका कि ये कौन से जानवर आपस में लड़ रहे हैं । मगर धीरे धीरे चक्कर काटता हुआ टमटम जब कुछ नजदीक आया तो मालूम हुआ कि एक छोटी सी बकरी अपने

तीन नन्हें बच्चों के साथ एक ओर है, और तीन कुत्ते दूसरी ओर । इन्होंने दोनों के बीच वह कुशतमकुरता चालू है । वह घंटों चलता रहा, यह मैंने खुद देखा । पहले कब से था कौन बताये । मगर जबसे मेरी नजर उस पर गई मैं बराबर वह निराली समां देखता था ।

लड़ाई यों चलती थी । तीनों कुत्ते उस बकरी पर हमला करके चाहते थे कि बच्चों के साथ उसे मार के खा जायँ । मगर उनके जवाब में उन बच्चों को अपने पेट के पास जमा करके वह बकरी मारे गुस्ते के अपना माया और सींगें झुकाती और उन पर धावा बोलती थी जिससे वे तीनों ही भाग जाते थे । असल में जान पर खेल के जब वह उन पर टूट पड़ती थी तो वे हिम्मत हार के भाग जाते थे । मगर जब वह रुक जाती थी तो फिर उस पर टूट पड़ते थे । यही तरीका बराबर घंटों चलता रहा । मेरी नजर एकटक उसी पर टिकी थी । ज्यों ज्यों मैं नजदीक आता जाता था, त्यों त्यों वह दृश्य देख देख के मग्न होता था । मेरे शरीर के अंग अंग और रोम रोम खिलते जाते थे । नजदीक आने पर देखा कि बकरी छोटी सी ही थी । मगर गुस्ते के मारे मौत की सूत बनी थी, रणचंडी बनी वह भा काफी परीशान थी । कुत्ते तो थे ही । उसकी अब तक जीत रही, इसलिये हिम्मत बनी था । मगर कुत्तों का इरादा पूरा हो न सका था । वे तो उसका ही और अगर वह न हो तो कम से कम उसके तीनों बच्चों का ही गर्मागर्म खून पीना चाहते थे जो मिल न सका । इसलिये स्वभावतः उनमें पस्ती थी । फिर भी वह कुशती चालू थी । इतने में मेरे सामने ही बकरी का मालिक आ पहुँचा । उसने कुत्तों को मार भगाया और बकरी को घर पहुँचाया ।

मेरे लिये वह दृश्य क्यों रोभांचकागी था और मैं उस पर क्यों मुग्ध था, इसकी वजह है । मेरे सामने हमेशा ही यह प्रश्न आया करता था कि किसान सब तरह से पत्त और पामाल होने के कारण जमींदारों से हँट के मुकाबिला कर नहीं सकते और बिना मुकाबिला किये न तो जुल्मों से ही उन्हें छुटकारा मिल सकेगा और न उन्हें अपना अधिकार ही

हासिल हो सकेगा। मैं जहाँ जाता वहीं यह सवाल उठता था। मैं भी परीशान था। जवाब तो मैं देई देता। पूछने वालों को और आम किसानों को भी समझा देता कि वे कैसे विजयी हो सकते हैं, हो जायँगे। संसार में किसान कहाँ, कैसे विजयी हो चुके हैं यह बातें उन्हें कहके समझाता था। मगर आखिर यह सब कुछ परोक्ष और दिमागी दुनियाँ की ही बात होती थी। न तो मैंने ही कहीं किसानों की विजय देखी थी और न किसानों ने ही। सारी की सारी सुनी सुनाई बातें ही थीं। इसलिये मुझे खुद अपने जवाब से सन्तोष न होता था। मैं तो प्रत्यक्ष मिसाल चाहता था कि किस प्रकार अत्यन्त कमजोर भी जन्नदस्तों को हरा देते हैं। बराबर इसी उधेड़-बुन में रहता था कि बकरी को यह अनोखी और ऐतिहासिक लड़ाई देखने को मिल गई ! इससे मेरा काम बर्न गया। फिर तो यह भी देखा कि अकेली बिल्ली कैसे किसी आदमी पर विजय प्राप्त करती है।

मैंने आँखों देखा कि मामूली सी बकरी अपने तीन बच्चों को और अपने आपको भी, घंटों दिलोजान से तीन कुत्तों के साथ करारी भिड़न्त करने के बाद भी, चबा सकी। यह तो प्रत्यक्ष चीज थी। अगर एक ही कुत्ता चाहता तो डरपोक और पस्त हिम्मत बकरी की हड्डियाँ चबा जाता। और वहाँ तो बकरी के तीन बच्चे भी थे। बकरी को ऐसी हालत में चबा जाना और भी आसान था। क्योंकि उसकी ताकत न सिर्फ अपने बचाने में खर्च हो रही थी, बल्कि उन तीन बच्चों के बचाने की परीशानी में भी बहुत कुछ खर्च होई जाती थी। फिर भी वह सफल रही और अच्छी तरह रही। क्यों ? क्या वजह थी कि वह ऐसा कर सकी ? इसका जवाब बातों से क्या दिया जाय ? जिसने उस समय उस बकरी की सूरत और चेहरा-मुहरा नहीं देखा है और जिसने यह अपनी आँखों नहीं देखा कि वह किस तरह लड़ती थी, उसके दिमाग में इस सवाल का जवाब कैसे समायेगा, बैठ जायगा यह मुश्किल बात है। इसे ठीक ठीक समझने के लिये वैसी घटनाओं को खुद देख लेना निहायत जरूरी है। वह एक घटना हजार लक्ष्मणों का काम करती है। क्योंकि वह तो "कह सुनाऊँ" नहीं है।

किन्तु “कर दिखाऊँ” है। और बिना “कर दिखाऊँ” के कोई बात दिल पर नक्श हो सकती नहीं।

असल में जब कोई पंका मंजूवा और दृढ़ संकल्प करके जान पर खेल जाता है तो उसके भीतर छिपी अपार शक्ति बाहर आ जाती है। यही दुनिया का कायदा है। ताकत बाहर से नहीं आती। वह हरेक के भीतर ही छिपी पड़ी रहती है, जैसे दूध में मक्खन। जिस प्रकार मथने से मक्खन बाहर आ जाता है, ठीक उसी तरह जान पर खेल के लड़ जाने, भिड़ जाने पर वही भिड़न्त मथानी का काम करती है। फलतः छिपी हुई ताकत को बाहर ला खड़ा करती है। बकरी की लड़ाई से यह साफ हो जाता है। कहते भी हैं कि “मरता क्या न करता ?” अगर मामूली बकरी हँट जाने पर सपरिवार अपने को तीन कुत्तों से बचा सकती है, तो किसान डँट जाने पर अपने हक की रक्षा क्यों न कर सकेगा ?

जब जवाबदेह कार्य और लीडर ऐसा काम कर डालते हैं जिसे व्यवहार-बुद्धि (Common-Sense) मना करती है तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। जनता में काम करना एक चीज है और केवल राजनीतिक चालवाजी दूसरी चीज। अखबारों में खबर छपवा देना कि फलों फलों जगह मीटिंगें हुईं और अमुक अमुक सजन बोले, यह एक ऐसी बात है जिसे हमारे कार्यकर्त्ता और लीडर आमतौर से पसन्द करते हैं। मीटिंग कैसी थी, उसमें ठोस काम क्या हुआ, या नहीं हुआ, इस बात की उन्हें शायद ही पर्वा होती है। मैं इसे न सिर्फ गैर जवाबदेही मानता हूँ, बल्कि ठगी समझता हूँ। बाहरी दुनियाँ पर चन्द लोगों के प्रभाव और नेतृत्व का असर इससे भले ही जमे। मगर धोखा होता है। जनता का काम इससे कुछ भी होता नहीं। फिर भी हम इस प्रवाह में बहे चले जाते हैं। अखबारों की रिपोर्टें इसी तरह की अक्सर हुआ करती हैं। हम इतने से ही सन्तोष करते हैं। अपनी सालाना रिपोर्टों की तौदें भी इन्हीं बलगर्मी रिपोर्टों से भर डालते हैं। बाहरी दुनियाँ हमारी बड़ाई करती है कि हम बहुत काम करते हैं। यदि एक ही दिन में हमारी कई मीटिंगों की खबरें छप जाय तब तो कहना ही क्या ? तब तो हमारी महत्ता और लीडरि आसमान छू लेती है।

जब अपनी सफलता का हिसाब हम खुद इन्हीं भूठी रिपोर्टों से लगाते हैं तब तो किसानों और मजदूरों का भला भगवान ही करे। तब पता लग जाता है कि हम कैसे सच्चे जन-सेवक हैं। हमारे दिलों में पीड़ित जनता की वास्तविक सेवा की आग कैसी जल रही है इसका सबूत हमें मिल जाता है। मगर असलियत तो यह है कि इन हरकतों से गरीबों का उद्धार सात जन्म में भी नहीं हो सकता। वे तो बावजूद इन मीटिंगों के भेड़-बकरियों की तरह कभी एक दल के और कभी दूसरे के हाथों मँढ़ते ही रहेंगे।

इस तरह हम उनके नेता बनके अपने तुच्छ स्वार्थ के लिये उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बराबर बँचते ही रहेंगे। उनके उद्धार का रास्ता यह हीर्गिज है नहीं। मगर बदकिस्मती से इस बात के कड़ुवे अनुभव मुझे किसान-आन्दोलन के सिलसिले में इतने ज्यादा हुए हैं कि गिनाना बेकार है।

एक बात और है। जवाबदेही का मतलब भी हम ठीक समझ पाते नहीं। किसी काम के पूरा करने में क्या क्या करना होगा, कौन कौन दिकतें आयेंगी, उनका सामना कैसे किया जायगा, उस सम्बन्ध में किस पर विश्वास करें, किस पर न करें, विश्वास करें भी तो कहाँ तक करें, वगैरह वगैरह पहलुओं पर पूरा विचार करना भी जवाबदेही के भीतर ही आता है और यही उसके असली पहलू हैं। इन पर पूरा गौर किये बिना हम जवाबदेही को पूरा कर नहीं सकते और अगर हम इसमें चूकते हैं तो इसकी वजह या तो यही है कि हमने जवाबदेही को अभी तक जाना नहीं, या हमें इस बात का अनुभव नहीं कि कौन क्या कर सकता है, किसकी कौन सी दिकतें और अड़चनें हैं जिन्हें पहले समझ लेना जरूरी है। जब देहात के किसान या कार्यकर्ता किसी मीटिंग के प्रबन्ध की पूरी जवाबदेही ले लेते हैं तो हम निश्चिन्त हो जाते हैं कि अब हमें कुछ करना है नहीं। हम तो मजे से चलेंगे और मीटिंग करके लौट आयेंगे।

मगर यह भारी भूल है। देहात के लोगों के लिये यह समझ लेना और सब बातों का पूरा पूरा हिसाब लगा लेना आसान नहीं है। सब बातों के तौलने की जवाबदेही उन पर डालना ही भूल है। उस तौल का उनका तराजू भी देहाती ही होता है जो पूरा नहीं पड़ता। इसीलिये हमें खुद सारी चीजों की देख-भाल करना जरूरी है। मैंने देखा है कि हर मीटिंग के करने कराने वाले आमतौर से यही समझते हैं कि टुनियर्ग में बस यही एक मीटिंग है। इसीसे सब का काम चल जायगा। इसके बाद आज ही कहीं और भी मीटिंग हमारे लीडर को करना है या नहीं इसकी पर्वा उन्हें होती ही नहीं। कल, परसों भी उन्हें कहीं इसी तरह जाना है या नहीं, और अगर वे नहीं जा सके तो लोगों को वैसी ही निराशा होगी या नहीं,

लोग वैसे ही बुरा मानेंगे या नहीं, जैसा कि तैयारी हो जाने पर हमारे यहाँ नेताओं के न आ सकने पर हम मानते हैं, यह बात भी वे लोग साधारण-तया सोचते ही नहीं। फिर ठीक समय मीटिंग को पूरा करने की सारी तैयारी वे करें तो कैसे करें ? लेकिन यह तो हमारे जवानदेह कार्यकर्त्ताओं का ही काम है कि ये सारी बातें सोचें और उसी हिसाब से ऐसा प्रबन्ध करें कि ठीक समय पर सारा काम पूरा हो जाय। देहात के लोगों के कह देने पर ही सारी बात का विश्वास कर लेना बड़ी भारी गलती है। हमें उन लोगों की कमजोरियों को बिना कहे ही अपने ही अनुभव के आधार समझ लेना और तदनुसार ही काम करना चाहिये।

इस सम्बन्ध के कटु अनुभव मुझे यों तो हजारों हुए हैं और उनसे काफी तकलीफ भी हुई है। मगर कभी कभी भीतर ही भीतर जल जाना पड़ा है। खासकर जब बड़े लीडर कहे जाने वालों ने ऐसी नादानी की है। इस बात की चर्चा एकाध बार पहले ही की जा चुकी है। मगर एक घटना बहुत ही मार्के की है। सन् १९३६ ई० की बरसात गुजर चुकी थी। किसान लोग खी ब्रोने की तैयारी में खेतों को ठीक कर रहे थे। धान की फसल अभी तैयार न हुई थी। खेतों में ही खड़ी थी। मगर बरसात का पानी रास्तों से ग्रामतौर से सूख चुका था। जहाँ तक अन्दाज है कार्तिक महीने की पूर्णमासी अभी बीती न थी। ठीक उसी समय पटना जिले के बाढ़ सब-डिविजन के हमारे एक किसान-नेता ने मेरे दौरे का प्रोग्राम तय किया। और मीटिंगों के अलावे उनने एक ही दिन दो मीटिंगों का प्रबन्ध किया। एक फतुहा थाने के उसफा गाँव में और दूसरी हिलसा थाने में हिलसा में ही। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि देहात की मीटिंग के साथ दूसरी मीटिंग भी हो यह शायद ही सोचा जा सकता है जब तक कि मोटर का रास्ता न हो। लेकिन उनने न माना।

जब मीटिंग के दिन हम फतुहा स्टेशन पर आये तो मैंने उसफा के बारे में बार-बार पूछा कि कितनी दूर है, रास्ता कैसा है, आदि आदि। उत्तर मिला कि बहुत दूर तक तो डमटम जायगा। फिर नदी के बाढ़ तीन-चार

मीन हाथी से जाना होगा। मगर मेरे दिल ने यह बात नहीं कबूल की। खूबी तो यह थी कि मीटिंग के बाद हाथी से ही ४-५ मील चलके लाइट रेलवे की गाड़ी पकड़ना और शाम तक हिलसा भी पहुँचना जरूरी था। मैंने उनसे साफ कहा कि यह बात गैर मुमकिन है। मुझे जो देहातों का अनुभव है उसके बल पर मैंने उन्हें साथ चलने से रोका और हिलसा जाने को कहा। उनसे यह भी साफ कह दिया कि हिलसा आने की मेरी उम्मीद छोड़ के आप खुद मीटिंग कर लेंगे। हाँ, अगर मुमकिन हुआ तो मैं भी आ जाऊँगा। मगर मेरी इन्तजार में आप कहीं बैठे ही न रह जायँ। इसी समझौते के अनुसार मैं टमटम पर बैठ के एक कार्यकर्ता के साथ उसफा की ओर चला, इस आशा से कि जहाँ हाथी खड़ा रहने का इन्तजाम है वहाँ तक जल्दी पहुँच जाऊँ।

मगर गैर जवाबदेही का एक नमूना फतुहा में ही मिला, जब हमारा टमटम सदर सड़क छोड़ के गली से चलने लगा। कुछ देर के बाद गली बन्द थी और उसकी मरम्मत के लिये पत्थर की गिट्टियाँ पड़ी थीं। बड़ी दिक्कत हुई। टमटम जाने की उमीद न थी। बहुत ही परीशानी के बाद जैसे-तैसे टमटम पार किया गया। वह परीशानी हमीं जानते हैं। फिर टमटम बढ़ा कुछ दूर—कुछ ज्यादा दूर—जाने के बाद साइकिल से दौड़ा हुआ एक आदमी हमारे पीछे आता था और हमें पुकारता था। मगर देर तक हम उसकी आवाज सुन न सके और बढ़ते गये। जब वह नजदीक आ गया तो उसकी पुकार हमने सुनी। उसने कहा कि हाथी तो स्टेशन पर आ गया है, आप वहीं लौट चलो। हम घबराये और सोचा कि यह दूसरा संकट आया। लौटेंगे तो फिर उसी गली में टमटम निकालने की बला आयेगी। इसलिये साइकिल वाले से कह दिया कि जाओ और हाथी वहीं भेजो जहाँ पहले भेजने का तय पाया था। क्योंकि तुम भी तो कहते ही हो कि भूल से हाथीवान उसे स्टेशन ले गया है। इस पर वह बेचारा लौट गया। हम आगे बढ़े। मगर कूछी दूर और चलके टमटम वाले ने कह दिया कि “बस, बाबू जी, अब आगे टमटम जा न सकेगा।

यहीं तक की बात तय पाई थी ।”

हम लोग उतर पड़े और पैदल चल पड़े । कुछ दूर चलने के बाद मालूम हुआ कि इधर नदी-वदी कोई है नहीं । उसफा का रास्ता आगे से खेतों से होके जायगा, यह कच्ची सड़क छूट जायगी । हम लोग कुछ दूर और चल के घान के खेतों के बीच एक पीपल के नीचे जा ठहरे । वहीं इन्तजार करने लगे कि हाथी आये तो चलें । पेड़ की छाया में कुछ लेटे भी । मगर चैन नहीं । मीटिंग में पहुँचने की फिक्र जो थी । इसीलिये रह रह के हाथी का रास्ता देखते । कभी खड़े होते, कभी बैठ जाते । देखते देखते एक घंटा बीता, दो बीते । मगर हाथी लापता ही रहा । ताकते ताकते आँखें पथरा गईं । हम परीशान हो गये । मगर फिर भी हाथी नदारद ! इधर दिन के दस-न्यारह बज भी रहे थे । हमने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि हाथी की इन्तजार में बैठे बैठे उसफा की भी मीटिंग चौपट हो । हिलसा जाने का तो अब सवाल ही नहीं । हमारे सामने यह तीसरी दिक्कत आई । मगर हमने तय किया कि पैदल ही आगे बढ़ना होगा । रास्ता भी तो देखा था नहीं । फिर भी हिम्मत की कि पूछते-पाछते चले जायेंगे । हमने पहले से ही होशियारी की थी कि साथ में कोई सामान नहीं लिया था । नहीं तो वहीं बैठे रह जाते । उसफा जाना तो दूर रहा । फतुहा लौटना भी दूभर हो जाता । सामान कौन ले चलता ? उस घोर देहात में कुली कहाँ मिलता ? मुझे तो ऐसे मौके कई पड़े थे । इसीलिये तैयार होके आया था कि पैदल भी चलूँगा यदि जरूरत होगी । फिर सामान साथ लाता क्यों कर ?

हाँ, तो हम चल पड़े । रास्ते की बात पूछिये मत । केवाल की काली मिट्टी सूखी थी । वह पाँवों को कतरे जाती थी । जूता पहनने में दिक्कत यह थी कि रह रह के कीचड़-पानी पार करना पड़ता था । इसलिये जूता महाराज हाथों की ही शोभा बढ़ा रहे थे । कभी कभी पाँवों में भी जा पहुँचते थे । रास्ता भी कोई बना बनाया था नहीं । कहीं खेत और कहीं दो खेतों की मेंड़ (आर) से ही चलना पड़ता था । पूछने पर लोगों ने यही बताया कि फलाँ कोने में उसफा है । अब, वही दिशा देख के चल रहे

थे । फिर भी काफी भटके । दूर दूर तक कहीं गाँव नजर आते न थे कि किसी से रास्ता पूछें । सूनी जगह में पेड़ भी थे नहीं कि रामचन्द्र की तरह सीता का हाल उन्हीं से पूछते । पशु भी नदारद ही थे । यही हालत पक्षियों की थी । बहुत चलने पर कहीं कहीं एकाध हल चलाने वाले किसान मिलते तो उन्हीं से पूछ लेते कि उसफा का रास्ता कौन है ? फिर उसी श्रन्दाज से आगे बढ़ते । कातिक की धूप भी ऐसी तेज थी कि चमड़ा जला जाता था । प्यास भी लगी थी । मगर रास्ते में पानी पीना आसान न था । कहीं गाँव में कुआँ मिले तभी तो पिया जाय । मगर कुआँ की हालत यह थी कि उनमें मुँह तक पानी भरा था । ऐसी हालत में उनका पानी पीना बीमारी बुलाना था । इसलिये प्यासे बढ़ते जाते थे । रास्ते में एक दो गाँव भी मिले । वहाँ हमने उसफा की राह पूछ ली और बढ़ते गये ।

चार या छः मील की तो रात ही मत पूछिये । आठ नौ मील से कम हमें चलना न पड़ा । बराबर चलते ही रहे । फिर भी तीन घंटे से ज्यादा ही वक्त वहाँ पहुँचने में लगा । हम परीशान थे । मगर चारा भी दूसरा था नहीं । मीटिंग में तो पहुँचना ही था, चाहे जो हो जाय । अन्त में एक गाँव मिला । हमने समझा यही उसफा है । किन्तु हमारा खयाल गलत निकला । आगे बढ़े । पता चला कि आगे वाला उसफा है । मगर नदी नाले और पानी की बड़ के करते रास्ता चक्कर काटता था । अन्त में कुछ लोग मिले जो सभा में जा रहे थे । तब हमें दिग्मत हुई कि अब नजदीक आ गये । अन्त में बाजे-गाजे वालों को भीड़ मिली । ये लोग स्वागतार्थ जमा थे । हमें इनके भोले-भाले पन पर दया आई । हम पहुँचने भी या नहीं इसका खयाल तो इनने किया नहीं और स्वागतार्थ बाजे-गाजे के साथ जम गये । हमने समझा कि अब सभा-स्थान पास में ही होगा । मगर सो रात तो थी नहीं । अभी नीली चलना था । बहुत देर के बाद गाँव में पहुँचे तो सारे गाँव में जुलूस घूमता फिरा । हमें क्या मालूम कि जुलूस घुमाया जा रहा है ? गाँव भी शैतान की आंत की तरह लम्बा है ।

हम तो प्यासे मरे जा रहे थे और लोगों को जुलूस की पट्टी थी। पर, किया क्या जाय ? देहात के लोग तो सीधे होते हैं। वे अगर सारी बातें समझ जाँय तो फिर जमींदारी कैसे रहने पायेगी ? महाजनों की लूट चालू क्योंकर रहेगी ? उनकी नासमझी और उनका भोलापन यही तो लूटने वालों की—शोषकों की—पूँजी है, यही उनका हथियार है।

जैसे-तैसे जुलूस का काम पूरा हुआ और हम लोग गाँव से बाहर बाग में पहुँचे जहाँ सभा का प्रबन्ध था। मगर मेरा तो गला सूख रहा था। इसलिये कुएँ से पानी मँगवा के भरपूर स्नान किया तब कहीं कुछ ठडक आई। फिर पानी पिया। जरा लेटा। इतने में लोग भी जमा होते रहे। मुझे पता चला कि वहाँ शायद ही कोई पहुँच पाता है। बरसात में फतुहा से लेकर वहाँ तक केवल जलमय रहता है। जाड़े में भी आना गैरमुमकिन ही है। हाँ, गर्मों में शायद ही कोई आ जाते हैं। आमतौर से यही होता है कि मीटिंगों की नोटिसें बँट जाती हैं, लोग जमा भी होई जाते हैं। मगर नेता लोग ही नहीं पहुँच पाते। फलतः लोग निराश लौटते हैं। इस बात की आदत सी वहाँ के लोगों में हो गई है। मोटर वगैरह का आना तो असंभव है। बैलगाड़ी की भी यही हालत है। हाथी या घोड़े से आ सकते हैं। नहीं तो पैदल। मगर नेता और पैदल ? मेरे बारे में भी लोग समझते थे कि शायद ही पहुँचूँ। इसीलिये मरता-जीता, थका-प्यासा जब मैं पहुँच गया तो लोगों को ताज्जुब हुआ।

यों तो उसफा में मिडिल स्कूल है। लाइब्रेरी भी है। फुटबाल वगैरह की खेल भी होती है। कांग्रेस की लड़ाई में वहाँ के कुछ लोग कई बार जेल भी गये हैं। फिर भी वह समूचा इलाका ही पिछड़ा हुआ है। सभाएँ शायद ही होती हैं। छोटे मोटे जमींदार, जो उस इलाके में हैं, खून जुल्म करते हैं। पुलिस का भी वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। इसलिये जालिम लोग स्वच्छन्द विचरते हैं। लगातार कई साल के बीच मेरी वही एक मीटिंग थी जहाँ पुलिस पहुँच न सकी, सी० आई० डी० रिपोर्टों का पहुँचना तो और असंभव था। वे लोग हिलसा की मीटिंग में चले

गये । यह भी एक अजीब बात थी । तमाशां तो यह हुआ कि मुझे लेने के लिये भेजा गया हाथी मीटिंग खत्म होते न होते वहाँ लौटा ।

समापति उस सभा में बनाये गये इलाके एक छोटे से जमींदार । मुझे यह बात पीछे मालूम हुई । नहीं तो शायद ही ऐसा होने पाता । मगर मैंने लेखक जो दिया वह तो जमींदारी-प्रथा और जमींदारों के जुल्मों के खिलाफ ही था । फिर भी न जानें सभापति जी कैसे पट्टर का कलेजा बनाके सुनते रहे । मुझे उनके चेहरे से मालूम ही न पड़ा कि वे मेरे भाषण से घबरा रहे हैं । यदि घबराते भी तो मुझे पर्वा क्या थी ? मैं तो अपना काम करता ही । मैंने यह जरूर देखा कि लोग मरत होके मेरी एक एक बातें सुनते थे । मालूम पड़ता था, उन्हें पीते जाते हैं । उनका चेहरा खिलता जाता था, ज्यों ज्यों सुनते जाते थे । मुझे यह भी पता चला कि उसफा के किसान जमींदारों के जुल्मों के खिलाफ लड़ने में जरा भी नहीं हिचकते । औरों की तरह पुलिस से भी वे भयभीत नहीं होते । यदि पुलिस जमींदारों या महाजनों का पक्ष अन्यायपूर्वक ले, तो उससे भी उनकी दो दो हाथ हो जाती है । भविष्य के खयाल से यह सुन्दर बात है । एक के लिये मर मिटने की लगन के बिना किसानों के निरतार का दूसरा रास्ता हई नहीं ।

हाँ, सभा के अन्त में एक मजेदार घटना हो गई । कुछ नौजवान लोग स्कूलों या कार्लिजों के पढ़ने वाले से प्रतीत हुए । उनमें यह कहा कि बिना स्वराज्य मिले ही यह आप जमींदार-किसान कलह क्यों लगा रहे हैं ? थे वे जमींदारों के ही लड़के । मगर चालाकी से उनमें आजादी की दर्लाल की शरण ली और काग्रेसी बन बैठे । मैंने उत्तर दिया कि नगाड़े के लगाने की क्या बात ? यह तो पहले से मौजूद ही है । अगर आपकी जायदाद कोई लूटने लगे तो क्या स्वराज्य की फिर मैं उससे लपट न पड़िदेगा ? क्योंकि सगढ़ने पर तो आपकी ही दर्लाल से स्वराज्य की प्राप्ति में बाधा होगी । हम तो किसानों को नहीं बताते हैं कि जो स्वराज्य उन्हें लाना है वह कैसा होगा, क्योंकि जमींदारों और किसानों का स्वराज्य एक न होगा—

अलग अलग होगा। जो एक का स्वराज्य होगा, वह दूसरे के लिये बला-बन जायगा।

वे फिर बोले कि आप तो मिस्टर जिन्ना की सी बात कर रहे हैं। जैसे वह स्वराज्य मिलने के पहले उसका बँटवारा कर रहे हैं आप भी वैसा ही कर रहे हैं। इस पर मैंने उन्हें बताया कि आप मेरी स्थिति को ठीक समझी न सके। मैं तो किसानों को सिर्फ यही बताता हूँ कि सजग होके स्वराज्य के लिये लड़ो ताकि वह उनका स्वराज्य हो, न कि जमींदारों और सूदखोरों का। मगर वह लड़ें जरूर। जमींदार वगैरह न भी लड़ें, तो भी वे अकेले ही लड़ें। अगर वे लोग भी लड़ें तो साथ मिलके ही लड़ें। मगर चौकन्ने रहें ताकि मोके पर जमींदार लोग उन्हें चकमा देके स्वराज्य को सोलहों आने हथिया न लें। लेकिन मिस्टर जिन्ना तो मुसलमानों को लड़ने से ही रोकते हैं। वे तो नौकरियों और असेम्बली की सीटों का बँटवारा चाहते हैं। उसके लिये हिन्दुओं से मिलके लड़ना नहीं चाहते। बल्कि चार-चार मुसलमानों को लड़ने से रोकते हैं। फिर मेरी उनके साथ तुलना कैसी? क्या कोई कह सकता है कि मैंने, किसान-सभा ने या किसानों ने कांग्रेस की लड़ाई में साथ नहीं दिया है? क्या मैंने कभी किसानों को रोका है?

इसके बाद वे लोग चुप हो गये। मगर किसानों ने सभी बातें समझ लीं। मैंने उनसे पूछा दिया कि तुम्हारे गाँव के जमींदार जो नवाब साहब हैं उनके स्वराज्य के लिये लड़ेंगे या अपने स्वराज्य के लिये। उनने एक स्वर से मुना दिया कि अपने स्वराज्य के लिये! तब मैंने कहा कि ये सवाल करने वाले तो नवाब साहब का ही स्वराज्य चाहते हैं, गोकि साफ साफ बोलते नहीं। मगर गोलमोल स्वराज्य का तो यही मतलब ही है। इन्हें डर है कि गोलमोल न कह के अगर स्वराज्य का स्वरूप बनाने लगेंगे तो किसान हिचक जायँगे। जिस स्वराज्य में जमीन के मालिक किसान न हों, अपनी कमाई को पहले स्वयं सपरिवार भोगें नहीं, उन्हें काफी जमीन मिले नहीं, सूदखोरों से उनका पिंड छूटे नहीं, जमींदारों के जुर्म से उनका

पल्ला छूटे नहीं और भूखों मर के भी लगान, कर्ज वगैरह चुकाना ही पड़े वह उनका स्वराज्य कैसा ? और अगर यह बातें न हों तो फिर जमींदार मालदारों का स्वराज्य कैसा ? इसीलिये कहता हूँ कि किसान और जमींदार मालदार का स्वराज्य एक हो नहीं सकता। इस पर जय-जयकार के साथ सभा विसर्जित हुई। सभी अपने-अपने गाँव घर गये।

अब सवाल आया वापिस जाने और फतुहा में ठीक समय पर गाड़ी पकड़ने का। क्योंकि प्रायः शाम हो चली थी। हिलसा पहुँचने का तो प्रश्न ही न था। खतरा यह था कि फतुहा में भी विहटा जाने वाली ट्रेन मिल सकेगी नहीं। यदि तेज सवारी मिलती तो मुमकिन था उसका मिलना। इसलिये मैंने इस बात पर जोर दिया कि अच्छी सवारी जल्द लाई जाय। मैंने सभा के पहले भी वहाँ पहुँचते हो कह दिया था कि सवारी का इन्तजाम ठीक रहे। आने में जो हुआ सो तो हुआ ही, जाने का तो ठीक रहे। नहीं तो कल का प्रोग्राम भी चौपट होगा। दिलका तो रही गया। लोगों ने हाँ हाँ कर दिया और सब ठीक है सुनाया। लेकिन मुझे तो शक था ही। क्योंकि “शुब ठीक है” वाला जवाब जो फौरन मिल जाता है, बड़ा ही खतरनाक होता है। ऐसा मेरा अनुभव है सैकड़ों जगहों का। फिर भी करता ही आखिर क्या ? इसलिये मीटिंग खत्म होते ही सवारी की चिल्लाहट मैंने मचाई। जवाब मिला, आ रही है। कुछ देर बाद फिर पूछा, तो वही ‘आ रही है’ का उत्तर मिला। कई बार यही सुनते सुनते ऊब गया। आने के समय की पस्ती होने के कारण ही सवारी के लिये परीशानी थी। नहीं तो पैदल ही चल पड़ता। मगर जब देखा कि कुछ होता जाता नहीं, तो आखिर चल देना ही पड़ा पैदल ही। लोग रोकने लगे कि रुकिये, सवारी आती है। मगर मुझे अब यकीन न रहा। अतः खाना हो गया। पीछे देखा कि वही पुराना हाथी चीटी की चाल से चला आ रहा है। मुझे रंज तो बहुत हुआ कि ये लोग घोखा देते हैं। भला इस मुर्दा सवारी से फतुहा कब पहुँचेंगा। ऐसी गैर जवाबदेही ! इसके पीछे से लोग पुकारते जाते थे कि मैं रुकूँ। मगर मैं चढ़ता ही चला जाता

था । सवारी की यह आखिरी दिक्कत ऐन मौके पर बहुत ही अखरी । किन्तु लाचार था । एक दो मील चला गया । शाम हो रही थी । दूध भी न पी सका था । अतएव आगे के गाँव वालों ने रोका । वे भी सभा में गये थे । एक वैष्णव ब्राह्मण ने बाहर ही कुएँ पर कम्बल डाल के मुझे बिठाया और फौरन ही गाय का दूध दुहवा के मुझे पीने को दिया । इतने में कुछ देर हो गई और बूढ़ा हाथी भी आ पहुँचा । मैं उस पर चढ़ने में हिचकता था । इसके लिये तैयार न था । मगर लोगों ने हठ किया । रात का समय और अनजान रास्ता । कीचड़ पानी से होके गुजरना, सो भी आठ दस मील । टेढ़ी समस्या थी । दिन रहता तो पैदल ही चल देता खामखाह । मगर अन्धेरी रात जो थी । इसलिये मजबूरन हाथी पर बैठना ही पड़ा । एक लालटेन भी आई रास्ता दिखाने के लिये, मगर वह ऐसी मनहूस थी कि रोशनी मालूम ही न होती थी । फिर भी दूसरी थी नहीं । इसलिये वही साथ ली गई । लेकिन वह फौरन ही बुझ गई । अतएव पुकार के उसके मालिक के हवाले उसे हमने कर दिया और अन्धेरे में ही अन्दाज से चल पड़े । आखिर करते ही क्या ! हाथी एक तो बूढ़ा और कमजोर था । दूसरे थका भी था हमारी ही तरह । क्योंकि अभी अभी स्टेशन से वापिस आया था । तीसरे भूखा था । भलेमानसों ने उसके खाने का कोई प्रबन्ध किया ही नहीं और मेरे साथ उसे फिर चला दिया । यह अजीब बात थी । और अगर रात न होती तो वह भूखों ही मरता । एक कदम बढ़ता भी नहीं, लेकिन रात होने से उसका काम चालू था । हाथी तो रास्ते के खेतों में खड़ी फसल को नोचता-खाता ही चलता है । यही तो उसकी गुजर है । दिन में खेतवाले सजग रहते और चिन्ताते हैं, तूफान करते हैं । इसलिये फीलवान हाथी को रोकता-डाँडता चलता है जिससे उसका घात शायद ही लगता है । मगर रात में तो यह खतरा था नहीं । इसलिये हाथी का स्वराज्य था । धान के हरे हरे खेत खड़े थे । उन्हीं से होके हम गुजर रहे थे । हाथी खाता चलता था । किसानों की फसल की इस तरह तबाही हमें खलती जरूर थी । इसीलिये आमतौर से हम हाथी पर चढ़ते नहीं । मगर

हाथी की भूख को देख के हम भी मजबूर थे और हाथीवान से उसे रोकने की बात कहने की हिम्मत हमें न थी ।

इस प्रकार चलते चलाते एक नदी के किनारे चलने लगे । मालूम हुआ कि यह आम रास्ता फतुहा जाने का है । अब हमें यकीन हुआ कि रास्ता भूले नहीं हैं । ठीक ही जा रहे हैं । कुछ दूर यों ही चलते रहे फिर वह नदी हमें छोड़ के जाने कहाँ भाग निकली । नदियों की तो चाल ही टेढ़ी-मेढ़ी होती है । फिर उनकी किससे पटे ! जो बैसी ही चाल के आभ्यासी हों वही उनके साथ निभ सकते हैं । हमें तो जल्दी थी फतुहा पचहुँने की । घड़ी पास ही थी । रह रहे वक्त देखते जाते थे । अब हमें डर हो गया कि ट्रेन पकड़ न सकेंगे । क्योंकि अन्दाजा था कि फतुहा अभी दूर है । इतने में ही ट्रेन की रोशनी नजर आई । हमने देखा कि पूरव से पच्छिम धक्-धक्-चक्रमक करती रेलगाड़ी चली जा रही है । उसे हमारी क्या पर्वा थी । अगर उसके भीतर दिल नाम की कोई चीज होती और हमारा पता उसे होता तो शायद हमारे भीतर मचने वाले महाभारत को वह महसूस कर पाती । फिर भी हमारे लिये रुकती थोड़े ही । जो लोग समय के पात्रन्द हैं और उसकी पुकार सुनते हैं वह किसी की पर्वा न करके आगे बढ़ चलते हैं, बढ़ते ही जाते हैं । यही खयाल उस समय हमारे माथे में घूम गया । अपनी विफलता में भी इतनी सफलता, यह शिद्दा हमें मिली । हमने इसी से सन्तोष किया ।

हाथी चलता रहा । इतने में लाइट रेलवे की ट्रेन भी दक्षिण से आई और चली गई । हम टुक-टुक देखते ही रह गये । आखिर चलते चलाते हम भी फतुहा के नजदीक पहुँचे । जब हम पक्की सड़क पर आये तो हमें दो साल पहले की एक घटना याद आई । हमें ऐसा लगा कि फतुहा के पास हमें बराबर दिक्कतें होती हैं, खासकर दिलवा के प्रोग्राम में । दो साल पहले भी ऐसा ही हुआ था कि दिलवा में मीटिंग करके हम लोग टमटम से ही फतुहा चले थे ट्रेन पकड़ने । ट्रेन तो हमें मिली थी । मगर पास में पहुँचने पर उसी पक्की सड़क पर मरते मरते दबे थे । बाव यों हुई

कि रात हो गई थी और जिस टमटम से हम लोग आ रहे थे वह था हिलसा का ही। ज्यों ही वह उस स्थान पर पहुँचा जहाँ एक पुल है और दो सड़कें मिलती हैं त्यों ही एक बैलगाड़ी आगे मिली। टमटम वाले ने चाहा कि टमटम को बगल से निकाल दें। मगर उसके ऐसा करते ही घोड़ा पटरी के नीचे उतर गया और आँधे मुँह गिर पड़ा। असल में वहाँ सड़क के बगल में बहुत गहराई है। अगर टमटम उलटता तो हममें एक की भी जान न बच पाती। सभी खत्म हो जाते। मगर घोड़े के गिर जाने पर भी टमटम कैसे रुक गया यह अजीब बात है। हमारे साथी नीचे गिर पड़े। टमटम लटक के ही रह गया। उलटा नहीं। मगर मैं उसी पर बैठा ही रह गया। मेरे सिवाय सबों को चोट भी थोड़ी बहुत आई। घोड़ा तो मरी जाता अगर झटपट हम लोग टमटम से अलग उसे न कर देंते और उठा न देते। खैर, वह उठाया गया और जैसे जैसे स्टेशन के नजदीक पहुँचा। उस दिन की घटना हमें कभी नहीं भूलती। ऐसी ही घटनायें किसान-सभा के दौरे में दो एक बार और भी हुई हैं। मगर इस बार की थी सबसे भयानक। हम तो बाल-बाल बचे। सो भी मुझे कुछ भी न हुआ। वही घटना हमें उस दिन स्टेशन पर फिर याद आ गई कि हम उसी मनहूस स्थान पर पहुँच गये।

हाथी वहाँ से आगे बढ़ा और हम स्टेशन के दक्षिण रेलवे लाइन की गुमटी पर ही हाथी से उतर पड़े। हमें ऐसा मालूम हुआ कि किसी वीरान से आ रहे हैं जहाँ न रास्ता हो और न कोई सवारी शिकारी। गाड़ी तो कभी की छूट चुकी थी। अब हमें उसकी फिक्र न थी। बल्कि इस बात की खुशी थी कि खैरियत से हम इस भयंकर यात्रा से लौट के स्टेशन तो पहुँचे। असल में एक चिन्ता के रहते ही अगर उससे भी खतरनाक बात सामने आ जाय तो चिन्ता खुद काफूर हो जाती है और नया खतरा आँखों के सामने नाचने लगता है। हमारी यही हालत हो गई थी। हम स्टेशन पहुँचेंगे या नहीं, पहुँचेंगे भी तो कब और किस सूरत में, हाथ पाँव टूटे होंगे, या खैरियत से होंगे, आदि बातें हमारे दिमाग में भर रही थीं। हमें

फिर यही थी कि किसी छूत से स्टेशन पर सकुशल पहुँच जायें। यही वजह है कि पहुँच जाने पर हमारी खुशी का ठिकाना न रहा।

स्टेशन पर जाने के बाद दिक्कत हुई सोने की। सोने का सामान तो पास था नहीं। वह तो ट्रेन से चला गया था। यहाँ तक कि हाथ पवि धोने के लिये पानी लाने का लोटा भी नहीं था। इसलिये वेटिंग रूम में चुपके से अन्वेषण में ही जा पड़े। मगर थोड़ी देर बाद स्थानीय कवीर-पंथी मठ के कुछ विद्यार्थी हमें ढूँढ़ते आये। वे महन्त के जुल्म से ऊबे थे और हमारी प्रतीक्षा में थे। ट्रेन के समय खोज के लौट गये थे। वे फिर आये और हमें अपनी जगह लिवा ले गये। उस समय हम उनकी कुछ खास मदद कर न सके। फिर भी रास्ता बता दिया। सुबह की ट्रेन से इस निहटा चले गये।

किसान-सभा की स्मृतियाँ हैं तो इतनी कि पोथे लिखे जा सकते हैं। यह भी नहीं कि केवल कहानियों जैसी हैं। हरेक स्मृति मजेदार है। घटनाओं से पता चलता है कि किन किन संकटों को, कब कब, कैसे पार करके सभा की नींव मजबूत की गई है। कई बार तीन तीन, चार चार मील लगातार दौड़ते रहके ही किसी प्रकार सभा-स्थान में पहुँच सका, जैसा कि एक बार पटना जिले के दान्तपुर इलाके मगर पाल दियारे की रामपुर वाली सभा में हुआ था। सवारी का प्रबन्ध वे लोग न कर सके और जब देर से हम शेरपुर पहुँचे तो शाम हो चली थी। यदि कसके चार मील दौड़ते नहीं तो लोग निराश होके चले जाते।

इसी प्रकार एक बार खटांगी में, गया जिले में, सभा करनी थी। गया से मोटर से चले। पानी पड़ चुका था। सड़क पर नई मिट्टी पड़ी थी—कच्ची सड़क नई नई बनी थी। मोटर धँस जाती थी। छे मील में छे घंटे लग गये। रात हो गई। अन्त में मोटर छोड़ के कई मील पैदल रात में ही अन्दाज से गये। तब तक सभा से लोग चले गये थे। मगर चारों ओर पुकारते हुए लोग दौड़े और मीटिंग की तैयारी में लगे। नतीजा यह हुआ कि रास्ते से ही लोग लौट पड़े। देर से तो खटांगी से लोग चले ही थे। इसीलिये रास्ते में ही थे। सभा भी दस ग्यारह बजे रात में जम के हुई और खूब हुई।

सबसे मजेदार बात तो मझियावाँ बकाशत संघर्ष के वक्त हुई। मझियावाँ खटांगी से उत्तर दो तीन मील है। दोपहर को टेकारी पहुँचे थे। वहाँ से मझियावाँ चौदह मील है। बरसात का दिन, कच्ची सड़क, सवारी आने में देर। बस, पैदल ही चल पड़े। छे-सात मील चल चुकने पर सवारी मिली। बड़ी दिकत से अन्धेरा होते होते मझियावाँ पहुँचे। संघर्ष

चालू था । चटपट लोगों को जमा किया । मीटिंग की, और सबों को समझाके चल पड़े । आधी रात को गया में गाड़ी पकड़नी थी । अगले दिन का प्रोग्राम फेल न हो इसीलिये ऐसा करना पड़ा । सवारी उतनी जल्दी कहीं मिलती ? पैदल ही चल पड़े । वह मामूली रास्ता नहीं है । केवाल की मिट्टी थी । पानी खूब पड़ा था । रात का वक्त था । ट्रेन पकड़ने की फिर थी । साथ में कुछ लोग थे । यही अञ्छा था । एक टट्टू भी साथ कर दिया गया । ताकि थकने पर उस पर चढ़ लूँ । मेरी तो आदत टट्टू पर चढ़ने की नहीं । जब एक वार चढ़ा तो थोड़ी देर बाद मारे तकलीफ के उतर पड़ा । एक बजे के करीब जैसे तैसे टिकारी पहुँचा । मोटर खड़ी थी । चढ़के मोटर दौड़ाई । ट्रेन खुलते न खुलते दो बजे के करीब गया पहुँच के गाड़ी पकड़ी और पटना आया । खुशी इस बात से हुई कि इस परी-शानी ने काम किया और मन्कियावाँ के किसानों ने—मदों से ज्यादा औरतों ने—लड़के अमावाँ राज्य को अपनी माँगें स्वीकार करने को मजबूर किया । लाखों रुपये बकाया लगान के छूट गये और छत्ते लगान पर नीलाम जमीन वापिस मिली । मन्कियावाँ श्री यदुनन्दन शर्मा की जन्म-भूमि है ।

लेकिन जितनी स्मृतियाँ अब तक लिपिबद्ध की जा चुकी हैं, उनसे हमारे आन्दोलन की प्रगति पर काफी प्रकाश पड़ता है और जानने वालों को मालूम हो जाता है कि यह किसान-सभा किस ढंग से बनी है । आसाम, बंगाल, पंजाब और खानदेश आदि की यात्राओं से इन्हीं बातों पर प्रकाश पड़ता है । उनका वर्णन स्थानान्तर में है भी । इसीलिये यहाँ लिखना आवश्यक समझा नहीं गया है । बिना खास जरूरत के पुनर्बक्ति ठीक नहीं । इसीलिये चलते चलाते एक नजेदार और महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करके इसे समाप्त करना चाहता हूँ । वह घटना बहुत पुरानी नहीं है । बल्कि यूरोपीय युद्ध छिड़ जाने के बाद की है । अब तक मेरे माग मिल के जिन लोगों ने? किसान-सभा और किसान-आन्दोलन के चलावों की खास तौर से विशार में और दूसरी जगह भी जिम्मेदार ली थी उनकी

मनोवृत्ति पर इस घटना से काफ़ी प्रकाश पड़ता है। किसान-आन्दोलन को आगे ठीक रास्ते पर चलाने वालों के लिये इस बात का जान लेना निहायत ही जरूरी है। नहीं तो वे लोग धोखे में पड़ सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं। असल में मुझे खुद इन बातों को समझने में कम से कम आधे दर्जन साल लग गये हैं। तब कहीं इन्हें बखूबी समझ पाया हूँ। इसीलिये दूसरों के सामने इन्हें रख देना मुनासिब समझता हूँ। ताकि उन्हें भी आधे या एक दर्जन साल इनकी जानकारी के लिये गुजारने न पड़े। यह पहले ही कह देना चाहता हूँ कि किसी का नाम न लूँगा। मुझे यह बात लाभकारी नहीं जँचती है।

जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने अपनी अहिंसा का जामा उतार फेंका और गांधी जी को सलाम करके यह फैसला सन् १९४० के मध्य में कर लिया कि यदि अंग्रेजी सरकार भारत में भी राष्ट्रीय सरकार (National Government) बना दे और यह घोषित कर दे कि भारत को पूर्ण आजादी का हक है तो कांग्रेस इस यूरोपीय लड़ाई की सफलता के लिये मदद करेगी। गोकि प्रस्ताव के शब्द कुछ गोल-मटोल और वकालती थे। फिर भी राष्ट्रपति और दूसरे जिम्मेदार नेताओं के वक्तव्यों से उनका आशय यही निकला। ठीक उस समय जेल में हमारे साथ ही रहने वाले कुछ सोशलिस्ट नेताओं को एक नई पार्टी बनाने की सूझी। इसके लिये उनने लम्बी चौड़ी दलीलें दीं और उनके आधार पर एक कार्य-पद्धति भी तैयार की। उनने यह भी साफ साफ स्वीकार किया कि अब कांग्रेस एक प्रकार से खत्म हो गई। अब वह आजादी के लिये नहीं लड़ेगी। वह हमारे काम की अब रह नहीं गई। गो सरकार ने फिल-हाल वर्किंग कमेटी को माँग कबूल नहीं की जिससे वह दफना दी गई है। मगर किसी भी समय वह कत्र से खोद निकाली जाकर जिलाई जा सकती है। अब कमिसेनी नेता अंग्रेजी साम्राज्य शाही से गंठ जोड़ा करके उसी के हथियारों से उठती हुई जनता को दबाना चाहते हैं। क्योंकि अब उन्हें इस मुल्क की आम जनता (Masses) से भय होने लगा है। इसलिये

उनके साथ संयुक्त मोर्चे का सवाल अब रही नहीं गया ।

ऐसी हालत में अब हमें क्या करना चाहिये, इसके बारे में उनसे अपने निश्चित मत प्रकट किया कि अब हमें किसान-सभा को ही किसानों की राजनीतिक संस्था के रूप में संगठित करना होगा । इसी बात पर हमें पूरा जोर देना जरूरी है । साथ ही, मजदूरों के भी संगठन पर काफी जोर देंगे और समय पाके इन दोनों संस्थाओं को एक सूत्र में बाँधेंगे । इस तरह जो एक सम्मिलित संस्था बनेगी वही भारत की पूर्ण आजादी के लिये लड़ेगी और उसे लायेगी भी । इसलिये अब हम लोगों की सारी शक्ति उसी ओर लगानी चाहिये । इसीलिये उनसे यह भी निश्चय किया कि एकाध को छोड़ बाकी सभी वामपक्षी दलों का भी एक सम्मिलित दल बनना चाहिये । वही दल इस नये कार्य-क्रम को अच्छी तरह पूरा करने में सफल होगा । सब दलों के मिल जाने से हमारी ताकत बढ़ जायगी । उन्हें इस बात का विश्वास भी था कि एक को छोड़ सभी दल मिल जायेंगे ।

उनसे अपना यह मन्तव्य मुझसे भी प्रकट किया । मैंने भी उस पर पूरा गौर किया । लेकिन वामपक्षी कमिटी (Left consolidation committee) के इतिहास को देखकर मुझे विश्वास न था कि सबको मिलाके कोई ऐसा एक दल बन सकेगा । वामपक्षी कमिटी का जितना दर्दनाक और कटु अनुभव मुझे है उतना शायद ही किसी को होगा । मैंने उसके सिलसिले में वामपक्षियों की हरकतों से ऊब के कभी कभी रो तक दिया था । किसी का दिल उसमें लगता न था । मालूम होता था जवर्दस्ती फँसाये गये हैं । सभी भागना चाहते थे । यदि एक दल उसमें दिलचस्पी लेता तो दूसरा और भी दूर भागता था । अजीब हालत थी । पहले तो मुझे उसमें लोगों ने फँसा दिया । मगर पीछे पार्टियों के नेता इधर-उधर करने लगे । सभी भाग निकलने का मौका देखते थे । भला कैसा के भी कोई संयुक्त दल बन सकता है !

जब मुझसे उनसे राय पूछी, तो मैंने अपना पक्का जवाब यह दिया ।

मैंने कहा कि वामपक्षी दलों को एक दूसरे पर विश्वास हुई नहीं। और जब तक यह बात न हो मेल मुवाफिकत कैसी ? वह तो परस्पर विश्वास के आधार पर ही बन सकती और टिक सकती है। लेफ्टकंसोलिडेशन की बात मैंने उन्हें याद दिलाई और कहा कि मेरे जानते उसके विफल होने की वजह यही थी उस समय एक दल उसकी जरूरत समझता था तो दूसरा नहीं। अगर दोनों जरूरत समझी तो ब्राकियों ने नहीं। यही हालत आज है। आज आप लोग उसकी जरूरत समझते हैं सही। मगर दूसरे नहीं समझते। और जब तक सभी दल हम बात को महसूस न करेंगे कि एक पार्टी सबों को मिलाकर बनाये बिना गुजर नहीं, तब तक कुछ होने जाने का नहीं। तब तक आपकी यह नई पार्टी बनी नहीं सकती। मैंने यह भी कह दिया कि मैं तो अब किसी पार्टी में शामिल हो नहीं सकता। मैंने तो यही तय कर लिया है कि किसान-सभा के अलावे और किसी पार्टी-वार्टी से नाता न रखूँगा। मैं पार्टियों की हरकतें देखके ऊब सा गया हूँ। इसलिये मैं पार्टी से अलग ही अच्छा। मिहर्बानों करके मुझे बख्श दें। इसके बाद उस समय तो मुझ पर इसके लिये जोर न दिया गया और दूसरी दूसरी बातें होती रहीं। मगर पीछे जब एक बार कह्यों ने मिलाके फिर दबाव डालने की कोशिश की, तो मैंने धीरे से उत्तर दे दिया कि पहले और पार्टियाँ मिल लें तो देखा जायगा। अगर मैं अभी उस नई पार्टी में शामिल हो जाऊँ तो किसान-सभा की मजबूती में बाधा होगी। क्योंकि आप लोग पार्टी की ओर से मुझ पर दबाव डालेंगे ही कि जिम्मेदार जगहों पर उसी पार्टी के आदमी किसान-सभा में रखे जायें, और पार्टी-मेम्बर की हैसियत से मुझे यह मानना ही पड़ेगा। नतीजा यह होगा कि दूसरी पार्टियों के अच्छे से अच्छे कार्यकर्ताओं के साथ मैं न्याय न कर सकूँगा और वे ऊब के हमारी सभा से खामखाह हट जायेंगे। फिर सभा मजबूत हो कैसे सकेगी ? इसलिये मैं इस-सम्मले में नहीं पड़ता।

मगर इस आखिरी बात के पहले ही कुछ और भी बातें हुईं। नई पार्टी के बारे में उनके दो महत्वपूर्ण निश्चय थे और वे थे भी कुछ ऐसे कि

मैं घबराया । मुझे पता चला कि उनके वे दोनों ही निश्चय अटल से हैं । इसीलिये मुझे ज्यादा घबराहट हुई । फिर भी उन पर मैंने इसे प्रकट न किया । मैं भी चाहता था कि जरा उनके हृदय को ट्योल देखूँ । उन दोनों में एक बात यह थी कि बहुत ही विश्वासपूर्वक तीन ही महीने के भीतर वे कम से कम पच्चीस हजार पक्के क्रांतिकारियों का सुसंगठित दल तैयार करने का संसूत्रा बाँध चुके थे । उनकी बातों से साफ मलकता था कि यह कोई बड़ी बात न थी । इस बारे में उनने श्रीरों को कितनी ही दलीलें दी थीं । वह इस मामले में इतने विश्वस्त श्रीर निश्चिन्त मालूम पड़ते थे कि मुझे आश्चर्य होता था ।

इसीलिये मैंने उससे दलीलें शुरू कीं । कहा कि मैं तो जिन्दगी में अभी पहली ही बार सुनता हूँ कि तीन ही महीने में अक्वल टर्जें के क्रांतिकारियों की पच्चीस हजार की संख्या में तैयारी आसानी से की जा सकती है ? क्या आप इतिहास में ऐसी एक भां मिसाल पेश कर सकते हैं ? कांग्रेस के चवनियाँ मेम्बर भी अगर हम किसानों और मजदूरों के भीतर बनाने लगें तो तीन महीने में पच्चीस हजार सदस्य बनाना आसान न होगा । मगर उसी मुद्दत में उन्हें संगठित भी कर देना जिनसे जवाबदेही का कोई काम कर सकें, यह असम्भव सी बात है । क्रांतिकारियों का संगठन और भेड़ बकरियों का जमावड़ा क्या दोनों एक ही बातें हैं । मुझे तो हैरत मालूम पड़ती है । किसी भी क्रांतिकारी पार्टी में आने के लिये दरसों परीक्षा करना ही चाहिये । तभी हम मेम्बरों की असलियत और उनकी कमजोरियाँ समझ सकते हैं, उन्हें हमें दरसों सख्ती से जाँचना होगा । तब कहीं कुछी लोग खरे उतर सकते हैं । यह कोई खोगीर की भर्त्ता तो है नहीं कि जिसे ही पाया भर्त्ता कर लिया ।

उनसे दलीलें करने के साथ ही मेरे दिल में यह खौफ पैदा हो गया कि क्रांति और रेवोल्यूशन के नाम पर यह एक निरापन्न ही स्वरनाक पार्टी बनेगी अगर उसके मेम्बर इसी ढंग से बनाये गये । मजदूर वर्ग और काम-धाम से खाली लोगों में जोई बहुत ऊँचे मनोरथ रखता होगा,

जिसे ही लीडरी का नशा होगा, जोई देश-सेवा और क्रांति के नाम पर न सिर्फ अपनी पूजा करवाना चाहेगा, बल्कि मौज उड़ाने की फिर रखेगा, जोई लम्बी लम्बी बातें हाँक के लोगों को धोखा देना चाहेगा, जिसी के भीतर कोई मजबूती न होगी, किन्तु सिर्फ देखावटी और बाहरी वेश-भूषा ही जिसकी सारी सम्पत्ति होगी ऐसे ही भयंकर और खतरनाक लोग इसमें आसानी से आ घमकेंगे, यदि उनके आराम का सामान मुहैया हो जाय । मैंने सोचा कि किसानों और मजदूरों की सेवा के नाम पर ये लोग उनके लिये भेग बन जायँगे । जो लोग कहीं चोरी डकैती वगैरह की शरण लेते उनके लिये यह बहुत ही सुन्दर पेशा हो जायगा । हाँ, ऐसे की आसानी होना जरूरी है ।

मेरी दलीलों का उन पर कुछ ज्यादा असर होता न दिखा । ऊपर से उनसे सर हिलाया जरूर और कबूल किया कि यह दिक्कतें तो हैं । फिर बोले कि अच्छा देखा जायगा । उतने नहीं तो कम लोग ही मेम्बर होंगे । यह कोई जरूरी नहीं कि पचीस ही हजार खामखाह बनें । मैंने देखा कि मेरे विचारों का उन पर कोई असर न पड़ा । उनसे केवल संख्या को ही पकड़ा है । मैं इस प्रकार की मेम्बरी की बुनियाद को ही बुरा और खतरनाक मान कर उनसे बातें करता था । मगर उनसे इतना ही माना कि इतनी बड़ी तादाद शायद आसानी से मिल न सके । उनसे यह गलती महसूस ही न की कि मेम्बरी वाला उनका सारा खयाल और रास्ता ही गलत है, धोखे का है । हम दोनों इस मामले में, उतनी बात-चीत के बाद भी दोनों ध्रुवों पर रहे । हम दोनों की नजरें एक दूसरे के खिलाफ थीं । उनका मेल न था । फिर भी मैं उन्हें याद दिलाया कि ऐसे ही कच्चे मेम्बरों को लेके तो आप ही लोग अब तक झगड़ते रहे हैं । ऐसे लोग तो बराबर वे पैंटी के लोटे की तरह कभी इधर कभी उधर लुढ़कते ही रहते हैं । कभी इस पार्टी में तो कभी उसमें जाते रहते हैं । इसी से झगड़े होते हैं कि दूसरे दल आपके मेम्बरों को फोड़ते हैं । हालाँकि इसमें भूल आप ही की है कि कच्चे लोगों को सदस्य बनाते हैं । आप खुद "रहे बाँस न

बाजे बाँसरी” क्यों नहीं करते ? उनने कहा कि “हाँ, यह तो ठीक है ।”

फिर उनके एक दूसरे खयाल पर भी मैंने उज्र किया । नई पार्टी के लिये पैसे का प्रश्न था । बिना आर्थिक संकट पार किये कोई भी पार्टी चल नहीं सकती । इसीलिये उनने इस मसले का भी हल सुझाया था । मगर मैं उससे और भी चौंका । मुझे साफ मालूम हो गया कि ऐसा होने पर पेरे-गैरे मनचले लोगों की भर्ती आसानी से हो सकेगी । आर्थिक क्रमेले हल हुए और पैसे की दिक्कत नहीं कि मेम्बर बनने वालों का ताँता बँधेगा । वह तो यही मजा चाहेंगे—“जो रोगी को भाये सोई वैद्य ब्रताये” वाली बात यहाँ सोलहाँ आने ठीक उतरेगी ।

असल में पैसा जमा करने का जो उपाय उनने सुझाया वह यह न था कि हम किसान मजदूर जनता से थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे । इस बात का तो उनने नाम ही न लिया । बूँद बूँद करके तालाब भरने का खयाल उन्हें रहा ही नहीं । उनके सामने लम्बे लम्बे प्रोग्राम और खर्च के मद थे । गार्ग का प्रेम, अखबार, औफिम, साहित्य, दौरा वगैरह ऐसी बातें थी जो उनके दिमाग में चक्कर काट रही थीं । और इनके लिये तो काफी पैसा चाहिये ही । मेम्बरों को भी तो आराम से रखना ही होगा । नहीं तो उनके डटने में दिक्कत का खयाल था । और पच्चीस हजार की तादाद भी काफी बड़ी होती । वर्त्तमान समय के मुताबिक उनका खर्च-वर्च भी कम नहीं ही चाहिये । चवैनी और सत्तू या सूखी रोटी खा के तो क्रांति हो नहीं सकती । इस प्रकार तो क्रांतिकारी लोग गुजर कर सकते नहीं । इसलिये महीने में कई लाख रुपये उनके खर्च के ही लिये चाहिये ।

यह साफ ही है कि इतना रुक्या गरीब लोग दे सकते नहीं । पैसे-पैसे करके उनसे इतनी लम्बी रकम वसूल करना गैर मुमकिन ही है । क्रांतिकारी लोग ऐसा मामूली काम करने के लिये होते भी नहीं । उनका काम बहुत बड़ा होता है । यह तो छोटे लोगों का—मामूली चर्करों का काम होता है । इसलिये पैसा जमा करने का कोई दूसरा ही रास्ता होना चाहिये, उनने यही सोचा । बताया भी ऐसा ही । खासी रकम हाथ लगने का रास्ता ही उनने

दुँह क्रिकाली था और उसी का जिक्र मुझसे भी किया था । मैं सुनता था । साथ ही हँसता भी और घबराता भी । उनके लिये वह क्रांति का चाहे सुगम से भी सुगम मार्ग क्यों न हो, मगर मेरे लिये तो वह बहुत ही खतरनाक दीखा । वैसे पैसे से उनकी नई पार्टी मठ भले ही बन जाय जहाँ मौज उड़ाने वाले ही रहते हैं । मगर मेरे जानते वह किसानों और मजदूरों की पार्टी हर्गिज नहीं बन सकती थी ।

मैंने उनसे बातें शुरू कीं । मैंने कहा कि यह भी निराली सी बात है कि आपकी पार्टी के लिये पैसे का मुख्य जरिया किमान मजदूर या शोषित जनता हो नहीं, किन्तु कुछ दूसरा ही हो । आरने मेम्बरो की भर्ती की जो बात बताई है उससे तो स्पष्ट ही है कि केवल मध्यम वर्गीय लोग ही उसमें आयेंगे । किसान मजदूर तो आयेंगे नहीं, शायद ही एकाध आयें तो आयें । इस प्रकार जितने नेता होंगे वह तो उनमें से आयेंगे नहीं । वह तो बाहरी ही होंगे । और पैसे की दिक्रत जब पूरी हो जाती है तब तो खामखाह बाहरी ही लोग रहेंगे ही । इसे कोई रोक नहीं सकता ।

अब रही पैसे की बात । सो भी उस दुखिया जनता से आने वाला है नहीं जैसा कि आप ही बताते हैं । वह भी तो बाहर से ही आयेगा—बाहरी ही होगा । उसी पैसे से काम का सारा सामान मुहैया किया जायगा—पेपर, लिटरेचर, औफिस वगैरह । इस प्रकार आदमी, पैसा और सामान ये तीनों चीजें बाहर की ही होंगी । किसानों और मजदूरों के भीतर से तीन में एक भी चीज न होगी । हरेक लड़ाई के लिये जरूरी भी यही तीन हैं—आदमी, पैसा और समान । और ये तीनों ही बाहर से ही मिल गये । इन्हीं से क्रांतिकारी लड़ाई चलाई जायगी ऐसा आप कहते हैं । चलाई जा सकती है और संभव है उसे सफलता भी मिले और क्रांति भी आ जाय । मगर वह क्रांति किसानों और मजदूरों की होगी यह समझना मेरे लिये गैर मुमकिन है । वह तो उसी की होगी जिसके आदमी, पैसा और सामान से वह आयेंगी । दूसरे के सामान से दूसरे के लिये कोई भी चीज आये यह देखा नहीं गया । फिर क्रांति जैसी चीज के बारे में ऐसा सोचना निरी नादानि होगी ।

मैं तो यही जानता हूँ और पढ़ा भी ऐसा ही है कि अगर किसानों और मजदूरों के हाथ में हुकूमत की चागडोर लानी है जिसे क्रांति कहिये या कुछ और ही कहिये, तो उन्हीं को इससे लड़ना और कट मरना होगा। जब तक उन्हीं के बीच से नेता और योद्धा पैदा न होंगे, पैदा न किये जायेंगे तब तक उनका निस्तार नहीं। लड़ते तो वे हईं। जेज जाते हैं, लाठी खाते हैं, गोलियों के शिकार होते हैं। मगर उनके नेता बाहरी होते हैं—उनके बीच से नहीं आते। अब तक एकाध जगह को छोड़ सर्वत्र ऐसा ही होता रहा है। नतीजा यह हुआ है कि क्रांति होने पर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। उनकी गरीबी, लूट, परीशानी, भूख, बीमारी, निरक्षरता ज्यों की त्यों बनी रह गई है। दुनियाँ की क्रांतियाँ इस बात का सबूत हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, इटली वगैरह देशों में क्रांतियाँ तो हुईं। मगर कमाने वाले सुखी होने के बजाय और भी तकलीफ में पड़ गये। गोकि लड़ने और मरने में वही आगे थे। यह क्यों हुआ ? इसलिये न, कि उन लड़ाइयों और क्रांतियों का नेतृत्व, उनकी चागडोर दूसरे के हाथ में थी ? इसलिये मैं यही मानता हूँ कि जो बाहरी नेता हैं उनका काम यही होना चाहिये कि किसानों और मजदूरों के भीतर से ही नेता पैदा कर दें। उसके बाद क्रांति वही खुद लायेंगे। हमारा प्रधान काम क्रांति लाना न होकर उसके लिये किसानों और मजदूरों के भीतर से ही नेता पैदा कर देना मात्र है। इतना कर देने के बाद उन्हीं के नेतृत्व में जो क्रांति होगी उसमें हम जो भी सहायता कर सकें वह उचित ही होगी। मगर अपने ही नेतृत्व में क्रांति लाने के मर्ज से हमें सबसे पहले बर्ग होना होगा। यह दूसरी बात है कि किसानों और मजदूरों के भीतर से ही पैदा होने वाले नेताओं के नेतृत्व और हमारे नेतृत्व में कोई अन्तर हो—दोनों एक ही ही। यह खुशी की बात होगी। मगर नेतृत्व की जाँच की कसौटी हमारा नेतृत्व न होकर उन्हीं वाला होगा यह याद रहे। हमारे नेतृत्व से उनका नेतृत्व मिलने के बजाय उनके ही नेतृत्व से हमारा नेतृत्व मिलना चाहिये।

यही बात पैसे रुपये की भी है। जिसे विजयी होना है उसको अपने ही

पू.स. रूप से—उसी के बल पर—लड़ना होगा। तभी सफलता मिल सकती है। उधार या मँगनी की रकम से लड़ने में धोखा होगा—अगर बीच में नहीं तो जीत के बाद तो जरूर ही होगा। कहने के लिये वह जीत किसान मजदूरों की होगी। मगर होगी वह दरअसल उन्हीं की जिनके पैसे लड़ाई में खर्च हुए हैं। पैसे वाले आदमियों को, उनके ईमान को, उनकी आत्मा को ही खरीदने की कोशिश करते हैं और आमतौर से खरीद भी लेते हैं। ऊपर से चाहे यह भले ही न मालूम हो। मगर भीतर से तो हमारी आत्मा विक जाती ही है अगर हम दूसरों के पैसे का भरोसा करें। जवान से हम हजार इनकिल्लात्र और किसान मजदूर राज्य की बातें बोलें। मगर इनमें जान नहीं होती। ये बातें कुछ कर नहीं सकती। दिल से हम पैसे वालों की ही जय बोलते हैं, उन्हीं का राय से, उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। जैसे मोटर का हाँकने वाला उसे अपने कब्जे में रखता है, नहीं तो वह कहीं की कहीं जा गिरेगी, किसी से लड़ जायगी। ठीक वैसे ही पैसे वाला हमें और हमारी लड़ाई को अपने काबू में ही सोलहों आने रखता है। यही वजह है कि हमारी राय में किसानों और मजदूरों की लड़ाई उन्हीं के पैसे से चलाई जानी चाहिये। उस लड़ाई के लिये असली और खासा भरोसा किसान मजदूरों के ही पैसे पर होना चाहिये। दूसरों की पर्वा हगिज नहीं चाहिये। इतने पर भी अगर कहीं से कुछ आ जाय तो उसे खामखाइ फेंक देने से हमारा मतलब नहीं है। मगर उस पर दार-मदार होने में ही खतरा है। उधर से लापर्वाही चाहिये।

सामान की भी यही बात है। खाना, कपड़ा, अखबार, साहित्य, औफिस वगैरह सभी चीजें जिसके हाथ में रहेंगा वही लड़ाई को चाहे जैसे चलायेगा। ये सामान लड़ाई के मूलाधार है, बुनियाद हैं, प्राण हैं। इसीलिये हम इनके लिये गैरों पर निर्भर कर नहीं सकते। नहीं तो ऐन मौके पर खतरा होगा, रह रहके खतरे खड़े होते रहेंगे। जब न तब इन सामानों के जुटाने वाले नाक भी सिकोड़ते रहेंगे और हमसे मनमानी शर्तें करवाना खामखाइ चाहेंगे। यही दुनियाँ का कायदा है—यही मानव-स्वभाव है।

आखिर कोई दूसरा आपको पैसा क्यों देगा ? या कहीं और जगह से पेंसा लाने में हजार खतरे का सामना करने के बाद पैसा मिलने पर उससे हमें क्यों देगा ? अपने लिये, अपने बाल-बच्चों के लिये उसी पैसे से जमीन-जायदाद क्यों न खरीद लेगा ? कोई रोजगार, व्यापार क्यों न चलायेगा ? धर्म और परोपकार का नाम इस सम्बन्ध में, इस स्वार्थी और व्यवहारतः जड़वादी (materialist in practice) संसार में, लेना अपने आपको घोखा देना है, व्यावहारिकता से आँख मोड़ लेना है। भूठी कसमें खाई जाती हैं और कचहरियों में गंगा तुलसी, कुरान पुरान तक की शपथें जो आये दिन ली जाती हैं वह क्या धर्म और परोपकार के ही लिये ? वह काम दुनियावी फायदे और जमीन-जायदाद के ही लिये किया जाता है यह कौन नहीं जानता ? इसी प्रकार धर्म और परोपकार के नाम पर देने वाले धनी और चतुर श्रामतौर से हजार गुना फायदे को सोचकर ही देते हैं। चाहे कहीं चुनाव में वोट मिलने में आसानी हो, कारवार में आसानी हो या मौके पर बड़ी जमा और बड़ा अधिकार मिल जाने में ही उससे मदद मिले। मगर यही बात होती है जरूर। वे लोग पहले से ही हिसाब-किताब लगाके और दूर तक सोच के ही इस धर्म और उपकार के काम में पड़ते हैं, वह हमें हर्गिज भूलना न चाहिये।

इसीलिये हमारा तो पक्का मंत्र होना चाहिये कि अपने हकों के दाखिल करने के लिये जो लड़ाई किसान मजदूर लड़ना चाहते हैं उनके लिये आदमी, रुपया और सामान (Men, Money and Material) खुद जुटावें, अपने पास से ही मुहय्या करें। खुद भूखे नंगे रहके वह काम उन्हें करना ही होगा। दूसरा रास्ता है नहीं। हमें उनमें दो टुक कर देना चाहिये कि अगर वे ऐसा नहीं करते, इसके लिये दंडार नहीं हैं तो हम उनकी लड़ाई से बाजी दावा देते हैं— हम उसमें हर्गिज न पड़ेंगे। हम उनसे साफ साफ कह दें कि इस तरह उसमें पड़ने पर तो हम उन्हें न्यायकार घोखा देंगे, जो हमें सत्ती लीडरी जरूर ही मिल जायगी। इनका ही नहीं, बिना किसानों के धन, जन के गैरों की आशा पर उनकी लड़ाई लड़ने

पढ़ा। अनजान आदमी के रास्ते में तो पग पग पर रोड़े अटकते हैं। सो भी किसान-आन्दोलन जैसी विकट चीज की कोशिश में। हमारे चारों ओर विरोधियों का गुट था। सभी कमरबन्द खड़े थे कि कब मौका पाये और सारी चीज खत्म कर दे। हम तो पहले पहल सन् १९२० ई० में कांग्रेसी राजनिति में ही आये थे। वहीं से सन् १९२७ ई० में किसान-सभा बनाने की ओर झुके। मगर हमारे इस काम में कांग्रेसी साथियों ने और नेताओं ने भी, पहले तो कम पीछे ज्यादा, विरोध किया। पहले वे लोग समझी न सके कि क्या हो रहा है। इसलिये यदि किसी का विरोध भी था तो वह दबा था। पीछे तो जैसे जैसे किसान-सभा मजबूत होती गई वैसे वैसे विरोध भी प्रबल होता गया। यहाँ तक कि इधर कुछ दिनों से कांग्रेस की सारी ताकत सभा के खिलाफ हो गई। हमारे पुराने साथियों में भी बहुतेरे डूब के पानी पीने लगे। वे भी इस आन्दोलन से भयभीत हो गये। मगर हम बढ़ते ही रहे हैं और बढ़ते ही जायँगे यही विश्वास है।

अब तक जो कुछ संस्मरण लिखे गये हैं वे तो मधुर तो हईं। साथ ही पढ़ने वालों के लिये आन्दोलन के भीतर झाँको का काम देते हैं। जिन्हें कुछ भी किसान-सभा में चसका है उन्हें इनसे काफी हिम्मत और सहायता मिलेगी जिससे काम बढ़ा सके। वे देखेंगे कि किसान-आन्दोलन कोई फूलों का ताज नहीं है। इसीलिये कमजोर लोग शुरू में ही हिवक जायँगे। यह ठीक ही है। इसमें कितना धोखा है इसकी भी जानकारी पढ़ने वालों को हुए बिना न रहेगी। इससे सच्चे और ईमानदार किसान-सेवकों को खुशी होगी और खतरे की जानकारी भी। तभी तो उससे मौके पर बच सकेंगे। अब तक तो सभा की जड़ कायम करनी थी। मगर अब उसे आगे बढ़के असली काम करना है। इसलिये बहुत ढंग के खतरों से खामखाह बचना होगा। इस बात में संस्मरणों से मदद मिलेगी। गरम बातें और नरम काम का खतरा हमें अब ज्यादा है। इसलिये अभी से सजग हो जाना होगा। हमें मन भर बातें नहीं चाहिये। बल्कि बिना उन बातों के यदि केवल काम ही हो और रक्ती भर भी हो तो कोई हर्ज नहीं। उसमें धोखा नहीं होगा। बातें

ता भोखा देती हैं। किसान-सभा का पूरा इतिहास और उस सिलसिले को सारी मुसीबतें मैंने अपनी जीवनी में लिखी हैं।

अन्त में एक बात कह देनी है। हमारी आदत है तारीखें भूल जाने की। ठीक साल और तारीख याद रखी नहीं सकते। इसी तरह स्थानों के नाम भी भूल जाते हैं। ये संस्मरण इस भूल से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिये क्षमा चाहते हैं। हमें इस बात से थोड़ा दाढ़स मिला जब हमने चीन के महान् कम्युनिस्ट नेता के बारे में पढ़ा कि वे तारीखें याद रख नहीं सकते हैं। मगर क्षमा तो फिर भी हम चाहते ही हैं।



